खण्ड-377, अंक-3
शुक्रवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(21 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 377 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
प्रश्नोत्तर	..	3–55
मथुरा मे धार्मिक स्थल महावन में तहसील व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को अदालत को स्थापना तथा उद्योग धन्धे लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	56
बांदा में क्रेशर कारखानों के बन्द होने से हजारों मजदूरों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	57
आजमगढ़ के मऊ कस्बे में कार्यरत कोतवाल श्री आर० के० सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..		57–58
ब्लाक जोया, मुरादाबाद में राजकीय दीक्षा विद्यालय के स्थान पर कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	58
देवरिया जनपद को बैतालपुर तथा देवरिया शुगर फैक्ट्री के ऊपर गन्ना कृषकों तथा मजदूरों के बकाया धनराशि के भुगतान की मांग के सम्बन्ध में निमम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	58–59
कस्बा जहारी, अलीगढ़ में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	59
प्रदेश के कतिपय जनपदों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को आवंटित छूट की खाद के वितरण में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	59–60
कुण्डा प्रतापगढ़ के गावों में चल रही चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	60
आजमगढ़ में लघु एवं सीमान्त कृषकों के नाम पर मुफ्त बोरिंग तथा बोरिंग के पाइप के विक्रय में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	60
विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से ट्यूबवेलों के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	61
प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को पम्पिंग सेट खरीदने पर स्वीकृत छूट में अनियमितता होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	61
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका....(उपस्थित की गयी) ..	61-62
जनपद लखनऊ के कुर्मांचल नगर, लिबर्टी कालोनी, सर्वोदय नगर एवं मानस नगर कालोनी के निवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका....(उपस्थित की गयी)..	62
जनपद मेरठ के ग्राम भावनौट में पशुचिकित्सालय भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका....(उपस्थित की गयी) ..	62
जनपद मुरादाबाद के ग्राम हसनपुर कटिया तथा ड्योढ़ी एवं हसनपुर कटिया और मलपुर के मध्य पक्की सड़क बनाने तथा बान और गागन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	62
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	62-63
राज्य विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	63-74
जनपद बहराइच में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	74-80
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा बधाई का प्रस्ताव लाने का प्रयास ..	
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	80-81
एक ही सत्र में एक विषय को प्रश्न के रूप में उत्तर दिये जाने के उपरान्त पुनः कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	81-103
परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह को शिक्षा के अनुदानों को प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर आपत्ति ..	103-106
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ..	106-155
आगरा में पुलिस द्वारा बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में स्वीकृत चर्चा को दिनांक 1-4-1986 को लिए जाने की घोषणा ..	155
उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मेरठ के जिला कारागार में श्री दुर्गा प्रसाद यादव को निरुद्ध किए जाने के सम्बन्ध में दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	155
तत्कालीन राजस्व मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	156
नत्थियां	157-171

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अफसर यू0 अहमद, श्री (बस्ती)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
अरुण प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
अवधेश प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कामेश्वर उपाध्याय, श्री (देवरिया)
किशन लाल, श्री (पीलीभीत)
कृष्ण कुमार, श्री (फैजाबाद)
केशरी सिंह, कर्नल (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री (गोरखपुर)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री (ललितपुर)
नरेश चन्द्र, श्री (लखनऊ)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्मय पाल शर्मा श्री (सहारनपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
फजलुल बारी, श्री (गोण्डा)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बहादुर सिंह, श्री (आगरा)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
बैजनाथ, श्री (देवरिया)
भोपाल सिंह, श्री (मेरठ)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मनहरन नाथ कौल, श्री (बहराइच)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मोतीराम सांगुड़ी, श्री (नैनीताल)
मोहम्मद मसूद खां, श्री (आजमगढ़)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
रमेस चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू) (शाहजहांपुर)
राम जियावन, श्री (बस्ती)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम पाल सिंह एडवोकेट, श्री (गोण्डा)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
लक्ष्मी नारायण, श्री (मथुरा)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र सोन, श्री (आगरा)
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री (मुरादाबाद)
शारदा देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
शिव नारायण मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिव बख्श सिंह राठौर, श्री (मैनपुरी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
सत्य प्रकाश विकल, श्री (आगरा)
सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (फैजाबाद)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री (गोरखपुर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)

नोट :—श्री सिब्तेरजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बिक्री-कर समाप्ति के मामले पर कथित विचार

****1--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--**

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिक्रीकर समाप्ति का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो मल्टी प्वाइंट बिक्री-कर के दुष्प्रभाव के कारण प्रदेश के गिरते हुए व्यापार को उन्नति-शील बनाने हेतु कौन से उपाय सरकार करेगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 1975 से ही सर्वथ एक सूत्रीय बिक्री-कर या क्रय-कर की व्यवस्था प्रभावी है । अतः बहुसूत्री बिक्री-कर व्यवस्था के कारण व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश व्यापारी मंडल और तमाम व्यापारियों ने बिक्री-कर में होन वाली अनियमितताएं, धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुए यह निश्चित किया है कि 1 अप्रैल, 1986 को पूरे उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक पर रहेगे । क्या सरकार को इसकी सूचना है, यदि सूचना है तो प्रदेश में होने वाले इस वित्तीय संकट के बचाव के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, 1 अप्रैल, 1986 को यह लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, इसकी शासन को कोई सूचना अभी तक तो नहीं है और जहां तक सरलीकरण की बात की गयी है, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि सरलीकरण के प्रयास पिछले वर्ष से निरन्तर चल रहे हैं । इसमें उनकी एसोशिएशन को बैठाकर बात-चीत होती है और अगर वह एग्री होते हैं, जिस मामले पर तो वह बात तय की जाती है । उदाहरण स्वरूप पिछले वर्ष जनवरी में यह तय हुआ था कि छोटे व्यापारियों का असेस्मेन्ट नहीं किया जायगा और न इन पर छापे मारे जायेंगे तो इनके इस निर्णय का पालन आज भी उसी तरह से किया जा रहा है दूसरे इन्होंने सरचार्ज के न देने की बात उठाई थी, इस बात को भी स्वीकार अब कर लिया गया, तो मैं नहीं समझता हूं कि अब तो उन्हे स्ट्राइक पर न जाना चाहिए उदाहरण के लिए यदि 100 रु0 पर 8 प्रतिशत का टैक्स लगता है तो 100 रु0 पर 8रु0 टैक्स के हुए और इस पर केवल अतिरिक्त चार्ज 08 पैसे हुए सरचार्ज के रूप में तो हम लोगों का कहना था कि यह सरचार्ज कंज्यूमर से चार्ज आप नहीं कर सकते है, तब एसोशिएशन वालों ने कहा कि इसे हम क्यों दें, हम तो कंज्यूमर्स से चार्ज करेंगे । अब वह इसको भी कर सकते हैं, ऐसा कर दिया गया है, इनसे सहयोग बना रहे, इसलिए वह सारी चीजें हटाई गयी हैं, फिर भी अगर वह स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि उन्हें अब जाना चाहिए ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, 7 मार्च, 1984 को तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री ब्रह्म दत्त ने इसी आदरणीय सदन में यह आश्वासन दिया था कि बिक्रीकर के सरलीकरण

के संबन्ध में 6 सदस्यीय एक कमेटी बनायी जायेगी ?

मान्यवर, जिसमें दो व्यापारी, दो अधिकारी और दो अर्थशास्त्री होंगे । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की समिति का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस समिति ने बिक्रीकर के सरलीकरण के लिए कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन् इस समिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पड़ोस में दिल्ली राज्य केन्द्र शासित है और वहां पर सेल्स टैक्स कम है, जब कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, जिसके कारण बहुत सा व्यापार उत्तर प्रदेश से हट कर दिल्ली और अन्य प्रदेशों में जा रहा है । इसलिए क्या वह ऐसी कोई प्रक्रिया बनायेंगे, जिससे कि दिल्ली और उसके अड़ोस-पड़ोस के राज्यों और दिल्ली के बराबर उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर हो सके ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा यह ऐसा नहीं है कि सारे सामानों पर टेक्सेशन दिल्ली और कुछ अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और उनके यहां कम है । जैसे मान्यवर, आटोमोबाइल को ले लीजिए, उसमें 10 प्रतिशत वह लेते हैं और 10 प्रतिशत हम लेते हैं, टार्च, घड़ियां, चाहे रिस्ट वाच हो या वह घड़ी जैसी आपके सामने मान्यवर, लगी है, इन सब पर 10 प्रतिशत दिल्ली में वह लेते हैं और 10 प्रतिशत हम लेते हैं । मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि हर सामानों में टैक्सेशन ज्यादा है । मान्यवर, कुछ ही चीजें ऐसी हैं, जिन पर हमारे यहां उनसे कुछ थोड़ा सा अधिक टैक्स है । दिल्ली कहती कि हमारे यहां से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है, वह बनाते नहीं हैं, अगर हम टैक्स आपके यहां से, वसूल करेंगे, तो हमारे यहां वह स्थिति नहीं रहेगी यानी उत्तर प्रदेश के पड़ोस के स्टेट्स वहीं खरीदने आते हैं । हमारा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश का 50-60 परसेंट है, अगर हम टैक्स हटा देंगे तो हमारी स्थिति संसाधन की खराब हो जायेगी और दिन प्रति दिन आप देखते हैं कि कहीं महंगाई बढ़ रही है, वेतनमान बढ़ रहा है, तो इसको हम कैसे पे करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह बिक्रीकर का सवाल मात्र व्यापारियों से ही जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, मान्यवर, अन्ततोगत्वा उपभोक्ता के ऊपर इसकी मार पड़ती है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि हम बिक्रीकर समाप्त कर उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लायेंगे या और कोई सरलीकरण की प्रक्रिया अपनायेंगे । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में बिक्रीकर के सरलीकरण की बात थी, क्या सिद्धान्ततः सरकार बिक्रीकर की समाप्ति के पक्ष में है या उसके स्थान पर अन्य कोई उपाय किया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, बिक्री कर की समाप्ति के बारे में हमने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि इस तरह से हम बिक्रीकर समाप्त कर देंगे । लेकिन मान्यवर, 1980 के चुनाव घोषणा-पत्र में बिक्रीकर को सरलीकरण की बात कही गयी थी और उसके बारे में कमलापति त्रिपाठी आयोग गठित किया गया था और केवल 5 चीजों में से वनस्पति एवं औषधि आदि के ऊपर यह सीमित किया गया था कि बिक्रीकर की जगह पर उत्पादन शुल्क इस पर कर दिया । इसमें मान्यवर,

सारे स्टेट्स के मुख्य मन्त्री की मीटिंग बुलाई गयी थी। वेस्ट बंगाल और तामिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने स्पष्टतः यह कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं और हम अपने यहां पर बिक्रीकर जारी रखेंगे।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत सारी वस्तुयें जो दैनिक उपयोग की होती हैं उसमें लिखा रहता है लोकल टैक्स के अतिरिक्त। जो नगरपालिकायें हैं उन्होंने भी टैक्स लगा रखे हैं वह बिक्रीकर में शामिल होता है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

लोकल टैक्स बिक्रीकर में शामिल नहीं होता। यह अलग है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी अपने उत्तर में जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सेल्स एसेसमेंट की स्कीम से व्यापारियों को बहुत राहत मिली है लेकिन क्या यह सही है कि सेल्स एसेसमेंट स्कीम के अन्तर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अगले वर्ष एसेसमेंट में आते समय उन्हें अपनी आय 20 प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है। ऐसा भी हो सकता है कि 20 परसेन्ट के बजाय 40 परसेन्ट बढ़ जाय और यह भी हो सकता है कि 2 परसेन्ट ही रह जाय इसलिए व्यापारियों के हित में 20 प्रतिशत बढ़ाने का जो बंधन है, क्या उसे समाप्त करने पर मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इसमें एकदम से राइडर नहीं था लेकिन विचार करने के बाद इसे 20 परसेन्ट किया गया और आपने जो सरलीकरण की बात की है उसमें सरलीकरण पर विचार किया गया था और इसको 10 प्रतिशत किया जा रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मन्त्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1979 में चूड़ी की बिक्रीकर से समाप्ति की घोषणा की गई थी। यह चूड़ी दुबारा निर्मित नहीं होती है, कारखाने से निर्मित होकर आती है और एक प्वाइन्ट पर सेल टैक्स लगाया गया था। क्या मन्त्री जी मैन्यूफैक्चर की परिभाषा में परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने कहा 1979 में जनता पार्टी के शासनकाल में बेंगल्स की प्रविष्टि में संशोधन किया गया था। उसी को आप देखें कि आगे वहां जो टैक्स इनके ऊपर था उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया और 10 परसेंट टैक्सेज में उसको रखा और वही लिस्ट जो उस समय थी, वही आज भी चली आ रही है। जो मैन्यूफैक्चर की परिभाषा की बात कही गई वह 1984 में हाई कोर्ट का भी जजमेंट था। फिलहाल उस पर विचार करने की कोई बात नहीं है।

श्री हरिश्चन्द, हरीश जी--

बहुसूत्रीय बिक्रीकर के स्थान पर एक सूत्रीय बिक्रीकर करने के सम्बन्ध में क्या मन्त्री जी पुनः विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

बहुसूत्रीय बिक्रीकर नहीं लगता है। हर जगह एक प्वाइन्ट पर लगता है। वैसे तो फर्स्ट प्वाइन्ट पर लगाते हैं लेकिन कुछ चीजें जैसे चमड़ा आदि हैं, इन पर लास्ट प्वाइन्ट पर लगता है।

जनपद मथुरा में दैवी आपदाओं के कारण पीड़ित किसानों को सरकारी देयों से मुक्ति

**2--श्री सरदार सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी में है कि मथुरा जनपद में दैवी आपदाओं

के कारण सामान्यतः सरकारी देयों की वसूली स्थगित होती रही है ? यदि हां, तो क्या शासन गत खरीफ की फसल की तबाही को और वर्तमान ओला वृष्टि को देखते हुए लगान एवं अन्य सरकारी देयों से पीड़ित किसानों को मुक्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

जी हां ।

भू–राजस्व व सीलिंग लगान में छूट/स्थगन नियमानुसार दी जाती रही है ।

तहसील मांट, सादाबाद तथा छाता के उन 524 गांवो जिनमें खरीफ 1393 फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक क्षति सूखा, बाढ़/जलप्लावन से हुई थी, उनकी भू–राजस्व में रुपये 14,01,385.34 की व सीलिंग लगान में रु0 2094.70 की छूट दिनांक 17–3–86 को दे दी गई है । रबी 1393 फसली के भू–राजस्व व सीलिंग लगान में छूट के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । जनवरी/फरवरी, 1986 में हुई ओला–वृष्टि से जिन ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, उनमें जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा भू–राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई है । प्रभावित क्षेत्रों में अहेतुक सहायता व तकावी वितरण का भी प्रबन्ध किया गया है ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी आप मेरे सवाल को देखें । इसकी आठवीं लाइन में लिखा है ओला वृष्टि को देखते हुए लगान एवं अन्य सरकारी देयों से पीड़ित किसानों को मुक्त करने की कृपा करेंगे? मेरा मतलब मात्र भू–राजस्व से नहीं था बल्कि बिजली, पानी तथा जो अन्य देय हैं, उनसे भी था । मन्त्री जी ने भू–राजस्व के बारे में घोषणा कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस दैवी आपदा को देखते हुए, जो अन्य विद्युत, सिंचाई आदि के देय हैं, उनको माफ करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

हमारे विभाग से जो अपेक्षा थी, उसको हमने सुनिश्चित कर लिया है । अन्य देय जो वित्तीय संस्थायें उपलब्ध कराते हैं, ऋण के रूप में, उनकी वसूली मेरे हाथ में नहीं है । वह तो वित्तीय संस्थाओं की शर्तों के हिसाब से वसूल की जाती है । सिंचाई देय के बारे में विचार कर लिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

हर वर्ष दैवी आपदा कहीं न कहीं रहती है । भू–राजस्व में छूट हो जाती है, कुछ सरकारी देय भी स्थगित हो जाती है, सहकारिता विभाग भी सरकार के अधीन है, अतः उसकी वसूली भी स्थगित हो जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने दिन के लिये वसूली स्थगित की जाती है, उस अवधि में जो ब्याज बढ़ता है, उस ब्याज से किसानों को मुक्त करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

जहां तक छूट देने का प्रश्न है जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह तीन महीने के लिये वसूली स्थगित कर दें । यह निर्देशित किया गया है कि बाढ़ आदि के प्रकोप हों, तो दूसरी वसूली भी वित्तीय संस्थाओं के ऋण की वसूली में उत्पीड़क कार्य–वाही न करें । जो ब्याज की बात कही गई है वह हमारे साथ में नहीं है । यह नीतिगत विषय है, इस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है ।

श्री बलजीत सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब के सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मथुरा जनपद में गत वर्ष भी और पिछले वर्ष भी ओलावृष्टि से किसानों का भारी नुकसान हुआ और 75 प्रतिशत

ही नहीं शतप्रतिशत नुकसान हुआ है। जिसके सम्बन्ध में मैंने स्वयं जाकर देखा और उसकी पुन्टि की। हमारे बराबर में हरियाणा प्रान्त लगता है। वहां पर भी ओलावृष्टि हुई और उसी के साथ-साथ हमारे यहां भी हुई। हरियाणा प्रान्त में 2 हजार से 3 हजार रुपये तक मुआवजा दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो ओलावृष्टि में किसानों को राहत दी गयी है ? वह कितनी है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करने की बात कही है, मैं उनकी सूचना को चुनौती नहीं देता हूं, लेकिन जिलाधिकारी और जिला प्रशासन से जांच के बाद जो सूचना मिली, जो 29 जनवरी, 1986 को ओलावृष्टि हुई, उसके सम्बन्ध में, माठ में 50 से 75 प्रतिशत तक की क्षति की गणना की गयी, 15 गांवों में 50 से 55 प्रतिशत और 20 गांवों में 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत क्षति हुई। फिर 93 गांवों में 25 प्रतिशत और मथुरा के 10 गांवों में 10 प्रतिशत क्षति हुई। यह सूचना देकर यह जानकारी देना चाहता हूं कि 75 प्रतिशत से ऊपर क्षति हो तो उसमें छूट की व्यवस्था की जाती है। फिर 50 से 74 प्रतिशत तक है या ऊपर है तो वसूली स्थगित करने का प्राविधान है। लेकिन नीचे के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। लेकिन राहत बजट में 16 लाख 75 हजार रुपये सीलिंग का था और आपदा तकावी 5 लाख रुपया जिले को उपलब्ध कराया गया।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर 25 से 74 परसेन्ट बताया, जब कि माननीय सदस्य ने कहा कि 100 परसेन्ट नुकसान हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय विधायक, जिन्होंने मौके का निरीक्षण किया, उनकी रिपोर्ट को आप सही मानते हैं या लेखपाल की रिपोर्ट को सही मानते हैं ?

श्री गौरी शंकर--

माननीय, मैनेजर सिंह जी इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका व्यक्तित्व भी प्रभावी है। मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि मैं माननीय सदस्य की सूचना को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो हमारी मशीनरी है, उसके द्वारा की गयी जांच के जो परिणाम निकले हैं, वह मैंने बताये। मैंने माननीय सदस्य से यह नहीं पूछा कि उन्होंने किस तरह से जांच की। उन्होंने कहा कि 100 परसेंट है तो उनकी भावनाओं को देखते हुए, उसे दिखवा लिया जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दैवी आपदा के समय आपने कहा कि लगान और आबपासी वगैरह जो होती हैं, उनको 3 माह के लिये स्थगित कर देते हैं। अब रबी की फसल में ओलावृष्टि हुई और खरीफ की बाढ़ में बह गयी तो अगले 3 महीने में कौन सी ऐसी फसल कट कर हो जायेगी जिससे किसान भुगतान कर सकेगा ? क्या माननीय मंत्री जी यह देखकर कि किसान की आय का केवल एक स्रोत कृषि उपज है, जो दैवी आपदा में नष्ट हो जाती है, तो इन परिस्थितियों के अन्तर्गत अगली फसल तक के लिये देयों को स्थगित करने की कृपा करेंगे।

श्री गौरी शंकर--

माननीय, इसमें जिलाधिकारी को पहले तीन महीने के लिये स्थगित करने का अधिकार है, उससे आगे भी वसूली सम्भव नहीं है तो तीन माह और के लिये रेवेन्यू बोर्ड को रिकमन्डेशन भेजी जाती है तो राजस्व परिषद् को 3 माह और स्थगित करने का अधिकार दिया गया है। उसका प्रयोग करके राहत दी जाती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद स्थित क्षेत्र चायल के ग्राम बघोली कछार में भूमि ज्यादातर बालू रेत की पड़ती है। पानी वहां भरा रहता है। वहां वसूली बहुत तेजी से इस समय हो रही है। क्या वहां की जांच कराकर वसूली को स्थगित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय मंत्री जी को लिखकर के दे दीजिये, वे उसे दिखवा लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, लिखकर तो पहले भी दिया था, जिलाधिकारी न भी जांच करायी, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं हुआ ?

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजस्व देयों की वसूली स्थगित करने पर विचार करेंगे। क्या सभी देयों की वसूली जिसमें सिंचाई, विद्युत आदि शामिल है, उनको भी स्थगित करने की कृपा करेंगे और उत्पीड़क कार्यवाही न हो, इतको सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनपद मथुरा में विगत छः वर्षों से ऐसी परिस्थिति को देखते हुए, दैवी आपदा को बात को देखते हुए, इस बात को सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उत्पीड़क कार्यवाही किसी प्रकार की न की जाय और इसकी बाबत जिलाधिकारी को इस बात के स्पष्ट निर्देश दे दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आंध्र प्रदेश विद्युत् परिषद् की विजयवाड़ा विद्युत् गृह की कार्य प्रणाली तथा मैनेजमेंट का अध्ययन करके उसको उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के नये तापाय विद्युत गृहों पर अपनाने का प्रयास

*1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश विद्युत् परिषद् के विजय बाड़ा थर्मल यूनिट ने गतवर्ष 100 प्रति लोड फैक्टर के लक्ष्य का प्राप्ति लगभग इसी क्वालिटी के कोयले का प्रयोग करके, जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के बिजली घरों में प्रयोग होता है, की है जिससे इस यूनिट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के तापीय विद्युत् घर उस स्तर से इतने पीछे हैं ? क्या मंत्री जी अविलम्ब आन्ध्र प्रदेश विद्युत् परिषद् के उक्त यूनिट की कार्य प्रणाली तथा मैनेजमेंट की जानकारी प्राप्त करके जनहित में वैसी ही व्यवस्था प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों पर लागू करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं, उल्लखित लोड फैक्टर सी0 ई0 ए0 के अनुसार 1984-85 में 77.38 प्रतिशत था।

प्रदेश के ओबरा तप विद्युत् गृह 200 मेगावाट की इकाइयों से अपेक्षाकृत कम विद्युत् उत्पादन होने के मुख्य कारण निम्नवत् हैं :—

1—ओबरा की 5 × 200 मेगावाट की इकाइयां देश में निर्मित प्रथम इकाइयां हैं जिनमें परिकल्पना/अभियंत्रण की अनेक कमियां हैं।

2--कम क्षमता का कोल हैण्डलिंग प्लान्ट होने के कारण पांचों इकाइयों को आवश्यक कोयला एक साथ उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

3--ओबरा की इकाई संख्या 9, 10, 11 पर में आई० एल० कोटा द्वारा लगाये गये कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेन्टेशन त्रुटि रहित कार्य नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप मशीनों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है ।

विजयवाड़ा विद्युत् गृह की कार्य-प्रणाली तथा मैनेजमेन्ट का अध्ययन करके उसको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के नये तापीय विद्युत् गृहों पर अपनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि विजयवाड़ा थर्मल यूनिट में लोड फैक्टर 77 प्रतिशत था । मान्यवर, ओबरा विद्युत् गृह, जो प्रदेश की 40 प्रतिशत थर्मल कैपिसिटी है, उसके बारे में यह बता दिया है कि मशीनें खराब हैं, त्रुटिपूर्ण हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो यूनिट बतायी हैं, जिनके डिजाइन में, जिनके इन्सट्रूमेंटेशन में त्रुटियां हैं, जब यह यूनिट लगायी गयी थी, क्या उस समय इसकी जानकारी थी ? और उसके बाद इसकी जानकारी कब हुई ? यह यूनिट्स केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक यूनिट्स द्वारा आपको दी गयीं, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी कि केन्द्रीय सरकार इन यूनिट्स को ठीक कराये व प्रदेश सरकार को इसके लिये मुआवजा दे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जैसा मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा कि 200 मेगावाट की इकाइयां देश में निर्मित प्रथम इकाइयां हैं और जो ओबरा विद्युत् गृह में लगायी गयी नयी इकाइयों में आई० एल० कोटा द्वारा लगाये गये इन्सट्रूमेन्टेशन नये थे और इन्होंने पहली बार 200 मेगावाट की इकाई पर लगाये थे । उसमें त्रुटि जो रह गयी, उसको धीरे-धीरे दूर किया गया । मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि यूनिट नं० 10 और 11 जो हैं, इन दोनों पर भी श्रीमन्, आई० एल० कोटा जो है, उसका जो नया कंट्रोल सिस्टम है, वह वहां पर लगाया गया है। यह दोनों मशीनें 200-200 मेगावाट की हैं, वह 180-190 मेगावाट का उत्पादन अब कर रही हैं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि विजयवाड़ा विद्युत् गृह की कार्य प्रणाली तथा मैनेजमेन्ट का अध्ययन करके उसको यहां नये तापीय विद्युत् गृहों पर अपनाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् के कुछ वरिष्ठ अभियंताओं और इस माननीय सदन के चन्द सदस्यों की एक कमेटी बनाकर विजयवाड़ा भेजेंगे, ताकि वह कमेटी जो वहां अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे, उस पर आगे कार्यवाही कर सकें ?

श्री सुनील शास्त्री--

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विजयवाड़ा विद्युत् गृह की जो कार्यप्रणाली और मैनेजमेंट है उसका अध्ययन करके उसको उत्तर प्रदेश के विद्युत् परिषद् के नये तापीय विद्युत् गृहों पर अपनाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से सबसे पहले यह पूंछना चाहता हूं कि नये तापीय विद्युत गृहों पर ही आप इसे क्यों अपनायेंगे, क्यों न सारे विद्युत गृहों पर इसे अपनाते हैं । माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् ने इसका अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया है मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप यहां के नये तापीय विद्युत् गृह पर अपना

रहे हैं और उनके अपनाने से विद्युत् उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी हुयी है । विद्युत् परिषद् का अगर यह विचार है कि यह मैनेजमेंट ठीक नहीं है और उसकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी विजयवाड़ा थर्मल यूनिट के जो जनरल मैनेजर हैं क्या उनका यहां के तापीय विद्युत् गृहों के लिये एडवाइजर नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन् माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है । उन्होंने पूरी तकनीकी जानकारी प्राप्त करके यह प्रश्न पूछा है । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि विजयवाड़ा थर्मल यूनिट की इस समय जो क्षमता है वहां केवल दो मशीनें केवल 210 मेगावाट की लगी हुयी हैं और 550 लोग वहां पर कार्यरत हैं । वहां पर अधिकतर काम ठेके पर होता है । जैसे अनुरक्षण एवं परिचालन । लेकिन हमारे यहां ओबरा में लगभग 5000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं यदि हम यहां पर ठेके पर कार्य करते हैं तो हमें एक हजार लोगों की छंटनी करनी पड़ेगी जो उचित नहीं है । इसी लिये सारे विद्युत् गृहों में विजयवाड़ा की जो रूपरेखा है उसको लागू करना कठिन है लेकिन परीक्षण के तौर पर हम इसे अनपारा-ए और नयी परियोजनाओं में हम लागू करने का इसे प्रयास कर रहे हैं । लेकिन मैं माननीय सदस्य को ग भी बता देना चाहता हूं कि वहां पर भ हमें इसे लागू करने में कठिनाईही रही है । हमारे अभियंता नहीं चाहते हैं कि जो डेस्क कंट्रोल हैं वह सहायक अभियंता करे । जब कि हमारे यहां डेस्क कंट्रोल का कम अवर अभियंता करता है । फिर भी हम इस पर विचार कर रहे हैं और सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं ।

रामपुर को दैवी आपदा में दी गई राहत

*2--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत बरसात में सैलाब से पीड़ित जिलों में रामपुर को सरकार द्वारा कितना पैसा आवंटित किया गया तथा उसका कितना भाग बांटा गया और कितना बटने से बाकी रहा तथा यह देरी किसके कारण से हुई ?

श्री गौरी शंकर--

सभी प्रकार की दैवी आपदाओं जिसमें सैलाब भी सम्मिलित है, के राहत कार्यों के लिये रामपुर जनपद को कुल 92.47 लाख रुपये की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी है जिसके विपरीत दिनांक 12-3-1986 तक कुल 36.50 लाख रुपये का व्यय सूचित किया गया है । गत वर्ष की बाढ़ से जनपद के 23.298 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे । 17,138 मकानों के संबंध में 31,32,000 रु0 गृह अनुदान वितरित किया जा चुका है, 4,293 मकानों के लिये । 9,08,600 रु0 गृह अनुदान वितरित किये जाने की सूचना प्रतीक्षित है । शेष 6,160 मकान, गृह अनुदान के पात्रता क्षेत्र में नहीं आते हैं । अहेतुक सहायता की मद में 37,100 रु0 नकद तथा 1,24,497.42 रु0 खाद्य सामग्री के रूप में वितरित की गई । गृह अनुदान के वितरण कार्य पूरा होने में बिलम्ब का कारण क्षति सर्वेक्षण व सत्यापन में समय लगना है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ सवालों का जवाब चाहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी की लम्बी चौड़ी बात करने की आदत है । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि रामपुर जनपद के लिए राहत कार्य में कुल 92,47,000 रुपये की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में

आवंटित की गयी है और 12-3-86 तक 36,50,000 रुपये खर्च होना भी इसमें इंगित किया है। जहां सैलाब आयेगा वहां पर बबादी ही होगी तो इस लिये वहां पर फौरी तौर पर उन्हें खाद्य के रूप में, नकदी के रूप में और जो मकानात गिर गये हैं उनकी मरम्मत करने के लिये पैसा दिया जाता है। इसलिये सरकार पैसा देती है। यह फौरी इमदाद है, मकान गिरने के एक-दो महीने में इमदाद पहुंच जानी चाहिये। जो इमदाद सरकार की ओर से दी गयी उसका 1/3 हिस्सा उसको दिया गया, जो सैलाब से बरबाद हुए। मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो बर्बादी हुई सरकार न पैसा दिया, उसका 1/3 हिस्सा अभी तक खर्च हुआ है, बाकी हिस्सा जो नहीं मिला, इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है ? जिन पर जिम्मेदारी जाती है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर---

जब सैलाब आता है तो पहला कार्य राहत देना होता है, जिसमें मकानों के गिर जाने के कारण या अनाज वगैरह के खराब हो जाने के कारण कोई भूखों न मर जाय, इसलिये जिला प्रशासन की पहली वरीयता यह होती है। उस पर सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ होता है। उसके बाद जब सूची बन जाती है तब कार्य प्रारम्भ किया जाता है। आजम साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखें कि पहला सैलाब तो 23-3-85 को प्रारम्भ हुआ, जिसकी कान्टीन्यूटी बनी रही, 19-10-85 को दूसरा सैलाब आया। दो महीने तक लगातार सैलाब का प्रभाव बना रहा। दैवी आपदा राहत बजट से जो था, उपलब्ध कराया गया, सूची बनती रही। इसकी सूचना मिल गयी थी कि इतना पैसा मिल गया है इसीलिये मैंने निवेदन किया कि अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का विलम्ब जिला प्रशासन की मशीनरी से नहीं हुआ है, इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद आजम खां---

इसके पहले 1982 में भी सैलाब आया था, उस सैलाब में यह बदनसीबी हुई थी कि जो रेडियोग्राम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किया गया, वह उनकी टेबिल पर रखा रहा, दो दिन बाद उसे देखा, जब कि रामपुर तबाह हो चुका था। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर सुनन्दा प्रसाद हैं, उसी के कारण उनका ट्रांसफर किया, आजकल कानपुर में हैं। अभी आपने छोटे से भाषण में कहा है कि दो महीने तक यह स्थिति रही। इसकी संजीदगी का आपने खुद ही इजहार कर दिया। जब सैलाब आता रहा तो केवल 1/3 रकम दी गयी, बाकी हिस्सा रोक लिया गया। क्या मेरी जानकारी को सही मानते हुए, चूंकि लिस्टों का फाइनलाइजेशन नहीं हो सका है, दो महीने तक सैलाब आता रहा है, 15 दिन में एक महीने में लिस्टें बन जानी चाहिये थीं, अभी तक नहीं बनी हैं, क्या सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल तक लिस्टें बन जायं।

श्री गौरी शंकर---

माननीय सदस्य आजम साहब ने सूत्र में प्रश्न किया है, उसी सूत्र में मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। सितम्बर-अक्तूबर, 1985 में ही सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1985 में सारी सूचियां बनती रहीं और राहत कार्य सुनिश्चित कराया जाता रहा, यही कारण है कि इतनी लम्बा धनराशि खर्च हुई। दूसरी बात है कि इतना धन जिला प्रशासन को उपलब्ध करा देते हैं कि वह त्वरित गति से राहत कार्य को प्रारम्भ कर सकते हैं। जिलाधिकारी का सन्देश आपने स्वयं दे दिया कि उन्होंने विलम्ब नहीं किया, इसलिये उनको वहां से चलता किया गया।

श्री अध्यक्ष--

वे कह रहे हैं कि सैलाब तो आया लेकिन सहायता का सैलाब आपके यहां से नहीं आया ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मैं मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जनपदों में घरगिरी की सूची जिलाधीश के पास तैयार है लेकिन अभी तक घरगिरी का अनुदान उन लोगों को नहीं उपलब्ध हुआ है, तो क्या शीघ्र ही उनको यह अनुदान आप दिलवाने के आदेश करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बजट की कोई परेशानी नहीं है । आज आपने यह सूचना दी है कि आपके जनपद में पैसा दिया जाय क्योंकि वहां यह उपलब्ध नहीं हुआ है । इसी तरह से और कोई जनपद हो, बजट राहत कार्य के लिये ही रखा गया है, इस सम्बन्ध में मैं आपको विशेष रूप से सुनिश्चित करना चाहता हूं ।

श्री अवनीश कुमार सिंह--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बदायूं में भीषण बाढ़ आयी थी वहां दातागंज तहसील में गृह अनुदान आबंटन हेतु स्वीकार किया गया था, क्या मंत्री जी उसको बंटवाने की कृपा करेंगे ? यह बताना जरूरी है कि जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है इसके लिये, वे व्यक्ति इसके पात्र नहीं हैं । तो क्या मंत्री जी पात्र व्यक्तियों को ही उनकी सही सूची बनवा कर गृह अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

अगर चयन सूची में किसी प्रकार की अनियमितता का सन्दर्भ माननीय सदस्य उपलब्ध करायेंगे तो इस सम्बन्ध में जो कर्मचारी या अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कि जो गृह अनुदान दिया जाता है जब बाढ़ आती है तो जो गरीब होते हैं जिनका पूरा मकान गिर जाता है, जिनके रहने की कोई जगह नहीं होती है वे ही व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिये पात्र होते हैं । मैं बरेली से एम० एल० ए० हूं और यहां मेरी कन्स्टीटुएन्सी में यह अनुदान एक महीने में सूची बना कर बांट दिया गया । अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि रामपुर में दिसम्बर तक सूचियां ही बनती रही थीं और इसमें किसी का दोष भी नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गृह अनुदान देने का आशय क्या है ? अब आप इसे दिलाकर क्या करेंगे कि जब वह लोग सारी सर्दियां खुले में रह कर बिना मकान के गुजार चुके हैं, तो अब आप इसको समाप्त ही क्यों नहीं कर देते ?

श्री गौरी शंकर--

अब माननीय सदस्य राहत को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, शासन तो राहत देता है, समाप्त नहीं करता । प्रतीक स्वरूप केवल वित्तीय संसाधन को देखते हुए एक तिहाई और आंशिक रूप से केवल 200 रु० तक दिया जाता है । अब यह राहत तुरन्त दे दी जाय इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षा की जानी चाहिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मंत्री जी के जवाब से कुछ खतरा पैदा हो गया है, एक तो जाहिर है कि आप मंत्री हैं, अथारिटी हैं, जो कह दें आपका फरमान ही सही माना जायेगा । जब पैसा सैलाब के लिये आबंटित किया गया था वह आपने सैलाब को देखे बगैर कर दिया था कि इतना भयंकर सैलाब है या आपकी टीम ने मौके पर जाकर देखा भी था कि इतना भंयकर सैलाब है जिसकी वजह से यह पैसा आबंटित करके दिया ? जो अब

आपको लग रहा है पैसा ज्यादा आबंटित कर दिया गया है और आप चाहते हैं कि वह 1/3 बजट का दिया जाय और बाकी वापस आ जाय तो मैं चाहता हूं कि जो आप 1/3 पैसे की बात कर रहे हैं, मुझको आपकी नियत कुछ अच्छी नहीं लग रही है तो क्या यह रामपुर के लिये ही रखा जायेगा या वापस ले लिया जायेगा ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने तो अपने मूल उत्तर में ही कहा है कि सभी प्रकार की दैवी आपदाओं जिसमें सैलाब भी शामिल है, जिला प्रशासन को पहले से ही बजट उपलब्ध करा दिया जाता है । अगर दैवी आपदा आ जाये तब बजट उपलब्ध कराया जाये तो समुचित सहायता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और तब आप कहेंगे कि पहले से क्यों नहीं बजट दिया गया ? इसलिये मान्यवर, इनको इस पर शंका करने का कोई औचित्य नहीं है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप शासन की सदाशयता पर शंका न करें ।

*3--श्री कनक सिंह--

[दिनांक 14-2-86 को नियम 301 के अन्तर्गत सूचना भेजी जाने के कारण निरस्त ।]

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि का हस्तांतरण गैर किसानों को करने की नीति

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में भारत सरकार से राज्य सरकार को इस आशय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कृषि भूमि को गैर काश्तकारों को बेचे जाने पर रोक लगा दी जाय तथा धार्मिक संस्थाओं की जमीन पर खेती करने वाले काश्तकारों को भी काबिज बना दिया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति क्या है ?

श्री गौरी शंकर--

दिनांक 18 मई, 1985 को दिल्ली में आयोजित राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात पर भी विचार हुआ था कि गैर कृषकों को कृषि भूमि का हस्तान्तरण अर्जित करने और धार्मिक संस्थाओं की भूमि पर खेती करने वाले काश्तकारों की जोत भूमि की सुरक्षा तथा ऐसे काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये जाने के लिए विधिक प्राविधान किये जायें । उक्त सम्मेलन की संस्तुतियां विचाराधीन हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि दिल्ली में राज्यों के समस्त राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दो बातों को छोड़कर और क्या संस्तुतियां थीं उनको बताने की कृपा करेंगे ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जो मूल उत्तर है, उसमें दो बिन्दु हैं, लेकिन आप अन्य बिन्दुओं की भी जानकारी चाहते हैं, हमारे पास एक पुस्तिका है, यह भारत सरकार की है । इसमें सारी की सारी संस्तुतियां हैं । मैं कुछ मुख्य-मुख्य बताये दे रहा हूं । एक तो सोशल फारेस्ट्री, हाउस साइट के बारे में चर्चा हुई, एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात हुई, मान्यवर, इसी तरह से 150 संस्तुतियां हैं । मैं माननीय सदस्य को इसको उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि कृषि भूमि का हस्तान्तरण गैर किसानों को नहीं किया जायेगा, तो क्या मंत्री जी भी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि भूमि की अध्याप्ति गैर कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये न हो, इसको भी उसमें सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, अभी तक जो स्थिति है, उसके अनुसार तीन तरह के कृषक हैं, एक जो संक्रमणीय भूमिधर, जिनको अपनी भूमि को बेचने का अधिकार है। असंक्रमणीय भूमिधर और तीसरे असामी। बाद वाले दो श्रेणी के किसानों को अपनी भूमि बेचने का अधिकार नहीं है। अगर कोई जमीन किसी संस्था में लगी हुई है तो उसको पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई कब्जा कर लेता है और संस्था उसको बेदखल करती है, तो बेदखली का प्राविधान कर दिया गया है लेकिन अगर 12 साल तक बेदखल नहीं किया जाता है तो उसको स्वामित्व का अधिकार मिल जाता है। हमारे प्रदेश में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जो गैर कृषकों को कृषि भूमि का हस्तान्तरण वर्जित करने के बारे में है, तो गैर कृषकों से आपका क्या तात्पर्य है?

इसमें जो कृषि की भूमि में मजदूरी का काम करते हैं उनको किस कोटि में रखा जायेगा? दूसरी बात अभी आपने कही कि हम इस पर विचार कर रहे हैं तो क्या आपने इस मामले को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है या क्रियान्वयन पर विचार कर रहे हैं?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इसके क्रियान्वयन पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं है। इन सारे संशोधनों के संदर्भ में क्या व्यवस्था की जाय केवल इस पर विचार हो रहा है। दूसरा मान्यवर, अभी तक किसी व्यक्ति को किसी जमीन को खरीदने का अधिकार है और बेचने का अधिकार केवल संक्रमणीय भूमिधर को है वह दूसरी बात है हरिजनों के बारे में, दूसरी व्यवस्था है कि 3 1/8 एकड़ से ज्यादा है तो कलेक्टर की परमीशन से दूसरे को बेच सकता है लेकिन अगर 3 1/8 एकड़ से कम है तो वह हरिजन को दे सकता है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, समाजवाद की रचना के अन्तर्गत वर्गविहीन समाज को बनाने का विचार है। गोष्ठी के अनुसार जो मंत्री जी ने बताया उसमें इन्होंने कृषि भूमि को गैर कृषकों को बेचने में कुछ विचार करने का बताया है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह विचार वर्गविहीन समाज बनायेंगे क्योंकि यह उस विचार के विरोधी हैं, क्या मंत्री जी इस विचार को बन्द करने की कोशिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह क्या आपका प्रश्न है?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, मेरा साफ प्रश्न है कि वर्गविहीन समाज की रचना के लिए क्या मंत्री जी यह विचार जो दिल्ली से उनको प्राप्त हुआ है गोष्ठी से कि इस पर विचार किया जाय, इसको बन्द करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न समझ में न मेरे आया और न मंत्री जी के आया।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का शासन वर्ग-विहीन समाज एवं समाजवादी समाज की रचना करने के लिए सतत प्रयासरत है।

प्रदेश में जल विद्युत् उत्पादन की परियोजनाओं की प्रगति

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जल विद्युत् उत्पादन की लोहारी नागपाला (280 मेगावाट), श्री नगर (280 मेगावाट) किशाऊ (600 मेगावाट) भाला मनेरी (372 मेगावाट कोटेश्वर (150 मेगावाट) तथा विष्णु

प्रयाग और भंडर गंगा (360 मेगावाट) परियोजनाओं पर कब कार्य शुरू किया गया तथा उस समय उन पर कब कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित था ? इस समय परियोजनाओं की प्रगति कहां तक हो चुकी है तथा कब तक यह पूरी कर ली जायेगी ? प्रदेश की विद्युत् तथा सिंचाई की वृहद् आवश्यकता को देखते हुए सरकार इन्हें अविलम्ब पूरा करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रश्नगत परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत् है :--

क्रम सं0	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	लोहारी नागपाला (282 मे0 व0)	इन तीनों ही परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण से मिल चुकी है परन्तु योजना आयोग भारत सरकार से अभी अपेक्षित है। स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।
2	श्री नगर (200 मे0 वा0)	
3	भाला मनेरी (142.5 मे0 वा0)	
4	किशाऊ (600 मे0 वा0)	इन परियोजनाओं के प्राक्कलन अभी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में विचाराधीन है । वहां से स्वीकृति के बाद योजना आयोग से स्वीकृति ली जायेगी तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ होगा ।
5	कोटेश्वर (150 मे0 वा0)	
6	विष्णु प्रयाग (262 मे0 वा0)	जुलाई, 1978 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था पूरा करने का लक्ष्य 1987-88 निर्धारित किया गया । विष्णु प्रयाग परियोजना में भिंडर गंगा को मिलाकर (480 मे0 वा0) पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन जनवरी, 1983 में भारत सरकार को भेजा गया था जो अभी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में विचाराधीन है ।
7	भिंडर गंगा	

धनाभाव एवं पर्यावरण विभाग से स्वीकृति में विलम्ब के कारण कार्य धीमी गति से हो रहा है । इस परियोजना की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की आशा है । सरकार जल विद्युत् परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा कराये जाने हेतु पूरी तरह सजग है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 5 परियोजनाओं का अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि उसकी स्वीकृति ही नहीं मिली है। दो परियोजनाओं के बारे में आपने बताया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी जिसमें दस साल लग जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने क्रम संख्या 1 से 5 तक जल विद्युत् परियोजनाएं दी हैं, उनकी यथाशीघ्र स्वीकृति लेने में और उसके बाद 7वीं योजना में ही उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया इन सब प्रोजेक्ट्स को तैयार करके हमने केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के सुपुर्द किया है कि इनमें वह अपनी स्वीकृति प्रदान करे। जैसे ही वह स्वीकृति हमें मिल जायेगी उसके बाद हमें उस पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जो सातवीं योजना में इसे पूरा करने का प्रश्न किया गया है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी जल विद्युत् परियोजनाएं हैं उसमें 6, 7 वर्ष का समय लग जाता है। जैसाकि मैंने पहले बताया पानी के अभाव के कारण 7वीं योजना में हम उसे पूरा नहीं कर सकेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से माननीय मन्त्री जी के और शासन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि जल विद्युत् परियोजनाओं के बारे में हम बार-बार यहां पर प्रश्न उठाते हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि जिससे कृषकों को सिंचाई का लाभ सुनिश्चित हो जाय। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है और उसके लिए विद्युत् की बात आती है। इसके अतिरिक्त तापीय विद्युत् गृहों से जो अधिकाधिक लाभ है वह उद्योगपति और शहरों के लोग ही ले लेते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि बार-बार सदन में आश्वासन देने के बाद भी सरकार की जितनी भी विद्युत् परियोजनायें हैं उसमें तापीय योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिल जाती है और जल विद्युत् परियोजनाओं को विचाराधीन रखा जाता है ? सर्वेक्षण चल रहा है और उनके दसियों साल तक पूरा होने की उम्मीद नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देकर जल विद्युत् परियोजनाओं में प्राथमिकता देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है, हम लोग जल विद्युत् परियोजनाओं के बारे में यह प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त हो। जहां तक सिंचाई के बारे में माननीय सदस्य ने कहा जो हमारी परियोजनायें हैं उनमें अधिकांश ऐसी हैं जो रन आफ दि रीवर्स में आती हैं जो बहते हुये पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन करेंगे तो सिंचाई का सम्बन्ध ऐसी परियोजनाओं से नहीं है। वह मल्टी परपज डैम, जैसे राम गंगा परियोजना है उसमें विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई भी और विद्युत् का उत्पादन भी होता है। माननीय सदस्य ने कहा कि तापीय की स्वीकृति क्यों जल्दी हो जाती है। मान्यवर, तापीय विद्युत् कोयले की उपलब्धता पर होता है, उसमें कम धन लगता है और समय भी कम लगता है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत् परियोजनाओं में अधिकांश परियोजनायें वर्षा के पानी पर डिपेन्ड करती हैं। वर्षा होगी तो रिजर्वायर भरेगा, वर्षा नहीं होगी तो नहीं भर पायेगा। इसलिए उसमें कठिनाई होती है और इसीलिए हम तापीय विद्युत् गृहों को प्राथमिकता देते हैं।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपके ही प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री पी० पी० गुप्ता, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ जोन को मकान निर्माण हेतु ऋण का आवंटन

*3--श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी० पी० गुप्ता, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ जोन ने महानगर, लखनऊ में अपना मकान जो लगभग 10 लाख की लागत का है, अपने वित्तीय स्रोतों से बनाया है ? यदि हां, तो उनके वित्तीय स्रोत क्या हैं ? उन्हें विद्युत परिषद् ने मकान निर्माण हेतु कितना ऋण आवंटित किया था ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता ने विगत 3 वर्षों में सम्पूर्ण कटौतियों के बाद कितना वेतन रुपये में प्राप्त किया है ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

जी हां, श्री पी० पी० गुप्ता, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ जोन ने महानगर विस्तार लखनऊ में एक मकान बनवाया है जिसके निर्माण पर जमीन के मूल्य सहित कुल मिलाकर लगभग तीन लाख बासठ हजार दो सौ उनचास रुपये व्यय हुये हैं। श्री गुप्ता ने यह धन निम्नलिखित श्रोतों से प्राप्त किया है—

	रु०
(क) भविष्य निधि से निकाली गयी धन-राशि अन्तिम निष्कासन	63,000.00
(ख) परिषद् द्वारा स्वीकृत ऋण	38,000.00
(ग) मित्रों से ब्याज मुक्त ऋण	50,000.00
(घ) स्वयं की बचत से	63,416.00
(ङ) पत्नी द्वारा लगाई गई पूंजी	1,47,833.00
कुल योग..	3,62,249.0-0

श्री गुप्ता ने सम्पूर्ण कटौतियों के बाद वर्ष 1983 में रु० 24,992.67, 1984 में रु० 38,525.13 एवं वर्ष 1985 में रु० 24,930.00 वेतन में प्राप्त किये हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, राज्य विद्युत् परिषद् के सफेद हाथियों में से एक सफेद हाथी की कहानी माननीय मन्त्री जी ने अभी बताई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बताया गया कि इनकी आय के स्रोत पत्नी द्वारा लगायी गयी पूंजी 1,47,833, मित्रों से बिना ब्याज ऋण 50 हजार और स्वयं की बचत से 63,416 रु० बताया गया तो यह स्वयं की बचत से 63,416 रु० कैसे बचा जब कि तीन वर्षों की आय माननीय मुख्य अभियन्ता महोदय की करीब 88 हजार होती है और जिसमें से 63,416 रुपये बचाये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस भू-खंड पर श्री पी० पी० गुप्त का मकान बना हुआ है वह कितने मूल्य का है ? कब खरीदा गया ? किस व्यक्ति से खरीदा गया और उनकी पत्नी की आय के स्रोत क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

पत्नी की आय के स्रोत वह क्या बतायेंगे ? दहेज पर आज कल रोज चर्चा हो रही है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ पूछ लिये हैं जिसको आपने इजाजत दी, उनका मैं एक-एक करके उत्तर दूंगा। पहला पत्नी का स्रोत बताता हूं कि उनका बैंक में रुपया जमा है उनके पिता नैनीताल में कारोबार चलाते हैं उससे होने वाली आय खुद वह स्कूल चलाती हैं उससे मिलने वाली आय है, कई वर्षों से वह स्वतन्त्र कर दाता हैं, वह उन पत्नियों में नहीं हैं जो उन पर आश्रित हों, स्वतन्त्र

आयकर दाता हैं, उनकी आय का प्रति वर्ष पुनरीक्षण होता है इसीलिये यह कहा गया कि उनकी पत्नी के आय के स्रोत हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय मन्त्री जी भ्रष्टाचार के मामले को छिपाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी पत्नी की आय के स्रोत क्या-क्या हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मैंने बताया कि कोचिंग स्कूल से प्राप्त आय तथा उनके पिता से चलने वाले कारोबार से आय, यह दो स्रोत हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि श्री पी० पी० गुप्ता, चीफ इंजीनियर, लखनऊ ने जो महानगर में मकान बनाया है वह 10 लाख रुपया लागत का है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी मशीनरी से इसका वैलुयेशन कराने का कष्ट करेंगे ? और दूसरा श्री गुप्ता ने यह भू-खंड कितने रुपये में किस व्यक्ति से खरीदा ?

श्री प्रमोद कुमार--

दो प्रश्न मान्यवर, उन्होंने किये पहले तो आरोप लगाया कि 10 लाख रुपये का वह मकान है । मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि वह मकान जो सभी स्रोतों से बना है 3 लाख 62,249 में बना है । तो वह कम धनराशि नहीं है जिसमें कि मकान न बन सके । दूसरा प्रश्न, कोई जमीन कितने में खरीदी है वह जमीन मैंने बताया कि पत्नी ने जो रुपया लगाया वह 34,833 है । अब यह किससे खरीदी इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, माननीय सदस्य के कथन के बाद कि मकान 10 लाख रुपये से नहीं मत हुआ है और उत्तर में कहा गया कि सवा तीन लाख रुपये से बना है । तो क्या सरकार इसको कोई टेक्निकल जांच करायेगी जिससे साबित हो सके कि वह मकान 3 लाख या 10 लाख रुपये में बना है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जमीन की कीमत में 34 हजार रुपये पत्नी से लगा है और जमीन की कुल कीमत 46 हजार रुपये है । माननीय सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश ने जो कहा है कि तीन लाख रुपये से अधिक का यह मकान है, तो मैं बताना चाहता हूं कि दोनों इन्कम टैक्स एसेसी हैं, दोनों की आय का पूरा-पूरा पुनरीक्षण होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो 3 लाख रुपये की चर्चा की गयी है, तो यह किसी के द्वारा एसेसमेंट करके बताया गया होगा । क्या आपने किसी से एसेसमेंट कराया है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? दूसरा प्रश्न यह मकान कब बनना शुरू हुआ और कब बनकर तैयार हो गया है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है और दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये क्या मन्त्री जी मकान का यू० पी० गवर्नमेंट के टेक्निकल सलाहकार, श्री शीतला शरण श्रीवास्तव से एसेसमेंट करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया था कि दोनों ही इन्कम टैक्स के एसेसी हैं और इन्कम टैक्स देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलायें कि यह क्या मकान की जांच टेक्निकल सलाहकार, श्री श्रीवास्तव से करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय सदस्य ने जो कहा है तो मैं अपने विभाग से इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मन्त्री जी वर्तमान समय में इस मकान की कितनी कीमत है, इसकी जांच श्री श्रीतला शरण श्रीवास्तव से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मैंने कहा तो है कि जांच करवा लूंगा और उसमें सभी बिन्दु आ जायेंगे, किसी का नाम निर्देशित करना उचित नहीं होगा ।

*4--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[24वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*5--श्री किरन पाल सिंह--

[दिनांक 21-2-86 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित]

संयुक्त संचालक गोरखपुर को कागजात दुरुस्त करने हेतु ग्राम डुमरैला के ग्रामवासियों द्वारा दिया गया शिकायती पत्र

*6--श्रीमती शारदा देवी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के तहसील सदर में ग्राम डुमरैला में जो चकबन्दी चल रही है उसमें खाता 25 के आधार वर्ष खतौनी में जो फर्जी अमल दरामद दर्ज करके ग्राम सभा की सम्पत्ति को गांव के कुछ असरदार व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने नामों से चक कटा लिए हैं ? क्या यह सच है कि दिनांक 26-6-85 को गांव के कई आदमियों द्वारा एक शिकायती पत्र संयुक्त संचालक चकबन्दी गोरखपुर को कागजात दुरुस्त करने हेतु दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

जी हां ।

शिकायती पत्र पर चकबन्दी अधिकारी से जांच कराई गई । जांच में कुछ व्यक्तियों के नाम फर्जी इन्द्राज पाए गए ।

इन फर्जी एवं बढ़े हुये इन्द्राजों को विधिक प्रक्रिया द्वारा चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 13-1-86 द्वारा खारिज कर दिया गया है । आधार वर्ष 1377-79 फ0 के इन्द्राज खतौनी में पुनः कायम रखे गये ।

दोषी सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्त्ता तथा लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

विद्युत् गृहों की सुरक्षा हेतु अग्नि शमन कोड

*7--श्री विजय सिंह राणा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 83 में ओबरा बिजली घर में आग लगी और लगभग ठीक इन्हीं परिस्थितियों में छः सात माह बाद हरदुआगंज में मई, 84 में आग लगी ? यदि हां, तो ओबरा में आग लगने के बाद ऐसे कदम क्यों नहीं उठाये गये कि जिससे आगे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो पाती और क्या अब इस प्रकार की व्यवस्था और प्रबन्ध कर लिए गए हैं कि जिससे घटना अन्यत्र कहीं पुनः घटित न हो सके ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

ओबरा में दिनांक 30-10-83 को आग लगने के बाद, तुरन्त शासन द्वारा एक जांच समिति दिनांक 1-11-83 को गठित कर दी गयी थी। उक्त जांच समिति की जांच रिपोर्ट अप्रैल, 1984 में प्राप्त हुई। जिसका शासन स्तर पर परीक्षण किया गया तथा आवश्यक निर्देश जारी करने की कार्यवाही की गयी। इसी बीच हरदुआगंज में अग्नि दुर्घटना हो गयी।

जांच समिति की संस्तुति के आधार पर विद्युत गृहों की सुरक्षा हेतु अग्नि शमन सम्बन्धी "कोड" तैयार कर लिया गया है जिसको समस्त विद्युत गृहों पर लागू करने की कार्यवाही प्रगति पर है। यह कार्य दिसम्बर, 1987 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आपने कहा है कि यह 30-10-83 को आग लगी और अप्रैल, 1984 में जांच समिति की रिपोर्ट आ गयी और आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(इस समय 12 बजकर 8 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

उनसे मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह जो भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा विद्युत् ताप गृह है, इसमें आग लगी और 68 से 82 तक कई हजार बार आग लगी, तो क्या इसको देखते हुये सरकार की ओर से कोई इस तरह की व्यवस्था कर दी जायेगी या कर दी गई है कि जिससे आइन्दा इसमें आग लगने की गुंजाइश न रहे? इसके लिए कार्बन आक्साइड संयंत्र और गैस मारक संयंत्र लगाने की बात चल रही थी, तो यह कब तक लग जायेंगे? उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो कोड तैयार किया गया है, उसके अन्तर्गत 7 करोड़ 50 लाख की एक योजना प्राप्त की है जो ओबरा में लागू करेंगे और वहां के लिए 2 करोड़ 50 लाख की योजना है, इसी प्रकार से हरदुआगंज और पनकी पावर हाउस के लिए भी कोड सम्बन्धी योजना है। साथ ही जो परीछा और आनपारा-ए निर्माणाधीन हैं, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था को पहले से ही समायोजित कर या गया है कि अग्नि लगने से कैसे बचाया जाए, अग्नि को कैसे रोका जाए। उसकी जो भी योजना है, इसमें शामिल है। तीन पुरानों में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और दिसम्बर, 87 तक इसको हम पूरा कर लेंगे। जो हमारा सी0 एस0 आई0 एफ0 है, उसका फायर फाइटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है और इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि पूरे विद्युत् गृहों की जिम्मेदारी इस सम्बन्ध में उसको दे दें।

श्री विजय सिंह राणा--

यह रिपोर्ट अप्रैल, 84 में आपको प्राप्त हुई, उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य आख्यायें क्या-क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सुनील शास्त्री--

जैसा मैंने स्पष्ट किया, जब रिपोर्ट आ गई, तो अग्नि शमन सम्बन्धी कोड तैयार किया गया और उसके अनुरूप हमने अपनी योजनाओं को बनाया है। जिसकी धनराशि अभी हमने बताई है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

जब यह भीषण आग लगी थी, जिससे आपको इतना भारी नुकसान हुआ और सारा प्रदेश तबाह हो गया था, तो इसकी जांच क्या आपकी एजेंसी ने की थी और उसकी संस्तुतियां क्या हैं?

श्री सुनील शास्त्री--

जो कन्ट्रोल सिस्टम है, उसकी त्रुटि के कारण यह कांड होना समिति ने

बताया था । जहां तक समिति की जांच रिपोर्ट की बात है उसके उपरान्त हम इस बात के लिये कि भविष्य में कोई अग्निकांड न होने पावे हमारी विद्युत गृहों में । वह आ गई और कोड तैयार करके कार्यवाही कर रहे हैं परियोजनाओं और

श्री शतरुद्र प्रकाश--

83 में ओबरा में जो आग लगी थी, क्या उस सम्बन्ध में सरकार ने सी0 बी0 आई0 से जांच कराई थी ? यदि कराई थी तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? और क्या उसमें ऐसी संस्तुतियां हैं कि जिससे भविष्य में आग न लग सके ? यदि ऐसा हुआ है, तो वह क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

तकनीकी समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसके आधार पर ही यह कोड तैयार कराया गया है । जहां तक सी0 बी0 आई0 की जांच की बात है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा में लगी आग के लिए उत्तर प्रदेश अनुसंधान विभाग की शाखा के जो केमिकल विशेषज्ञ डा0 त्रिपाठी हैं उन्होंने भी जांच की थी और उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि कोई केमिकल लाइन पर फेंका गया जिससे आग लगी ? तो इस रिपोर्ट को किन परिस्थितियों में दबाया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इस समय तो कोई जानकारी नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य ने जो बताया तो इसको मैं जरूर दिखवा लूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जब ओबरा में आग लगी थी तो वहां के कुछ अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच रिपोर्ट आयोग है उसमें कहा गया है कि ओबरा का जो प्रशासनिक ढांचा है वह अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया है । तो इस सम्बन्ध में जो अधिकारी दोषी पाये गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जो जांच करायी गयी उसके आधार पर कोई दोषी नहीं पाया गया था जैसा मैंने बताया कि कन्ट्रोल सिस्टम मे खराबी आयी जिससे आग लगी । जैसा कि शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि सी0 बी0 आई0 ने जांच की थी तो उसकी रिपोर्ट को मंगवा कर मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । कुछ अधिकारी अनुशासनहीनता के दोषी पाये गये हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो जांच हुयी उसमें कोई दोषी नहीं पाया गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में कतिपय पदों पर सेवा निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति

*8--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की नीति है कि साधारणतया रिटायर्ड अधिकारियों को पुनः सेवा में न लिया जाय ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विद्युत् परिषद् में अध्यक्ष पद पर रिटायर्ड व्यक्ति को ही रखने की प्रथा चली आ रही है और उच्च स्तरीय टैरिफ कमेटी के नाम पर भारी मात्रा में रिटायर्ड लोगों को परिषद् में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी केन्द्र और प्रदेश की नीति के अनुसार रिटायर्ड लोगों को हटाकर योग्य, कर्मठ, ईमानदार

वरिष्ठ लोगों को उक्त पदों पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रदेश सरकार की नीति है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया रिटायर्ड अधिकारियों को पुनः सेवा में न लिया जाय ।

जी नहीं । अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के पद पर शासन द्वारा पद की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए उपलब्ध व्यक्तियों की योग्यता एवं अनुभव आदि को ध्यान में रखकर उपयुक्ततम समझे जाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है चाहे वह व्यक्ति सेवा में हो अथवा सेवा निवृत्त । उच्च स्तरीय टैरिफ कमेटी के लिए एक रिटायर्ड सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् तथा अन्य तीन वाह्य विशेषज्ञों की नियुक्ति अंशकालीन रूप में की गई थी । इस कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है । अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के पद को छोड़कर अन्य पदों पर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार विशिष्ट वैज्ञानिक, विधि एवं उच्च योग्यता तथा अनुभव रखने वाले रिटायर्ड व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में ही अंशकालीन/अल्पकालीन रूप में रखा गया है और जैसे-जैसे कार्य विशेष पूरा होता जा रहा है उनकी सेवायें समाप्त होती जा रही हैं ।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी रिटायर्ड व्यक्तियों को विद्युत् बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर रखने की प्रथा को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि टैरिफ कमेटी में जिन रिटायर्ड अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वह कौन-कौन से लोग हैं ? क्या वह कार्य वर्तमान अधिकारियों से होने लायक नहीं है ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा है, जब आवश्यकता होती है तभी हम लोग रिटायर्ड व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं । आवश्यकता को देखते हुये इनकी नियुक्ति की जाती है । आपने पूछा कि कौन-कौन से व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है ? तो श्री एस० एन० सिंह को 18 मार्च, 1970 से 1 अक्तूबर, 1971 तक के लिये, श्री जी० डी० पंत को 1 नवम्बर, 1977 के 31 जनवरी, 1978 तक के लिये, श्री आर० के० सान्याल को 22 अक्तूबर, 1981 से 30 अप्रैल, 1984 तक के लिये और श्री एस० एन० मिश्र को 1 मई, 1984 से 4 अप्रैल, 1985 तक के लिए नियुक्त किया गया है । अब श्री ए० के० शाह जो सेवा निवृत्त हैं उनको 4 अप्रैल, 1985 से नियुक्त किया गया है और वह कार्य कर रहे हैं ।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, क्या माननीय विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिजली की आवश्यकता किसानों को सबसे ज्यादा है और पूरे प्रदेश में किसानों को बिजली की समस्या से परेशानी होती है । तो जो आपकी टैरिफ कमेटी है उसमें किसानों के प्रतिनिधि को रखकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में किसानों का एक मित्र सेल गठित किया गया है, ताकि किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए समय-समय पर मन्डल स्तर पर बैठकें बराबर की जा रही हैं और वहां पर हम किसानों को भी बुलाते हैं और उनके सुझावों से भी फायदा उठाते हैं । ऐसे पूरे प्रयास हम कर रहे हैं ।

*9--श्री सुखपाल पान्डे--

[23वें मंगलवार के तारां० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय इकाइयों का त्वरित निर्माण

*10--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कौन-कौन सी तापीय इकाइयां

का निर्माण हो रहा है एवं कितने वर्षों से इनका निर्माण हो रहा है और कब तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ? विलम्ब का क्या कारण है और विलम्ब से सरकार को कितने-कितने रुपये का घाटा हुआ है ? उनके त्वरित रूप से कार्य होने के लिए सरकार ने कौन-सा कदम उठाया है और अगर नहीं उठाया है तो उसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय इकाइयां, उनके निर्माण को प्रारम्भ करने का वर्ष एवं पूरा करने का लक्ष्य निम्नवत् है :--

क्रम सं0	निर्माणाधीन तापीय इकाइयों का नाम	योजना आयोग से स्वीकृत होने के बाद कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का लक्ष्य
1	2	3	4
1	आनपारा-तीन इकाइयां प्रत्यक 210 मे0 वा0	1979	पहली इकाई 1985-86 दूसरी इकाई 1986-87 तृतीय इकाई 1987-88
2	टाण्डा-चार इकाइयां प्रत्येक 110 मे0 वा0	1979	दो इकाइयां 1987-88 दो इकाइयां 1988-89
3	ऊंचाहार परियोजना (प्रथम चरण)- दो इकाइयां प्रत्येक 210 मे0 वा0	1982	पहली इकाई सितम्बर, 1986, दूसरी इकाई मार्च, 1987 (इन दोनों इकाइयों में 5 माह के विलम्ब की सम्भावना है ।)

विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं--

(अ) टाण्डा एवं आनपारा के सम्बन्ध में ।

1--भूमि अधिग्रहण में विलम्ब ।

2--प्रारम्भ में रीनफोर्समेन्ट व स्ट्रक्चरल स्टील की आपूर्ति में कमी ।

3--वित्तीय संसाधनों का अभाव।

4--बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा मेन इक्यूपमेन्ट की आपूर्ति में देरी तथा इक्यूपमेन्ट की क्रमवद्ध आपूर्ति न कर पाना ।

5--आनपारा में मै0 ई0 पी0 आई0 एवं एम0 ए0 एम0 सी0 द्वारा कोल हैंडिलंग की सप्लाई ।

(ब) इरेक्शन में देरी ।

6--आनपारा एवं टाण्डा में लेबर अनरेस्ट के कारण देरी ।

7--आनपारा को खादिया कोयला खान से सम्बद्ध किया गया था परन्तु खादिया खान के देरी से आने के कारण मई, 1984 में आनपारा को अस्थायी रूप से काकरी/बीना खान से समबद्ध किया गया जिसके फलस्वरूप एम0 जी0 आर0 प्रणाली में परिवर्तन लाकर इसकी प्रगति में देरी ।

(ब) ऊंचाहार में विलम्ब की सम्भावना केवल 5 माह की है जिसका प्रमुख कारण धनाभाव है । विलम्ब के कारण घाटे का मूल्यांकन सम्भव नहीं है । विलम्ब के कारणों को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ताकि परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 5-5 विभिन्न इकाइयां बन रही हैं, इन इकाइयों को कौन बना रहा है और कितने करोड़ रु0 अब तक इन पर व्यय हो चुके हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहूंगा कि इन विभिन्न इकाइयों के निर्माण विभिन्न आर्गनाइजेशन द्वारा कराए जा रहे हैं ।

जनपद जौनपुर में ग्राम बद्दोपुर की विवादित भूमि पर चकबन्दी की कार्यवाही

*11--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम बद्दोपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में जिस कब्रिस्तान व काली के स्थान की भूमि के मामले को लेकर गत दिनों विवाद हुआ तथा पुलिस की गोली से अनेक लोग मारे गये पर ए0 सी0 ओ0 ने चकबन्दी लागू करने हेतु, जो कार्यवाही की है, उसको समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम बद्दोपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के कब्रिस्तान व काली स्थान से सम्बन्धित गाटा संख्या 222 व 217, जो कि चकबन्दी क्रियाओं में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा शामिल किये गये थे, उन्हें उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 चकबन्दी क्रियाओं से पृथक् कर दिया गया ।

जिला इलाहाबाद के ग्राम राजापुर परशुराम की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

*12--श्री कनक सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम राजापुर परशुराम, थाना व तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद की हरिजन बस्ती के लिये वर्ष 1980-81 में बिजली लगाने के आदेश हुए थे, जिसमें सवर्णों के यहां खम्भे व तार की व्यवस्था करके बिजली चालू कर दी गयी परन्तु हरिजन बस्ती में केवल खम्भे गाड़ कर ही छोड़ दिये गये ? यदि हां, तो बिजली कब तक चालू कर दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां । ग्राम राजापुर परशुराम हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण दिनांक 15 नवम्बर, 1985 को किया जा चुका है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रमों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु विचार

*13--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 4-7-85 को उनके द्वारा सूचित बीस सूत्रीय कार्यक्रमों को अन्तिम निर्णय लेने हेतु उत्तराखंड के माननीय सांसदों व विधान मंडल सदस्यों की एक बैठक आहूत की गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त सूत्रों में सरकार ने अब तक क्या-क्या निर्णय लिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं । बीस सूत्री कार्यक्रमों को अन्तिम निर्णय देने हेतु उतराखंड के माननीय सांसदों व विधान मंडल सदस्यों की कोई बैठक आहूत नहीं की गयी थी । दिनांक 4-7-85 को कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में भूमि विषयक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सांसदों एवं विधायकों की बैठक हुयी थी ।

विद्युत् विभाग में मासिक बैठक नियमित आयोजित करने के निर्देश

*14--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंग कि शासन ने प्रत्येक जनपद में विद्युत् विभाग के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों की मासिक बैठक जन समस्याओं के निवारण हेतु निश्चित की थी परन्तु प्रदेश के जनपदों में एक दो मासिक बैठक होने के बाद अब विद्युत् विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित न करने का क्या कारण है ? क्या शासन मासिक बैठक नियमित आयोजित करने के लिए निर्देश देने की कृपा करेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*15--श्री मनोहर लाल--

[दिनांक 28-2-86 को ता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

*16--श्री बदन सिंह--

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत कतिपय छात्रों को छात्रवृत्ति

*17--श्री शारदा प्रताप--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति तथा मोमिन, अन्सार जाति के कक्षा 6 में 9.00 रुपये, कक्षा 7-8 में 12.00 रुपये और कक्षा 9-10 में 25 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है जो इस महंगाई के समय में बहुत ही कम है ? क्या सरकार कक्षा 6-7 व 8 के छात्रों को 30.00 रुपये एवं कक्षा 9-10 के छात्रों को 50.00 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

वर्तमान समय में पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति तथा मोमिन अंसार जाति के छात्र/छात्राओं को कक्षा 6 में रु0 9, कक्षा 7 व 8 में रु0 12 की छात्रवृत्ति प्रतिमाह दी जाती है । कक्षा 9 व 10 में रु0 22 न कि रु0 25 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है ।

जी नहीं । धनाभाव के कारण ।

उप निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के पद पर भ्रष्ट अधिकारी की नियुक्ति

*18--श्री बाबू राम यादव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है विभाग द्वारा संचालित विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना में उप-निदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर एक ऐसे अधिकारी को नियुक्ति हुयी है जो वित्तीय भ्रष्टाचार, जालसाजी तथा अनुशासनहीनता एवं अन्य भ्रष्टाचार के मामले में अब तक तीन या चार बार निलम्बित हो चुके हैं तथा अभी भी उसके कार्य-कलाप से विभाग के अधिकारियों में भारी असन्तोष है, जिससे यह योजना सही ढंग से नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना में प्रोजेक्ट मैनेजर/उप निदेशक के पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी को उनकी फैजाबाद मण्डल में उप निदेशक के पद पर तैनाती की अवधि में शासनादेश दिनांक 16-2-83 के द्वारा केवल एक बार निलम्बित किया गया था ।

वर्तमान समय में उनका कार्य संतोषजनक है ।

*19--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[दिनांक 14-2-86 को अ0 सू0 तारां0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित ।]

*20--श्री अशोक बाजपेयी--

[दिनांक 14-2-86 को अ0 सू0 तारां0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित ।]

अतारांकित प्रश्न

1--श्री अमर चन्द्र--

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री पारस नाथ तिवारी, लिपिक के साथ हुए मुकदमें में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का व्यय

2--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारस नाथ तिवारी, दैनिक श्रेणी लिपिक, कार्यालय, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ जोन के साथ मुकदमे के दौरान श्रम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में कुल यात्रा भत्ता मिलाकर कितना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का धन खर्च हुआ है ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्री पारस नाथ तिवारी, दैनिक श्रेणी लिपिक के साथ मुकदमें में श्रम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र द्वारा यात्रा भत्ता सहित कुल रु0 2,721·65 (दो हजार सात सौ इक्कीस और पैसा पैंसठ) खर्च हुआ है ।

श्री सूर्य नारायण शर्मा, लेखपाल (चकबन्दी) का स्थानान्तरण

3--श्री भगौती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री सूर्य नारायण शर्मा, लेखपाल (चकबन्दी) आजमगढ़ का स्थानान्तरण सितम्बर, 1985 में कर दिया गया है लेकिन उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री सूर्य नारायण शर्मा, लेखपाल, चकबन्दी को चकबन्दी आयुक्त के आदेश दिनांक 29-9-85 द्वारा जिला फतेहपुर को स्थानान्तरित किया गया था । उनकी पत्नी के अनुरोध पर

उनकी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर उन्हें चकबन्दी आयुक्त के आदेश दिनांक 19-2-86 द्वारा फतेहपुर के स्थान पर सुल्तानपुर (कादीपुर) स्थानान्तरित किया गया है।

उनके अवमुक्त होने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई हुई है। लेखपाल को यदि अवमुक्त नहीं किया गया है तो तुरन्त अवमुक्त करने के आदेश दे दिये गये हैं।

देवरिया जनपद में कार्यरत 6 सुपरवाइजरों के निलम्बन आरोपों की जांच

4--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कार्यरत 6 सुपरवाइजरों को मार्च, 1985 में निलम्बित करने का कारण क्या था? क्या आरोपों की जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच किस निष्कर्ष पर पहुंची है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, देवरिया के वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लेखों की सम्परीक्षा अधिकारी (मुख्यालय) की सम्परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13-8-84 में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर निलम्बित कर दिया गया था, किन्तु विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट में उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें आरोप-पत्र नहीं दिया जा सका और अन्ततः निलम्बन की तिथि से उन्हें सवेतन बहाल कर दिया गया।

अलीगढ़, हाथरस, सिकन्दराराऊ में विद्युत परिषद् के कर्मचारियों द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप-पत्र का जांच

5--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ हाथरस और सिकन्दराराऊ में कितने हजार यूनिट विद्युत आपूर्ति वर्ष 1985 में की गयी और कितने हजार यूनिट विद्युत उपभोक्ताओं के उपभोग में अंकित हुई? क्या वहां के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परिषद् खण्ड श्री वी0 एम0 मोहन तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध श्री प्रेम प्रकाश, अलीगढ़ द्वारा जुलाई, 1985 में सम्बन्धित पत्र ऊर्जा मंत्री को भेजा, प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियन्ता और उनके अधीनस्थ कर्मचारी बड़े और भारी उद्योगपतियों से मिलकर मीटर बैक कर पुनः सील कर देते हैं जिससे हजारों यूनिट बिजली चोरी प्रतिमाह कर लाखों रुपये की क्षति विद्युत परिषद् को पहुंचाया जाता है? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद उन्नाव के विभिन्न साधन सहकारी समितियों द्वारा आधी छूट पर किसानों को खाद तथा बीज का वितरण

6--श्री मनोहर लाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के वि0 खं0 बिछिया, हिलौली के अन्तर्गत जुलाई, 1985 से 15 जनवरी, 1986 तक

विभिन्न साधन सहकारी समितियों द्वारा आधी छूट पर कितने किसानों को खाद तथा बीज का वितरण किया गया उनके नाम तथा पते क्या हैं ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ।

सहकारिता मंत्री(श्री अरुण कुमार सिंह)—

विकास खण्ड, बिछिया में 9 सहकारी समितियों द्वारा जुलाई, 1985 से 15 जनवरी, 1986 तक आधी छूट पर 846 कृषक सदस्यों को खाद तथा 204 कृषक सदस्यों को बीज वितरित किया गया है । विकास खण्ड, हिलौली में 9 सहकारी समितियों द्वारा जुलाई, 1985 से 15 जनवरी, 1986 तक आधी छूट पर 1258 कृषक सदस्यों को खाद तथा 65 कृषक सदस्यों को बीज वितरित किया गया ।

इससे सम्बन्धित विवरण माननीय सदस्य द्वारा मेरे चेम्बर में दिनांक 21-3-1986 को देखा जा सकता है ।

बाराबंकी जनपद के बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता

7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जनपद को वर्ष 85 की बाढ़ सहायता हेतु कितना अनुदान दिया गया ? गत वर्ष बाराबंकी जनपद के कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुए तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों को क्या-क्या सहायता दी गई ? क्या यह सही है कि गृह अनुदान व कम्बलों का वितरण अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सभी प्रकार की दैवी आपदाओं, जिनमें बाढ़ भी शामिल है, में राहत देने हेतु बाराबंकी जनपद की चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में 235.60 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की गई। इसमें से 1,69,64,280.34 रु0 की धनराशि अनुदान के रूप में तहसील नवाबगंज, फतेहपुर, हैदरगढ़ तथा रामसनेही घाट में बांटी गई ।

गत वर्ष 85 की बाढ़ में बाराबंकी जनपद के कुल 771 गांव प्रभावित हुए थे । इन प्रभावित ग्रामों में गेहूं, आटा, चावल, पूड़ी, सब्जी, भुना चना, लाई, केला, नमक, मिट्टी का तेल, माचिस, मोमबत्ती, साबुन, तारकोलीन, धोती, गमछा, कम्बल, रेडीमेड कपड़े आदि का वितरण पात्र व्यक्तियों को किया गया।

जी नहीं ।

इलाहाबाद के शंकरगढ़ में भूमि आवंटन में धांधली की जांच

8—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांकित 26-12-1985 जो इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लाक स्थित खनसेमरा ग्राम में हरिजनों को दी जाने वाली कृषि योग्य भूमि में धांधली से सम्बन्धित था पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप थे और क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासन को प्रश्नकर्ता का उक्त विषयक पत्र दिनांक 24-12-1985 न कि 26-12-1985 प्राप्त हुआ था जो जिलाधिकारी, इलाहाबाद को शिकायतों की जांच करने हेतु भेजा गया है ।

जिला सहकारी बैंक, ललितपुर के भवन का निर्माण

9—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के जिला सहकारी बैंक के भवन बनाने की शासन की कोई योजना है तथा इसके बनने में कितना समय लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं, जिला सहकारी बैंक, ललितपुर के भवन के निर्माण की कोई योजना नहीं है । इस बैंक ने इसी वर्ष कार्य प्रारम्भ किया है । बैंक के पास भवन-निर्माण हेतु अभी पर्याप्त संसाधन नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

10—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष किये जाने सम्बन्धी अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि विद्युत् सेवा आयोग द्वारा इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् 1983 से अब तक किये जाने वाले समस्त चयनों में अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष ही रखी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में शासन को समय-समय पर शिकायतें भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं, तथा शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् विद्युत् आपूर्ति अधिनियम, 1948 (इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948) के अन्तर्गत गठित स्वायत्त निकाय (आटो-नोमसबाडी) है । परिषद् द्वारा आयु सीमा अठ्ठाइस (28) बर्ष से बढ़ाकर तीस (30) वर्ष किया जाना स्वीकार नहीं किया गया ।

जनपद बस्ती के ग्राम भैंसहा की चकबन्दी अनियमितताओं की जांच

11—श्री सुखपाल पान्डे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भैंसहा, तह0 हरैया, जिला बस्ती की चकबन्दी 1977 से चल रही रही है और चकबन्दी विभाग के अधिकारियों की अनियमितताओं के विरुद्ध श्री शुभकरन सिंह आदि ग्राम भैंसहा ने 1984 से अनेकों प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 1985 तक दिये थे और तत्कालीन चकबन्दी आयुक्त को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 मार्च, 1985 को देकर मौके की जांच करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र में क्या-क्या शिकायतें थीं ? मौके की जांच किस अधिकारी ने किस तारीख को किया कितने आरोप जांच से सिद्ध हुए और गांव की पैमाइश किससे कराई गई ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

मुख्य शिकायतें मालियत, चार-चार चक दिये जाने, चकों की पैमाइश तथा आवश्यकतानुसार खलिहान, खाद का गड्ढा आदि के लिए भूमि सुरक्षित किये जाने, उनके व उनके पुत्र व भाभी के चक पास-पास दिये जाने, रास्ते तथा दोबारा चकबन्दी कराये जाने से सम्बन्धित है ।

शिकायत-कर्ता द्वारा इन्हीं शिकायतों को लेकर पहले भी शिकायती-पत्र दिये गये थे जिन पर श्री आर0 डी0 कुदेसिया उप-संचालक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 4-9-84 को ग्राम में जा कर जांच की गई थी ।

शिकायत-कर्ता व रामकरन सिंह व उनकी भाभी छविराजी के पास चकबन्दी से पूर्व 90 गाटे लगभग 40 स्थान पर थे जो ग्राम के 21 सेक्टरों में से 15

सेक्टरों में स्थित थे। इन तीनों चकदारों को 6 स्थानों पर कुल 9 चक दिये गये हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि सहायक चकबन्दी अधिकारी ने दो खातेदारों को चार-चार चक बिना बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की अनुमति के प्रदिष्ट किये जिसके कारण सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री हरेन्द्र कुंवर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

ग्राम में चकों की पैमाइश लेखपाल द्वारा की गई थी परन्तु शिकायतकर्ता ने अपने चकों की पैमाइश नहीं होने दी।

इसके बाद दिनांक 31-10-84 को चकबन्दी कर्ता को पैमाइश के लिए भेजा गय परन्तु शिकायतकर्ता ने चकों की पैमाइश में व्यवधान उत्पन्न किया तथा स्टाफ को अपशब्द कहें। शिकायतकर्ता उनके पुत्र रामकरन सिंह तथा मु0 छविराजो वास्तव में अपने चकों की पैमाईश नहीं होने देना चाहते हैं। वह पूरे गांव की पैमाईश पुनः चाहते हैं जबकि कृषक पूरे गांव की पुनः पैमाइश का विरोध कर रहे हैं। शिकायतकर्ता स्वयं ही पैमाइश में अवरोध उत्पन्न कर अपनी समस्या का निदान नहीं होने दे रहे हैं।

श्री भोलानाथ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बलिया का स्थानान्तरण

12--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोलानाथ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, विद्युत, बलिया ने नवम्बर, 1985 में विद्युत विभाग में किये गये घोटाले के कारण विशेष जांच (आडिट) के लिए विद्युत बोर्ड को लिखा था ? यदि हां, तो जांच करने के बजाय दो माह में ही ऐसे अधिकारी को किन परिस्थितियों में हटा दिया गया ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभाग एवं मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी (डाइरेक्टर इन्टरनल आडिट) के कार्यालय में नवम्बर, 1985 का श्री भोलानाथ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता का कोई पत्र इस सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं है। श्री भोलानाथ श्रीवास्तव का अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बलिया के पद से स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से कार्यहित में किया गया है।

बलिया जनपद में विद्युत बिलों के हेर-फेर के संदर्भ में जांच

13--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में विद्युत बिलों की हेर-फेर की जांच के संदर्भ में वर्ष 1985 में जिलाधिकारी ने जांच का आदेश अधिशासी अभियंता को दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

14--श्री अवधेश प्रसाद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

साधन सहकारी समिति देवगांव, फैजाबाद के भवन का निर्माण

15--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में न्याय पंचायत पालपुर के अन्तर्गत आने वाली साधन सहकारी समिति देवगांव के भवन का निर्माण दूसरी न्याय पंचायत सिधारी बाजार के क्षेत्र में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां, क्योंकि सम्बन्धित समिति के कार्य-क्षेत्र में न्याय पंचायत सिधारी बाजार भी आती है।

15-अ--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार उक्त निर्माणाधीन भवन का न्याय पंचायत सिधारी, बाजार के अन्तर्गत आने वाली साधन सहकारी समिति का भवन घोषित करके साधन सहकारी समिति, देवगांव के लिए दूसरा भवन न्याय पंचायत, पालपुर के किसी भी स्थान पर बनाये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हीं, क्योंकि न्याय पंचायत, पालपुर एवं सिधारी बाजार के अन्तर्गत आने वाली साधन सहकारी समिति, देवगांव के प्रस्ताव के अनुसार ही न्याय पंचायत, सिधारी बाजार में गोदाम एवं कार्यालय भवननिर्माण कराया जा रहा है । समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण न्याय पंचायत, पालपुर में दूसरे भवन का निर्माण वर्तमान समय में करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

16-16अ--श्री राम नरेश यादव--

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 199 व 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जनपद में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जनपद कानपुर में चर्मनगर स्थापना हेतु किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का एवार्ड एवं मुआवजा

17--श्री राम नरेश यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर ने चर्मनगर स्थापना हेतु किन-किन मौजों के किसानों की जमीने अधिग्रहण की और कितने खेतिहर किसान बेकार हुए ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा चर्मनगर स्थापना हेतु निम्न ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत की गयी ।

(1) बाईपुर मुश्तकिल
(2) मोहम्मदपुर
(3) अरतौनी
(4) स्वामी मुश्तकिल
(5) लखनपुर
(6) सिकन्दरा बाहिस्ताबाद ।

इस योजना के अन्तर्गत कुल 95 खातेदारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया । भू-अर्जन के फलस्वरूप कितने खेतिहर बेकार हुए यह विस्तृत जांच के बाद ही बताना सम्भव होगा क्योंकि वे किसी अन्य रोजगार में लगे हो सकते हैं ।

17-अ--श्री राम नरेश यादव--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत किसानों की कुल अर्जित की हुई जमीनों का मुआवजा कितने किसानों को दिया गया ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

योजना के अन्तर्गत कुल 95 खातेदारों में से 45 खातेदारों से सम्बन्धित अभिनिर्णय घोषित हो चुके हैं जिसमें से 32 खातेदार अपना प्रतिकर पा चुके हैं । 8 खातेदार प्रतिकर प्राप्त करने नहीं आये तथा 5 खातेदारों के वारिसों की जांच की जा रही है । 50 खातेदारों के सम्बन्ध में यद्यपि अभी अभिनिर्णय घोषित नहीं हुआ है परन्तु अग्रिम के रूप में 29 खातेदारों को भुगतान किया जा चुका है । शेष 21 खातेदार भुगतान प्राप्त करने उपस्थित नहीं हुए ।

17-ब--श्री राम नरेश यादव--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत जिन मौजों की जमीनें अर्जित की गयीं उनमें से मौजा लखनपुर और सिकन्दरा की

जमीनों का एवार्ड और मुआवजा क्यों नहीं बनाया गया जबकि जमीनों से किसानों को बेदखल हुए 5 वर्ष हो गए ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम लखनपुर व सिकन्दरा बाहिस्ता-बाद से सम्बन्धित अभिनिर्णय तैयार किया जा रहा है । इसमें सम्मिलित भूमि सीलिंग अधिनियम से प्रभावित होने के कारण अभिनिर्णय घोषित करने में देरी हो रही है । अभिनिर्णय शीघ्र घोषित कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शरण दास शर्मा, सचिव

रेलवे हैण्डलिंग लेबर सोसायटी, लखनऊ को हटाने की कार्यवाही

18--श्री विश्राम दास श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों में नियुक्त सचिवों की सेवा निवृत्त आयु सीमा सहकारी सेवा नियमावली के अनुसार 58 वर्ष है ? यदि हां, तो श्री शरणदास शर्मा, सचिव, रेलवे हैण्डलिंग लेबर सोसाइटी, लखनऊ लगभग 70 वर्ष की आयु के होने के बावजूद अब तक सचिव पद पर क्यों कार्यरत है ? क्या मंत्री जी सचिव को हटाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां, किन्तु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 उन प्रारम्भिक सहकारी समितियों पर लागू नहीं होती जिनका कार्य क्षेत्र एक जिले से अधिक नहीं है । प्रश्नगत समिति उक्त नियमावली की परिधि में आती है । श्री शरणदास शर्मा को दिनांक 18 फरवरी, 1986 को सेवा निवृत्त किया गया था किन्तु 21 फरवरी, 1986 को उनके द्वारा उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है । अतः कोई आदेश पारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अयोध्या नाथ श्रीवास्तव, मुख्य सहायक हरिजन एवं समाज कल्याण, फैजाबाद का आश्रम पद्धति विद्यालय कादीपुर सुल्तानपुर का स्थानान्तरण निरस्त किये जाने विषयक-पत्र

19--श्री मित्रसेन--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के श्री अयोध्या नाथ श्रीवास्तव, मुख्य सहायक कार्यालय हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद का राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कादीपुर जनपद सुलतानपुर को किया गया स्थानान्तरण निरस्त करने विषयक पत्र दिनांक 9-10-1985 के क्रम में संयुक्त सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित अर्ध शासकीय पत्र संख्या एम0 एल0 ए0 1210 (1)-1261-85, दिनांक 21 दिसम्बर, 1985 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री अयोध्यानाथ श्रीवास्तव को, उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, सोहावल, फैजाबाद में सम्बद्ध कर दिया गया है । अतः आश्रम पद्धति विद्यालय, कादीपुर जनपद सुलतानपुर को किया गया स्थानान्तरण प्रभावित नहीं हुआ ।

20--श्री मित्रसेन--

[9 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद आजमगढ़ के श्री इन्द्रजीत द्वारा किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड से लिया गया ऋण तथा अदायगी

21—श्री मित्रसेन—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री हरखू निवासी शीतलपुर, पत्रालय बीबीपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा साधन सहकारी समिति दरगाह वि0 खं0 दोहरी घाट से दिनांक 14-5-1985 को मु0 रु0 1,800 मात्र का ऋण लिया गया था ? यदि हां, तो किस्तों में मु0 रु0 2,000 मात्र ब्याज सहित जमा करने के उपरान्त भी अभी भी मु0 रु0 6,700 मात्र बकाया दिखाये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सत्य है कि संदर्भित मामले में ही शिकायतों के आधार पर ए0 डी0 सी0 ओ0 घोसी द्वारा जांच भी की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जांचकर्ता की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

1—जी नहीं ।

श्री इन्द्रजीत ने मु0 10051.66 का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण किसान सेवा सहकारी समिति लि0, दरगाह, जनपद आजमगढ़ से दिनांक 12-7-1975 से 21-6-1978 तक लिया था जिसके विरुद्ध उन्होंने मूल मु0 5655.34 अदा कर दिया है । अब 4396.32 मूल ऋण शेष रह गया है ।

अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी द्वारा की गयी जांच का मुख्य बिन्दु ऋणी सदस्य पर लगे ऋण की सत्यता को ज्ञात करना था । जांच में सदस्य पर लगा हुआ ऋण सही पाया गया ।

22—श्री मित्रसेन—

[9 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम उमरहर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर निर्धारण में अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र

23—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम उमरहर, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर निर्धारण में की गयी गम्भीर अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 2-10-85 के क्रम में आयुक्त, फैजाबाद को प्राप्त सन्दर्भित अधंशासकीय-पत्र संख्या 11/VIII-2(85-86) 2 की किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी तथा अब तक की जांच आख्या क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सन्दर्भित शिकायती-पत्र में निम्नलिखित प्रमुख आरोप थे :—

(1) मूल्यांकन किस्म जमीन के आधार पर नहीं किया गया ।

(2) घटिया किस्म की अनुपजाऊ जमीन का प्रतिकर उपजाऊ भूमि से अधिक निर्धारित किया गया ।

(3) प्रतिकर निर्धारण में अनियमितायें की गई ।

उपरोक्त आरोपों की जांच कराई गई तथा जांच से आरोप निराधार पाये गये ।

श्री नन्द किशोर, नैत्यिक लिपिक, वितरण खंड बहराइच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का संस्तुति पर कार्यवाही

24—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर, नैत्यिक लिपिक, वितरण खण्ड, बहराइच की पत्नी श्रीमती

विमला देवी द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 20-11-1985 तथा प्रश्नकर्ता द्वारा संलग्न संस्तुति पत्र दिनांक 28-11-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां।

चूंकि उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है। अतः इस स्थिति में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

ग्राम खुटवा तथा नगरवा, तहसील नौगढ़ जनपद बस्ती में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि के किये गये पट्टे

25--श्री घनराज यादव --

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ग्राम खुटवा तथा नगरवा, तहसील नौगढ़ में खसरा नं0 407/0-5-2, 407/0-2-0, 424/1/0, 2-17, 483-484/0-1-11, 489/0-0-14, 493/1/0-0-14 का पट्टा हुआ है जो 2-11-82 को स्वीकृत हो चुका है ? क्या यह सही है कि जिनके नाम से पट्टा किया गया है वे अपात्र हैं ? यदि हां, तो इस अवैधानिक पट्टे को खारिज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम खुटवा तथा नगरवा तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती में भूखंड संख्या 404/0-6-2, 407/0-2-0, 424/1, 0-2-17, 483-मि0/0-1-1, 484-मि0/0-1-11, 489-मि0/0-0-18 तथा 493/0-0-14 का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया गया जिसकी स्वीकृति दिनांक 2-11-81 को दी गयी है। पट्टेदार पात्र व्यक्ति हैं जिसके कारण पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गयी।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लिमिटेड के तदर्थ कर्मचारियों का विनियमितीकरण

26--श्री शारदा प्रताप--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना सं0 3124/12-सी-2151 (5)/83, दि0 30-7-85 के अन्तर्गत समस्त शीर्ष तथा सहकारी संस्थाओं में दिनांक 1-5-83 तक के तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जो साक्षात्कार कमेटी का गठन किया गया था उक्त कमेटी द्वारा शाखा विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन (उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0) के कर्मचारियों के प्रति नियमितीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा संचालित विश्व बैंक परियोजना एक सीमित अवधि के लिए पूर्णतया अस्थायी योजना है, जिसके कर्मचारियों पर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक स्टाफ रूल्स लागू नहीं हैं।

उक्त योजना के नितान्त अस्थायी प्रकृति के होने के कारण विश्व बैंक परियोजना प्रभाग के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में एक रिट याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी है, जो विचाराधीन है।

ग्राम बुलहवा वि0 क्षेत्र खड्डा देवरिया में चकबन्दी

27--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव बुलहवा, वि0 क्षे0 खड्डा (देवरिया) की चकबंदी अभी तक नहीं हुई है जबकि इसके समीप के सभी गांवों की चकबंदी वर्षों पहले हो चुकी है ? यदि हां, तो चकबंदी न कराये जाने के क्या कारण हैं और चकबंदी कब तक हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

देवरिया जनपद में तहसील हाटा बी0 के0 खड्डा (देवरिया) के अन्तर्गत बुलहवा नामक कोई ग्राम नहीं है बल्कि उस ग्राम का सही नाम जंगल बुलहवा है । बड़ी गण्डक (नारायणी नदी) के कटाव क्षेत्र के दहारी पर होने तथा भूमि असमतल होने के कारण इस ग्राम को चकबन्दी योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है । इस ग्राम के निकटवर्ती उत्तरी ग्रामों को भी इसी आधार पर चकबन्दी योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है । इस ग्राम के दक्षिण तथा पश्चिम के ग्रामों को ही उपयुक्त पाये जाने के कारण चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लिया गया है । उस ग्राम को बड़ी गण्डक (नारायणी नदी) के कटाव दहार: एवं भूमि असमतल होने के कारण चकबन्दी योजना से पृथक् रखा गया है । चूंकि गांव चकबन्दी योग्य नहीं है। अतः चकबन्दी कराना सम्भव नहीं है ।

28--श्री भगवान दीन कुशवाहा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम सभा सिठमरा जनपद कानपुर (देहात) की भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा

29--श्री भगवानदीन कुशवाहा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सिठमरा, जनपद कानपुर (देहात) की भूमि पर कितने लोगों द्वारा अवैध कब्जे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

रबी 1393 फसली की परताल के आधार पर प्रश्नगत ग्राम में 16 लोगों ने ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जा किया है ।

ग्राम समाज सिठमरा की जमीन पर लगे शीशम के पेड़ों को कटवाना तथा भूमि पर अवैध रूप से भवन व दूकानों का निर्माण

30--श्री भगवान दीन कुशवाहा--

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि ग्राम समाज सिठमरा, जनपद कानपुर (देहात) में एक भू0 पू0 विधायक द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से भवन व दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

31--श्री भगवानदीन कुशवाहा--

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि ग्राम सभा सिठमरा की भूमि पर नहर पुल के पास हरे शीशम के कितने पेड़ थे और वर्तमान समय में कितने

वृक्ष बचे हैं । क्या यह सही है कि उस जमीन और पेड़ों पर एक भू० पू० विधायक (सिठमरा) का कब्जा है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत भूमि में न तो शीशम के पेड़ थे और न हैं तथा इस पर किसी भूतपूर्व विधायक का कब्जा नहीं है ।

32--श्री भगवानदीन कुशवाहा--

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि भू० पू० विधायक द्वारा शीशम के काफी पेड़ कटवा लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी कीमत वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

भूतपूर्व विधायक द्वारा शीशम के पेड़ों को काटने के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । अतः कीमत वसूलने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (देहात) को पृथक् जिला घोषित करने पर विचार

33--श्री भगवानदीन कुशवाहा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) को पृथक् जिला घोषित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इसका मुख्यालय कहां बनाने का विचार कर रही है तथा यह सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

कानपुर देहात की अधिसूचना संख्या 5-4 (6)/76 (144) रा०-5, दिनांक 14 अप्रैल, 1981 द्वारा पूर्व में ही पृथक् जिला घोषित किया जा चुका, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कानपुर नगर में है । जनपद कानपुर (देहात) का पृथक् जिला मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित है ।

34--श्री अरुण प्रताप सिंह--
[9 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम बल्लीपुरवा को जाने वाली लिंक रोड को पक्की सड़क बनाने की मांग

35--श्री अरुण प्रताप सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर, तहसील सदर के पुरजागीर कम्पनी घाट से ग्राम बल्ली-पुरवा को जाने वाली लिंक रोड को पक्की सड़क बनाने के कई बार आदेश ग्राम्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत हुए हैं ? यदि हां, तो सड़क को अभी तक पक्की न बनाने के क्या कारण है ? और इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम पकरडीहा के ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र

36--श्रीमती शारदा देवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील सदर के तप्पा राजधानी के ग्राम पकरडीहा के ग्राम प्रधान ने दिनांक 23 अगस्त, 1985 को शासन को कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने कब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच परगनाधिकारी, सदर, गोरखपुर से करायी गयी किन्तु शिकायत सही नहीं पायी गयी ।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, फर्रुखाबाद के कर्मचारियों के विरुद्ध धन के अपहरण का मामला

37--श्री संतोष चतुर्वेदी, एडवोकेट--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, मई, 1982 में सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, फर्रुखाबाद के कर्मचारियों के विरुद्ध अपहरण का मामला जिला सहा0 निबन्धक (सह0 स0) द्वारा निरीक्षण के समय प्रकाश में आया था? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जिला सहायक निबन्धक, फर्रुखाबाद द्वारा माह मार्च, 1982 में सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, फर्रुखाबाद का निरीक्षण किया गया था जिसमें कर्मचारियों के विरुद्ध धन के लेखा-जोखा की विसंगतियों एवं अपहरण के मामले का उल्लेख हैं। तथाकथित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 4-6-1982 को कोतवाली थाना फर्रुखाबाद में अंकित करायी गयी। उक्त मामला विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) के विवेचनाधीन हैं।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति फर्रुखाबाद के सचिव की नियम विरुद्ध नियुक्ति

38--श्री संतोष चतुर्वेदी, एडवोकेट--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, फर्रुखाबाद में कार्यरत वर्तमान सचिव की नियुक्ति विभागीय नियमों के अनुसार वैध नहीं है ? यदि हां, तो इस नियम विरुद्ध नियुक्ति को समाप्त करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फर्रुखाबाद में कार्यरत सचिव श्री राम शंकर यादव ने अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर करके दिनांक 21-12-1981 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उन्नाव जिले के ग्राम लच्छी खेड़ा के निवासी श्रीपाल के बिजली से घायल होने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पत्र

39--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी हैं कि उन्नाव जिले के मौरावां सब स्टेशन (विद्युत) के क्षेत्र के ग्राम लच्छी खेड़ा के निवासी श्रीपाल पुत्र बद्री प्रसाद बिजली से घायल होने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु कोई रजिस्टर्ड पत्र, दिनांक 30-12-85 सचिव ऊर्जा को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, श्री श्रीपाल को साधारण विद्युत् दुर्घटना, दिनांक 8-7-85 को सायंकाल लगभग 4-30 बजे, जिला उन्नाव में घटित हुई थी। इस दुर्घटना को अनुसंधान आख्या मुख्य विद्युत् निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त होने तथा श्रीपाल द्वारा अपनी स्थायी अक्षमता का प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा-धिकारी से प्राप्त कर परिषद् में प्रस्तुत करने पर उन्हें देय अनुग्रह धनराशि स्वीकृत करने पर परिषद् द्वारा विचार किया जा सकता है।

मौरावां कस्बे के पावर हाउस के निर्माण हेतु काश्तकार की ली गयी भूमि तथा देय मुआवजा

40--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी हैं कि उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे का पावर

हाउस किस काश्तकार की जमीन पर बना है ? क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का लगान आज भी उस गरीब काश्तकार को ही देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उसके द्वारा आपके विभाग को उक्त जमीन का मुआवजा पाने हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोंडा जनपद में माफिया सरगना श्री राम कुमार सिंह द्वारा हरिजन व निर्बल वर्ग की भूमि पर कथित कब्जा

41--श्री मयंकर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में थाना हरैया के अन्तर्गत तराई क्षेत्र के माफिया सरगना राम कुमार सिंह पुत्र राम नरेश सिंह, निवासी ग्राम खैरहनिया, ग्राम सभा भुजेहरा व खैरहनिया, थाना हरैया, तहसील बलरामपुर तथा ग्राम सभा, नन्दनगर फकरी डीह, थाना लखिया, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में निर्बल व हरिजन वर्ग की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है ? क्या सरकार राम कुमार सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक उनसे भूमि खाली कराकर निर्बल व हरिजन वर्ग के भू-स्वामियों को दिलायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्री राम कुमार सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह, निवासी ग्राम खैरहनिया ने ग्राम खरहनिया, भुजेहरा व नन्दनगर (मौजा फकरीडीह) में किसी हरिजन व निर्बल वर्ग की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर रखा है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

देवरिया जनपद के जिलाधिकारी को हरिजन द्वारा पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न देने के सम्बन्ध में दिया गया आवेदन-पत्र

42--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के जिलाधिकारी को दिनांक 16-12-85 को कप्तानगंज में मौजा पगार, विकास खंड रामकोला के हरिजनों ने सीलिंग की भूमि पर, जिसका उनको पट्टा मिला हुआ है, कब्जा दिलाने के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

43--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मौजा पगार के हरिजनों के भू0 पू0 जमींदारों द्वारा 3 वर्ष से पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न देने के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही कब्जा दिलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पगार में दिनांक 11-1-83 को अतिरिक्त भूमि के पट्टे चार आवंटियों को दिये गये थे । प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी क्रियायें चल रही हैं जिसके कारण चकबन्दी अभिलेखों में उक्त पट्टेदारों के नाम का अमल-दरामद नहीं कराया जा सका है । चक प्रदिष्ट न होने के कारण आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है ।

44-45--श्री काशी सिंह ऐरी--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 105, 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अकबरपुर नगरपालिका सीमा में बाढ़ शरणालय बनने हेतु श्री प्रियदर्शी जेतली विधायक का पत्र

46—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर नगरपालिका सीमा में बाढ़ शरणालय बनाने के लिए श्री प्रियदर्शी जेतली, विधायक का कोई पत्र दिनांक 28-2-84 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश हुए थे ? उक्त शरणालय कब तक निर्मित होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डाडीहाट, वि0 खं0 बेरीनाग के अन्तर्गत ग्राम गर्जिया का विद्युतीकरण

47—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट, वि0 खं0 बेरीनाग अन्तर्गत ग्राम सभा थल का विद्युतीकरण 1975 तक हो चुका था ? इसी ग्राम सभा के अन्तर्गत हरिजन एवं जनजाति के उप गांव (जिसके मार्ग पर दो सवर्ण परिवारों के पक्के मकान भी हैं) ग्राम गर्जिया का विद्युतीकरण उप खंड अधिकारी, विद्युत उप खंड (तृतीय) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, डीडीहाट के पत्रांक 225 वि0 वि0 ड0 खंड (डी) 5-4, दिनांक 23-4-83 द्वारा विद्युतीकरण के निर्देश दिये जाने के बाद भी दिनांक 15-1-86 तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उपरोक्त ग्राम का अतिशीघ्र विद्युतीकरण करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़, विकास खंड बेरीनाग में ग्राम दुदीला में भूस्खलन से पीड़ित हुए परिवारों को क्षतिपूर्ति

48—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट, वि0 खं0 बेरीनाग अन्तर्गत पट्टी चौकोड़ी में ग्राम दुदीला के अन्तर्गत 29 जुलाई, 1984 को भारी भूस्खलन से हुयी क्षति के विषय में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी को पत्रांक 3345/सी0 एम0/एम0 पी0, दि0 22-9-64 द्वारा भू0 पू0 मुख्य मंत्री माननीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी का पत्रांक पी-21 पिथौरागढ़, 6363, दि0 23 अगस्त, 1984 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस भूस्खलन से कुल कितने परिवार पीड़ित हुये ? इन्हें किस-किस मानकों के आधार पर कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इसी उपरोक्त ग्राम के श्री किशन सिंह महर की नाप भूमि जिसमें खड़ी फसल, बगिया और चौदह कमरों का दो दर का तिमंजिला नया मकान भी पूरी तरह नष्ट हुआ था ? यदि हां, तो श्री महर को क्षतिपूर्ति देने हेतु शासन ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

ग्राम दुदीला के कुल 5 परिवार भूस्खलन से प्रभावित हुए थे । जिन दो व्यक्तियों के मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए थे, उन्हें 400 रु0 प्रति मकान की दर से और जिन तीन के मकान आंशिक

रूप से ध्वस्त हुए थे, उन्हें 200 रु0 प्रति मकान की दर से गृह अनुदान का भुगतान किया गया ।

उल्लिखित पूर्ण ध्वस्त मकानों में श्री किशन सिंह पुत्र हर सिंह का कथित मकान भी था जिसके लिये उनको नियमानुसार 400 रु0 का गृह निर्माण अनुदान भुगतान किया गया । दैवीय आपदा के मामलों में शासन द्वारा क्षति-पूर्ति नहीं की जाती है, बल्कि राहत के रूप में सहायता दी जाती है । गृह अनुदान की उक्त दरें निर्धारित दरें हैं ।

जनपद बदायूं के कतिपय किसानों द्वारा निजी नलकूप लगाने हेतु विद्युत कनेक्शन हेतु जमा की गयी धनराशि

49--श्री अवनीश कुमार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री इतने की कृपा करगे कि बदायूं जनपद के समरेर वि0 क्षे0 के ग्राम सादूल्लागंज, नबदिया डहरपुर खुर्द, मुढ़हा, करीमगंज आदि के 30 से अधिक किसानों द्वारा निजी नलकूप लगाने हेतु, विद्युत कनेक्शन हेतु 1970 में रुपये जमा किये गये थे ? यदि हां, तो क्या किसानों को विद्युत कनेक्शन दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

पूर्ण विवरण के अभाव में वर्ष 1970 में जमा की गई धनराशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हो पा रही है । विगत छः महीने की अवधि में सम्बन्धित किसानों ने इस सम्बन्ध में परिषद् के खण्डीय कार्यालय में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया है । यदि रसीद संख्या आदि का पूरा विवरण दिया जाये तो इसकी छानबीन की जावेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम अशरफपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्यवाही

50--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम अवतार सिंह, प्रधान, गांव सभा अशरफपुर बरवा, ब्लाक कटेहरी, जनपद फैजाबाद तथा 12 अन्य लोगों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-8-85 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्युत विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और प्रश्नगत गांवों को विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित करा दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जो हां ।

ग्राम अशरफपुर के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसके जून, 1986 तक पूर्ण होने की आशा है ।

साधन सहकारी समितियां, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

51--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 29-6-85, सर्वश्री राम अरज वर्मा, राम बहाल सिंह तथा चन्द्र भान सिंह आदि के तीन प्रार्थना-पत्रों के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां । शिकायतों की जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी, अकबरपुर द्वारा कराई गई । जांच के निष्कर्ष निम्नवत् हैं :--

1---श्री राम अरज वर्मा पुत्र पूर्णमासी आदि शिकायत कर्ताओं की शिकायत निराधार पायी गयी ।

2--श्री राम बहाल सिंह शिकायतकर्ता जांच के समय उपस्थित नहीं हुए थे और न ही उन्होंने शिकायत की पुष्टि में कोई प्रमाण भेजा था । अभिलेखों के आधार पर जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई ।

3---श्री चन्द्र भान सिंह की चीनी वितरण से सम्बन्धित शिकायत जांच में सही पायी गई । अनियमितताओं के लिये श्री राम किशोर वर्मा, सचिव, सा0 स0 स0, सुमेरपुर के विरूद्ध थाना गोशाईगंज, जनपद फैजाबाद में दिनांक 25 नवम्बर, 1985 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई । उन्हें दिनांक 28 जनवरी, 1986 को निलम्बित कर दिया गया है ।

बुलन्दशहर के कतिपय गावों का विद्युतीकरण

52--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे बुलन्दशहर के वि0 खं0 जहांगीराबाद, स्याना तथा ऊंचा गांव वि0 खंडों के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितनों का नहीं तथा बचे हुए गांव का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

बुलन्दशहर जनपद के जहांगीराबाद, स्याना तथा ऊंचा गांव विकास खंडों में क्रमशः कुल 78, 34 तथा 72 ग्राम हैं, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत किये जा चुके हैं । यह भी सूचनीय है कि उक्त विकास खंडों के कुल उक्त ग्रामों के विरुद्ध एल0 टी0 मेंस बिछाकर भी क्रमशः 28, 23 व 28 ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है तथा अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण भी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988 तक हो जाने की सम्भावना है ।

स्याना, बुलन्दशहर में कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रस्ताव

53---श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना बुलन्दशहर में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी नहीं ।

54--श्री इम्तियाज मुहम्मद खां--

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्याना बुलन्दशहर में भूमि विकास बैंक का ब्रांच खोलने का प्रस्ताव

55--श्री इम्तियाज मुहम्मद खां--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना, जिला बुलन्दशहर में भूमि विकास बैंक का ब्रांच खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह ब्रांच कब तक अपना कार्य शुरू कर देगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

स्याना, जिला बुलन्दशहर में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। शाखा प्रबन्धक की नियुक्ति भी कर दी गई है। ब्रांच द्वारा आगामी सहकारी वर्ष से कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में वरिष्ठ अभ्यर्थियों को सेवा में लेने के आदेश

56--श्री अतर सिंह यादव--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में वर्ष 1969 से कार्यरत अतिरिक्त संग्रह चपरासियों को सेवा से पृथक् कर जूनियर अभ्यर्थियों को नियमित संग्रह चपरासियों के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुराने वरिष्ठ अभ्यर्थियों को तुरन्त सेवा में लेने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

इस अनियमितता की जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

57--श्री चन्द्रभान मौर्य--

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की निर्धारित कोटा

58--श्री चन्द्र भान मौर्य--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण उ0 प्र0 में भूमि विकास बैंक में चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का निर्धारित कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी नहीं, क्योंकि उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के प्रभावी होने से पूर्व भूमि विकास बैंक की सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान नहीं था परन्तु उपरोक्त विनियमावली में आरक्षण का स्पष्ट प्राविधान कर दिया गया है और आगामी भर्तियों में इसके अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

59--श्री चन्द्र भान मौर्य--

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज विकास क्षेत्र में सब स्टेशन

60--श्री जय नारायण तिवारी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज वि0 क्षे0 में 400 के0 वी0 सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सब-स्टेशन कब से बनना शुरू होगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरों पर संस्थाओं को भुगतान देने पर विचार

61--श्री जयनारायण तिवारी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक

संगठनों द्वारा निरक्षित बालकों के रख-रखाव हेतु 1984-85 से अनुदान की धनराशि को पुनरीक्षित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पुनरीक्षित दर से संस्थाओं को भुगतान कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

भारत सरकार ने सहायता की धन-राशि को पुनरीक्षण कर दिया है ।

जी नहीं ।

पुनरीक्षित दरों पर संस्थाओं को भुगतान का मामला परीक्षणाधीन है ।

ग्राम भागूपुर, तहसील चकिया, वारा-णसी के हरिजनों के लिए आबादी हेतु प्रदत्त भूमि को ग्राम के सरकश लोगों द्वारा जबरन छीन लेने के सम्बन्ध में दिया गया जिला धिकारी, वारा-णसी को शिका-यती-पत्र

62—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला खेत मजदूर यूनियन, वाराणसी के मंत्री श्री जवाहर लाल ने 21-1-86 को जिलाधिकारी, वाराणसी को एक प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की है कि ग्राम भागूपुर, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के हरिजनों के लिए आबादी हेतु प्रदत्त भूमि को ग्राम के सरकश लोगों द्वारा जबरन छीन लिया गया है और उनके घरों के सामने के चबूतरे आदि गिराकर बांस के पेड़ लगा दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई किन्तु आरोप सही नहीं पाये गए ।

श्री फूलचन्द्र, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध आरोपों के संदर्भ में उप निदेशक इलाहाबाद की संस्तुति पर कार्यवाही

63—श्री राम पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूलचन्द्र, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोपों के सन्दर्भ में उप निदेशक, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद के पत्र, दिनांक 21 जून, 1985 द्वारा कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

आरोपित करके अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री धर्म सिंह, शाखा प्रबन्धक कोआपरेटिव बैंक, मथुरा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर जांच रिपोर्ट

64—श्री मान पाल सिंह एडवोकेट—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी में है कि श्री धर्म सिंह, शाखा प्रबन्धक, कोआपरेटिव बैंक, मथुरा को निराधार आरोप लगाकर निलम्बित कर रखा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक

24-7-85 को कोई शिकायत-पत्र निबन्धक बहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

श्री धर्म सिंह को अभद्र व्यवहार, अनुशासनहीनता तथा आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों में निलम्बित किया गया है । प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का शिकायती-पत्र निबन्धक, सहकारी समितियों को प्राप्त हुआ था । इसकी जांच करायी गयी, परन्तु शिकायत सही नहीं पाई गयी ।

65--श्री काशी सिंह ऐरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर

के अन्तर्गत परगना खंडासा में

3 वर्ष से अधिक एक ही

हल्के में कार्यरत

लेखपालों का

स्थानान्तरण

66--श्री गजराज सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत परगना खंडासा में 4-2-86 को ऐसे कितने लेखपाल हैं जो कि विगत तीन वर्ष या अधिक समय से एक ही हल्के में कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी लेखपालों का स्थानान्तरण तुरन्त उक्त परगना के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर के अन्तर्गत परगना खंडासा में 4-2-86 को तीन वर्ष या अधिक समय से एक ही हल्के में कार्यरत 12 लेखपाल हैं । मध्य सत्र होने के कारण उक्त लेखपालों को तुरन्त स्थानांतरित करना संभव नहीं है । आगामी वार्षिक स्थानांतरण के समय नियमानुसार स्थानांतरण पर विचार कर लिया जायेगा ।

जनपद आगरा में आंगनबाड़ी

योजना

67--श्री चन्द्र भान मौर्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद में आंगनबाड़ी योजना किन-किन विकास खंडों में मौजूदा वित्तीय वर्ष में लागू की गयी है ? जनपद में कितने केन्द्र खोले गये हैं, इस वित्तीय वर्ष आगरा जनपद में इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वित्तीय वर्ष 1985-86 में आगरा जनपद के किसी भी विकास खंड में आंगनबाड़ी योजना (समेकित बाल विकास योजना) स्वीकृत नहीं की गई, अतः केन्द्र खोलने का एवं अनुमानित व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील हर्रैया, बस्ती के घाघरा

नदी के कटान से कटी

आबादी को सर्वेक्षण

कराकर बसाने की

व्यवस्था

68--श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हर्रैया, जिला बस्ती में घाघरा नदी के कटान से कितने गांव गत 5 वर्षों में सितम्बर, 1985 तक कटे हैं ? उनको बसाने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक कौन-कौन सी व्यवस्था की है ? क्या यह सही है कि अधिकांश गांवों को अब तक बसाने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो

क्या सरकार सर्वेक्षण कराकर तत्काल बसाने की व्यवस्था जमीन क्रय करके कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

घाघरा नदी की कटान से गत 5 वर्षों में सितम्बर, 1985 तक तहसील हर्रैया, जिला बस्ती के 10 गांवों की आबादी कटी है ।

प्रभावित परिवारों को बसाये जाने की व्यवस्था संलग्न विवरण के अनुसार की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 155 पर)

भू0 पू0 सैनिक हूबलाल, निवासी ग्राम खजूर गीवा तप्पा, जनपद गोरखपुर को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना

69--श्री हर्ष वर्धन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 सैनिक हूबलाल पुत्र श्री भूलन हरिजन, निवासी ग्राम खजूर गीवा तथा रिगौली, तहसील फरेन्दा, जनपद गोरखपुर को उक्त ग्राम में आराजी नं0 218/0-40-0, वर्ष 1983 में पट्टे पर दिया गया था ? यदि हां, तो पट्टेदार को बार-बार स्थानीय अधिकारियों को आवेदन पत्र देने पर भी कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उन्हें उक्त भूमि पर कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

परगनाधिकारी, फरेन्दा, थानाध्यक्ष कम्पियरगंज, नायब तहसीलदार, क्षेत्र कम्पियरगंज एवं सम्बन्धित क्षेत्र के भलेख निरीक्षक ने क्षेत्रीय लेखपाल की सहायता से आवंटित भूमि की पैमाइश कराने के पश्चात् भूमि प्रबन्ध समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 3-3-86 को हूबलाल आवंटी को कब्जा दिला दिया है ।

प्रदेश के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

70--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी हरिजन बस्ती हैं और कितनी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 1985-86 तक शेष हैं ? शेष में कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रदेश की कुल हरिजन बस्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

प्रदेश में माह जनवरी, 1986 के अन्त तक कुल 32034 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष हरिजन बस्तियों की संख्या जिनका विद्युतीकरण किया जाना है, उपलब्ध नहीं है ।

शेष हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की निश्चित अवधि बताना अभी सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर के कतिपय निवासियों द्वारा ग्राम समाज की बचत सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा

71--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा निमड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, फैजाबाद के निवासी श्री जंगबहादुर सिंह पुत्र श्री गोरखदीन सिंह व वासुदेव सिंह व रामपाल सिंह आदि ने ग्राम समाज की कितनी

बचत सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कितने दिनों से कर रखा है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम निमड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में गांव सभा की बचत अथवा सार्वजनिक भूमि पर श्री जंग बहादुर सिंह पुत्र श्री गोरखदीन बासुदेव सिंह, रामपाल सिंह आदि का अवैध कब्जा नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

72--श्री मित्रसेन--

[दिनांक 14-3-86 को अता० प्र० सं० 65 द्वारा उत्तरित]

तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में किस्म जमीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु किसानों से सुविधा शुल्क लेने पर श्री अशोक वर्मा के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

73- श्री विनोद कुमार तथा श्री चेतराम---

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 22-7-85 अथवा इसके आस पास श्री अशोक शर्मा तत्कालीन प्रान्तीय संयुक्त मंत्री उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस (ई०) (बीसूका) ने तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में किस्म जमीन प्रमाण-पत्र लेने के उपलक्ष में किसानों से 50 रु० से लेकर 200 रु० सुविधा शुल्क के नाम पर लेने संबंधी शिकायत दिनांक 20-7-85 के दैनिक 'एक झलक' समाचार पत्र की कटिंग सहित तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को की थी ? यदि हां, तो क्या संबंधित लिपिक को निलम्बित अथवा स्थानान्तरित आदि कुछ किया गया ? यदि हां, तो कब तक और कहां स्थानान्तरित किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

जांच के उपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी। इस कारण लिपिक के स्थानान्तरण अथवा निलम्बन का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, बंतालपुर, जनपद देवरिया की नियुक्ति उनके गृह जनपद में किये जाने तथा क्षेत्र समिति की बैठक में लिये गये निर्णय

74--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, बंतालपुर, जनपद देवरिया को उनके गृह जनपद में घर के समीपस्थ विकास खंड में नियुक्त करने का औचित्य क्या है ? उक्त अधिकारी, गोरखपुर मंडल में कितने दिन से कार्यरत है ? वर्ष 1984-85 में क्षेत्र समिति बंतालपुर, जनपद देवरिया की बैठकों में सहकारिता कार्यक्रम पर लिये निर्णय क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

श्री राम सरीखा यादव, सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता की नियुक्ति उनके गृह जनपद में घर के समीप विकास खंड में दीर्घ अवधि से रुग्ण उनकी पत्नी की देखभाल के लिये मानवीय आधार पर विशेष परिस्थितियों में की गयी। श्री यादव, गोरखपुर मंडल में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2, सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता के पद पर दिनांक 20 सितम्बर, 1977 से कार्यरत हैं।

क्षेत्र समिति बंतालपुर, जनपद देवरिया की वर्ष 1984-85 की बैठकों

में सहकारिता से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्णय लिये गये —

(1) सदस्यों की शिकायत पर कि ग्राम सभा विक्रमपुर बांसपार में व ग्राम अधरंगी और मरकडो में चीनी और मिट्टी का तेल नहीं बंटा, यह निर्णय लिया गया कि सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता जांच कर रिपोर्ट दें तथा ग्राम सभा विक्रमपुर बांसपार का कोटा बैतालपुर से हटाकर किसी अन्य को दिया जाय।

(2) सदस्यों ने यह कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सहकारिता विभाग से हटाकर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाय। एक सदस्य ने कहा कि ग्राम सभा अरईपार, बोडिया आनन्त तथा विश्वनाथपुरी में प्रधानों का फर्जी हस्ताक्षर करके वितरण सम्बन्धी प्रपत्र तैयार किया गया है तथा स्टाक सत्यापन पर प्रधानों के फर्जी हस्ताक्षर कराकर निकासी करा ली गयी है, अरईपार के काश्तकारों को जनरल कैश क्रेडिट पास नहीं की गयी और समितियों के विशेष आडिट का परिपालन नहीं किया गया। उपर्युक्त के सम्बन्ध में ब्लाक प्रमुख के अनुरोध पर सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता को कार्यों में विशेष सुधार हेतु एक अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) साधन सहकारी समिति, माहीगंज के कार्यालय के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक सदस्य द्वारा यह कहा गया कि उसका स्थानान्तरण गलत तरीके से किया गया है। जब माहीगंज में समिति का कोई गोदाम न होने की जानकारी हुई, तो माहीगंज के गोदाम हेतु सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता द्वारा 60 बोरी सीमेंट लिये जाने तथा लक्ष्मी यादव के नाम से 20 बोरी सीमेंट का एक परमिट तथा 10 बोरी सीमेंट का दूसरा परमिट लिये जाने पर सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, से प्रकाश डालने की अपेक्षा की गयी।

75—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

देवरिया जनपद से संलग्न पश्चिमी चम्पारन के धनहा तथा ठकरहा प्रखण्ड से गंडक नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों की स्थिति

76—श्री सुखपाल पांडे—

माननीय राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विगत तीन वर्षों से देवरिया जनपद से संलग्न पश्चिमी चम्पारन के धनहा तथा ठकरहा प्रखंड के साठ हजार से अधिक ग्रामीण किसान बड़ी गण्डक के कटान तथा जंगल पार्टी के आतंक से त्रस्त होकर पडरौना तथा हाटा तहसील के खड्डा नेबुआ, कोटवा, जटहाजड़ार, महादेवा, अरनहवां, विरइहवा बबहया, सिरकिथा गंगौली, रवीन्द्र नगर आदि सैकड़ों ग्राम समूहों की तरफ आ गये हैं तथा स्थानीय भूमिहीन ग्रामीणों से इनसे कठिन संघर्ष की स्थिति है? यदि हां, तो इन विस्थापितों के पुनर्वास हेतु बिहार सरकार से मुआवजे की धनराशि प्राप्त कर ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विगत तीन वर्षों से देवरिया जनपद से संलग्न पश्चिमी चम्पारन के धनहा तथा ठकरहा प्रखंड के 1015 परिवार जनसंख्या लगभग 5803 गंडक नदी के कटाव से प्रभावित होकर तहसील पडरौना के 54 तथा 222 व्यक्ति तहसील हाटा के 23 ग्रामों में बस गए हैं। स्थानीय भूमिहीन ग्रामीणों से संघर्ष की कोई सूचना नहीं है। बिहार सरकार से मुआवजे की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है। मुआवजा प्राप्त करके सम्बन्धित

आपदा पीड़ित बिहार वासियों को बसाने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है, अतएव मुआवजा की मांग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में सोन प्रयाग स्थित गढ़वाल विकास निगम एलविन हट्स तथा बिड़ला की अशोक वाटिका द्वारा विद्युत आपूर्ति की मांग

77--श्री मित्रसेन--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में सोन प्रयाग स्थित गढ़वाल विकास निगम के एलविन हट्स तथा सोन प्रयाग स्थित बिड़ला के अशोक वाटिका के विद्युत आपूर्ति की मांग कब-कब की गयी है तथा अशोक वाटिका को कब स्थायी विद्युत आपूर्ति की गयी तथा एलविन हट्स को अस्थायी विद्युत आपूर्ति दिए जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि सोन प्रयाग स्थित पत्रकार आश्रम को दिए गए प्राक्कलन पत्र में एलविन हट्स की लाइन का भी व्यय सम्मिलित है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद चमोली में सोन प्रयाग स्थित गढ़वाल विकास निगम के एलविन हट्स तथा बिड़ला की अशोक वाटिका ट्रस्ट द्वारा विद्युत आपूर्ति की मांग क्रमशः दिनांक 24-4-1984 एवं 19-7-1984 को की गई थी। अशोक वाटिका को आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात दिनांक 1-10-1985 को विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई तथा एलविन हट्स को विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी है क्योंकि उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं।

जी नहीं।

लघु विद्युत योजनाओं द्वारा औसतन प्रति यूनिट लागत

78--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कथोला, अणु ऊर्जा, मैदानी क्षेत्र में पानी, पर्वतीय क्षेत्र में लघु विद्युत योजनाओं द्वारा क्रमशः औसतन प्रति यूनिट कितनी लागत आती है ? किस दर से दिनांक 1-6-1985 को विक्रय की जा रही थी ? क्या सरकार बतायेगी कि वैकल्पिक ऊर्जा माध्यमों से सौर वायु द्वारा प्रति यूनिट कितना खर्च आंका गया है ? पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दराज गांवों में इन माध्यमों से विद्युत ऊर्जा देने की योजनाएं बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

तापीय विद्युत की औसत उत्पादन लागत वर्ष 1984-85 में लगभग 61.30 पैसे प्रति यूनिट तथा जल विद्युत की औसत उत्पादन लागत 19.60 पैसे प्रति यूनिट है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन अभी अणु ऊर्जा द्वारा उत्पादन नहीं हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में लघु विद्युत योजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की औसत उत्पादन लागत लगभग 84 पैसे प्रति यूनिट है। यद्यपि विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विक्रय की जाने वाली विद्युत की दरें अलग-अलग हैं तथापि वर्ष 1985-86 के राजस्व व आय-व्ययक संशोधित अनुमानों के अनुसार अनुमानित औसत दर 54.10 पैसे प्रति यूनिट है। सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम प्रधान, ग्राम गनेशपुर, जनपद बस्ती द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर फर्जी अमल दरामदगी

79--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम गनेशपुर,

तहसील सदर, जनपद बस्ती ने अपने गांव के लेखपाल द्वारा ग्राम समाज की लगभग 60 बीघा भूमि पर फर्जी इन्द्राज करने तथा जिन व्यक्तियों के नाम फर्जी इन्द्राज किया गया है उनमें से कतिपय लोगों ने उस भूमि को स्टेट बैंक वाल्टरगंज, बस्ती में बन्धक रखकर 65000/- का अवैधानिक ऋण प्राप्त करने की शिकायत शासन से दिनांक 1-8-85 को की थी ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच से स्पष्ट हुआ कि ग्राम सभा की 10 बीघा 15 बिस्वा, 15 धुर भूमि लेखपाल द्वारा सीधे खाते में बढ़ाई गयी तथा 47 बीघा, 7 बिस्वा, 10 धुर भूमि रजिस्टर मालिकान में फर्जी अमल दरामद द्वारा खाता कायम कर दिया गया है । श्री अचल बिहारी लाल पुत्र श्री हंसराज लाल, निवासी गनेशपुर को रु0 65,000 का ऋण स्टेट बैंक, वाल्टरगंज से दिया गया जिसमें फर्जी इन्द्राज से प्रभावित 15 बीघा, 10 धुर भूमि बन्धक रखी गयी थी । दोषी लेखपाल श्री राम भरत उपाध्याय, राम मिलन, लेखपाल तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो व रजिस्ट्रार कानूनगो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । श्री राम भरत उपाध्याय लेखपाल इस समय निलम्बित हैं । फर्जी इन्द्राजों को दुरुस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा वस्तुस्थिति की जानकारी शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक, वाल्टरगंज, बस्ती को करा दी गयी है ।

बस्ती जिले के ग्रामों में अनिर्धारित विद्युतीकरण के प्रार्थना-पत्र

80--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनके प्रार्थना-पत्र विद्युतीकरण के लिए पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बस्ती जिले और उससे सम्बन्धित कार्यालयों में अनिर्धारित पड़े हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

बस्ती जिले में ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसका प्रार्थना-पत्र विद्युतीकरण हेतु पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बस्ती जनपद में अनिर्धारित पड़ा है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं लिये जाते हैं बल्कि लोड सर्वे के आधार पर विद्युतीकरण किया जाता है ।

जनपद बस्ती, तहसील खलीलाबाद के ग्रामों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य

81--श्री अफसर यू0 अहमद--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती, तहसील खलीलाबाद के किन-किन गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत कार्य पूरा किया जा चुका है तथा कितना अवशेष कार्य शेष है ? इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद बस्ती के तहसील खलीलाबाद में कुल 1286 ग्राम हैं । जिनमें से 226 ग्राम में विद्युतीकृत हो चुके हैं जिनकी सूची संलग्न* है शेष ग्रामों का विद्युतीकरण अवशेष है । अवशेष ग्रामों में से 123 ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ले लिये गये हैं । इनका विद्युतीकरण शीघ्र ही हो जायेगा ।

बाकी ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में निश्चित समय बताना अभी सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 156 पर)

बस्ती जनपद के ग्राम लेडुआ, महुआ, अमरडोभा में पावर सब स्टेशन बनाने का आश्वासन

82—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अन्तर्गत ग्राम लेडुआ, महुआ, अमरडोभा में पावर सब स्टेशन बनाने के लिए आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक सब स्टेशन क्यों नहीं बना है और कब तक बनने की उम्मीद है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी प्राइमरी स्कूल, मिर्जापुर व वाराणसी में अनुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि

83—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी प्राइमरी स्कूल, मिर्जापुर व वाराणसी में वर्ष 1983-84 व 1984-85 में क्रमशः 96 हजार व 92 हजार की धनराशि उक्त स्कूलों को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त दोनों जनपदों में इस प्रकार के कोई स्कूल नहीं चलते हैं और यह अनुदान फर्जी रूप में दिये गये हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मिर्जापुर जनपद में वर्ष 1983-84 में कुछ नहीं व वर्ष 1984-85 में रु0 46,800 की धनराशि तथा वाराणसी जनपद में वर्ष 1983-84 में 22,000 रु0 तथा वर्ष 1984-85 में 50,000 रु0 की धनराशि आदिवासी प्राइमरी स्कूलों को अनुदान के रूप में स्वीकृत की गयी ।

मिर्जापुर के आदिवासी प्राइमरी स्कूलों के फर्जी होने की जांच जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा की जा रही है । जांचोपरांत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

वाराणसी जनपद के आदिवासी प्राइमरी स्कूल निरीक्षण करते समय संचालित नहीं पाये गये। अतः अनुदान की कुल धनराशि 72,000 रु0 को ग्रहण करने वाले सचिव, श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, नौगढ़, वाराणसी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष, थाना नौगढ़, जनपद वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है । मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है ।

मथुरा जनपद में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

84—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री की जानकारी में हैं कि वर्ष 1985 में मथुरा जनपद के कुछ हरिजन बस्ती में कोई नया विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र के किस-किस गांव व हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, 47 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है जिनकी विकास क्षेत्र वार सूची *संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 165 पर)

ग्राम नगला चमरू, जिला गाजियाबाद के पूर्व प्रधान श्री भजन लाल से प्रतिकर की धनराशि वसूल किये जाने का कारण

85--श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नगला चमरू, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद के पूर्व प्रधान श्री भजन लाल के प्रधानी पद के दौरान दिनांक 17-3-1975 को ग्राम नगला चमरू की रकबई 5-3-0 बीघा भूमि, जो सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहीत की गई, उस भूमि का प्रतिकर रु0 31,085.05 ग्राम के खाते में जमा किया गया था तथा रु0 24,000.00 उच्च अधिकारियों के अनुमोदन से ग्राम विकास पर खर्च किया गया था तथा दिनांक 15-5-1979 को रु0 6,475.00 अध्यापित अधिकर्मी बुलन्दशहर से प्राप्त नोटिसों के मिलने पर शेष जमा धनराशि अध्यापित अधिकारी, बुलन्दशहर के यहां जमा कर दी गई थी ? यदि हां, तो फिर श्री भजन लाल से समस्त धनराशि उसके व्यक्तिगत सम्पत्ति से क्यों वसूल की जा रही है और उसे दो बार इसी वसूली के सम्बन्ध में बन्दी क्यों बनाया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

86--श्री सुखपाल पाण्डे--

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

ग्राम बगहा, जनपद इलाहाबाद में खेलकूद के मैदान चकरोडों/रास्ते, सार्वजनिक आबादी/हरिजन आबादी पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

87--श्री राम आसरे वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बगहा, तहसील मेजा, जनपद इलाहाबाद में कुछ शोरेपुस्त व्यक्तियों द्वारा खेलकूद का मैदान/चक रोडों के रास्ते सार्वजनिक आबादियों/हरिजन आबादियों आदि पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का पूर्ण निरीक्षण किसी उच्च अधिकारी द्वारा करा कर व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां

प्रश्नगत ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है । चकबन्दी आकार-पत्र 23 की प्रविष्टियों के आधार पर गांव सभा के खेल-कूद के मैदान, चकरोडों/रास्ते/सार्वजनिक आबादी/हरिजन आबादी की भूमि की जांच कराई गयी । जांच में पाये गए अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार, मेजा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट अन्तर्गत थल नामक स्थान पर बरडगाड थल स्टेशन मोटर मार्ग की स्वीकृत भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

88--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट अन्तर्गत थल नामक स्थान पर बरडगाड थल स्टेशन मोटर मार्ग के स्टेशन वाले छोर के चारों ओर निर्मित/निर्माणाधीन मकानों को उनके मूल

आवंटितों/स्वामियों के नाम अंकित नक्शे में स्वीकृत भूमि की पूरी जांच परख कर कि किन-किन लोगों ने अपनी निश्चित भूमि से ज्यादा क्षेत्र में मकान बनाया है या घेराबाड़ किया है ? इस मोटर मार्ग के अनधिकृत कब्जे वाली भूमि को तुरन्त खाली करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । जांचोपरान्त विदित हुआ कि निम्नलिखित व्यक्तयों ने अपना स्वीकृत/आवंटित भूमि के अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है :—

सर्वश्री—

1—हरीदत्त
2—कैलाश बहादुर चन्द्र
3—चन्द्र सिंह
4—कालूराम
5—रमेश राम
6—विजय सिंह
7—श्रीराम सिंह
8—राम लाल
9—खोमराम
10—श्रीमती बेलूदेवी

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृहादि (प्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांव सभा कसदिहा, तहसील ज्ञानपुर (वाराणसी) की आराजी भूमि नं0 2274 पर श्री लाल जी हरिजन का दर्ज कब्जा, सीरदार दर्ज किये जाने की मांग तथा उससे सिंचाई की बकाये की वसूली

89—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 2274 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 19 धुर गांव सभा कसिदहां, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी के सम्बन्ध में लाल जी पुत्र अयोध्या हरिजन का कब्जा 30 जून सन् 75 से पूर्व का है ? क्या यह तही है कि चकबन्दी शुरू होने पर सन् 65 में तो इस आराजी पर लाल जी के पिता अयोध्या पुत्र धिनहू हरिजन का आकार पत्रों में कब्जा दर्ज किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न भूखंड पर लाल जी के पिता अयोध्या के कब्जे का विवाद आकार पत्र-2 में अंकित किया गया था जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेशानुसार निरस्त कर दिया गया ।

90—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 30 जून, 75 को यह अध्यादेश किया गया है कि धारा 122 बी जमींदारी विनाश के पूर्व किसी आराजी पर (ग्राम समाज की) किसी हरिजन का कब्जा होता तो उसे सीरदार माना जायेगा ? यदि हां, तो सन् 65 के पूर्व से ही आराजी नं0 2274 पर लाल जी को सीरदार न मानने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में जमींदारी विनाश 30 जून, 75 को अध्यादेश द्वारा किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, यदि उक्त व्यक्ति के द्वारा धृत भूमि तथा गांव सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जे की भूमि का क्षेत्र 3/1/8 एकड़ से अधिक न हो । श्री लाल जी का कब्जा भूखंड संख्या 2274 पर निर्धारित तिथि को नहीं था ।

30 जून, 75 को उक्त क्षेत्र में जमींदारी विनाश हेतु कोई अध्यादेश निर्गत नहीं किया गया ।

91—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जमीन की सिंचाई लगान के सिलसिले में तहसीलदार ज्ञानपुर, वाराणसी ने बकाया वसूली के अन्तर्गत 18-8-83 को लाल जी पुत्र अयोध्या हरिजन को पकड़ कर 14 दिन हवालात में बन्द किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त आराजी नं0 2274 को जिसका नया नं0 2275 हो गया है उसको 22-3-84 को आवंटन गांव समाज कसिदहां ने नन्हकी स्त्री विश्वनाथ व बसन्त लाल पुत्र अहिवरन को देकर परगना हाकिम ज्ञानपुर से दिनांक 30-3-84 को स्वीकृति कराकर लेखपाल ने नाप भी सरकारी कागजात में दर्ज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच करायेगी कि ऐसा कैसे हुआ और इस बात की भी जांच करायेगी कि उपरोक्त आराजी पर बन्दोबस्त अधिकारी डी0 डी0 सी0 व परगनाधिकारी के यहां पहले से मुकदमें चल रहे हैं कैसे जाल बट्टा किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। लाल जी पुत्र अयोध्या को तकावी एवं सिंचाई के बकाये की वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 18-8-83 को बन्द किया गया था और दिनांक 31-8-1983 को छोड़ दिया गया था।

गाटा संख्या 2274 का नया नम्बर 2275 नहीं है। उक्त गाटे का आवंटन गांव सभा द्वारा नन्हकी स्त्री विश्वनाथ व बसन्त लाल पुत्र अहिवरन को दिनांक 22-3-1984 को नहीं किया। अतः परगनाधिकारी, ज्ञानपुर द्वारा दिनांक 30-3-1984 को स्वीकृत या लेखपाल द्वारा राजस्व अभिलेखों में उपरोक्तानुसार प्रविष्टि नहीं की गयी है।

संदर्भित भूखण्डों के सम्बन्ध में लाल जी ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 बी के अन्तर्गत घोषणात्मक वाद किया है जो इस समय अपर परगनाधिकारी, ज्ञानपुर के न्यायालय में लम्बित है। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन वाद के विषय में पृथक् जांच कराया जाना समीचीन नहीं है।

गांव सभा बराई व बरजी, बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

92—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बराई ब्लाक बड़ागांव, व गांव सभा बरजी, बरही नेवादा ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के निवासियों ने सन् 1984 में ही लाइट फैन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत पचीस-पचीस रु0 जमा कर दिया है ? यदि हां, तो विद्युत् विभाग मड़ुआडीह, वाराणसी की ओर से उपरोक्त गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई और कब तक उपरोक्त गांव का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। प्रश्नगत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु, सर्वेक्षण किया जा चुका है। वर्ष 1986-87 में जिला विद्युत् सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने पर इनके विद्युतीकरण होने की आशा है।

जनपद बड़ागांव, जिला वाराणसी ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु तैनात अवर अभियन्ता

93—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कौन-कौन जूनियर इंजीनियर तैनात किये गए हैं और उन्होंने सन् 1983 व 1984 तथा 28 दिसम्बर, 1985 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया और कितने

कनेक्शन ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और विद्युतीकरण न करने वाले कर्मचारियों को वहां से हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के लिये केवल एक अवर अभियन्ता श्री डी० एन० सिंह तैनात किये गये हैं और उन्होंने वर्ष 1983 से 28 दिसम्बर, 1985 तक कुल 7 ग्रामों का विद्युतीकरण किया है । श्री सिंह द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत निजी नलकूपों के 125 कनेक्शन एवं बत्ती व पंखा का एक कनेक्शन दिया गया है । चूंकि श्री सिंह का कार्य संतोषजनक रहा है अस्तु वर्तमान में जांच कराने एव उन्हें हटाने का प्रश्न नहीं उठता, फिर भी उनके कार्य पर निगरानी रखी जा रही है ।

94—श्री काशी सिंह ऐरी—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त] ।

जनपद नैनीताल में तीन पानी नया गांव, तहसील हल्द्वानी में भूमिहीनों को आवंटित पट्टे

95—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में तीन पानी नया गांव, तहसील हल्द्वानी में 2 अक्तूबर, 1985 के बाद से भूमिहीनों को पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो इस हेतु क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद में सूखा कार्यों में सहायता हेतु आवंटित धनराशि

96—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि 1985 में मथुरा जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि हां, तो मथुरा जनपद में सिंचाई विभाग को सूखा कार्यों में सहायता हेतु कितना रुपया दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शासन द्वारा किसी भी जनपद क्षेत्र विशेष को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है बल्कि जिलाधिकारी की सूचना पर सूखाग्रस्त मान लिया जाता है । जिलाधिकारी, मथुरा की सूचनानुसार प्रारम्भ में कम वर्षा होने के कारण खरीफ 1393 फसली सूखे से प्रभावित हुई थी ।

सिंचाई विभाग को सूखे में सहायता के लिये अलग से कोई धन नहीं दिया गया । राहत बजट से जनपद मथुरा को आवंटित कुल धनराशि 16·75 लाख रुपये में से पेयजल आपूर्ति हेतु एक लाख रुपये की धनराशि निर्दिष्ट की गई थी ?

साधन सहकारी समिति संदाबाद, ब्यूर थुलमा, दुमदुमा द्वारा गल्ले की दूकानों पर सामान की आपूर्ति

97—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति संदाबाद, ब्यूर, थुलमा, दुमदुमा द्वारा वर्ष 1985 तक गल्ले की दुकानों पर कितने सामान की आपूर्ति की गयी और कितना नागरिकों को बांटा गया ? क्या मंत्री जी

पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 168, 169 पर)

श्री अमीर सिंह व सुनहरी लाल को भूमि विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण

98--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी, विकास क्षेत्र, खेरगढ़ के ग्राम खोरिया, शिकमी, गोहानी से श्री अमीर सिंह व सुनहरी लाल सीमान्त कृषक हैं ? क्या यह सच है कि इन्होंने क्रमशः 80 व 81 में लोन एल० डी० बी० ब्रान्च, जसराना से लिया ? यदि हां, तो इन्हें नियमानुसार छूट प्रदान की गई ? यदि हां, तो कितनी और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त संदर्भ में सुनहरी लाल ने जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं अध्यक्ष, बीस सूत्रीय कार्यक्रम माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश को दिनांक 26 जून, 1985 को प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी नहीं ।

श्री अमीर सिंह को दिनांक 10 जनवरी, 1980 को भूमि विकास बैंक द्वारा 5,500 रु० का ऋण डीजल पम्पसेट क्रय करने तथा बोरिंग के लिये स्वीकृत किया गया था । उन्हें बोरिंग कार्य हेतु 1500 रु० का भुगतान ऋण की प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 29 जनवरी, 1980 को किया गया । श्री अमीर सिंह ने बोरिंग कार्य पूर्ण कराकर ऋण की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं की और न ही प्रथम किश्त से पम्पसेट क्रय किया । अतः जिस कार्य के लिए इन्होंने ऋण लिया था उसके पूर्ण न किये जाने के कारण उन्हें अनुदान का लाभ नहीं मिला । श्री सुनहरी लाल को दिनांक 22-12-80 को पिटबोरिंग हेतु 1800/-80 का ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया जिसका भुगतान उन्हें 10-3-81 को किया गया । परन्तु श्री सुनहरी लाल ने बोरिंग कार्य पूर्ण नहीं कराया । चूंकि श्री सुनहरी लाल की आय निर्धारित सीमा से अधिक है अतः उन्हें अनुदान नहीं दिया गया । श्री सुनहरी लाल का दिनांक 26 जून, 1985 का कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, मैनपुरी अथवा अध्यक्ष, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्राप्त नहीं हुआ ।

राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच

99--श्री सुखपाल पान्डे--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं० 63 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उत्तर में 225 अधिकारियों की जांच चल रही है जिनमें से 136 मामलों की जांच पूरी होकर शासन व परिषद् के विचाराधीन है । यदि हां, तो 136 में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये, उनमें से किसको-किसको क्या-क्या सजा दी गई, वह अधिकारी किस पद पर आसीन है ? पूरा विवरण नाम व पद सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सतर्कता विभाग की जांच के आधार पर की गयी संस्तुतियों पर विभिन्न स्तरों पर विचार कर कार्यवाही की जाती है । अधिकारियों के पद नाम एवं दी गयी सजा आदि का विवरण सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित नहीं है ।

मथुरा में धार्मिक स्थल महावन में तहसील व मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत की स्थापना तथा उद्योग धंधे लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, प्रश्नों के ऊपर मेरी एक व्यवस्था है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, प्रश्नों के सम्बन्ध में जो भी बात आपको कहना है, वह आप लिखकर दे दीजिये। काफी दिनों से यही परम्परा चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें से केवल 11 सूचनायें ही स्वीकार की गयी हैं जो सर्वश्री सरदार सिंह, श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा, फागू चौहान, मोहम्मद आकिल, सूर्य प्रताप शाही, जगवीर सिंह, राम आसरे वर्मा, जवाहर सिंह यादव, विष्णु देव तथा मनोहर लाल आदि की हैं, सदन की यदि अनुमति हो तो इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मान ली गयीं ।)

[12 बजकर 20 मिनट]

*श्री सरदार सिंह--

[मान्यवर, मथुरा जनपद का प्रसिद्ध स्थल महावन में तहसील व मुंसिफ अदालतें रहीं थीं, लेकिन आजाद होने के तुरन्त बाद यहां से तहसील व मुंसिफ आदालत दोनो ही उठा ली गयीं हैं । मुंसिफ अदालत अब भी मुंसिफ महाबन के नाम से मथुरा में चलायी जा रही है और मुंसिफ मैजिस्ट्रेट मथुरा दीवानी परिसर में बैठ रहे हैं । इस कारण इस कस्बे के दुकानदारो पर कुप्रभाव पड़ा है । पुरातत्व महत्व की मूर्तियां भी निरन्तर रूप से इस कस्बे से चुरा ली गयी हैं । यहां तक कि हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक रसखान व उसके बहनों की बहुमूल्य समाधियों के पत्थर असामाजिक तत्वों द्वारा चुरा लिये गये हैं । इस कारण बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों व इतिहास वेत्ताओं का आना जाना भी कम होता जा रहा है । शासन ने गोकुल एवं महाबन में कोई उद्योग धंधा भी नहीं खोला है जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलता । जिजमानगीरी का धंधा भी कम हो गया है ।

इस लिये इन कस्बों के लोग भूखों मरने लगे हैं । बेरोजगारी की मारी समस्या उनके सामने है । गोकुल एवं महाबन के पुपातत्व एवं धार्मिक महत्व को बनाये रखने के लिये यहां रोजगार के लिये कुटीर उद्योग धंधों का खुलना अति आवश्यक है ।

अतः आपके माध्यम से सदन एवं शासन के संज्ञान में इस समस्या को लाते हुए तहसील मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत व उद्योग धंधे कस्बा महाबन में लगाने की मांग करता हूं ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बांदा में क्रेशर कारखानों के बन्द होने से हजारों मजदूरों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[मान्यवर, बांदा जनपद के मरतकूप एवं शिवरामपुर में लगे मिट्टी तोड़ने वाले क्रेशर कारखानों के मालिकों को पहाड़ों के पट्टे (लीज) न मिलने से जिससे कच्चा माल न मिलने से 45 बड़े क्रेशर कारखाने बन्द हो गये हैं, जिससे लगभग 5000 से अधिक मजदूर बेकार हो गया है। मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है और मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। कुछ मजदूर दूसरे प्रदेशों को पलायन कर गय हैं। मजदूर आदिवासी एवं हरिजन जाति के हैं, इनके पास दूसरा जीविकोपार्जन का रास्ता नहीं है। मजदूरों ने कई बार जिला अधिकारी के सामने इस समस्या को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। मजदूरों की दिन प्रतिदिन हालत बदतर होती जा रही है और मिट्टी न मिलने के कारण तमाम सर्वजनिक निर्माण कार्य रुक रहे हैं, जिससे जनता एवं मजदूरों में भीषण आक्रोश, असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है। मजदूर एवं जनता आन्दोलन पर उत्तर आये हैं। स्थिति विस्फोटक है।

अतः मांग करता हूं कि अविलम्ब पहाड़ों के पट्टे किये जायें जिससे मजदूरों को भुखमरी से बचाया जा सके एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य न रुके। क्रेशर कारखानों में फैक्ट्री ऐक्ट तथा लेबर ऐक्ट तुरन्त लागू किया जाय।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजमगढ़ के मऊ कस्बे में कार्यरत कोतवाल श्री आर0 के0 सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फागू चौहान--

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में मऊ कस्बा एक व्यवसायिक कस्बा है जिसकी आबादी आजमगढ़ मुख्यालय से भी अधिक है। वर्तमान समय में कार्यरत कोतवाल, आर0 के0 सिंह एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, जिसके चलते मऊ कस्बे में रोज कोई न कोई अपराध, राहजनी की घटना होना आम बात हो गयी है। जब से यह आये हैं तबसे अपराधों में बहुत ही बृद्धि हुयी है। अपराधियों को खुल्लम-खुल्ला संरक्षण देते हैं, जिसके कुछ उदाहरण निम्न-लिखित हैं :--

1--दिनांक 4-1-1986 को दूधनाथ पेट्रोल पम्प में दिन दहाड़े डकैती हुई, जिसका कोई पता नहीं चल सका।

2--मऊ कस्बे में बीच बाजार में दिनांक 18-1-86 को सहकारी बैंक में एक लाख अस्सी हजार चार सौ रुपये की चोरी हुयी है।

3--मऊ सहादतपुरा मोहल्ले में 6-1-86 को एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या की गयी।

4--जित्तन रानीपुर कोयले के व्यापारी को फर्जी बम विस्फोट लगाकर 25277 रुपया 20 पैसा छीनना चाहता था परन्तु जनता के इकट्ठा हो जाने के कारण पैसा छीन नहीं सका।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसा थाने में जनता के आ जाने कारण जमा करना पड़ा सी0 जे0 एम0 कोर्ट, दिनांक 4-2-86 के बावजूद भुगतान 14-3-86 को दिया व पैसा जबरदस्ती जिस्तन से दस्तखत करा-कर लेना चाहता था ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि उक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें तथा उनका अविलम्ब स्थानान्तरण करें ।]

ब्लाक जोया, मुरादाबाद में राजकीय दीक्षा विद्यालय के स्थान पर कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्या-लय की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद आकिल--

[माननीय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद के ब्लाक जोया के ग्राम बुढ़नपुर, जो मुरादाबाद देहली नेशनल हाईवे 24 पर पड़ता है, में राजकीय दीक्षा विद्यालय है । जिसकी 200 बीघा भूमि है । चूंकि उक्त विद्यालय मुरादा-बाद नगर से काफी दूर पड़ता है और आवास समस्या बनी रहती है इसलिये न के बराबर ही विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, मेरे क्षेत्र की जनता की बहुत लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है कि उक्त विद्यालय के स्थान पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कृषि) को स्थापित कर दिया जाये, चूंकि उक्त विद्यालय के अतिरिक्त दूर-दूर तक सैकड़ों गांवों की परिधि में एक भी विद्यालय नहीं हैं, जिससे जनता बहुत दुखी है और निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के बच्चे बड़े-बड़े शहरों व नगरों में रहकर शिक्षा का भार नहीं उठा सकते हैं । इस कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुमति से इस सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से इस दिशा में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

देवरिया जनपद की बैतालपुर तथा देवरिया सुगर फैक्ट्री के ऊपर गन्ना कृषकों तथा मजदूरों के बकाये धनराशि के भुगतान की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्यप्रताप शाही--

[माननीय, देवरिया जनपद की बैतालपुर तथा देवरिया सुगर फैक्ट्री को गन्ना मूल्य के बकाये के कारण केन्द्र सरकार ने सन् 1978 से मिल मालिकों के आधिपत्य से अपने अधिकार में (कास्टो-डियन शिप) में ले लिया था किन्तु दिसम्बर, 1985 में उसे डिनोटिफाई कर मिल मालिकों को वापस कर दिया । मिल मालिकों (थापर्स कर्सन) ने इस दोनों मिलों को अपने अध्यासन में लेने से इन्कार कर दिया ।

स्वामित्व के इस विवाद तथा कुप्रबन्ध के कारण इन दोनों मिलों के लगभग 1600 कर्मचारियों को 4 माह से वेतन भुगतान नहीं हो पाया है जिससे वे और उनका परिवार भीषण महंगाई में भुखमरी का शिकार हो गये हैं । गन्ना किसानों का भी लगभग डेढ़ करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का बकाया है जिससे हजारों किसान भी आर्थिक रूप से तबाह है । वर्तमान कस्टोडियन शिप ने दोनों मिलों को बन्द करने की घोषणा की है जिससे मजदूरों और किसानों में घबड़ाहट और चिंता फैल गई है ।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय सुनिश्चित विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये इन दोनों मिलों के मजदूरों के बकाये वेतन तथा गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान करने की व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।]

कस्बा जहारी, अलीगढ़ में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह—

[मान्यवर, जहारी कस्बे में एक मात्र इण्टर कालेज है जहां छात्रों की संख्या 3000 से अधिक है, इसमें 1000 छात्रायें हैं तथा जहारी के आस-पास के करीब तीस चालीस ग्रामों में फैले देहाती क्षेत्रों की छात्राओं की शिक्षा में कोई कन्या विद्यालय न होने से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है । क्षेत्रीय जनता बहुत समय से यहां एक कन्या विद्यालय खोलने की मांग करती आ रही है । विद्यालय न होने से महिलाओं को शिक्षित करने का शासन का उद्देश्य सार्थक नहीं हो पा रहा है । यहां कन्या विद्यालय की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कन्या विद्यालय शीघ्र खुलवाने की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को आवंटित छूट की खाद के वितरण में घांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा—

[मान्यवर, प्रदेश के प्रायः प्रत्येक जिले में शासन द्वारा प्रदत्त उर्वरक छूट का लाभ सीमान्त एवं लघु किसानों के नाम पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से हड़प लिया गया है । परन्तु हरदोई, गोरखपुर, देवरिया जनपदों में प्रदत्त उर्वरक छूट को पूर्ण रूप से बड़े पैमाने पर कार्यरत जिला कृषि अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारी द्वारा कृषि इकाईयों से सांठ-गांठ करके हड़प लिया गया है और कागज में उन गरीब किसानों के नाम पर उन्हें लाभ से वंचित कर दिया गया है । हरदोई में एक ब्लाक के छूट की खाद चोरी से इन्चार्ज द्वारा एक बाबू के यहां छिपाकर रखने के उपरान्त पकड़े जाने पर जिला कृषि अधिकारी, हरदोई द्वारा संबंधित इंचार्ज से 10,000 रु० लेकर बचाने का षड़यन्त्र किया जा रहा है तथा बाबू को फंसाने का प्रयत्न जारी है, अभी तक संबंधित इंचार्ज को निलम्बित भी नहीं किया गया है इस छूट की खाद में भी भारी मिलावट की मात्रा पाई गई है और वह जब्त है । गोरखपुर में भी इसी प्रकार सरदार नगर ब्लाक को छोड़कर तथा देवरिया में पडरोना ब्लाक को छोड़कर बड़े पैमाने पर छूट की खाद हड़प ली गई है, इस सिलसिले में संबंधित ब्लाकों में कागज पर दिखाये गये किसानों के नाम एवं मात्रा की सूची सर्वसाधारण जनता की प्रकाश में लाया जाये ताकि वास्तविक किसानों को छूट हड़प की जानकारी हो सके ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस लोक महत्व पूर्ण अविलम्बनीय विषय को आप के संज्ञान में लाकर आवश्यक जांच कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

कुण्डा प्रतापगढ़, के गांवों में चल रही चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर सिंह यादव--

[मान्यवर, कुण्डा प्रतापगढ़ के गांवों में चकबन्दी चल रही है । अभी तक चक नहीं कटे हैं । गांव सभा की भूमि संख्या 301, 393, 439, 576, 587, 609, 610, 804, 843, 960, 893, 897, 879, 873, 881, 883, 886, 893, 1200, 1260 लगाय 1260/6-1268 जिसका रकबा लगभग सैकड़ों एकड़ है जो ऊसर बंजर के खाते की भूमि है, को गांव के एक ही परिवार के लोग जो बहुत बाअसर पैसे वाले और बदमाश किस्म के हैं अपने रिश्तेदार (दूर के) केशव प्रसाद त्रिपाठी चकबन्दी अधिकारी को मिलाकर अपने वहां अपनी मां, बहन एवं अपने सगे भाईयों के नाम फर्जी कब्जा कराकर समस्त जमीन खाते में दर्ज करवा लिये हैं । जो भूमि हरिजनों को पट्टे पर दी गई थी उस पर हड़ताली कब्जा दिखा कर अपने नाम दर्ज करवा लिया है । इस संबंध में 20-2-86 को वा० आ० चा० डी० डी० सी०, डी० एम० को प्रार्थना-पत्र सैकड़ों हस्ताक्षरयुक्त गांव वालों ने दिया है कोई कार्यवाही न होते हुए गांव के सैकड़ों लोगों ने दिनांक 18-3-86 को चकबन्दी आयुक्त, डी० एम०, डी० डी० सी०, एस० ओ० सी०, को पुनः दरख्वास्त किया । यदि चकबन्दी प्रक्रिया रोक कर कार्यवाही न की गई तो गांव में अशान्ति उत्पन्न हो जायेगी तथा गांव सभा की सैकड़ों एकड़ जमीन से गांव सभा सम्पत्ति का नुकसान हो जायेगा ।

अतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही कराने की मांग करता हूं ।]

आजमगढ़ में लघु एवं सीमान्त कृषकों के नाम पर मुफ्त बोरिंग तथा बोरिंग के पाइप के बिक्रय में घांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विष्णु देव--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए मुफ्त बोरिंग के नाम पर जनपद आजमगढ़ में हो रहे घपले और भ्रष्टाचार को सदन के संज्ञान में लाना चहता हूं । पूरे जनपद में केवल कुछ ही स्वीकृत दुकानें हैं जिनसे इनका सामान खरीदा जा सकता है । बोरिंग मे प्रयोग होने वाला जो पाईप खुले बाजार में 80 रु० प्रति मीटर मिलता है वही 122.50 रु० में तथा जो साकेट खुले बाजार में 12 रु० में मिलता है वही 22 रु० में और जो इन्जन खुले बाजार में 5,200 रुपये का मिलता है वही 7,200 रु० में इन स्वीकृत दुकानों से खरीदा जाता है । इस प्रकार मुफ्त बोरिंग कराने वाले छोटे किसानों की खुली लूट होती है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुफ्त बोरिंग में छोटे किसानों की लूट को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के अधिकारियों एवं कर्मधारियों की लापरवाही से ट्यूबवेलों के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल—

[मान्यवर, उप विद्युत केन्द्र अजगैन के बने फीडर में पड़ने वाले ग्राम सरैया के दो माह पूर्व जले ट्रांसफार्मर की वजह से लगभग 12 ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं इन ट्यूबवेलों के बन्द होने की वजह से आस-पास के गांवों की हजारों एकड़ जमीन रबी की फसल तथा जानवरों का चारा बरसीम आदि बिल्कुल सूख गयी है। उपरोक्त ग्रामवासियों ने कई बार विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के अधिकारियों से मुलाकात किया तथा नया ट्रांसफार्मर लगाने की प्रार्थना की परन्तु सब बेकार रहा और आज तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लग सका। वैसे भी किसान गरीबी से मर रहा है। ऊपर से विद्युत विभाग किसानों के खाल में कोढ़ का काम कर रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार तथा सदन को सूचना देकर माननीय विद्युत मंत्री से मांग करता हूं कि तुरन्त नया ट्रांसफार्मर लगवाने की कार्यवाही करें।]

प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को पम्पिंग सेट खरीदने पर स्वीकृत छूट में अनियमितता होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई—

[मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। लघु तथा सीमान्त कृषकों को सरकार द्वारा सिंचाई के लिये पम्प सेट की खरीद पर अनुदान दिया जाता है जो कृषक बैंकों से ऋण लेकर पम्पसेट खरीदते हैं उन्हें दूसरे ग्राहकों के मुकाबले में करीब 1200 रुपये ज्यादा देना पड़ता है। यह मेरी निश्चित जानकारी है कि जो पम्पसेट बाजार में पांच हजार आठ सौ रुपये का मिलता है वही इन छोटे किसानों को जो बैंक से ऋण लेकर खरीदते हैं 7 हजार 200 रुपये का पड़ता है। इस तरह न सिर्फ इन छोटे किसानों को पम्पसेट महंगा मिलता है बल्कि इन बढ़े हुए दामों पर सरकार को अधिक अनुदान देना पड़ता है। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि यह काम खुले आम होता है तथा दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीलर अलग-अलग मूल्यों की रसीद भी देता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि मूल्यों में यह अन्तर क्यों? यह जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह सरकार की जानकारी में है बढ़े हुए दामों पर सरकार द्वारा रेट कांट्रेक्ट किया गया है तथा अधिकारियों ने पम्पसेट बनाने वाली कम्पनियों से कस कर कमीशन लिया है और गरीब कृषक उस कमीशन के शिकार हो रहे हैं।

अतः उपरोक्त गम्भीर मामले में विशेष रूप से दिलचस्पी लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत केवल श्री यदुनाथ सिंह जी की एक सूचना थी, जो अस्वीकार की गयी है।

जनपद बलिया में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गौरी शंकर भइया—

मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोले जाने

नोट—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विषयक श्री वीरेन्द्र सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ ओझा, निवासीगण जनपद बलिया, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

लखनऊ जनपद के कूर्मांचल नगर लिबर्टी कालोनी सर्वोदय-नगर एवं मानस नगर कालोनी के निवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गौरी शंकर भइया—

मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ के कूर्मांचल नगर, लिबर्टी कालोनी, सर्वोदय नगर एवं मानस नगर कालोनी के निवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री ब्रज किशोर अवस्थी तथा अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद मेरठ के ग्राम भागौट में पशु चिकित्सालय भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मैं आपकी आज्ञा से जनपद मेरठ के ग्राम भागौट में पशु चिकित्सालय भवन बनवाये जाने विषयक श्री रघुबर दयाल तथा अन्य, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम हसनपुर, कटिया तथा ड्योढ़ी एवं हसनपुर, कटिया और मलपुर के मध्य पक्की सड़क बनाने तथा बान एवं गागन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री समरपाल सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से जनपद मुरादाबाद के ग्राम हसनपुर कटिया तथा ड्योढ़ी एवं हसनपुर कटिया और मलपुर के मध्य पक्की सड़क बनाने तथा बान और गागन नदी पर पुल निर्माण किये जाने विषयक श्री जय प्रकाश शर्मा, निवासी जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

† छापी नहीं गयी ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सत्रावसान निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय की सिफारिश है, इसे मैं पढ़ दूं या पढ़ा हुआ मान लिया जाय यदि सदन की अनुमति हो ।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 1986 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्न-लिखित सिफारिशें की हैं :—

1—दिनांक 22 मार्च, 1986 के लिये पूर्व निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त "उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ," पर विचार और उसके पारण हेतु आधा घन्टा निर्धारित किया जाय।

2—दिनांक 24 मार्च, 1986 के पश्चात् सदन की बैठकें दिनांक 1 व 2 अप्रैल, 1986 को हो, जिनमें निम्नांकित कार्य लिये जायं :—

1 अप्रैल, 1986

(क) असरकारी कार्य (आधा दिन) जिसके अंतर्गत निम्नलिखित दो विधेयक लिये जायं ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(1) श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के "दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985" पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा जारी तथा,

(2) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985" पर विचार।

(ख) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—
—डेढ़ घण्टा।

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986

(2) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986।

(ग) निम्नलिखित चर्चाएं :—

(1) श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर जौनपुर थाना सुरेरी में श्री सुखनन्दन की हत्या के सम्बन्ध में एक घण्टे की चर्चा, तथा

(2) श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर लोक दल द्वारा रास्ता रोको आन्दोलन के सम्बन्ध में दो घंटे की चर्चा।

2 अप्रैल, 1986

1—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण .. आधा घण्टा।

2—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर "लखनऊ में डाक्टरों की फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह" के सम्बन्ध में एक घण्टे की चर्चा।

3—श्री रमाशंकर कौशिक तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर "काशी विद्यापीठ के प्रवक्ता की हत्या" के सम्बन्ध में एक घण्टे की चर्चा,

4—श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर किसानों की कृषि भूमि के अवैध अधिग्रहण के सम्बन्ध में एक घण्टे की चर्चा,

5—श्री बदन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर प्रदेश में खारे पानी के क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में पौन घण्टे की चर्चा।]

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने अभी सदन को दी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों में, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने अभी सदन में दी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य विद्युत् परिषद् में करोड़ों रुपये की हेराफेरी के सम्बन्ध में वक्तव्य

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

वर्ष 1984-85 में पी० सी० सी० खम्भों को खरीदने के लिए....

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुनील शास्त्री—

[टेण्डर आमंत्रित किया गया था । परिषद् में करीब ढाई लाख खम्भों की प्रति वर्ष आवश्यकता होती है । इस प्रकार दो वर्ष की अवधि में लगभग 5 लाख खम्भों की आवश्यकता थी । इस टेण्डर में खम्भों की दरें न्यूनतम 305 रु0 तथा अधिकतम 360 रु0 के अनुसार आयी थी, परिषद् की सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि जितने भी खम्भे जो क्षमता व अर्नेस्ट मनी से सुरक्षित थे, और कम दर के थे वह सारे खम्भे कम दर पर खरीद लिये जायें । इस स्वीकृति के अनुसार लगभग 1*616 लाख खम्भे जो 305 से 340 रु0 के के दर तक के थे उन सभी को खरीदने के आदेश दिये गये । 330 से 350 रु0 के बीच में कोई टेन्डर दर नहीं था । तत्पश्चात् जितने भी टेन्डर 350 रु0 या उससे अधिक की दर से आये थे उनसे दर कम कराकर उनका रेट 342 रु0 प्रति खम्भा दिया गया जिससे परिषद् की 5 लाख खम्भों की आवश्यकता पूरी की जा सके । इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि 342 रु0 की दर परिषद् के सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी द्वारा नियुक्त सब कमेटी, जिसमें सदस्य (वितरण) व सदस्य (वित्त एवं लेखा) तथा मुख्य अभियंता (एम0 एम0) थे, के द्वारा निगोशियेशन करने पर उपलब्ध हुई थी । अतः जितने भी खम्भे कम दर पर क्षमता व सेक्योरिटी के आधार पर टेन्डर में आये थे सभी की खरीद के आदेश दिये गये । इसके पश्चात् जो शेष आवश्यकता थी उसे पूरा करने के लिये दर कम कराकर 342 रु0 प्रति खम्भा पर आर्डर दिया गया था । यह निर्णय परिषद् की सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी ने लिया, जिसमें अध्यक्ष, विद्युत् परिषद्, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन तथा परिषद् के अन्य सदस्य निर्णय लेते हैं । यदि केवल एक लाख 62 हजार खम्भे जो निम्न दर पर आये थे लिये जाते तो प्रदेश के विद्युतीकरण हेतु केवल लगभग 25 प्रतिशत खम्भे ही उपलब्ध कराये जा सकते थे ।

परिषद् के पास कोई ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है कि काली सूची में शामिल दिल्ली की कम्पनियों की 3·50 करोड़ रुपये के ट्रान्सफारमर सप्लाई करने के आदेश दिये गये थे तथा ट्रान्सफारमर की खरीद के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिये गये हैं ।

बम्बई की ट्रेडिंग कम्पनियों को अधिक भुगतान के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं क्योंकि इनके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है ।]

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टेन्डर आमंत्रित किये गये थे, उनका न्यूनतम रेट क्या था ? और कितने पर समझौता हुआ था ? और खम्भों की खरीददारी कितने दामों पर की गयी थी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य उत्तर को पढ़ लिय होते तो उससे सब बातें स्पष्ट हो जाती । मान्यवर, 1 लाख 60 हजार खम्भे 305 से 330 के बीच के रेट से खरीदे गये शेष खम्भे निगोशियेशन के द्वारा 342 रु0 के रेट से खरीदे गये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, जो टेन्डर इनवाइट किये गये, इनके आफिस में इनके रेट्स निर्धारित

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे जैसा मैंने अपने भाषण में उस बिन कहा था, इसमें बहुत बड़ा घपला किया गया है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच सी० बी० आई० से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है, मैं उनको पहले बता देना चाहता हूं कि ढाई लाख खम्भों की प्रति वर्ष आवश्यकता होती है और इसको पूरा करने के लिये हम हर साल प्रयास करते हैं कि हमारे पास सामान रहे और यही कारण है कि टेण्डर की प्रक्रिया होती है और टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं और उसके पश्चात् परचेज कमेटी, जिसमें सभी वरिष्ठ सदस्य राज्य विद्युत् परिषद् और उत्तर प्रदेश शासन के रहते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर खरीददारी की जाती है । जो 305 और 330 के बीच टेण्डर आये थे, उनमें 1 लाख 60 हजार खम्भे देने की बात की गयी थी, जैसा मैंने कहा कि पांच लाख खम्भों की दो वर्ष में आवश्यकता थी, शेष जो खम्भे थे, निगोसियेशन करके 342 रुपये की दर से लिया गया, उनको मैंने खरीदा । जांच की बात वहां तक माननीय सदस्य ने कहा, इसके बारे में पूरी तरह से परीक्षण करवा लिया जायेगा और माननीय सदस्य चाहेंगे, तो उन्हें अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि 330 से 350 रु० के बीच में कोई टेण्डर दर नहीं थी और उसके ऊपर लिखा है कि इस स्वीकृति के अनुसार लगभग 1·616 लाख खम्भे जो 305 से 330 रु० के दर के थे, उन सभी को खरीदने के आदेश दिये गये । तो श्रीमन्, जिनकी दर आगे 305 और 330 थी, उन्हीं खम्भों को 350 के हिसाब से जो खरीदे थे, उसमें जो घाटा आया, उसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, 305 और 330 के बीच के जो खम्भे थे, उसमें केवल 1 लाख 60 हजार खम्भ उपलब्ध थे । शेष जो खम्भे थे, उनके रेट 350 से अधिक थे, उन्हें हमने बात चीत करके 342 में खरीदा था ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, खम्भा तो एक ही था वही 305 रु० 330 रु० और 350 रु० की दर पर खरीदने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, माननीय सदस्य इसको पढ़ लें । इसमें आवश्यकता के अनुसार ही खरीद की गई । यह एक वर्ष में ढाई लाख खम्भों की आवश्यकता थी और दो वर्ष के लिए 5 लाख खम्भो की आवश्यकता थी इसलिए हमने 1 लाख 30 हजार पूरे खम्भे खरीद लिए । हमन 342 रु० पर इसको फिक्स किया और तब शेष खम्भों की खरीदारी की ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या यह सही है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बी० सहाय, ने 377 रु० की दर से खम्भे खरीदने के आदेश दिये थे और उसकी कापी एडीशिनल चीफ इंजीनियर ऐन्ड कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स, यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लखनऊ को तथा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्स इन्सपेक्शन सर्किल, यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लखनऊ को भेजी थी । क्या आप इस सम्बन्ध में जांच करने और कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, जहां तक माननीय सदस्य तिवारी जी का प्रश्न है, वह इन प्रकरण से सम्बन्ध नहीं रखता । यह एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जिसका नाम माननीय सदस्य ने बताया और कहा कि 377 रु० की दर से खरीदारी कर

ली । यह आप मुझे दे दें । मैं इसे देख लूंगा और यदि उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो कार्यवाही भी कर ली जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय, आप खरीदारी करते हैं तो उसका आकलन बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में जो कम्पनियां हैं उनसे यह खम्भे क्यों नहीं खरीदे गये ? 84-85 में जब चुनाव हो रहा था तो यह बहुत बड़े पैमाने पर खम्भे खरीद कर बिना टेंडर के हर क्षेत्र में डाल दिये गये तो यह किन अधिकारियों ने इस तरह की कार्यवाही की ? क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगें । चुनाव के समय में यह खम्भे जहां-जहां गावों में डाल दिये गये और उन गावों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया तो क्या आप उन गावों का विद्युतीकरण करवायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, यह 1 लाख 60 हजार खम्भे के टेंडर दिये गये हैं । फरवरी, 86 तक 25 हजार 715 खम्भे खरीदे गये और 4 लाख 11 हजार शेष खम्भों के लिए आदेश दिये गये थे । हम 1 लाख 876 फरवरी के अन्त तक आपूर्ति कर पाये हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि विद्युतीकरण का कार्य रह गया है तो हम इसको दिखवा लेंगे और जहां-जहां विद्युतीकरण का कार्य रह गया है उसे पूरा करवा दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

राज्य विद्युत परिषद् ने ब्लैक लिस्टेड कम्पनियों से खरीदारी की यदि यह सूचना मन्त्री जी के पास न हो तो क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इसकी जांच करायेंगें कि जो कम्पनियां ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दी गई थीं, उनसे खरीदारी की गई और मेरे आरोप को सही पाने पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे जिन्होंने उन कम्पनियों को आर्डर दिया जो कि ब्लैक लिस्टेट थीं ।

श्री सुनील शास्त्री--

जहां तक मेरी जानकारी है किसी ब्लैक लिस्टेट कम्पनी को नहीं दिया गया है । माननीय सदस्य कम्पनी का नाम बता दें तो जरूर दिखवा लूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

तत्कालीन विद्युत मन्त्री कौन थे ? और यह खम्भे किस अधिकारी के आदेश से गिराये गये ? जिन गावों का विद्युतीकरण नहीं होना था, वहां पर जिस अधिकारी के आदेश से खम्भे गिरे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मैं कहना चाहूंगा कि बहुत काबिल और समझदार सदस्य रेवती रमण सिंह जी हैं । तत्कालीन विद्युत मन्त्री कौन थे इसकी जानकारी रेवती रमण सिंह को है ? जिन गांवों में खम्भे गिराये गये हैं और विद्युतीकरण नहीं किया गया है, गांवो का नाम बता दें वहां का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

इसमें करोड़ों रुपयें का घोटाला हुआ है । मन्त्री जी ने सादे सादे रूप में वक्तव्य दे दिया और सारे तथ्यों को छिपा दिया । अधिकारिधों ने अपने को बचाने के लिये जो वक्तव्य बना दिया, मन्त्री जी ने उसको बिना पढ़े हुये, सदन में पढ़ दिया । मान्यवर, एक तरह के खम्भे खरीदे गये 305 से 342 के और साढ़े 300 के रेट पर । एक प्रकार के खम्भों के अलग-अलग दाम दिये गये । जिस परचेज कमेटी की बात कर रहे हैं उसे खम्भों के अतिरिक्त कुछ चीजों के दाम तय किये थे, जो चीज 576 में खरीदना था उसको एक हजार 555 में खरीदा गया । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे घोटाले काण्ड को मन्त्री जी दबाने का काम करेंगे तो यह जनहित में नहीं

होगा ! आइन्दा इस प्रकार का काम अधिकारी लोग न करें, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में क्या आपत्ति है ?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय सदस्य ने कहा कि जैसा अधिकारियों ने पढ़ाया मैंने उत्तर दे दिया । मैंने पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद सदन को अवगत कराया है । क्योंकि सदन को सही उत्तर की आवश्यकता होती है । मैं तो यह कहूंगा कि माननीय सदस्य ने सही प्रकार से उत्तर को नहीं पढ़ा । उत्तर में स्पष्ट है कि आवश्यकता को देखते हुये ही खरीदारी की जाती है । खरीद एक आदमी नहीं करता है । परचेज कमेटी है जिसमें राज्य विद्युत परिषद् के वरिष्ट सदस्य और शासन के सदस्य होते हैं । वह कमेटी पूरी तरह से परीक्षण करती है, देखती है जो टैंडर आते हैं, उसके पश्चात् ही आर्डर दिया जाता है । चूंकि एक लाख 60 हजार खम्भे उपलब्ध थे 305 से 330 के बीच वह पूरे खरीद लिये गये । उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई थी । शेष खम्भों की दर 350 की थी जिसमें बातचीत करके 342 पर खरीद की गई ।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह खम्भे खरीदे गये चुनाव के कार्यकाल में और खम्भे गिरा कर वोट ले लिया । कृपा करके जिन लोगों ने वोट दे दिया खम्भे देख कर तो नहीं खम्भे गिरवा दिये, उन गांवों का विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैंने तो माननीय सदस्यों से पहले ही अवगत करा दिया कि ऐसा कोई भी इरादा नहीं था । इससे कोई मतलब नहीं था । चुनाव के कारण खम्भों की खरीद की, यह एक अलग बात है, इसका प्रश्न नहीं उठता, फिर भी माननीय सदस्य, जहां-जहां खम्भे पड़े हुए हैं, उनके नाम बता दें तो उन गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लेकर उनका विद्युतीकरण करा दिया जायगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, उस समय के तत्कालीन विद्युत मंत्री [×××] थे, उन्होंने इस काण्ड में बहुत बड़ा काम किया है । करोड़ों रुपयों का घपला है । मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा करा दें ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

जब मंत्री जी ने जांच के लिये मना कर दिया तो और सवाल क्या करेंगे ? बिन्दु कुछ है नहीं, जांच के लिये मना कर दिया, तो अब सवाल के लिये क्या आवश्यकता रह गयी है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक लाख छः हजार का जो टेण्डर किया था, उसका सप्लाई कम हुई । पूरी सप्लाई नहीं हुई । बाद में भी जो टेण्डर थे, उनकी सप्लाई कम हुई । फिर दोबारा टेण्डर हुआ, लेकिन खम्भे प्राप्त नहीं हुए । अन्त में साढ़े तीन सौ का जो टेण्डर

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हुआ, उसमें भी प्राप्त नहीं हुए, तो मैं जानना चाहूंगा कि 305 रुपये में 1.60 लाख खम्भे प्राप्त क्यों नहीं हुए और बाद के टेण्डरों में प्राप्त क्यों नहीं हुए । इस बीच में जो घपला हुआ है, क्या उसकी जांच कराएंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, खम्भे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं । जिन लोगों ने टेण्डर का आफर दिया था, जिनके टेण्डर स्वीकार किय गये थे, उन सभी कम्पनियों को राज्य विद्युत परिषद् ने लिखा है कि तुरन्त खम्भों की सप्लाई करें । जहां तक जांच का प्रश्न है, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं समझ नहीं पाया कि मंत्री जी ने किसके द्वारा जांच कराने की बात कही सारे माननीय सदस्यों ने जो सवाल किया, देखने, पढ़ने, और सुनने से पता लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घपला है और लाखों का नहीं करोड़ों का है । आप इसका गम्भीरता से लें । आपको जांच कराने में आपत्ति है, क्यों आपत्ति है ? यह सवाल माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने पूछा है । आप जांच नहीं कराएंगे तो हम लोग आपके बारे में क्या समझेंगे ? आपको विजिलेंस से जांच कराने में क्या परेशानी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल की भावनाओं का सम्मान करता हूं । श्रीमन्, इसमें आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी तरह से परीक्षण करा लिया गया है । यदि आवश्यकता समझता तो मैं खुद कह देता । लेकिन चूंकि माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं, तो मैं इतना जरूर माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इसका पुनः परीक्षण करवा लिया जायगा । सेन्ट्रल परचेज कमेटी में उत्तर प्रदेश शासन के भी अधिकारी रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश शासन के किसी अधिकारी से परीक्षण करा लिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं नियम 110 के उप नियम (1) के अन्तर्गत आपकी अनुमति से माननीय श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के प्रति बधाई का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं । क्योंकि श्रीमती मनोरमा वर्मा....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने समझा कि आप कोई सवाल पूछ रहे हैं । मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आप नियम 110(1) देख लें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय नेता विरोधी दल ने जांच की मांग की, माननीय शास्त्री जी ने उसको ठुकरा दिया ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें । मैंने रेवती रमण जी को बुला लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जांच का प्रस्ताव किया । माननीय शास्त्री जी ने कहा कि परचेज कमेटी से जांच करा लेंगे । परचेज कमेटी ने तो घपला किया है, उसी पर तो आरोप है । परचेज कमेटी क्या उसकी जांच करेगी । माननीय नेता विरोधी दल ने जो विजिलेंस से जांच की मांग की, उसे स्वीकार किया जाय । जांच में जो दोषी पाया जायेगा, उस पर कार्यवाही होगी यदि

कोई नहीं दोषी पाया जायेगा, तो नहीं कार्यवाही होगी ।

(ऊर्जा मंत्री के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री गया प्रसाद वर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी से इसका जवाब दिलाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें । माननीय शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लें ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि मैंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी जांच की । लेकिन, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय रेवती रमण सिंह जी व अन्य सदस्यों ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को कम से कम इतना विश्वास रखना चाहिए कि इसका पुनरीक्षण करा लेंगे, इसमें क्या मसला है, इससे माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे । मान्यवर, जहां तक सेन्ट्रल परचेज कमेटी के सदस्यों की बात है, जो वहां पर हैं, मैं इस बात को निराधार मानता हूं कि पूरी सेन्ट्रल परचेज कमेटी ने घपला किया है । मान्यवर, मैं, यह कहना चाहता हूं जितनी परचेज है उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद की, वह सेन्ट्रल परचेज कमेटी करती है । इस आरोप का मैं पूर्ण रुप से खंडन करता हूं कि सेन्ट्रल परचेज कमेटी ने इसमें कुछ घपला किया है ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह कोई बात नहीं है । अगर घपला नहीं है, तो जांच क्यों नहीं करवा लेते ?

(व्यवधान)

श्री गोरीशंकर भइया—

मान्यवर, जो भू० पू० मंत्री [×××] हैं, उनके ऊपर एक करोड़ रु० के घपले का आरोप है । इनको आप निर्देशित करें कि इसकी जांच करायें सम्पूर्ण प्रकरण की । यह इनके दल के मंत्री रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब लोग बैठें । इस तरह से कोई बात कहने से क्या फायदा ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, हम लोग तो जांच कराने की बात कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शास्त्री ने मामले का परीक्षण कराने की बात तो कह दी ।

श्री किरनपाल सिंह—

आप जांच के लिये निर्देशित कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, सारे माननीय सदस्यों की भावना से आप अवगत हो गये होंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी भी बठे हुए हैं । हमने किसी को सजा दिलवाने की मांग तो की है नहीं केवल जांच कराने की मांग की है । भले ही इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हो या न हो । माननीय विद्युत् मंत्री जी ने खण्डन कर दिया । इसका मतलब है कि विद्युत् मंत्री की भी इसमें साजिश है । इसलिये वह जांच कराना नहीं चाहते हैं । इसलिये मेरा आरोप है कि विद्युत् मंत्री जी इस घपले में शामिल हैं ।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय विद्युत् मंत्री जी इस घपले में शामिल हैं तो सरकार की तरफ से कोई खण्डन नहीं आया । इसका मतलब है कि उनका हाथ है । और वह बात सदन ने मान ली है । इसलिये अब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री सुनील शास्त्री—

मुझे बहुत खेद है कि माननीय नेता विरोधी दल ने बिना किसी बात की जानकारी के गलत आरोप लगाये हैं । (श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री मूलचन्द, श्री रामगोविन्द चौधरी, श्री सरदार सिंह के साथ और कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आसन ग्रहण करें । माननीय मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं विद्युत् मंत्री बैठे हुए हैं जो बात आप को कहनी थी वह आपने कह दी और उन्होंने सुन लिया है ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस इस समय अव्यवस्थित है इसलिये जो भी आप बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा पहले सदन को व्यवस्थित किया जाय ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाने पर ।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों पर तो नहीं जाना चाहता हूं जिस दम्भ के साथ माननीय विद्युत् मंत्री हमारी बात का खण्डन कर रहे हैं लेकिन अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि सदन में सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिये आप कुछ कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मैं कुछ निवेदन करना चाहता था । इस अध्यक्ष पीठ से कई बार ऐसे मौके आये हैं कि माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । इस मामले में प्रागदर्शन में भ्रष्टाचार साबित होता दिखायी दिया, आपने माननीय सदस्यों की उग्रता भी देखी । वे कटिबद्ध हैं कि विजिलेन्स या उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये । विद्युत् मंत्री ने कहा कि जिस सेण्ट्रल परचेज कमेटी ने खरीदा है, उसी से दिखवा लेंगे । भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर आरोप हैं, अगर वहां जांच करेंगे तो माननीय सदस्यों का समाधान नहीं होगा, इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, यह तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने सम्बन्धी हो जवाब देंगे, किन्तु प्रतिपक्ष आपसे संरक्षण चाहता है, क्या यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्थिति में आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि विजिलेन्स से इस भ्रष्टाचार के प्रकरण की जांच करायी जाय ? हम लोगों का आपमें विश्वास है, आपकी सदाशयता और निष्पक्षता पर कोई शंका नहीं है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपके संघर्ष करने की कूवत को हम जानते हैं, आप एक इतिहास बना दीजिये सरकार को इस बात का निर्देश देकर कि विजिलेन्स से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की जाय ।

*श्री कौशिक रमाशंकर—

इसमें स्थिति साफ है, बिजली के खम्बे बिना आवश्यकता के खरीदे गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उनको चुनाव क्षेत्र के बीसियों गांवों में डाल दिया गया । स्वयं मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ है । जब ऐसा हुआ है और हम लोगों की मांग है कि जांच करा लीजिये कि बिना निर्देशों के, बिना फैसले के और बिना इस बात को तय किये कि कहां विद्युतीकरण होना है, इन खम्भों को वहां पहुंचाने के लिये कौन जिम्मेदार है ? मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि शासन की छवि धूमिल हो, बल्कि इससे तो आपकी कमियों पर प्रकाश पड़ेगा, अतः इसकी जांच करा लीजिये ।

*श्री राम नरेश--

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और इनमें विद्युत विभाग का और पूरी सरकार का हाथ दिखाई पड़ रहा है माननीय सदस्यों ने जितने प्रश्न किये हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हो गयी है कि सचमुच इस मामले में बहुत घपला हुआ है, करोड़ों रु0 का घपला है । माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, सारे आरोप आ रहे हैं कि इसमें आपका हाथ है, लेकिन उसके बावजूद भी खड़े होकर प्रतिवाद करने कि हिम्मत नहीं है । वे सारे मामले को अच्छी तरह से समझ रहे हैं । नेता विरोधी दल ने भी आपसे आग्रह किया कि इस मामले में जांच होनी चाहिये । मेरा भी आपसे निवेदन है । अब संरक्षण देने का कार्य आपका है । यदि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई पड़ती है और जवाब नहीं देती है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले को आप विजिलेन्स से जांच कराने के लिये सरकार से कह दें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सब खड़े हुए हैं, मैं आपका निवेदन कैसे सुन लूं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

नहीं ऐसा नहीं है मैं केवल एक मिनट ही बोलूंगा ।

(ऊर्जा मंत्री श्री सुनील शास्त्री के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

ऊर्जा मंत्री जी, आप बैठ जायं, शतरुद्र प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं ।

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री अर्जुन सिंह, श्री मूलचन्द, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा और अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर पुनः आ कर बैठ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें जब मैं आपसे कह रहा हूं और विधिवत् बात चल रही है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वैसे तो माननीय विद्युत मंत्री से हर तरह से अनुरोध किया, निवेदन किया, प्रार्थना की सारे नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा । तब हमने प्रार्थना की नेता सदन से । हम लोग केवल सामान्य स्थिति चाहते हैं । उस पर भी यदि आप उनको नहीं बुलाना चाहते हैं तो पहले आप कुछ सदस्यों को सुन लें तब आप ऊर्जा मंत्री को बुलवायें ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, यह कौन सा नियम है कि सबको सुन लें ?

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)--

माननीय, कोई बात जब कही जाती है तो हमारे जिस विभाग के मंत्री हैं, वह पूरी जानकारी रखते हैं, वे जवाब देते हैं। लेकिन आप कहिये कि हम मंत्री को बोलने ही नहीं देंगे। आपको मंत्री जवाब देना चाहते हैं, उनका जवाब सुन लीजिये, फिर कोई बात कहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय नेता सदन ने शायद मेरे निवेदन को सुना नहीं ? मैंने कहा कि वित्त मंत्री को यदि आप बुलवाना चाहते हैं तो पहले सभी सदस्यों को आप सुन लीजिये।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, यह जो नियमावली बनी है सदन के कार्य संचालन के लिये, यह सदन उससे चलेगा या नेता विरोधी दल सदन को चलायेंगे ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री शतरुद्रप्रकाश --

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शतरुद्र प्रकाश जी को इजाजत दे दी है, फिर आपको अवसर दिया जायेगा। मैं उनको इजाजत दे रहा हूं, फिर आपको सुन लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा पहले का व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शतरुद्र जी को इजाजत दे दी है, वह पहले बोले।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय विद्युत् मंत्री जी खड़े हुये, सदस्यों की भावना उग्र हो गयी, तो नेता विरोधी दल ने निवेदन किया....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग सुन लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय विद्युत् मंत्री जी जांच करा दें, नेता सदन ने कहा कि विद्युत् मंत्री जो बोलना चाहते हैं, तो उनको बोलने के पहले हम लोगों को सुन लें। मामला बड़ा गम्भीर है। माननीय ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं और उन्होंने एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था, और इनसे आज जांच की मांग की जा रही है, उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

बीर बहादुर सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, कह देते हैं कि कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा, किसी को छोड़ा नहीं जायेगा, जांच की मांग की जाती है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह चर्चा नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यहां पर जांच का एलान करें ।

श्री उपाध्यक्ष —

ऊर्जा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं । उनको कहने दें ।

श्री सतरुद्र प्रकाश—

जांच कराने का एलान करें ।

(व्यवधान)

श्री सुनील शास्त्री—

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि इसकी परिषद के विजिलेंस सेल से जांच करा ली जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लीजिए । अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं हेराफेरी है, पहले परीक्षण और अब विद्युत परिषद के विजिलेंस सेल से, हम इससे सहमत नहीं हैं हम चाहते हैं कि जो विजिलेंस डिपार्टमेन्ट है उससे जांच कराई जाय ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, आप लोगों को मालूम है, माननीय सदस्यगण को स्वयं मालूम है कि विजिलेन्स सेल बनाया गया है जो विद्युत बोर्ड के मामलों की शिकायतें आती हैं उसकी जांच करें । इस काम के लिए एक अलग से सेल बनाया गया है । वह सेल जांच करेगा । मान्यवर, आप कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं तो हम कहां से लायेंगे ? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा अन्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, ऐसा है कि बिलकुल पूरी तरह से मुख्य मंत्री जी अपने मंत्री पर विश्वास रखे किन्तु हमारे विपक्ष को विद्युत मंत्री पर कोई विश्वास नहीं रह गया है और उनके विभाग के विजिलेन्स सेल का भी विश्वास नहीं है इसलिए विजिलेन्स का डिपार्टमेन्ट जो है पुलिस वाला उससे जांच की मांग की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

चौधरी श्याम लाल—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है वह भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं । मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्या व्यवस्था हुई ? जो असंसदीय शब्द है वह निकाल ही दिए जायेंगे इसमें कहां से व्यवस्था आ जायेगी ।

(श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री राम गोविन्द चौधरी श्री अशोक बाजपेई, श्री सरदार सिंह तथा कुछ और विपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः सदन के फ्लोर पर आकर बैठ जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपने स्थान पर जांय जितना मेरे हाथ में है उतना मैं करूंगा ।

श्री कमलेश कुमार पाठक--

मान्यवर, विजिलेन्स से जांच कर-वाइयें ।

श्री उपाध्यक्ष --

कोई रास्ता निकालेंगे, आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जांय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आप निर्देश दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने दल के सदस्यों को व्यवस्थित तो करिये तब तो व्यवस्था दूं जब तक यहां बैठे हैं तब तक कुछ कह नहीं सकता ।

(व्यवधान के मध्य)

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष --

मैं दस मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात 1 बजकर 14 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई । 1 बजकर 24 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 40 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । तदुपरान्त 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच विजिलेन्स द्वारा करा लेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि शास्त्री जी से कहें कि बाल हठ छोड़ दें वरना आपको बहुत नुकसान हो जायेगा । इसलिए यदि पहले ही स्वीकार कर लेते तो अच्छा होता ।

जनपद बहराइच में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(गृह राज्य मंत्री द्वारा संलग्न वक्तव्य को पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष --

सदन सहमत हो तो इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-3-86 को लगभग 12.15 बजे दिन मे ट्राली युक्त ट्रैक्टर नं0 यू0 आर0 ई0 3684 बाजार की सड़क पर ट्रफिक अवरोध करने की स्थिति में खड़ा होने पर पुलिस उप निरीक्षक ने श्री सोहबत ट्रैक्टर चालक से आपत्ति प्रकट की । श्री सोहबत ने ट्रैक्टर के मालिक श्री सतीश सिंह स्थानीय कांग्रेस (आई0) नेता का हवाला देते हुए गम्भीर परिणाम की धमकी दी और छेड़छाड़ न करने की चेतावनी देते हुये बताया कि वह अपना काम पूरा करने के बाद ही ट्रैक्टर हटायेगा । कथित परिस्थितियों में उप निरीक्षक ने ड्राइवर सोहबत तथा उसके साथी इस्माइल के विरुद्ध अपराध संख्या 52/86 धारा 353/283/290 भा0 द0 वि0 तथा उत्तर प्रदेश पुलिस

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ऐक्ट की धारा 34 एवं 3/5/26/40/86/112/113(ख)/123/125 एम0 बी0 ऐक्ट थाना दरगाह शरीफ पर पंजीकृत कराया ।

यह सही नहीं है कि उप निरीक्षक ने ट्रैक्टर चालक श्री सोहबत को ट्रैक्टर से खींच कर अकारण बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया । जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री इकबाल अहमद, शहर कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बनारसी दास एवं भिन्गा विधान सभा के विगत चुनाव में कांग्रेस (आई0) के प्रत्याशी श्री ज्ञानेन्द प्रताप सिंह वहां उपस्थित नहीं थे, अतः उन्हें भद्दी गाली देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह सत्य नहीं है कि प्रथम सूचना अंकित करने में थाना दरगाह शरीफ के थानाध्यक्ष द्वारा देरी की गई । यह कहना भी तथ्यों से परे है कि श्री सतीश सिंह ने 12.30 बजे सूचना दी जिसे 14.50 बजे तक लम्बित रखा गया । सत्य तो यह है कि जब श्री सतीश सिंह 12.45 बजे थाना दरगाह शरीफ पर आये तो थानाध्यक्ष थाने पर नहीं थे । श्री सतीश सिंह, भूतपूर्व महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, जो स्थानीय टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, थाने आये और आवेश में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुये धमकी देने के साथ-साथ उक्त उप-निरीक्षक के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र लिखकर व उस पर ट्रैक्टर चालक सोहबत से निशानी अंगूठा लगवाकर 12.50 बजे एन0 सी0 आर0 सं0 48/86 अन्तर्गत धारा 323/504 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया ।

यह सत्य नहीं है कि थानाध्यक्ष के आदेश से उपस्थित शान्तिपूर्ण बेगुनाह जनसमूह पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया था जिसमें 51 लोग बुरी तरह या गम्भीर रूप से घायल हुये और जिसमें श्री दुलारे, हरिजन श्री राम खेलावन, हरिजन, अब्दुल मन्नान, अब्दुल सत्तार आदि बहुत गम्भीर अवस्था में जिला चिकित्सालय, बहराइच में भर्ती हैं । वास्तविकता यह है कि थाने पर एकत्र लगभग 500 व्यक्तियों की भीड़ में पी0 ए0 सी0 की ट्रक पहुंचते देखकर भगदड़ मच गई . उनमें से 31 व्यक्तियों को गिरने व टकराने से मामूली चोटें आई हैं । अब्दुल मन्नान नाम का कोई व्यक्ति उक्त घटना में गम्भीर रूप से घायल नहीं हुआ था और न ही अस्पताल में दाखिल किया गया था । सत्य यह है कि अब्दुल मन्नान पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी मोहल्ला नाजिरपुर थाना कोतवाली नगर, उम्र 13 वर्ष, दिनांक 8-3-86 को इस घटना से पूर्व ही अन्य कारणों से जिला चिकित्सालय, बहराइच में अपनी डाक्टरी कराई थी । श्री दुलारे, हरिजन, श्री राम खेलावन, हरिजन तथा अब्दुल सत्तार, उम्र 50 वर्ष पुत्र अब्दुल रहीम, निवासी मोहल्ला सलारपुर, थाना दरगाह शरीफ, बहराइच को जिला चिकित्सालय, बहराइच में दिनांक 8-3-86 को श्री सतीश सिंह आदि के अनुरोध पर भर्ती किया गया था जो दिनांक 10-3-86 को प्रातः 8 बजे बिना विधिवत् डिस्चार्ज हुये और अपने घर चले गये ।

भगदड़ के पश्चात् तत्कालीन अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, नगर मैजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गये । श्री सतीश सिंह द्वारा भगदड़ को लाठीचार्ज की संज्ञा देते हुये एक प्रार्थना-पत्र दिया गया जिस पर न्यायिक दृष्टिकोण से शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिये पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मु0 अ0 संख्या 53/86 धारा 147/323 भा0 द0 वि0 15.10 बजे पंजीकृत किया गया । श्री सतीश सिंह ने अपनी तहरीर में स्पष्ट अंकित किया है कि थाने के इंचार्ज से घटना के सम्बन्ध में वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय पी0 ए0 सी0 का एक ट्रक थाने के मुख्य द्वार के समीप आया तथा पी0 ए0 सी0 उतरते ही लाठी चलाने लगी । इससे स्वतः स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध

लाठी-चार्ज का आदेश देने का आरोप निराधार है । श्री सतीश सिंह की मांग पर मुकदमा कायम करके मैजिस्टीरियल जांच के भी आदेश दे दिये गये हैं । इसके बावजूद भी यह लोग थानाध्यक्ष एवं उपनिरीक्षक के स्थानान्तरण की मांग करने लगे । परिस्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए थानाध्यक्ष एवं उप निरीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया । तत्पश्चात् सभी लोग अपने घर चले गये, उस दिन जनपद में धारा 144 लगी थी जिसका उल्लंघन कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया था, अतः उनके विरुद्ध धारा 188 में अभियोग दर्ज किया गया है जिसके कारण कदाचित अपने बचाव हेतु उनका कहना है कि किसी गम्भीर अपराध में फंसा दिया जायेगा । स्थिति सामान्य एवं नियन्त्रण में है ।]

श्री कौशिक रमा शंकर—

माननीय, वक्तव्य में बताया गया है कि थानाध्यक्ष के आदेश पर लाठी-चार्ज नहीं किया गया और पी० ए० सी० ने ट्रक से उतरते ही लाठी-चार्ज कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अकारण ही और बिना आदेश के वहां इकट्ठी जनता पर लाठी-चार्ज शुरू कर दिया उनके खिलाफ मन्त्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, उनके खिलाफ धारा 147/323 में मुकदमा दर्ज किया गया है ।

*श्री मयंकर सिंह—

माननीय, शासन की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया है मैं कहना चाहता हूं कि यह वक्तव्य सत्य है और सत्य मानकर सदन के पटल पर रखा होगा तथा समाचार-पत्रों में जो वक्तव्य दिया गया है उसकी पुष्टि हुई है और मैं उस जिले का हूं, मेरी जानकारी में भी है कि यह सत्य है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो वक्तव्य दिया गया है, इसके तीसरे पैरा पर लिखा है—"सत्य तो यह है कि जब श्री सतीश सिंह 12.45 बजे थाना दरगाह शरीफ पर आये तो थानाध्यक्ष थाने पर नहीं थी ।"

माननीय, अन्त में फिर हैं (पेज 3 पर)—"इसके बावजूद भी यह लोग थानाध्यक्ष एवं उप-निरीक्षक के स्थानान्तरण की मांग करने लगे । परिस्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुये थानाध्यक्ष एवं उप निरीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया ।"

इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह लोग दोषी नहीं थे तो स्थानान्तरण इसलिये कर दिया गया कि यह अराजकता पैदा करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे । यह प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की अराजकता पैदा करें और पुलिस का स्थानान्तरण करेंगे, एस० पी० से जवाब तलब करेंगे तो पुलिस का मनोबल गिरेगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि बड़े से बड़ा व्यक्ति चाहे सत्तारूढ़ दल के ही क्यों न हों उनको बख्शें नहीं । यहां स्थानान्तरण क्यों किया गया यदि वह दोषी नहीं थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, प्रदेश में हालात इस समय में संवेदनशील थे, इसलिये उस स्थिति को बचाने के लिये, राज्य में शांति व्यवस्था रहे, इसलिये उस बात को मान लिया गया और पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण कर दिया गया ।

श्री मित्र सेन—

माननीय, मन्त्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि अपराध संख्या 52/86 में मुकदमा दर्ज किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किये गये, वह थाने पर मौजूद रहे, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, चूंकि उनकी तरफ से पुलिस के विरुद्ध एक एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी थी और शिवरात्रि का दिन था, शहर में दफा 144 लगी थी और पूरे प्रदेश में संवेदनशील हालात थे, इसलिये उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मामले को सूझबूझ से निपटाना उचित समझा गया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा शासन पर आरोप रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में शासन के दोहरे मानदंड हैं, अपने बारे में कुछ और हमारे बारे में कुछ जिसकी इस बयान से पुष्टि होती है। इस सरकार ने पूरे बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस निर्दोष थी। अन्त में लिखा है कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध लाठी-चार्ज का आरोप निराधार है। उसके बाद श्री सतीश सिंह की मांग पर मुकदमा कायम करके मैजिस्टीरियल जांच के भी आदेश दे दिये गये हैं। यह सतीश सिंह कौन है? यह बहराइच में जिला कांग्रेस कमेटी (आई0) के भूतपूर्व महामंत्री हैं और इनके तमाम साथी उनको घेरे खड़े थे और उनके दबाव में आकर मैजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिये गये हैं? और इसमें आगे लिखा है कि यह लोग थानाध्यक्ष और उपनिरीक्षक के स्थानान्तरण की मांग करने लगे, हम लोग भी मांग करते हैं, लेकिन हमारी मांग कभी नहीं सुनी जाती है, लेकिन वह चूंकि कांग्रेस के पदाधिकारी थे, सरकार द्वारा यह कहने के बावजूद भी कि वह निर्दोष था, उसका स्थानान्तरण कर दिया गया? फिर मंत्री जी ने कहा कि वह शिवरात्रि का समय था, हालात बड़े संवेदनशील थे, तो क्या इस बात को ध्यान में रखकर कि सतीश सिंह और उनके कांग्रेस साथियों की बात को नहीं माना जाएगा तो यह प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा भड़का देंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ देंगे, इस दबाव के कारण ही उस दरोगा का ट्रांसफर किया गया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

ऐसी बात नहीं है कि किसी के दबाव में किया गया है। चूंकि इसकी मैजेस्ट्रियल जांच हो रही है, इसमें अधिक कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा।

*श्री सत्यपाल सिंह—

श्री सोहवत, जो ट्रैक्टर ड्राइवर था उसने ट्रैक्टर के मालिक श्री सतीश सिंह स्थानीय कांग्रेस (आई0) नेता का हवाला देते हुए गम्भीर परिणाम की धमकी दी और छेड़छाड़ न करने की चेतावनी देते हुए बताया कि वह अपना काम पूरा करने के बाद ही ट्रैक्टर हटायेगा तथा श्री सतीश सिंह भूतपूर्व महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, जो स्थानीय टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, थाने आये और आवेश में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुये धमकी देने के साथ-साथ उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र लिखकर दे दिया, यह सब आपके वक्तव्य में है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में मंत्री जी ने जो नया गिरोहबन्दी विधेयक बनाया है उसका परीक्षण करेंगे कि श्री सतीश सिंह और उनके साथी इस विधेयक के अन्तर्गत निरुद्ध करने के योग्य हैं? क्या इसका परीक्षण आप उन पर करायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इसकी मैजेस्ट्रियल जांच चल रही है, अन्य किसी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा—

जिस सतीश सिंह का जिक्र किया गया है इनका ट्रैक्टर पकड़ा गया, ट्रैक्टर पकड़े जाने के बाद फर्ज बनता था कि शिकायत करते। इनके खिलाफ भी, थानेदार के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने थाने का घेराव किया, क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह सतीश सिंह कुछ शातिर बदमाशों को छुड़ाने के लिए नानपारा आदि एक-दो और थानों में भी इसके पहले घेराव कर चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी नहीं, यह संज्ञान में नहीं है।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घटना का बहराइच में अब भी बड़ा प्रभाव है और जो सतीश सिंह जी थे, इनके साथ पांच-छः सौ लोग थे, इन्होंने जाकर एस0 पी0 के बंगले को घेर लिया, उसको भद्दी-भद्दी गालियां दी, आपने अपने गिरोहबन्दी अध्यादेश में यह व्यवस्था की है कि किसी पर किसी अधिकारी को आतंकित करने का जुर्म है, तो उसमें ऐसे लोगों को दंडित किया जा सकता है। हम एस0 पी0 को जानते भी नहीं थे कि वह किस बिरादरी का है। इसलिए उस पर आरोप लगाया गया, गाली दी गई। चौधरी चरण सिंह की बिरादरी से इत्तिफाक से सम्बन्ध रखता है, इसलिए नाम लेकर उस बिरादरी का और उस एस0 पी0 को गाली दी गई और एक घंटे तक उसके बंगले को घेरे रखा गया। तो जो गलत और समाज विरोधी लोग हैं और कांग्रेस का चोला पहने लोग हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

वर्मा जी ने जो बात कही है, ऐसी बात नहीं है, किसी जाति विशेष को लेकर जो सूचना आई है। उसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति थी उस समय इसलिए ट्रांसफर किया गया, लेकिन आप लोगों की भावना को देखते हुए मैं इसको और दिखवा लूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, पूरे बहराइच में सभायें हुयीं हैं। वहां पर जनता में रोष व्याप्त है। कांग्रेस के लोगों ने बिना वजह वहां के एस0 पी0 को अपमानित किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दीजिये।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि जांच हो रही है। एक प्रश्न के लिये गुप्ता जी इजाजत मांग रहे हैं, एक प्रश्न के लिये आप इजाजत मांग रहे हैं। जांच तो हो रही है। मैं अब इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(सदस्य संख्या 10 पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमारे ऊपर रोज इनके हमले होते हैं आज इनकी करनी का पर्दाफाश करना चाहते हैं। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। 2-3 लोगों को एक-एक प्रश्न कर लेने दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैजिस्टीरियल जांच हो रही है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माान्यवर, मुझे भी एक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी आप बांदा जिले से बहराइच कैसे पहुंच गये, बोलने के लिये ? मत बोलें ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, हमारे बगल के जिले का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मंत्री जी से पूछ लीजिये । कक्ष में जाकर आप सभी बातें पूछ लीजिये ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं....

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मुझे भी बोलने की इजाजत दे दें । मुझे एक प्रश्न पूछना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पूछ लीजियेगा ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, बहराइच में संवेदनशील स्थिति को देखते हुये धारा 144 लगी हुयी थी । कुछ अराजक तत्वों ने जुलूस निकालने की कोशिश की जिससे दंगा भड़क सकता था तो उनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुये । जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हुये हैं क्या सरकार उसको तत्काल गिरफ्तार करने की कार्यवाही करेगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर कार्यवाही चल रही है ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा था कि धारा 144 लागू थी जिसका उल्लंघन कुछ लोगों द्वारा किया गया मैं जानना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ धारा 188 का अभियोग दर्ज हुआ है उनके नाम क्या हैं और उनमें क्या ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह का भी नाम है । उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, 14 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 लगाने की सूचना है । इस वक्त उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वक्तव्य में देखें । सारे लोग इनकी पार्टी के थे । पुलिस कर्मचारियों को बिना दोष के दंडित किया गया है । लोगों के विरुद्ध 188 म अभियोग दर्ज किया गया है । माननीय सदस्य ने उनके नाम पूछे, जिसकी सूचना मंत्री जी को नहीं है उनके पास नाम नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने दफा 144 तोड़ी उनके खिलाफ 188 में अभियोग दर्ज किया गया । तो उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ? और उनको कब तक गिरफ्तार किया जायेगा ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि मामले की जांच आपने मैजिस्ट्रेट को सुपुर्द किया है । तो उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं । क्या आपने यह भी सन्दर्भित किया है कि जो सतीश सिंह थे जिन्होंने पुलिस को डराने धमकाने का प्रयास किया उनके खिलाफ गिरोहबन्दी अधिनियम लागू होगा ? तो इन दोनों बातों का जवाब दे दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, पूरा-पूरा प्रकरण जांच के लिये दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, साफ-साफ उत्तर आना चाहिये । मैंने पूछा था कि जिनके खिलाफ दफा 188 का अभियोग दर्ज किया गया है उनको गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ? कब तक उनको गिरफ्तार कर लिया जायेगा ? दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि जो आपने मामला मैजिस्ट्रेट की जांच के लिये दिया है उसके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं ?

मेरी जानकारी है कि कुछ ही बिन्दु जांच के लिये सन्दर्भित किये गये हैं जिनसे घटना पर प्रकाश नहीं पड़ सकता है तो जो मैंने दोनों सवाल पूछे वे उनका उत्तर मान्यवर दिलवाने की कृपा करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई एक बात माननीय सदस्य ने यह जाननी चाही थी ? गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मामला मैजिस्ट्रेरियल जांच के लिए संदर्भित कर दिया गया था और दूसरी बात यह है कि टर्म आफ रेफरेंसेज क्या हैं ? तो इस सिलसिले में मैंने पहले भी कहा कि यह पूरा प्रकरण ही मान्यवर संदर्भित है । इसमें ऐसी कौन सी बात रह गयी, जो माननीय सदस्य ने जाननी चाही और उसका उत्तर नहीं मिला ?

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि आपके कांग्रेस दल में काफी असामाजिक तत्वों की भरमार है, यदि आप कार्यवाही करने लगेंगे तो हो सकता है कि सभी भाग जायं और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मुकदमें दर्ज किये गये हैं, क्यों उन्हें वापस लेने की कृपा करेंगे ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, श्री सतीश सिंह का पूर्व अपराधिक रिकार्ड्स क्या हैं ? यह माननीय मंत्री जी कृपया बता दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इनके पूर्व अपराधिक रिकार्ड्स की जानकारी इस वक्त शासन के संज्ञान में नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा बधाई का प्रस्ताव लाने का प्रयास

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं मद संख्या 10 ले रहा हूं । नियम 56 के अन्तर्गत 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया था आपसे, लेकिन उस वक्त चर्चा चल रही थी और आपने उस पर सवालों को एलाऊ कर दिया था । मैंने मान्यवर, नियम 110 (1) के अन्तर्गत एक बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति चाही थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है आपने चाही थी, लेकिन मैं आज्ञा नहीं देता, कृपया बैठ जाइए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

नहीं मान्यवर, नियम 110 (1) आप देखें, जिसमें माननीय सदस्यों को अधिकार है, अपनी बात कहने का ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने देखा है, उसमें शब्द अनुज्ञा लिखा है, मैं अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप तिवारी जी को सुन लें कि माननीय तिवारी जी क्या बधाई

देना चाहते हैं, पहले आप सुन तो लीजिए, उसके बाद चाहें तो आप खारिज कर दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, मैं अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, आप इनकी बात तो सुन ही लीजिए नियमों के तहत हमें अधिकार है यहां अपनी बात कहने का ।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, मैं अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं, कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार की जो व्यवस्था है, वह आपराधिक व्यवस्था है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, नियम 110 (1) के तहत जो बातें माननीय तिवारी जी ने व अन्य माननीय सदस्यों ने उठाने की अनुमति चाही है, उसी के सम्बन्ध में मैं भी कहना चाहता हूं ।

(शोर)

मान्यवर, इस बारे में मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया सुन लीजिए।

(श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इसी नियम 110 के बारे में, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय मैनेजर सिंह को पुकार लिया है । माननीय मैनेजर सिंह, आपको क्या कहना है ?

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, नियम 110 के अन्तर्गत कोई सूचना लिखित देना जरूरी नहीं है, आपका ध्यान मौखिक रूप से आकर्षित करके आपकी अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है । आप अनुज्ञा देंगे, तभी प्रस्ताव प्रस्तुत होगा । आप अनुज्ञा नहीं देंगे, तो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होना । मान्यवर, पहले आप माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को सुन लें कि वे क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं । मान्यवर, आप उचित समझेंगे तो उनको देंगे और यदि आप उचित नहीं समझेंगे, तो उन्हें अनुज्ञा नहीं देंगे और ये प्रस्ताव नहीं रखेंगे किन्तु कहना चाहता हूं कि आप माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी को सुनेंगे ही नहीं तो आप क्या समझेंगे कि वे क्या प्रस्ताव लाना चाहते हैं । अतः आप इन्हें सुनें और निर्णय देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर आपको नियम 110 के बारे में सुनना है, तो मान्यवर, पहले नियम 56 को ले लें ।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, आज शिक्षा का बजट है, लगता है इन लोगों को शिक्षा के बजट पर रुचि ही नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे आज नियम 56 के अन्तर्गत 21 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री गौरी शंकर भइया की है, बलिया में नायब थानेदार की डाकुओं द्वारा हत्या । दूसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा और मनोहर लाल जी की है, आगरा में ओला वृष्टि । तीसरी सूचना है श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री किरनपाल सिंह की, इलाहाबाद विकास

प्राधिकरण द्वारा निर्बल वर्ग के लिए बनाई गई दूकानों के आवंटन में घपला। चौथी सूचना है, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री कौशिक एवं शंकर, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राज किशोर सिंह की, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लि0 में कोयला, लोहा, की बिक्री न होने से घाटा। पांचवीं सूचना है श्री महेन्द्र सिंह भाटी की, नोयडा जिला गाजियाबाद में 37 गांवों की भूमि का अधिग्रहण। छठीं सूचना है श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री भगवानीदीन कुशवाहा, श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा की, प्रदेश के महा विद्यालयों से तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति। सातवीं सूचना है श्री सरदार सिंह की, महोबा में पान की फसल चौपट। आठवीं सूचना है श्री सूर्य प्रताप शाही की, बनारस काशी विद्यापीठ के छात्रों एवं शिक्षकों पर लाठी चार्ज। नवीं सूचना है श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राम गोविंद चौधरी, श्री विष्णु देव की, नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय को समाप्त करने की साजिश। दसवीं सूचना है, श्री राम नरेश यादव की, प्रदेश में किसानों को बिजली न मिलने से परेशानी। ग्यारहवीं सूचना है श्री यदु नाथ सिंह की, उन्नाव में श्री शिवमूर्ति सिंह के हत्यारों का न पकड़ा जाना। बारहवीं सूचना है श्री सत्यपाल सिंह की, लोधेश्वर महादेवा मेला के अवसर पर शिव भक्तों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज। तेरहवीं सूचना है श्री अर्जुन सिंह यादव और श्री चन्द्र सेन की, जौनपुर में पीली नदी पर सम्पर्क मार्गों के निर्माण के बारे में। चौदहवीं सूचना है श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा और श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की, बुन्देलखंड में पेयजल का अभाव। पंद्रहवीं सूचना है चन्द्रभान मौर्य और श्री गया प्रसाद वर्मा की, एतमादपुर, आगरा में अपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति। सोलहवीं सूचना है श्री शारदा प्रताप की, लखनऊ जनपद में बाढ़-पीड़ित राहत अनुदान में घपला। सतरहवीं सूचना है श्री भगौती सिंह की, इन्दिरा नगर में सफाई एवं पानी का अभाव। अट्ठारवीं सूचना है श्री बदन सिंह की, आगरा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार। उन्नीसवीं सूचना है श्री माता प्रसाद पाण्डे की, भूतपूर्व विधायक एवं सांसद श्री फिरंगी प्रसाद की हत्या की साजिश। बीसवीं सूचना है श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री काशी सिंह ऐरी, डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री दूधनाथ की, गोरखपुर में साधुओं के जमाव से गम्भीर स्थिति। इक्कीसवीं सूचना है श्री अशोक बाजपेयी की सहारा इंडिया द्वारा जनता की करोड़ों रुपयों की लूट। इस तरीके से मेरे पास सूचनाएं प्राप्त हुई है। पहले मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब एक बात का ध्यान रखें कि समय बहुत हो गया है, इसलिए दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर लें।

*श्री गौरी शंकर भइया--

मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बलिया जिले में एक मनियार थाना पड़ता है, उस थाने के अन्तर्गत एक हत्या की गयी। उस थाने के अन्तर्गत एक नायब दरोगा की हत्या हो गई। श्रीमन्, वहां पर एक दरोगा और तीन सिपाही ज्यों ही घाघरा नदी को पार करके गये वहां स्टेट बैंक को लूटकर बलराम डाकू का गिरोह आ रहा था उन लोगों ने दरोगा को देखकर गोली चला दी और वह तत्काल घटनास्थल पर मर गया। वह बलराम पांडे नाम का डाकू उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर लगभग 50 हत्यायें और कत्ल कर चुका है। उसके खिलाफ दरोगा को भेजने की साजिश वहां के अधिकारियों ने की दरोगा को बिना रिवाल्वर, के डकैत का सामना करने के लिए भेजा गया और उसकी हत्या हो गई और अब पुलिस जिला प्रशासन से किसी प्रकार की सहायता देने की बात नहीं कही ई है। इस घटना से वहां पर जितने

---

* ता ने भाषण का पुनर्वीक्षणन क ।

भी दरोगा हैं उनमें तनाव व्याप्त हो गया है। ऐसे ही एक श्री राय की हत्या सिवान जिले में हुई थी। मैं चाहता हूं कि इस पर आप चर्चा करवायें और उस दरोगा के लड़के को नौकरी में रखा जाय एवं उन लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्पूर्ण विषय है और सत्ता में बैठे हुए लोग डकैत गिरोहों को संरक्षण देते हैं और आज भी संरक्षण दे रहे हैं इसीलिये उस दरोगा को बिना रिवाल्वर के मुठभेड़ के लिए भेज दिया। श्रीमन्, बिना चर्चा हुए यह मामला प्रकाश में प्रायोज्य नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वहां का एस० एस० पी० ऐसा व्यवहार करता है। अभी तक दरोगा के परिवार को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी है। मान्यवर, आप इस पर चर्चा करवा दीजिये।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, जैसा कि गौरी शंकर भइया ने कहा—

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाइये। आप गौरी शंकर भइया का नाम क्यों ले रहे हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आप तो ऐसे डांट रहे हैं

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाइये

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, आप कोई भी बात कहकर सत्ता पक्ष की तरफ न देखा करें। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो आपने अब सुना है यही विषय मैंने कल नियम 56 में दिया था। आपकी व्यवस्था क्या है ? वही परिस्थितियां हैं, वैसी ही घटना है लेकिन कल वह पन्द्रहवें नम्बर पर थी और आज आप पहले नम्बर पर ले आये। आपकी व्यवस्था क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, हमारे जिले में दरोगा लोगों ने थाने पर काम करना बन्द कर दिया है। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कह तो चुके। आप कब तक बोलेंगे यह बता दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सदस्यों की भावना का आदर करते हुये मेरा निवेदन है कि किरन पाल सिंह को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बाद में निर्णय दूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आप सुन लें। कल इन्होंने सूचना दी थी तो नहीं सुना आज नम्बर एक पर सुन रहे हैं तो इनको भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

सुनने को नहीं कहा। व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका जवाब मैं दूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

बोलना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात रह गई है।

श्री किरन पाल सिंह--

हमको बोलने का शौक नहीं है। बिहार सीमा पर बिहार पुलिस की वर्दी पहनकर डकैतों का गैंग ऐक्टिव है। वहां का जो एस0 पी0 है त्रिपाठी, उससे जन असन्तोष है। वह जहां रहा एक दो मिल स्थापित किया है। इतना भ्रष्ट एस0 पी0 बार्डर पर लगा दिया, वहां तस्करी होती है, बिहार पुलिस की वर्दी में डकैती हो रही है, यह तो गम्भीर बात है ही देखना यह भी है कि यह एस0 पी0 वहां रहे या न रहे।

श्री हरदेव--

व्यवस्था का प्रश्न है। बलिया की पुलिस सतर्क है, नहीं तो कई किलोमीटर तक पीछा करके डकैतों को कैसे मारती। एस0 पी0 की व्यवस्था चुस्त है।

(व्यवधान के मध्य)

यह पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं।

श्री गौरी शंकर भइया--

[× × ×]

(अत्याधिक व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हाउस कैसे चलेगा? कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री गौरी शंकर भइया--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें मैं नहीं बोलने दूंगा। आप कह चुके हैं।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। वह यह है कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह क्या व्यवस्था हुई है। कुछ लिखा नहीं जायेगा जो आप बोल रहे। *संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था ससम्मान शिरोधार्य है। मान्यवर, जो घटना मा0 गौरी शंकर जैसा और आपकी अनुमति के बाद मा0 किरन पाल सिंह ने उठायी है। ये डकैत बिहार से एक बैंक डकैती करने के बाद 5.70 लाख की डकैती करने और चौकीदार की बन्दूक छीनने के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में आए। हमारी पुलिस एक दूसरे हत्या-काण्ड में, दूसरे मर्डर केस में जांच के लिये गयी थी, इस केस के लिये, इन्काउन्टर के लिये नहीं गयी थी। एक दूसरे मामले की तफतीस के लिये गयी थी। पता लगा कि कुछ डकैत सीमा पार करके उत्तर प्रदेश की सीमा में आए हैं। उन्होंने डकैतों को पीछा किया डकैतों से मुकाबला हुआ। तीन डकैत मौके पर मारे गये। उसमें एक सब इन्सपेक्टर शहीद हुआ। आपको तो प्रशंसा करना चाहिये कि हमारे बहादुर जवानों ने किस तरह से डकैतों का मुकाबला किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो बड़े हल्केपन से देखते हैं, यह कहते हुए संकोच होता है, कभी किसी एस0 पी0 से शिकायत हो गयी तो उस एस0 पी0 को भ्रष्ट बता दिया, विषय की गम्भीरता बन गयी, अविलम्बनीयता बन गयी। उस सब इन्सपेक्टर ने और सिपाहियों ने जो साहस करके दिखाया है, उसकी

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

प्रशंसा करनी चाहिये और जो कार्यवाही की गयी, आगे डकैतों को पकड़ने की कार्यवाही चलती रहेगी। नियम 56 के अन्तर्गत यह मामला नहीं बनता, न ही नियम 56 का प्रश्न उठता है।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, यह सही है कि यह एक गम्भीर मामला है और इस पर गम्भीरता से बात होनी चाहिये। मैं मा0 मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह सही है कि दूसरे मामले की तफशीश में राय दरोगा को भेजा गया। दो-तीन लोग पकड़ गये चौरसिया के कत्ल में। उसके बाद उन्हीं लोगों से पता लगा कि सीतापुर के जिले सिवान के एक गांव में एक लोहार बम बनाता है। उसी से बम लाकर एक सेठ चौरसिया की हत्या हुई थी। उसी जांच के लिये दरोगा भेजा गया था। क्या मा0 मंत्रीजी जांच करेंगे कि जहां डकैतों का गढ़ है जहां बम बनता है वहां उस निरस्त्र दरोगा को बिना हथियार के भेजा गया? इसमें लापरवाही उच्च पुलिस अधिकारी की है, क्या इस पर विचार करेंगे और दोषी उच्च पुलिस अधिकारी को दण्ड देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, एक तरफ यह कहा जाता है कि पुलिस कार्यवाही नहीं करती और जब कोई कार्यवाही पुलिस करती है, तब भी उसका विरोध किया जाता है। यह बात अच्छी नहीं है। अभी एक एस0 पी0 के बारे में नाम लेकर बहुत सी बातें कही गयी, यह बात ठीक नहीं है कि कोई अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं। यह अच्छी बात नहीं है कोई बात हो तो लिख कर दीजिये, उसकी जांच कराई जायगी। यह तरीका होता है। अगर हाउस में किसी का नाम लेकर क्या क्या बातें कही जाती हैं तो यह सही नहीं है? मा0 सदस्य ने जो बात कही कि कैसे बिना हथियार लिये दरोगा गया, इसको मैं दिखवा लूंगा।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा को बुलाये जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह--

आप उस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक दें, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो बात कही गयी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कहते हुए यह बात कही कि सदन में किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहिए, एस0 पी0 का नाम लेकर बात नहीं कहनी चाहिए। मान्यवर, आप अपने पूर्व दृष्टांत भी देख लें। सरकारी अधिकारी, क्योंकि वह, शासन का अंग है, इसलिए उसकी आलोचना सदन में की जा सकती है। वह व्यक्ति जो शासन का अंग नहीं है, अन्यत्र का है, उसकी बात अलग है। अगर मान्यवर एस0 पी0 के किसी कृत्य की हम आलोचना करते हैं, यदि उसमें कोई दूसरी बात होगी, तो जो शासन के प्रतिनिधि हैं, वह उसका उत्तर दे देंगे। मान्यवर, राजकीय अधिकारियों के पदों का नाम लेकर आलोचना करना यह तो हमारा संसदीय अधिकार है। इस पर आप व्यवस्था दें। नेता सदन कई बार इस तरह का संकेत दे चुके हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आलोचना करना, समीक्षा करना अधिकार है विरोध पक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी। किसी अधिकारी के लिए यह खड़े होकर कह देना कि वह भ्रष्ट है, उस पर आरोप इस तरह से नहीं लगाये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो शासन के साथ व्यक्ति जुड़े हैं, उसमें शासन की आलोचना होनी चाहिये, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए ।

श्री मंनेजर सिंह—

उसका एक लेडी डाक्टर से नाजायज सम्बन्ध है, उसकी जांच करा लेंगे ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैंने माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को बुलाया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, अभी माननीय मैंनेजर सिंह ने कहा कि उस एस० पी० का किसी महिला के साथ सम्बन्ध है, यदि वह सम्बन्ध रजामंदी के आधार पर है, तो वह नाजायज हुआ ही नहीं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आगरा के आस-पास के क्षेत्र फिरोजाबाद में दिनांक 18-3-86 को भयानक ओलावृष्टि हुई । मान्यवर, फिरोजाबाद के ग्राम गड़ी तिवारी, रहन की मडैया, चंदबार, मोहम्मदपुर बिहारी-पुर, बरगदपुर, नसीमपुर, पहाड़पुर, लड्डूपुर, चकरपुर, मुस्ताबाद, नगला चूरा, बिलहना, जहांगीरपुर, दौकेली, शेरपुर आदि 50-60 गांवों में यह ओलावृष्टि पड़ी । मान्यवर, ग्राम गड़ी तिवारी में तो एक-एक किलो के ओले गिरने से वहां एक महिला की खेत में ही मृत्यु हो गयी । यही नहीं सैकड़ों पशु घायल हुए । खेत में काम करते हुए अनेक लोग घायल हुए जो अभी भी अस्पतालों में पड़े हैं । मान्यवर, इन क्षेत्रों में एक भी चीज खाने लायक नहीं बची है । मकान और पेड़ तक टूट गये हैं । वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही, जिसकी छाया में वह बैठ सके । वहां शतप्रतिशत नुकसान होने के बाद गांव के तमाम लोग इदट्ठा हुए, उन गिरे हुए ओलों की सिल्लियां तहसील पर लायी गयी, वहां उच्चाधिकारियों को इससे अवगत किया गया लेकिन अभी तक उनको एक भी चीज की सहायता नहीं पहुंचायी गयी है । कल होली का ज्योहार सामने हैं, ऐसी स्थिति में उनके बच्चे भूख रहेंगे और आज भी भूखें हैं । मैं यह निवेदन करूंगा सरकार वहां तत्काल राहत कार्य शुरू करे और वहां सहायता पहुंचायी जाय । सड़कों का निर्माण हो, राहत कार्य शुरु किये जायं, ताकि वहां लोगों को दो तीन महीने का रोजगार मिल सके । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंता हूं कि जिन अधिकारियों ने परगनाधिकारी, तहसीलदार आगरा से, डी० एम० के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिन्होंने अभी तक वहां कोई सहायता की कार्यवाही नहीं की और मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह न कोई घपले का सवाल है और न ही इसमें कोई जांच की बात है, यह एक सीधा-सीधा जन-मानस से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है । 18 तारीख को फिरोजाबाद आगरा के तमाम गांवों में ओलावृष्टि हुई, पूरी फसल उससे चौपट हो गयी । जहां पर ओलावृष्टि हुई, वहां पर सरकार को तुरन्त राहत कार्य शुरू करने चाहिए थे, तुरन्त सहायता पहुंचानी चाहिये थी । लेकिन, यह एक विडम्बना है कि इस तरह से विपदाओं के बाद भी वहां पर राहत कार्य का इंतजाम नहीं किया गया । इस काम रोको प्रस्ताव के माध्यस से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां पर ओला गिरे हैं, फसल चौपट हुई है, ओलावृष्टि से एक बुढ़िया भी मर गयी, वहां पर तुरन्त राहत कार्य पहुंचाये जांय, सहायता पहुंचायी जाय । और

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को एस0 डी0 एम0 तहसीलदार और डी0 एम0 ने जो तमाम स्थिति से अवगत होने के बावजूद भी अब तक वहां व्यवस्था नहीं की है, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। मान्यवर, इस पर चर्चा की मांग को स्वीकार कर लें, ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जहां कहीं भी ओलावृष्टि हुयी और नुकसान हुआ है वहां पर आदेश दे दिये गये ह कि जो भी सहायता दी जा सकती है पूरी की पूरी दी जाये। यह भी कहा गया है कि वहां पर कुछ काम कराये जाये ताकि लोगों को काम मिले। माननीय सदस्यगण ने जो भावना व्यक्त की है उसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन का बहुत सम्मान करता हूं। कल उन्होंने मेरे बारे में एक बात कही थी कि नया मुल्ला बहुत प्याज ही प्याज खाता है। जिस संदर्भ में यह कहा गया था वह यह कहा गया था कि मैं हरिजन उत्पीड़न के बहुत सारे मामलों को यहां पर उठाता हूं ध्यान से सोचने पर मेरी समझ में बात आयी और मैंने फैसला किया कि मैं यह मामले नहीं उठाऊंगा लेकिन मान्यवर, मैं मजबूर हो जाता हूं जब मैं प्रातःकाल उठकर कार्यस्थगन के मामलों पर चिन्तन करता हूं तो हरिजन उत्पीड़न से सम्बन्धित कोई न कोई मामला मेरे संज्ञान में आता है कि सरकार हरिजनों के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला कर रहे हैं और तब मैं मजबूर हो जाता हूं।

मान्यवर, जो इलाहाबाद प्राधिकरण है उसने 22 दुकानें बनायीं और उनकी नीलामी के लिये उसने निविदायें प्रकाशित की और यह लिखा था कि यह दुकानें उन्हें आवंटित की जायेगी जो निर्बल वर्ग के लोग हैं। लेकिन मान्यवर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दुकानें किन्हें आवंटित की गयी हैं। यह दुकानें उन लोगों को आवंटित की गयी हैं जिनका निर्बल वर्ग से हजारों कोस दूर से भी सम्बन्ध नहीं है। केन्द्र सरकार में एक मंत्री हैं। उन मंत्री महोदय के पतिदेव को आवंटित कर दिया गया। उनके पुत्र जो इस आदरणीय सदन में पिछली बार सदस्य भी रह चुके हैं, को आवंटित किया गया और उनकी पुत्रवधू को भी आवंटित किया गया। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य यह भी बता दें कि वह कौन मंत्री हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे क्षमा कीजियेगा। वह सीतपुर से संसद सदस्या हैं श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी। मेरे नाम से ही सम्बन्धित है। उनके पुत्र भी इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। कितना बड़ा दबाव डाला गया है। उनको हरिजन होने का सार्टीफिकेट दे दिया गया है। प्राधिकरण के अभिलेखों में लिखा गया है "भूतपूर्व विधायक है। उन्होंने जिन्दगी भर कमजोर वर्गों के लिए काम किया है, उनके लिए बलिदान किया है। दलितों और पीडितों के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है, इसलिए गुमटी आवंटित करने के लिए वह पूरी तरह से पात्र हैं।" जो माननीय सदस्य उनके बारे में जानते हैं कि उनकी ख्याति क्या है। सिवाय इसके कि मजिस्ट्रेट को मार देना और दादाओं को संरक्षण देना है। हरिजन के नाम पर बनी दुकानों का आवंटन हरिजन वर्ग से भिन्न व्यक्ति को किये जाने से हरिजनों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मैं ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूं इसका परिणाम क्या हुआ? यदि हरिजन इसे बरदास्त कर लेते तब तो हम चिन्ता नहीं करते। आज पूरे

इलाहाबाद के हरिजनों में ही नहीं वरन् उसके आस-पास के जनपदों में हरिजनों म एक बड़ी उत्तेजना व्याप्त है। प्राधिकरण के कार्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। यदि किसी मेरे गरे को यह आवंटित कर दिये जाते तो कोई ऐसी खास बात नहीं होती लेकिन इतन समाज के संभ्रान्त शीर्षस्थ पदों पर काबिज लोगों को आवंटित किया गया है बड़े-बड़े अधिकारियों की बीबियों के नाम पर और पुत्रों के नाम इन दुकानों का आवंटन किया गया है। मेरे पास इसकी लिस्ट है। हरिजनों के हितों पर हमला करने का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, हरिजनों के हकों को यह बड़े-बड़े लोग हड़प कर जा रहे हैं। अफसोस उस समय और ज्यादा होता जब सत्ता पक्ष में बड़े-बड़े पदों पर बैठे मंत्री और भूतपूर्व सदस्य ऐसे काम करते हैं। जब इस विधान सभा में हम इन बातों को उजागर करने क कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बैठे माननीय सदस्य एतराज करते हैं। जब हरिजनों को कहीं न्याय नहीं मिलता तो हम लोगों का फर्ज है कि हम उनको न्याय दिलवायेंगे और जो प्रदेश की सर्वोच्च अदालत है उसके सामने इस केस को रखेंगे। मान्यवर, स्पष्ट बात है कि अपना राजनीति करने का मुआवजा, जो हरिजनों की रोजी-रोटी के लिय 15 हजार रु0 की एक दुकान बनी है, उसको अपने बेटे, पति और पुत्र वधू के नाम कराया। यह एक ऐसा मुहल्ला है जहां तिजारत बड़ी अच्छी तरह से चल सकती है, अगर ये दुकानें ऐसी जगह बनायी जातीं, जहां बिजनेस न चल सकता होता तो एलाट कर दिया जाता तो कोई आपत्ति नहीं होती। इसीलिये

[× × ×]

सत्ता पक्ष के लोग यह कहकर कि त्याग किया है, अपने नाम से हरिजनों की दुकानों को आवंटित करा लेते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंग कि हमने पूरी जानकारी करने के बाद, पूरे होशोहवास में इन बातों को कहा ताकि आप यह न कहें कि माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों को जानकारी नहीं होती है। रिकार्ड में लिखा गया है कि अशोक बाजपेयी ने त्याग किया, गरीबों की सेवा की, इसलिये निर्बल वर्ग में आ गये और उनको दुकान मिल गयी। इस पर मेरी सख्त आपत्ति को नोट कर लें, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिये।

श्री अशोक बाजपेयी--

व्यवस्था का प्रश्न है, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था के नाम पर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं, आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

परसों जब सामान्य प्रशासन पर चर्चा चल रही थी तो इस मामले को मैंने उठाया था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में उसका उत्तर नहीं दिया था। परसों जब सामान्य प्रशासन पर मैं बोल रहा था तो मैंने कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है कि दिल्ली के एक मन्त्री के निर्देश पर हरिजनों के लिये बनी दुकानें गैर हरिजनों को आवंटित कर दी गयी हैं, जब आप बोलें तो जरूर इसका उत्तर दें। जो आधार उन्होंने आवंटित करने का रखा है, तो मैं कहना चाहता हूं और दावा

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर सकता हूं कि इधर भी कई लोग ऐसे बैठे हैं, जिन्होंने कई वर्षों लगातार हरिजनों की सेवा की है, लेकिन ये अपनी सेवा का मुआवजा नहीं चाहते हैं। इसलिये आप इस पर गम्भीरता से विचार करके जवाब दे दें और कड़ी कार्यवाही करें।

*श्री कल्यान सिंह—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया है कि कदाचित लगता होगा कि 22 गुमटियों का सवाल बहुत छोटा सवाल है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि इसमें सीधे-सीधे एक केन्द्रीय मंत्री का नाम आया है, उन्होंने अपने पद का दुरुयोग किया है, मैं इसे भ्रष्टाचार की संज्ञा देता हूं, अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में आकर गलत काम किया है। पहली बात यह है कि जो हरिजनों को 22 गुमटियां एलाट करनी चाहिये थीं, वे दूसरे लोगों को की हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि वे गुमटियां किसके आदेश से गैर हरिजनों को दे दी गयीं? दूसरी बात, जिन अधिकारियों ने यह गलत काम किया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? तीसरी बात, इस अनियमित एलाटमेन्ट को निरस्त करने की घोषणा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह गुमटियों के बारे में सूचना मेरे पास पूरी नहीं है। ये गुमटियां निर्बल वर्ग के लिये बनायी जाती हैं, इसमें हरिजनों को प्राथमिकता रहती है। मान्यवर, जहां कहीं भी हरिजनों को सुविधा देने की बात कही जायेगी, कोई अधिकारी या कर्मचारी यदि इस नियम को, रूल को तोड़ता है, उसको दण्ड दिया जायेगा चाहे वह कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो। मैं इसकी पूरी जानकारी कराऊंगा, पूरे तथ्य मेरे पास नहीं हैं। मैं देखूंगा कि कैसे यह बात हुई है।

श्री किरनपाल सिंह—

जिन हरिजनों के लिये वे दुकानें बनायी गयी हैं क्या आप उनको ही वह दिलवायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

कह तो दिया है कि जानकारी नहीं है, देखेंगे।

श्री किरनपाल सिंह—

इतना महत्वपूर्ण मामला है, गुमटियां जिनको मिलनी चाहिये थीं उनको नहीं मिली हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किरनपाल सिंह और शाही जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों ओर की बातें सुन ली गयी, अब मैं अपना निर्णय दूंगा।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

शतरुद्र जी, आप कहिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इजाजत है?

श्री उपाध्यक्ष—

हां, मैं तो आपको बुला ही रहा हूं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक ही सत्र में एक विषय को प्रश्न के रूप में उत्तर दिये जाने के उपरान्त पुनः कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और यह व्यवस्था का प्रश्न इस कारण से है कि जो जिम्मेदारी मुझको दी गयी है, यदि मैं व्यवस्था को नहीं उठाऊंगा तो फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। व्यवस्था यह है कि जिस कार्यस्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में माननीय शतरुद्र प्रकाश को आपने पुकारा है उसी में मैं व्यवस्था चाहता हूं। यदि पहले उस विषय पर इसी सत्र में तारांकित प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया हो और उसका उत्तर आया हो तो फिर नियम 56 के अन्तर्गत तो ग्राह्यता की बात है, उसको क्या नये रूप में दे सकते हैं? 6ठे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के रूप में यह सारी जानकारी उन्होंने मांगी है, आज वह जानकारी फिर आप कार्यस्थगन के रूप में मांग रहे हैं। सारी जानकारी उनको दे दी गयी है। आपके नियम, आपके करण, परम्पराओं के अनुरूप जो निर्णय आपने दिया है वह सब इसमें है। वैसे जो निर्णय आप देना चाहें, वह शिरोधार्य होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

नियम 56 नहीं बल्कि नियम 58 कहिये।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, हम जो प्रश्न करते हैं उनका संक्षिप्त उत्तर यानी कि एक घंटे के समय में बीस तारांकित सवाल लिये जाते हैं और कुछ ही पूरक प्रश्नों का अवसर मिल पाता है। जब हम चर्चा की मांग करते हैं तो उसके लिये दो घंटे की चर्चा की मांग करते हैं। प्रश्न का उत्तर मिलना और चर्चा की मांग करना श्रीमन्, दोनों अलग-अलग बातें हैं। दोनों बातों को संसदीय कार्य मंत्री जोड़ रहे हैं, यह उचित बात नहीं है। प्रश्न का उत्तर मांगना दूसरी बात है और चर्चा की मांग करना दूसरी बात है। संसदीय कार्य मंत्री की व्यवस्था को आप खारिज करिये, यह व्यवस्था नहीं है?

श्री कौशिक रमा शंकर--

नियम 56 जब एक बार ले लिया जाय कोई सूचना के माध्यम से और उस पर चर्चा की जाय तब नियम 56 में उस विषय को लिया जाय या नहीं इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था रिजर्व की थी और सभी नेताओं से विचार-विमर्श भी किया था। यह स्पष्ट बात है कि नियम 56 में यदि कोई विषय पहले उठाया गया है आज कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है, किसी सन्दर्भ में तो, उसे नियम 56 में दुबारा लाया जा सकता है, मान्यवर ....।

[2 बजकर 40 मिनट]

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

आप सवाल देख लें और जो सूचना है उसको देख लें। अक्षर वही हैं और शब्द वही हैं।

श्री कौशिक रमा शंकर--

जो सवाल उठा है कल और आज सन्दर्भ दूसरा आता है, तो नियम 56 में लिया जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह तीसरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसके बारे में व्यवस्था बहुत साफ है। आपने बहस की इजाजत दी है, तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि यह व्यवस्था का प्रश्न निरर्थक है। नियमावली का नियम 58 है जिसमें ग्राह्यता की शर्तें दी गयी हैं। मान्यवर 6-7 शर्तें हैं और जैसा कि कौशिक जी ने कहा कि नियम 56 में उठ सकता है, अगर 300 में लिया जा चुका हो। मेरा निवेदन है कि आप ग्राह्यता के लिये नियम 58 की शर्तों को देखें। पहली शर्त है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

शतरुद्र जी, हो गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, अगर आप व्यवस्था देना चाहते हैं, तो दे दें। जब आप सुनेंगे नहीं, तो व्यवस्था को निर्धारित करते समय किस बिन्दु को आप ध्यान रखेंगे? इसके बारे में विवेचना नहीं करेंगे, तो आप निर्णय कैसे देंगे? मेरा सिर्फ इतना निवेदन है।

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसमें उन्होंने यह आपत्ति की है कि इस विषय को प्रश्न के माध्यम से उठाया जा चुका है और नियम 56 के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, यही इनका व्यवस्था का प्रश्न है और इसी पर आप निर्णय देंगे। लेकिन नियम 58 में इसको ग्राह्यता की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, उसमें एक शर्त आती है कि नहीं, यही आप विचार करेंगे। पहली शर्त है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं रखे जायेंगे। आज कोई दूसरा नहीं लिया जा सकता है। आज 21 मार्च के उपवेशन में कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आया है। किसी तरह की चर्चा नहीं आई है। एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी, तो यह दूसरा शर्त है। तीसरी शर्त है कि प्रस्ताव हाल में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा, चौथी है कि प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा, पांचवी है कि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। छठी सूचना है कि प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की सम्भावना है। मैं समझता हूं कि आप इसी पर कहेंगे कि चर्चा उठाने की संभावना नहीं है। मैं आपका ध्यान इसी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज जो नियम 56 में आया है, उसमें कोयला और पिग आइरन, लोहे और इस्पात के बारे में अलग विवरण है, कल केवल इस्पात और लोहे के बारे में था और आज जो कार्य स्थगन का दिया है वह लोहा, कोयला, इस्पात और पिग आइरन के बारे में है। आज इसका व्यापक महत्व है और इसका व्यापक क्षेत्राधिकार है। कल यह विषय नही था, इसलिये इस व्यवस्था को अग्राह्य करना चाहिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके सचिवालय में इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद आपने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद आपने सदन में नाम भी पुकार लिया माननीय शतरुद्र प्रकाश का और शतरुद्र प्रकाश खड़े हो गये बोलने के लिए तो माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री आपत्ति किये, उनको 2 घंटे पहले यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल गया था अगर उनको आपत्ति थी तो यह पहले बता दिये होते । जैसा रमा शंकर कौशिक जी ने कहा कि नियम 56 पर भी अगर नये तथ्य हो तो उस पर भी इस सदन में बोला जा सकता है तो यह सवाल तो केवल लोहा और इस्पात का था । जैसा शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि इसमें पिग आयरन, लोहा तथा और तमाम चीजे आती हैं उसका उल्लेख नहीं होता तो एक बिन्दु को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह सवाल नहीं उठ सकता है, इसमें नहीं आ सकता है इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस पर आज्ञा दे दें ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों को ध्यान से सुना और विशेष रूप से शतरुद्र प्रकाश जी को सुना । उन्होंने खुद ही जब नियमावली में नियम 58 में कही गयी ग्राह्यता की शर्तें हैं, वह शर्तें पढ़ते गये और खुद कहते गये कि यह इस पर लागू होती हैं । एक शर्त के बारे में उन्होंने खुद शंका व्यक्त की तथा एक शर्त के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वह शर्त यह है कि यह घटना हाल ही में घटित हुई है इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । मान्यवर, जो प्रश्न आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले उठाया गया था और आज अथवा कल एजेन्डा पर वह मिस्ट हुआ था और वह घटना पहले कभी घटित हो चुकी थी उसके बावजूद माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि वह हाल ही में घटना हुई है तो यह विषय कैसे उठाया जा सकता है क्योंकि यदि उनकी यह परिभाषा मान लेगें कि यह हाल ही में घटित हुई है तो प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार अथवा अकुशलता सम्बन्धी कोई भी विषय ऐसा नहीं रहेगा जो नियम 56 के अन्तर्गत न आये, तथा इस पर ऐसी विसंगति पैदा हो जायेगी कि सदन में कोई भी और कार्य लेना सम्भव नहीं रह जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो विषय माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया नियम 56 के अन्तर्गत तो वह तभी उठाया जा सकता है जब उस विषय पर नियमों के अन्तर्गत कहीं अन्य चर्चा कराने का प्राविधान न हो किन्तु जो विषय इन्होंने उठाया है वह सदन में उत्तरित हुआ और यदि इस उत्तर से वह संतुष्ट नहीं थे तो इसके लिए हमारी नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है नियम 49 के अन्तर्गत वह लिखकर देते कि इस विषय में सभी पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके तथा उसके साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी देते कि इस पर चर्चा करनी क्यों आवश्यक है तभी उस पर आप अनुमति दे सकते हैं और वह विषय नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे के लिए निश्चित किया जा सकता था इसलिए यह विषय नियम 56 के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता ।

(श्री राज किशोर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

राजकिशोर जी बैठे, आगे भी इशू है, आप बैठे में इजाजत नहीं देता ।

यह जहां तक संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सवाल उठाया है कि एक विषय पर चर्चा जिस पर हो जाती है उस पर दुबारा चर्चा नहीं होनी चाहिए । सामान्यतः बात तो यही है लेकिन जिस प्रश्न के रूप में उठाया था उस वक्त इसका परीक्षण नहीं हो पाया था जो आपने कहा वह आपका बिन्दु ठीक है लेकिन मैं बोलने की इजाजत शतरुद्र प्रकाश को दे रहा हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय, ऐसा है कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री जानते हुए भी यह बात कर रहें हैं सदन में ।

श्री हुकुम सिंह—

दो घंटे की चर्चा में भी स्वीकार करता हूं आप कर लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार निराधार व्यवस्था का प्रश्न उठाया ।

श्री उपाध्यक्ष—

निराधार तो नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरी जानकारी के अनुसार..

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप तो कामन जैन्डर हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, आज शिक्षा का बजट है । अब इस मामले को जल्दी समाप्त करायें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(क्रमागत)

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय कानपुर में लघु उद्योग निगम के भंडार गृहों में 7 करोड़ 92 लाख 42 हजार रुपये का इस्पात लोहा, पिग आइरन और कोयला पड़ा हुआ है । जिसमें 6916 टन इस्पात है जिसकी कीमत 6 करोड़ 37 लाख रुपये है, 2150 टन लोहा है जिसकी कीमत 63 लाख रुपये है तथा 1,56,687 टन कोयला है जिसकी कीमत 92 लाख 42 हजार है । माननीय, 1985-86 में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये जहां इस्पात, लोहा, पिग आइरन और कोयले की जरूरत पड़ी, इसका आवंटन किया गया था । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक शासनादेश भेजा था कि प्रदेश के जितने भी निगम हैं अगर उनको स्टील, लोहा, पिग आइरन की जरूरत पड़े तो इस निगम के जरिये उसकी आपूर्ति की जाय । मैं कहना चाहूंगा कि 1985-86 का सत्र समाप्त होने जा रहा है । 10/15 रोज ही बाकी रह गये हैं लेकिन आज तक इस उद्योग निगम के भंडार गृहों में करोड़ों रुपये का लोहा, इस्पात कोयला पड़ा हुआ है, उसका कोई भी औद्योगिक विकास में इस्तेमाल नहीं किया गया है । मैं इसकी तात्कालिकता के बारे में कहना चाहूंगा कि इस समय प्रतिदिन 50 हजार रुपया इस निगम को केवल ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है । यदि यह कोयला, लोहा, इस्पात और पिग आइरन बेच दिया जाय और उसका इस्तेमाल कर दिया जाय तो सरकार को जो 50 हजार रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पिछले अक्टूबर से बैंक का ब्याज देना पड़ रहा है जो कि आजतक करीब-करीब 84 लाख रुपया हो गया है, वह न देना पड़ता । मैं समझता हूं कि प्रदेश के अन्दर औद्योगिक विकास को पिछाड़ने के लिये, यहां पर औद्योगिक तरक्की न होने देने के लिये तथा धन का दुरुपयोग करने का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है । इसलिये माननीय, मैं समझता हूं कि आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार करने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है करोड़ों रुपये का इस्पात और बहुत सारा सामान डम्प पड़ा हुआ है और इसके बेचने की कोई व्यवस्था न करने का मतलब यह होता है कि धीरे-धीरे चोरी-चोरी इसे बेचकर बहुत से लोगों की जेब भर दी जायें। मान्यवर, यहां के करीब-करीब 12 लाख 20 हजार रुपये मजदूरों के बोनस के रूप में बाकी है, वेतन पुनरीक्षण के बाकी हैं और बहुत सा बकाया पड़ा हुआ है। वहां का मजदूर भूखा मर रहा है, वह मांग कर रहा है कि हमें अग्रिम धनराशि दी जाय लेकिन उन्हें दी नहीं जा रही है। 12 लाख रुपया देय का पड़ा हुआ है, यह निगम नहीं दे रहा है। इस तरह से आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर इनका औद्योगिक विकास निगम मर रहा है। यह निगम स्वयं नष्ट होने के कगार पर है। इसलिए यह गम्भीर मामला है। इस पर आप चर्चा करा दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, लघु उद्योग निगम इसलिये बनाया गया था जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके लेकिन यह देखा जा रहा है लघु उद्योग विकास निगम द्वारा ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, जहां 1980-81 में इसका शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपया था वह आज 1 करोड़ 95 लाख रुपया हो गया। बैंक क्रेडिट लिमिट 1980-81 में 2 करोड़ 20 लाख था, वह आज 3 करोड़ 95 लाख रुपया हो गई है। मान्यवर, इसका टर्नओवर जरा देखें यह निगम किस प्रकार काम कर रहा है। 1980 में टर्नओवर था 1 लाख 1 हजार 141 टन और आज है 21 हजार टन। इस प्रकार आप देखें बिक्री में 1980 में 99 हजार 553 टन और आज 17 हजार 796 टन तो यह लगातार घटता जा रहा है। इसके बावजूद यहां भ्रष्टाचार की वजह से यहां के कर्मचारियों को तनखा भी नहीं मिल रही है वहां कारोबार ठप्प है, कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि ज्वाइंट प्लांट कमेटी ने 156 रु0 दाम बढ़ा दिये उसके बावजूद इसको 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यह सब चीजें ऐसी हैं लघु उद्योग निगम में बजाय सुधार के प्रदेश का सब काम ठप हो गया है। इस निगम से लघु उद्यमियों को कोई मदद नहीं मिल रही है। इस गम्भीर विषय पर आप चर्चा करवा दें जिससे सभी मामले सदन में आ जायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश तथा अन्य नेताओं ने जिन बातों को यहां कहा मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरी शिकायत एक ही है माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो जितना आप मदद केन्द्र से चाहते हैं उतनी नहीं मिल पाती है और जो कुछ मदद मिलती भी है उसका आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपने जहां औद्योगिक विकास का अनुमान 6 प्रतिशत रखा है उसमें मैं पूछना चाहता हूं कि जो इतने बड़े पैमाने पर आपका इस्पात, लोहा पिग आइरन, कोयला जितना उठाना चाहिये था उसका 50 प्रतिशत भी नहीं उठा पाये हैं। दूसरी तरफ 50 हजार रुपया रोजाना ब्याज, सरकार को देना पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो 6 प्रतिशत की विकास दर जो रखी है वह कहां से हो जायेगी ? उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का यही कारण है, इनके कार्यकलापों की वजह से, सरकार के परफारमेंस के कारण जितनी केन्द्र से मदद मिलनी चाहिये उत्तर प्रदेश के विकास के लिये वह नहीं मिल रही है। और जो मिलती है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है जिसका उदाहरण है कि इन दो सालों में उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश से जिनसे पहले आगे था पीछे रह गया है। ऐसा लगता है और दो साल में बिहार जो सबसे पिछड़ा है उससे भी पीछे हो जायेगा। इसलिये यह जो सवाल उठाया गया है इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार

कीजिये । दूसरा मामला प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है । सारे निगम और लघु उद्योग निगमों के मामलों की देखभाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे मैंने सुना है । जब चीफ सेक्रेटरी हैं तो फिर यह प्रिंसिपल सेक्रेटरी की क्या आवश्यकता पड़ गयी है यह मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है । इसकी गम्भीरता को देखकर इसमें दो घंटे की चर्चा स्वीकार कीजिये ।

*श्री महेन्द्र सिंह माटी --

मान्यवर, नौयडा योजना जो प्रस्तावित है उसमें 37 गांवों की भूमि का अधिग्रहण होना था जिसमे से 16 गांवों का पूरा अधिग्रहण कर लिया है । 21 गांवों की भूमि के लिये तय किया गया था कि इनमें कोई कोलोनाइजेशन नहीं होगा । लेकिन कुछ लोगों ने समितियां बना कर वहां कोलोनाइजेसन शुरू कर दिया है । फर्जी बैनामे करके लोगों की जमीन लेकर गांव के लोगों को बेदखल कर दिया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की समितियों के जो सदस्य हैं उसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं और सौ से ज्यादा आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर हैं । यहां के लोगों ने 15 मार्च को इस के विरोध में दिल्ली में प्रदशन किया था । वहां के लोग भूमिहीन हो गये हैं, वहां लोगों में बेरोजगारी हो गयी है । वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है मान्यवर, सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना पर यदि चर्चा न कर सकें तो स्टेटमेंट इस पर जरूर स्वीकार करें ।

(व्यवधान)

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, एक लाख आबादी का राम सागर नगर बंद है, उसका नाम इंदिरा नगर कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायें ।

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, राम सागर नगर के एक लाख लोगों को जो सिविल फैसिलीटीज हैं, वह नहीं मिल रही हैं जिसका परिणाम है कि वहां का आदमी परेशान है ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायं । मैं सरकार को निर्देश दूंगा । आप बैठ जायें ।

*श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं एक बहुत ही गम्भीर घोटाले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सहारा इंडिया नाम से प्रदेश में एक ऐसी संस्था चल रही है जो 500 करोड़ रुपये से ज्यादा धन लूटने का काम कर रही है । कम्पनी का सारा पैसा गैरकानूनी ढंग से सहारा इंडिया जो कि एक साझेदारी फर्म है स्थानान्तरित किया गया तथा गरीब जनता से करोड़ों रुपये इस कंपनी द्वारा एकत्रित कर इसी संस्थान की विभिन्न फर्मों के नाम सहारा इंडिया, सहारा मास मीडिया, सहारा हाऊसिंग सोसायटी, सहारा फैन, सहारा हार्डवेयर सहारा प्रिन्टिन्ग, सहारा प्रेस इस तरह से करीब 23 फर्मों का निर्माण करके करोड़ों रुपये का हेरफेर कर रही है । नये-नये संस्थान शुरू करके जनता को लूट रहे हैं । इसलिये "दि प्राइज चिट एन्ड मनी सरकुलेसन स्कीम्स बैनिंग (यू० पी०) रूल्स 1980 पारित किया गया जिसके अन्तर्गत सभी चिट फाइनेंसिंग स्कीम्स बंद करने को कहा गया और कहा गया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाईन्डिग आफ लान सबमिट कर दें। लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया गया और नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। पहले इनका कार्यालय बनारस में था और बाद में गोरखपुर में बनाया और इलाहाबाद में भी स्थापित हुआ।

मान्यवर, सबसे बड़ा इसका नाम सहारा सेविंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी बनारस में खोली गयी थी। डी0 एस0 जग्गी उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर थे, उन्होंने 40 करोड़ रुपये गोरखपुर और बनारस से एकत्र करके चले गये और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर सुबरत राय हुए। इन लोगों ने इसके दो पोरशन कर लिए। डी0 जे0 रावल ने सहारा डिपाजिट बना लिया और कार्य क्षेत्र बांट दिया। मान्यवर, इस तरह से यह प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। मैं इनके एक गंभीर षडयंत्र के संबंध में सदन को बताना चाहता हूं कि इस महीने में यह सारे कार्यालय बन्द करके 500 करोड़ रुपये समेट कर भारत से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह गम्भीर लोकमहत्व का सवाल है। इससे ज्यादा गम्भीर कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता है। आप सदन में इस पर चर्चा करायें और इन तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। आप इसकी तात्कालिकता समझने का प्रयास करें और इनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने के लिये सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

गौरी शंकर भैय्या इस तरह बोलेंगे तो कोई कार्य होने वाला नहीं है। मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप लोग कई-कई एक साथ बोल रहे हैं

(व्यवधान)

मेरे लिये 21-21 को बुलवाना सम्भव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि एजूकेशन के बजट पर न बोला जाये तो इस पर बोलते जाइये।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि शिक्षा से किसी को रुचि नहीं है। नियम 56 के रोज आयेंगे, आज नहीं तो कल हम सुनेंगे, लेकिन यह शिक्षा बजट का समय हो रहा है। अब सवा तीन बजने को हैं। बैठिये मैं अपना निर्णय दे रहा हूं। तिवारी जी, आप आसन ग्रहण करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, जो मैंने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है, जो सरकार रेट लगाती है जमीनों के अनुसार ही, जो जमीन सीलिंग में मिली है और जिसका अपना रिटर्न दाखिल किया है, लोगों ने उसकी कीमत 350 अरब रु0 है और उस सम्बन्ध में मांग करता हूं नेता सदन से कि इस मामले में पहले सन् 1983

जो जे0 डी0 थे विभाग के श्री एस0 पी0 सिद्धार्थ, उन्होंने 1 अगस्त, 1983 में निदेशक को एक पत्र में लिखा था, जिसमें से सब आरोप लगाये थे उन्होंने जो आज नोटिस में दिया है। इसमें 13 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने घूस में प्लेट्स लिये हैं। इन्होंने कहा था कि सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाए। अभी पिछले महीने निदेशक मुख्य मंत्री से मिले हैं और मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसमें एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री की जमीन छोड़ी गयी है, जबकि गरीबों की ली गई। दून स्कूल के एक अध्यापक मिस्टर मार्टिन साहब की जमीन भी छोड़ी गयी है। एक तरफ सी0 आई0 डी0 से इसमें जांच करायी गयी दो बिन्दुओं पर, सी0 आई0 डी0 ने अपनी फाइंडिंग्स में कहा कि घूस में पलेट्स लिये गये...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, अब मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्यपाल सिंह--

मेरा मामला लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, आप मेरी बात सुन लें। लोधेश्वर महादेव के मेले में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

रामगोविन्द चौधरी, आप क्यों खड़े हैं? आपका भी तो उसमें है। वह बोल रहे हैं तो क्या आप भी बोलेंगे? बैठिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

दो बार सी0 आई0 डी0 की जांच हुई...

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप सी0 आई0 डी0 जांच की बात छोड़िये, बहुत हो गया है इस पर।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आप कहने तो दीजिये, एक मिनट में खत्म किये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

एक मिनट से ज्यादा तो हर दफा हो जाता है। आपकी समझ में आता नहीं है। आखिर किसी बात की सीमा है या नहीं। फिर आप नाराज होते हैं। कोई सीमा होती है, सवा तीन हो रहे हैं। तिवारी जी, अब आप बैठ जायं। मैं कोई बात कहता हूं तो आप नाराज हो जाते हैं। सवा तीन बज गये हैं। समय ज्यादा हो गया है। एजूकेशन का बजट है उस पर चर्चा होनी है।

अगर इसी तरह से कहते रहेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं दो बिन्दु रखना चाहता हूं ।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

दो मिनट का समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

6 मिनट का समय हो गया है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

इस सारे मामले में निदेशक और ज्वाइंट निदेशक ने जो पत्राचार किया है उसको सदन के पटल पर रखाया जाय । इस सारे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के जज से करायी जाय । इसमें आई० ए० एस० अफसर, केन्द्रीय मंत्री का इन्वाल्वमेंट है । इस पर चर्चा नहीं होगी तो सदन नहीं चलेगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, तिवारी जी नाराज हो जाते हैं उनको सुनते हैं लेकिन आप हमें नहीं सुन रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब नाराज हो लें । सब सुना लें । सब कह लें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम गोविन्द चौधरी जो बोल रहे हैं, वह न लिखा जाय ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[× × ×]

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जायं ।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, प्रदेश के किसी मुख्य मंत्री को किसी के धर्म के अन्दर दखलन्दाजी करने का अधिकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी अधिकार नहीं है किसी के धर्म पर बोलने का ?

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब लोग अपनी-अपनी बात सुना लें । यह कोई तरीका है । मैं अब निर्णय देने जा रहा हूं ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही ने जो सूचना दी है तो उसको चर्चा के साथ जोड़ता हूं, जो चर्चा आयेगी माननीय कौशिक जी ने जो उठाया था तो उसी के साथ शाही जी को जोड़ता हूं ।

माननीय कमलेश कुमार पाठक, मा0 भगवानदीन कुशवाहा और श्रीमती रामनन्दिनी को प्रदेश के महाविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बारे में सूचना है, इसमें कल अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था, सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । उसको आज बदल दिया है । इस पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार कर लिया है ।

श्री औसान सिंह---

मान्यवर, मुझे भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री राम नरेश यादव जी की सूचना प्रदेश के किसानों को बिजली न मिलने की समस्या के बारे में है, इसमें सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । श्री भगौती सिंह का इन्द्रानगर में सफाई एवं पानी का अभाव और मा0 माता प्रसाद पाण्डेय का जो भूतपूर्व विधायक एवं सांसद, श्री किरंगी प्रसाद की हत्या की साजिश के संबंध में है, इन मामलों को माननीय मंत्री देख लें तथा सर्वश्री कुंवर रेवती रमण सिंह, कौशिक रमाशंकर, शतरुद्र प्रकाश तथा श्री राज किशोर सिंह का मामला उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लि0 में कोयला एवं लोहे की बिक्री न होने के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और बाकी सब अस्वीकार कर दी है ।

(शोर)

अभी एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय किरनपाल सिंह जी ने उठाया था, वह क्या है ?

श्री किरन पाल सिंह---

मान्यवर, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ...

श्री उपाध्यक्ष---

इस मामले में तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जांच के लिये कह दिया है, जांच से भी सन्तुष्ट अगर आप नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री किरन पाल सिंह---

मान्यवर, जांच से कुछ नहीं होता, क्योंकि यह जांच रिपोर्ट मेरे पास तो आयेगी नहीं और बहुत ही गम्भीर मामला है, वक्तव्य इस पर आप स्वीकार करें तो कुछ बात है, अगर चर्चा आप नहीं कराते ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, इस पर चर्चा आप करा दें, सत्ता पक्ष के लोगों का नाम आ गया है, इसलिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत माननीय किरन पाल सिंह की सूचना इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्बल वर्ग के लिये बनायी गयी दुकानों के आवंटन में घपला तथा एक मामला हत्या व एस0 पी0 के भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामला नियमों के अनुसार ग्राह्य नहीं किया गया है।

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, पानी और बिजली की सही व्यवस्था न होने के कारण ...

श्री राम गोविन्द चौधरी---

मान्यवर, हमारे वाले मामले पर आपने निर्णय क्या दिया है, उसे बता तो दीजिये, यहां शोर में सुनाई नहीं दिया है ।

इतना बोल देने पर क्या आपको पाप लग रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

रामगोविन्द चौधरी साहब आपको क्या परेशानी है, बैठ जाइए।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मेरे मामले पर कम से कम वक्तव्य करा दीजिए, बहुत गम्भीर मामला है, दो हरिजनों को यह लोग मारकर-नोचकर खा गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं ।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं भी तो कुछ कह रहा हूं, जांच से कोई काम नहीं चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इतना गम्भीर आरोप हमने लगाया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आरोप किसने लगाये हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने आरोप लगाये हैं ।

(शोर)

(श्री किरनपाल सिंह और फिर श्री रामगोविन्द चौधरी भी सदन में फ्लोर पर आकर नारा लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष--

यह-यह क्या कर रहे हैं, आप लोग, वहां से भी तो बात कर सकते हैं, यहां आने की क्या जरूरत है और यहां खड़े होंगे तो क्या वक्तव्य स्वीकार हो जायेगा ? यह तो आप लोग मेरे निर्णय पर आपत्ति कर रहे हैं, यहां पर आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, पहले अपने स्थानों पर जाइए ।

(व्यवधान के मध्य)

मेरे निर्णय के बाद आप सदन के फ्लोर पर आकर क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

आप डांटते क्यों हैं सबको ?

(श्री मैनेजर सिंह एवं श्री गौरी शंकर मइया के प्रयास से श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री किरनपाल सिंह सदन के फ्लोर से वापस चले गये)

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे निर्णय के बाद क्या आपको सदन के फ्लोर पर आना चाहिए था ?

श्री किरनपाल सिंह--

मुझे यहां पर नहीं आना चाहिए था, तो क्या आपकी सीट पर आना चाहिए था ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप यहां पर आना चाहते हैं, तो आप आ जाइये । यहां पर आ जाइये ।

श्री किरनपाल सिंह--

मुझे बहुत अफसोस है, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता था ।

श्री किरनपाल सिंह--

आप इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लीजिए। मान्यवर, आप गुस्सा न करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इलाहाबाद में क्वार्टरों के

घांधली का सवाल उठाया था । हरिजनों एवं निर्बल वर्ग के लिए आरक्षित क्वार्टर के आवंटन का मामला था उसमें केन्द्रीय मंत्री का परिवार ने अपने लिए आवंटन करा लिया है । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने सवाल उठाया है वह आई० ए० एस० अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में है । इसे मान्यवर, वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें, इससे क्या आपका बिगड़ जाता है ? मान्यवर, अगर कोई माननीय सदस्य गुस्से में बोलते हैं और आप भी गुस्से में बोलने लगते हैं तो इससे और भी समय लग जाता है । मान्यवर, आप कम बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं, मैं तो कभी भी जिन्दगी में यहां वेल पर नहीं गया हूं । जो मैंने तथा माननीय सत्य प्रकाश विकल और माननीय किरनपाल सिंह ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है, जिसके सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने, अन्य माननीय नेताओं ने विचार व्यक्त किया, अगर उसके सम्बन्ध में वक्तव्य नहीं आया तो पूरे प्रदेश से जो भ्रांति पैदा हो गयी है, उसका निराकरण कैसे होगा ? जांच करना होगा, तो एक पक्षीय होगी, क्योंकि केन्द्रीय मंत्री ने अपने पति, पुत्र तथा अपनी पुत्र–वधू के निहित स्वार्थों की पूर्ति के नाम पर हरिजनों के हित पर हमला किया । इसलिए मान्यवर, इस पर वक्तव्य अवश्य दिला दें । मान्यवर, चाहिए था तो यह कि इस पर चर्चा होती लेकिन वक्तव्य ही मान्यवर, दिला दें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, गुप्ता जी कई बार कह चुके हैं ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, जो 22 परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकते थे, जो सरकार की बीस सूत्रीय कार्यक्रम है, उसी के तहत उसको वंचित कर दिया गया, इस पर मान्यवर, पुनर्विचार कर लें । इसमें कोई जिद वाली बात नहीं है, न आपकी तरफ से और न हमारी तरफ से । इसे मान्यवर, वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री कमलेश कुमार पाठक के बारे में जो निर्णय आज दिया है. . . . ।

(व्यवधान)

आप सुन तो लें. . . . ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा आपने यहां कराई नहीं, ग्राह्यता पर सुना ही नहीं और उस पर चर्चा स्वीकार कर ली, वह कौन सा कारण था ?

श्री हुकुम सिंह—

मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी की बात से अपने को सम्बद्ध करता हूं । इसके लिए आप बधाई के पात्र वास्तव में हैं, जो दिशा निर्देश आपने दिया है । परसों अस्वीकृत किया, कल अस्वीकृत किया और आज स्वीकार कर दिया । मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लें तब कुछ कहें ? उसमें ऐसा था कि सरकार को निर्देश दिया गया था ।

श्री हुकुम सिंह—

आप क्यों बता रहे हैं । आप बतायेंगे तो मामला और नीचे हो जायेगा ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा और बैठूंगा भी नहीं । इतना महत्वपूर्ण विषय है हमारा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं खड़ा रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, खड़े रहिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह खड़े रहेंगे तो सदन कैसे चलेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[× × ×] मैं बिलकुल नहीं बैठूंगा। आप निकलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरा क्या नुकसान करेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आप गुस्सा दिखाते हैं । आपसे ज्यादा गुस्सा हम लोगों को आता है । आपकी नीति में देख रहा हूं । आप बोलिये देखें कैसे बोलते हैं आप ।

श्री उपाध्यक्ष—

चौधरी जी जनता आपको भी कहेगी । जनता आपको बख्शने वाली नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस तरह से सदन नहीं चलेगा । आप किसी की नहीं सुनते हैं स्वयं बोलते रहते हैं । मेरा निवेदन है कि कौन सा पहाड़ फट जायेगा सरकार गिर जायेगी या आपकी कुर्सी हिल जायगी, अगर आप वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लेंगे । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वेला में नहीं जाता लेकिन मैं सदन में बैठना गुनाह समझूंगा अगर आप वक्तव्य नहीं दिलायेंगे । अगर आप वक्तव्य नहीं दिलायेंगे तो हम लोग वाक आउट करेंगे, सदन का परित्याग करेंगे ।

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)—

यह कौन सी नई बात है ?

श्री मैनेजर सिंह—

चलाइये सदन हम सब लोग खड़े रहेंगे । आप हमको इंगित करें । दो दिन के लड़के सरकार चलायेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[× × ×] हमको निकालवाइये ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप सरकार के एजेन्ट नहीं हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुये निर्णय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप लोग बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो निर्णय कैसे दे दूं ?

श्री मैनेजर सिंह—

12 आई० ए० एस० अफसर और चन्द मन्त्री सरकारी भूमि पर डाका डाले और हम बर्दाश्त करेंगे । आप वक्तव्य नहीं दिलवायेंगे ।

श्री कल्याण सिंह—

हमारा कहना यह है कि पूरे विपक्ष की भावना यह है कि इलाहाबाद में जो 22 दुकानों के अवैध आवंटन का मामला है, केन्द्रीय मन्त्री ने पद का दुरुपयोग किया है, तथ्य सामने है, सरकार ने कहा जांच करा लेंगे, वक्तव्य दिला देंगे तो कौन सी सरकार गिर जायेगी । आप वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि निर्णय में कोई दिक्कत नहीं है । वक्तव्य में परेशानी

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नहीं है । दिक्कत यह है कि जब हम बोलने लगते हैं, कोई न कोई खड़ा हो जाता है । आप लोग गुस्से में रहते हैं और कहते हैं कि मैं गुस्से में रहता हूं । एक की जगह 4-5 खड़े हो जाते हैं । मैं इलाहाबाद वाले मामले पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

हमारे वाले का क्या हुआ ? 12 आई० ए० एस० फंस रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

जहां इतनी उदारता दिखाई है, जो बाकी हो वह भी हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

चलिये आपकी सूचना के विषय पर भी वक्तव्य हो जाय ।

(परिवहन मन्त्री डाक्टर संजय सिंह को पुकारे जाने पर)

[इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुये

श्री अर्जुन सिंह यादव—

मान्यवर, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है । हमारे यहां नौपेड़वा बटाऊबीर मार्ग पर पीली नदी पर एक पुल के लिये सम्पर्क मार्ग हेतु एक सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही है । क्षेत्रीय जनता की मांग है कि वह सड़क नदी के दक्षिण तरफ लगभग 900 मीटर पुरानी सड़क से ही बने । लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग नये रास्ते से सम्पर्क मार्ग बनवाना आरम्भ कर दिये हैं । कोई सर्वे कराया नहीं गया । इससे खेती योग्य भूमि का नुकसान हो रहा है । कहते हैं कि मुआवजा दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप मेरी बात को ध्यान से सुनें । अभी अर्थ स्थगन प्रस्ताव की मदों पर माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी और उसके बाद माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बोलने के लिये कहा । इसलिये मेरे लिये यह कठिन है कि किसी भी कार्य स्थगन के मामले पर कोई व्यवस्था दूं । लेकिन जो आपका विषय है, मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में आप एक याचिका दे दीजिये । यह मामला याचिका समिति को संदर्भित हो जायेगा ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

मान्यवर, इनके अधिकारी 11 माह तक बैठे रहते हैं और मार्च में काम होता है । इस महीने में सड़क बनवा रहे हैं । इसके लिये हमने लिखा, डी० एम० ने लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है । दो दिन में सड़क बनवा देंगे । गांव वाले फौजदारी के लिये तैयार हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह बात शासन के संज्ञान में आ गयी है ।

परिवहन मन्त्री डा० संजय सिंह

को शिक्षा के अनुदानों को

प्रस्तुत करने के लिए

पुकारे जाने पर

आपत्ति

(परिवहन मन्त्री डाक्टर संजय सिंह को पुनः पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर भइया---

श्रीमन, एक महत्वपूर्ण बजट पेश होने जा रहा है । इसमें माननीय परिवहन मन्त्री जी के खड़े होने पर मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । आप देख लें कि ठीक इनके पीछे शिक्षा राज्य मन्त्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री जी बैठे हैं, आज शिक्षा का बजट है । ये उसके भारसाधक मन्त्री हैं । इनके बड़े वाले

मन्त्री बीमार हैं तो छोटे वाले मन्त्री को बजट पेश करना चाहिये। क्या इस विभाग के जो मन्त्री हैं, उन्होंने लिखकर दे दिया है कि वे बजट पेश करने के लिये अयोग्य हैं? इसलिये परिवहन मन्त्री बजट पेश कर दें। अगर लिख कर नहीं दिया है और अयोग्यता जाहिर नहीं की है तो जो भारसाधक मन्त्री यहां पर मौजूद हैं, उनको बजट पेश करना चाहिये, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, हरिजन उत्पीड़न पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस सदन में भी हो रहा है। हमारे शिक्षा राज्य मन्त्री श्री शास्त्री बेचारे हरिजन नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे और बड़ा हरिजन उत्पीड़न क्या होगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तक जितने बजट प्रस्तुत दिये गये, सभी विभागों के राज्य मन्त्रियों ने बजट प्रस्तुत किये। जब यह बात उठायी गयी कि कैबिनेट स्तर के मन्त्री को बजट प्रस्तुत करना चाहिये जो बाद में उत्तर भी दे सके तो उस बात पर विचार नहीं किया गया। अब यहां पर भारसाधक शिक्षा मन्त्री मौजूद हैं तो फिर परिवहन मन्त्री से बजट क्यों प्रस्तुत कराया जा रहा है?

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, यहां पर माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री जो बैठे हुये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने मान्यवर इस प्रदेश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचायी है रामायण के मामले में। मैं नहीं चाहता कि ऐसे शिक्षा मन्त्री, जिन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, वह शिक्षा जैसे बजट को पेश करें। क्या वह यह बजट पेश कर सकते हैं?

श्री गौरी शंकर भइया--

आपने मेरे प्रश्न पर कोई व्यवस्था दी ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें।

श्री गौरी शंकर भइया--

किन-किन परिस्थितियों में दूसरे मन्त्री किसी बजट को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसपर आपकी व्यवस्था आनी चाहिये।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें।

जो माननीय गौरी शंकर भइया व अन्य सदस्यों ने प्रश्न उठाया है, उसमें मैं यह कहना चाहता हूं दो बातों की ओर सबको ध्यान देना चाहिये। कुछ मामले होते हैं विधिक और दूसरे होते हैं औचित्य के।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, आप मेरी भी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

कुशवाहा जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, यह ठीक नहीं है, आप बैठें। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो औचित्य की दृष्टि से, प्रोप्राइटी की दृष्टि से अच्छे नहीं लगें लेकिन प्रोपाइटी कानून के ऊपर नहीं है। हमको विधिक स्थिति को भी देखना चाहिये। मन्त्रि मंडल का संयुक्त उत्तर दायित्व है। शिक्षा राज्य मन्त्री यहां विराजमान हैं वह अगर बजट प्रस्तुत करते तो यह बात समझ में आ सकती है कि पूरे शिक्षा विभाग का काम वह देख रहे हैं। लेकिन, जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है, मुख्य मन्त्री को यह पूरा-पूरा अधिकार

है कि वह संयुक्त उत्तरदायित्व की दृष्टि से किसी भी बजट को किसी भी अपने सहयोगी को पेश करने के लिये अधिकृत कर सकते हैं ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, यदि आप यहां पर बैठे होते, तो क्या इस तरह का प्रश्न न उठाते ।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय मैं अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हूं, मुझे अपने विवेक से कोई फैसला देना है, निर्णय देना है । अब जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है, मेरे सामने एक पत्रावली रखी है जिसमें माननीय सिद्धे रजी ने इस बात के लिये अपनी ओर से परिवहन मन्त्री जी को अधिकृत किया है । माननीय परिवहन मन्त्री शिक्षा विभाग का बजट पेश करने के लिये विधिक दृष्टि से पूरी तरह से सक्षम हैं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

आज शिक्षा का महत्वपूर्ण बजट है, मेरी घड़ी की तरफ नजर है । समय की दृष्टि से माननीय शिक्षा मन्त्री और जो कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे, वही बोल सकेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, समय बढ़ा दीजियेगा ताकि सबको थोड़ा-थोड़ा समय मिल सके ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

माननीय संकठा प्रसाद शास्त्री जी ने रामायण को अपशब्द कहे, इनको सदन के बाहर कर दिया जाय । रामायण ऐसे पवित्र धार्मिक ग्रन्थ को इन्होंने अपशब्द कहे हैं, इनको सदन में बैठने का अधिकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

अध्यक्ष को, यहां से बैठकर उस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि किसी सदस्य को सदन के बाहर कर दे । सदन की सदस्यता से किसी को पृथक करने का अधिकार हमें नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

माननीय, विधान सभा की कार्यवाही 13 मार्च, 1956 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह व्यवस्था चाहता हूं कि उस समय श्री नारायण दत्त तिवारी विपक्ष में बैठे थे । और माननीय, जब उन्होंने इस पर अध्यक्ष से व्यवस्था मांगी तो अध्यक्ष ने उस समय व्यवस्था दी थी कि अन्तिम उत्तर सम्बन्धित मन्त्री ही देंगे चाहे राज्य मन्त्री हों चाहे कैबिनेट मन्त्री हों । सम्बन्धित विभाग के मन्त्री होंगे इसलिए मेरा निवेदन यह है कि बजट को भले ही डा0 संजय सिंह जी प्रस्तुत कर लें लेकिन अन्तिम उत्तर विभाग के मन्त्री ही दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, मैंने भी पहले यह प्रश्न उठाया था और उस पर निर्णय हुआ था कि जो भी राज्य मन्त्री होगा वह उस विभाग का मन्त्री माना जायेगा ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय, क्या व्यवस्था पर व्यवस्था चलेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो बात रखी है उसे मैंने ध्यान से सुना इसलिए मैं उन्हें और पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ से यह भी निर्णय हुये हैं कि जो भी बजट प्रस्तुत करेगा वही उत्तर देगा । अगर माननीय संजय सिंह जी बजट

प्रस्तुत करते हैं तो उनको उत्तर देने का दायित्व होगा । उनसे भिन्न कोई व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता है ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

मान्यवर, मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपने मेरे मामले पर क्या निर्देश दिये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपके मामले में यह निर्देश दिया है कि शासन माननीय सदस्य के मामले पर ध्यान दें । व्यक्तिगत कैपेसिटी के आधार पर मैंने माननीय सदस्य को यह भी सुझाव दिया है कि वह इसके ऊपर याचिका दे दें । क्योंकि कार्यस्थगन के रूप में तो इसे अस्वीकार कर दिया गया है दुबारा इसको कार्य स्थगन में उठाया भी नहीं जा सकता है ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

मान्यवर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इस लिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री अर्जुन सिंह यादव सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य गये हैं । अपने क्षेत्र की समस्या की गंभीरता पर बल दे रहे थे । मैंने उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है अगर माननीय सदस्य ने इसे हल्के फुल्के ढंग से लिया है तो बड़ा अफसोस है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[3 बज कर 48 मिनट]

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा, अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) अनुदान संख्या 64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

*परिवहन मन्त्री (डाक्टर संजय सिंह)--

मान्यवर, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बजट रखने का अवसर दिया है इसलिये मैं आप सब साथियों का आभारी हूं कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा तो, जल्दी नहीं तो थोडी देर में समझा ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 71,31,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होन वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,91,73,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,01,93,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,44,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,70,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

इस बजट के सम्बन्ध में आपके माध्यम से दो शब्द कहना चाहूंगा ।

शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तं
ज्योतिषांगण,
छन्दो विरचिति रित्येतैः षड्ंगो
वेद उच्यते ।

प्राचीन काल में शिक्षा शब्द का अर्थ वेदांगों में किसी शास्त्र विशेष से लिया जाता रहा है । कालान्तर में इसे वृहद अर्थों में लिया जाने लगा । किसी कार्य को करने योग्य होने की इच्छा भी इसमें है ।

सदन के माध्यम से सदस्यों के माध्यम से इस विषय में बहुत लम्बी लम्बी चर्चायें और सुझाव इसके बारे में उनके तमाम सारे सुझाव सुनने में आते रहे हैं और आज के इस परिवेक्ष्य में इस युग में जिस हिसाब से जितनी आवश्यकता इस विषय की है, इस विभाग की है यह सबके सोचने और समझने की बात है ।

जहां शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक विकास से भी इसका सम्बन्ध है । इसे मानवीय स्रोत का सबसे बड़ा साधन माना जा सकता है । व्यावसायिक दृष्टि से इसे "मदर इण्डस्ट्री" भी कह सकते हैं । इस लिए कि जो भी व्यक्ति तैयार होता है, उसका सारा कार्य इस विभाग की जिम्मेदारी है । आज जो सबसे अहम् प्रश्न है, इसमें दो दिशाओं में काम करना है । एक तो शिक्षा विभाग के माध्यम से, तमाम सारे स्रोतों के माध्यम से हमारे जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, कालेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको सुविधा में विस्तार करना होगा और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज जो भी हम कर रहे हैं, इसके गुणात्मक विकास के लिए काम करना पड़ेगा । एक प्रशंसा की बात कहना चाहता हूं कि भले ही आज जो संसाधन हैं वह देखने में तो लगता है कि लगभग 800 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं लेकिन अगर देखा जाय कि हर प्रदेशों में जिस हिसाब से खर्च हो रहा है, हमारे प्रदेश में जो व्यवस्था है, एक विद्यार्थी के ऊपर प्रतिवर्ष 52·41 रु0 का एवरेज आता है । तमाम सदस्यों के माध्यम से इसी सदन में बहुत से सवालों के माध्यम से यह सुनने में आता रहा है कि जो भी इस सेक्टर में खर्च करते हैं, उस हिसाब से लगता है कि आज जो सबसे अहम् अंग है प्राथमिक

शिक्षा, कई बार इसके बारे में सवाल का जवाब भी दिया है कि कभी किसी सेक्टर के लिये कुछ निश्चय होता है और बाद में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अबकी बार जो बजट प्रस्तुत किया है, 5 सेक्टर किये गये हैं शिक्षा के। विभिन्न सेक्टरों के लिये वर्ष 1986-87 में कुल रु0 7,76,33,66,000 की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा का बजट पांच सेक्टरों में बांटा गया है।

ये पांच सेक्टर हैं--उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण। शिक्षा के बजट का सबसे बड़ा भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय होगा जो 51.8 प्रतिशत है। माध्यमिक शिक्षा हेतु 37.5 प्रतिशत और उच्च शिक्षा हेतु 9.2 प्रतिशत की व्यवस्था बजट में की गयी है। प्रौढ़ शिक्षा और शैक्षिक, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण हेतु बजट में 1.5 प्रतिशत की व्यवस्था है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया यह सारी व्यवस्था इसलिये की गयी है कि भविष्य में जिस हेड के लिये जो पैसा है, वह उस हेड ही में खर्च किया जायेगा।

लगभग 776.34 करोड़ के बजट में 727.02 करोड़ आयोजनेतर पक्ष में और 49.32 करोड़ आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित है। शिक्षा के लिये प्रस्तावित धनराशि सम्पूर्ण राजस्व लेखे का 18.8 प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्र का आयोजनागत प्रविधान मिला देने पर यह प्रतिशत 19.1 हो जाता है।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हमारा संवैधानिक दायित्व है। इसके अन्तर्गत 6-14 वय वर्ष सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लाया जाना है। इस हेतु हमारा लक्ष्य है 300 की आबादी और 1.5 किलो मीटर की परिधि में प्राइमरी स्कूल खोला जाना। पर्वतीय क्षेत्र में यह परिधि 1 किलो मीटर है। वर्ष 1986-87 में पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 279 प्राइमरी स्कूल खोलने का लक्ष्य है।

मिडिल स्तर पर वर्ष 1986-87 में इसी प्रकार पूरे प्रदेश में 95 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है।

इस समय प्रदेश में प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर क्रमशः 18857 तथा 2710 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं। इनका निर्माण क्रमशः हो कराया जा सकता है। वर्ष 1985-86 में 575 प्राइमरी तथा 212 भवनहीन सीनियर बेसिक स्कूलों के भवनों का निर्माण कराये जाने की व्यवस्था है और वर्ष 1986-87 में 1017 प्राइमरी तथा 289 सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण का लक्ष्य है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में उर्दू विषय के अध्यापन हेतु गत वर्ष (1984-85 में) 5000 पद सृजित किये गये तथा संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु भी 1000 पद सृजित किये गये। इसमें हम आगे निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रदेश में अगले शैक्षिक सत्र में नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल हमें जिस स्तर तक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा देनी चाहिए थी उसमें सुस्ती रही, अब इस ओर तेजी से विचार किया जा रहा है। आप यहां देखते हैं रोज ही किसी न किसी बात पर या प्रश्नों के द्वारा या शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं। इसमें यदि गौर से देखा जाय तो हर एक चीज के पीछे यह समझ में आता है कि सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यह रही है कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का अभाव रहा है, किस तरह से शिष्टाचार हो, यह विद्यालय में सिखाया जाना जरूरी है। किस तरह से व्यवहार करें और किस प्रकार से अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, इसमें बहुत सारी कमजोरियां देखी गयी हैं इसीलिये मान्यवर, नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अगले शैक्षिक सत्र से लागू

किया जायेगा । इस हेतु कक्षा 6, 7 व 8 की पाठ्य पुस्तकों के संशोधन/पुनर्लेखन आदि की कार्यवाही की जा रही है । प्रत्येक दीक्षा विद्यालय के 3 शैक्षिक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य हो चुका है । हम विभिन्न स्तरों के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिये व्यवस्था कर रहे हैं और जुलाई से सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जायेगी । सभी जूनियर हाई स्कूलों के एक-एक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की जूनियर कक्षाओं के एक-एक शिक्षक के प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभिन्न जनपदों के 121 दीक्षा विद्यालयों में चल रहा है वर्ष 1986-87 में उक्त प्रशिक्षण प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को भी देने की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में अब्राहम लिंकन ने जो विचार व्यक्त किये थे, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, यह अंग्रेजी में है, मैं इसका हिन्दी रूपान्तर बाद में कर दूंगा ।

वी विल हैव टू लर्न, आई नो, दैट आल मेन आर नाट जस्ट, आल मेन आर नाट ट्रू, बट टीच हिम आल्सो दैट फार एवरी स्काउन्ड्रल देयर इज ए हीरो, दैट फार एवरी सेल्फिश पालि-टीशियन, वेयर इज ए डेडीकेटेड लीडर, टीच हिम दैट फार एवरी एनमी देयर इज ए फ्रेन्ड, आई विल टेक टाइम, आई नो बट टीच हिम, इफ यू कैन, दैट ए डालर एर्नीडिस आफ फार मोर वैल्यू दैन फाइव फाउन्ड, टीच हिम टू लर्न टू लास एण्ड आल्सो टू एन्जवाय विनिंग, स्टियर हिम अवे फ्राम एन्वी, इफ यू कैन टीच हिम दि सेक्रेट आफ क्वाइट लाइटर, लेट हिम लर्न एर्ली दैट बल्लीज आर दि इजिएस्ट टू लिक टीच हिम, इफ यू कैन, दि वण्डर आफ बुक्स बट आल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पान्डर दि एटर्नल मिस्टरी आफ बर्ड्स इन दि स्काई, बीज इन दि सन, एण्ड फ्लावर्स आन दि ग्रीन हिलसाइड"

"इन स्कूल टीच हिम इट इज फार मोर आनरेबिल टू फैल दैन टू चीट... टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज, इविन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रांग....टीच हिम टू बी जेन्टिल विथ पिपुल, एण्ड, टफ विथ दि टफ ट्राइ टू गिव माई सन दि स्ट्रेन्थ नाट टू फालो दि क्राउड हेन एवरीवन इज गेदिंग आन दि बेन्ड वेगन टीच हिम टू लिसन टू आल मेन...बट टीच हिम आल्सो टू फिल्टर आल ही हियर्स आन ए स्क्रीन आफ ट्रुथ टेक ओनली दि गुड दैट कम्स यू"

"टीच हिम, इफ यू कैन, हाऊ टू लाफ वेन ही इज सैड टीच हिम देयर इस नो शेम इन टियर्स टीच हिम टू स्कार्फ एट साइनिक्स एन्ड टू बीवेयर आफ टू मच स्वीटनेस टीच हिम टू सेल हिज ब्रेन टू दि हाइएस्ट विडर्स, बट नेवर टू पुट ए प्राइस टैग आन हिज हर्ट एन्ड सोल टीच हिम टू क्लोज हिज इयर्स टू ए हाउलिंग मोब एन्ड टू स्टैण्ड एण्ड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट"

ट्रीट हिम जेन्टली, बट डू नाट कडिल हिम, विकाज ओनली दि टेस्ट आफ फायर मेक्स फाइन स्टील, लेट हिम हैव दि करेज टू बी इम्पेसेन्ट लेट हिम हैव दि पेसेन्स टू बी ब्रेव टीच हिम टू आलवेज हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइन्ड"

"दिस इज ए बिग आर्डर, बट सी वहाट यू कैन डू ही इज सच ए फाइन लिटिल फेलो, माइ सन"

"मैं जानता हूं उसे यह समझना होगा कि सभी मनुष्य न्यायी नहीं होते, सभी मनुष्य सच्चे नहीं होते । परन्तु आप उसे यह समझायें कि दुष्टों के प्रतिरोध के लिए शूरवीर भी होते हैं और स्वार्थी राजनीतिज्ञ के होते हुए जनकल्याण के लिए समर्पित नेता भी... उसे यह बोध करायें कि यदि शत्रु होते हैं तो वहीं मित्र भी होते हैं । मैं जानता हूं कि यह कार्य समय-साध्य है किन्तु यदि आप समझा सकें तो उसे अवश्य समझायें कि कमाये हुए एक डालर पाये गये पांच की तुलना में कहीं

अधिक महत्वपूर्ण है ।....उसे आप खेल भावना से हारना सिखायें...और विजयी होने का आनन्द लेना भी सिखायें । उसे ईर्ष्या से दूर ले जायें । यदि हो सके तो उसे मूक हास्य का रहस्य सिखायें । उसे यह शीघ्र समझ लेने दें कि प्रताड़ित करने वालों का मुकाबला सबसे आसान होता है....यदि हो सके तो उसे पुस्तकों का चमत्कार समझायें....परन्तु आप उसे शान्तचित्त होकर आकाश में पक्षियों, धूप में मधुमक्खियों और हरे-भरे पर्वतों पर रंग-बिरंगे पुष्पों का शाश्वत रहस्य पर मनन करने का भी अवसर दें ।

विद्यालय में उसको यह भी समझाये कि धोखा देने की तुलना में असफल होना कहीं अधिक सम्मानजनक है ।...उसे अपने विचारों पर विश्वास रखने की सीख दें चाहे और कोई उसके विचारों को गलत ही क्यों न कहे । उसे भद्रजनों साथ भद्र तथा उद्दण्ड व्यक्तियों के साथ कठोर बनना सिखायें । मेरे पुत्र में ऐसी दृढ़ता विकसित करने का प्रयास करें कि वह उस समय समूह का अनुकरण न करें, जब सब हाँ में हाँ मिलाने की होड़ कर रहे हों । उसे सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनने की शिक्षा दें परन्तु उसको यह भी सिखायें कि जो कुछ वह सुनता है उसे सत्य की कसौटी पर कसकर देखें और उसमें जो कुछ अच्छा लगे उसे ही ग्रहण करें ।...

....यदि हो सके तो उसे यह सिखायें कि विषाद के क्षणों में मुस्कराया कैसे जाता है.....उसे यह समझायें कि आंखों में आंसू भरना लज्जा की बात नहीं है । उसे विश्वासहीन व्यक्तियों की उपेक्षा करना सिखायें तथा अत्यधिक मधुरता से सावधान रहना भी सिखायें । उसे यह शिक्षा दें कि वह अपना मस्तिष्क तो सबसे ऊंचे दाम देने वाले के हवाले करे लेकिन अपनी आत्मा और विश्वासों के दाम न लगायें । उसे चीखने और चिल्लाने वाली उग्र भीड़ की ओर से कान बन्द रखना सिखायें और यदि वह अपने पक्ष सही मानता है तो उसी पर दृढ़ रहकर संघर्ष करने की भी उसे शिक्षा दें ।

उसके साथ सौम्य व्यवहार तो करें किन्तु उसे गले न लगायें क्योंकि केवल अग्नि परीक्षा से ही उत्तम फौलाद निर्मित होता है । उसमें अधीर होने का साहस विकसित होने दें और साहसी बनने का धैर्य भी । उसे मानव जाति में परम विश्वास रखने की शिक्षा दें ।

यह बहुत बड़ी अपेक्षा है परन्तु सोचें कि आप क्या कर सकते हैं....। वह ऐसा प्यारा बच्चा है, मेरा पुत्र।"

मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से, आपके माध्यम से इस माननीय सदन को यह बताने की कोशिश करता हूं कि आज नैतिक शिक्षा की कितनी आवश्यकता है । आज हर जगह यह देखने को मिलता है तमाम सारी अनियमिततायें तमाम सारे अत्याचार, तमाम सारे भ्रष्टाचार और बहुत सारी बातें जो आप सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं । मेरी समझ में यह निष्कर्ष निकलता है कि आज कितनी महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा है । मान्यवर, आज इसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस विभाग के माध्यम से । अपने छोटे-छोटे बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूलों में विशेषकर हैं, उनको यह सिखाने की आवश्यकता है कि आज वह किस देश के नागरिक हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और प्रदेश के प्रति । इसलिए हम यह तमाम सारा प्रयास कर रहे हैं । हमें प्रसन्नता है कि प्रदेश में इस समय 5712 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं । विकास की दृष्टि से नये विद्यालयों को खोलने या नई मान्यता प्रदान करने हेतु हमें सुनियोजित नीति अपनानी होगी । आप लोग कई बार इसके बारे में कहते हैं । बहुत सारी बातें मान्यता के सम्बन्ध में रोजाना आ रही हैं कि किसी तरह से मान्यता के बारे में सरकार की तरफ से

कोई बात आये । माननीय विरोध पक्ष की तरफ से, माननीय शासक दल की तरफ से कई बार विधायकों ने इसके बारे में चर्चा की कि जहां पर संसाधन न हों वहां मान्यता देते हैं तो सरकार का इसमें रुख स्पष्ट होना चाहिए तो इसके बारे में हम विशेष प्रयास कर रहे हैं । वित्त विहीन मान्यता की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत मैनेजमेन्ट के खर्चे पर अध्यापकों की अंशकालिक नियुक्ति की जा सके इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं । आज यह देखना है कि खास तौर से जो बेसिक स्तर पर जो विद्यालय है उसका ठीक से संचालन हो और उसके माध्यम से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके । नये स्कूलों को खोलने की जो बात है उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं ।

मान्यवर, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में भी बहुत बड़ी समस्यायें हैं । कई जगहों से मांग आती है कि तहसील स्तर पर कन्याओं के लिए विद्यालय नहीं हैं । उसके बारे में हम लोग यह विचार कर रहे हैं कि जहां पर भी कोई माननीय सदस्य या कोई भी इच्छा व्यक्त करेगा और उससे लिए उपयुक्त भवन और जमीन की व्यवस्था करेगा, वहां पर तहसील स्तर पर भी कन्याओं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति दी जायेगी । मान्यवर, आज बालिकाओं का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है । विवेकानन्द जो कि एक बहुत बड़े महापुरुष हुये हैं इन्होंने कहा है कि जिस तरह से पंछी एक पंख से उड़ नहीं सकता है उसी तरह से हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था देखनी पड़ेगी और बालिकाओं की शिक्षा के माध्यम से हम उसे पूरा कर सकते हैं । मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत सन् 1985–86 में 12 राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने के आदेश दे दिये गये हैं और 1986–87 में हमारा 8 कन्या हाई स्कूल खोलने का लक्ष्य है । साथ ही जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि अगर कहीं उपयुक्त बिल्डिंग और जमीन की व्यवस्था कर दी जायेगी तो तहसील स्तर पर भी कन्या विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी जायेगी । आज यह देखने में आता है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ने के पश्चात् तमाम डिग्री और डिप्लोमा लेकर निकलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रोजगार की समस्या रहती है । यह और भी भयावह स्थिति है और विशेष कर ग्रामीण अंचलों में जो विद्यार्थी निकलते हैं वे शहरों की तरफ भागते हैं और कोई भी नौकरी के लिए इच्छुक रहते हैं ।

मान्यवर, आपने स्वयं अनुभव किया होगा और माननीय सदस्य भी अनुभव करते होंगे कि 10/15 साल पहिले गांवों में बहुत सारे लोग कुटीर उद्योग और अन्य कार्य करने वाले उपलब्ध रहते थे लेकिन आज अब किसी को कोई फर्नीचर की आवश्यकता होती है और कोई छोटे मोटे काम पड़ता है तो उसको शहर की तरफ भागना पड़ता है । इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये आज की व्यापक बेरोजगारी का समाधान शिक्षा को व्यावसायोन्मुख करने में निहित है । इस वर्ष इन्टर-मीडिएट स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तगत सर्वप्रथम वाणिज्य वर्ग की 8 धाराओं में पूर्ण पाठ्यक्रम लागू करने पर विचार कर 50 विद्यालयों को इस हेतु चयन किया गया है । व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के बाद कृषि, गृह विज्ञान तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लागू करने पर विचार किया जायेगा । मान्यवर, अगले वर्ष 200 नये विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी और इससे समस्या का हल हो सकेगा ।

मान्यवर, इसके अलावा पत्राचार सम्पर्क योजना लागू की जा रही है । अग्रगामी परियोजना के रूप में अगले वर्ष से प्रदेश के जनपद मुख्यालय पर अवस्थित 97 राजकीय इन्टर कालेजों में पत्राचार शिक्षा संस्थान में पंजीकरण के माध्यम से पत्राचार शिक्षा लागू की जायेगी । इससे जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता था, उन्हें प्रवेश मिल सकेगा और उन्हें इन कालेजों में साहित्यिक, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक

आदि 25 विषयों की शिक्षा दी जायेगी । इस योजना के तहत सायंकालीन शिक्षा द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जायेगी जिससे 1986-87 में 29,100 छात्र लाभान्वित होंगे । इसके अन्तर्गत अध्यापन करने वाले अध्यापकों को 250 रुपये प्रति माह दिया जायेगा और प्रधानाचार्य को 300 रुपये प्रति माह देने का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, इसमें समय निश्चित रहेगा कि कितने बजे से कितने बजे तक शिक्षा दी जायेगी । इसमे बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे ।

मान्यवर, परीक्षाओं में सुधार टास्क फोर्स का व्यवस्था लागू की जा रही है । जिसमें इस समय हाई स्कूल और अगले साल इन्टर की परीक्षा विकेन्द्रित कर दी जायेगी । मान्यवर, वर्ष 1985-86 में शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा व्यवस्था आदि से सम्बन्धित विभिन्न प्रशासकीय एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के निवारण तथा परिषद् के कार्यों में दक्षता और कुशलता लाने के लिए और माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यों में पूर्ण विकेन्द्रीकरण एवं पुनर्गठन करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, टास्क फोर्स की संस्तुतियों के अनुसार परिषद् की विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार की कार्यवाही की जा रही है । इससे परीक्षाओं में जो व्यवस्था होती है उसमें काफी सुधार लाया जा सकेगा । मान्यवर, संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की परीक्षायें एक साथ करने की व्यवस्था हो रही है । वर्ष 1981 की परीक्षा से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की परीक्षाओं को संस्थागत परीक्षार्थियों की परीक्षाओं से पृथक किया गया । वर्ष 1985 से पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । वर्ष 1986 से इंटर संस्थागत और इंटर व्यक्तिगत परीक्षायें एक साथ एवं हाई स्कूल संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षायें एक साथ आयोजित की जा रही हैं । जिससे विद्यार्थियों के सामने जो समस्यायें उत्पन्न होती थीं उनका समाधान हो जायेगा ।

आज के इस विकासशील और वैज्ञानिक युग में अध्यापकों द्वारा एक जगह विद्यार्थियों को एक जगह बैठाकर शिक्षा देना संभव नहीं है । और विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये कंप्यूटर लिट्रेसी की एक अग्रगामी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है । विदेशों में भी विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये कंप्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है । इससे विद्यार्थियों को जानकारी हो सकेगी कि आज किस तरह से अपने जीवन में भविष्य को देखते हुए शिक्षा प्राप्त की जाय जो सुविधाजनक हो और कंसोलिडेटेड हो ।

संवाद गोष्ठियां भी शैक्षिक उन्नयन के प्रयासों को गति देने के लिये आयोजित की गयीं । शिक्षा विभाग में पहली बार शिक्षा की तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक संवाद गोष्ठियों की श्रृंखला चलाई गई जिनका मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्र प्रबंधक, अभिभावक, शिक्षक वर्ग तथा अधिकारीगण शिक्षा से बारे में जो सोचते हैं उससे एक दूसरे को अवगत कराकर समस्याओं का समाधान कर सकें ।

कई बार इसी सदन में हमारे माननीय सदस्यों द्वारा नयी शिक्षा नीति के बारे में चर्चा हुई कि इसके बारे में उनको अवगत कराया जाय । जो तमाम सेमीनार के माध्यमों से, मीटिंग्स के माध्यम से निश्चय किया गया है उसमें क्या सलाह भारत सरकार को दी गई है उसके कुछ पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं । आज सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि हम किस तरह बच्चों में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, सामाजिक हित साम्प्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक जीवन शैली तथा पारस्परिक निर्भरता, आदर्श के प्रति आस्थावान हो एवं व्यवहारिक नैतिक शिक्षा प्रदान की जाय ।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण जीवन का विकास हो इसको किस तरह की शिक्षा

पद्धति का समावेश किया जाय कि उसका हर तरह से चरित्रबल बढ़े और उसमें देश प्रेम बढ़े उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तर्कपूर्ण चिंतन क्षमता का विकास हो ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत के मूल्यवान पक्षों को अपना सकें ।

समय समय पर अभिनवीकरण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों का पुनर्बोधन पत्राचार एवं दूरसंचार माध्यमों से किया जाय ।

प्रारम्भिक विद्यालयों के संख्यात्मक विस्तार को सीमित कर पहले से स्थापित विद्यालयों का गुणात्मक सुधार किया जाय ।

प्रारम्भिक स्तर के शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाय । सामुदायिक सौहार्द्रता को बढ़ावा दिया जाय तथा ब्लाक स्तरीय विकास समिति की शिक्षा उप-समिति बनाई जाय ।

मान्यवर, अनौपचारिक शिक्षा में महिला शिक्षा को तीव्र गति से बढ़ाये जाने हेतु अधिकाधिक नये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र महिलाओं और लड़कियों के लिये खोले जायं ।

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा बहुत ही विवादास्पद है । निरक्षरता के कारण जन सामान्य को सामाजिक विकास का वास्तविक दर्शन कराना सम्भव नहीं है । जन सामान्य का अंधविश्वासों से ग्रस्त, अकर्मण्यता से मुक्ति दिलाने के लिये व्यापक स्तर पर साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा के रूप में चलाया जाना आवश्यक है ।

प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युवा निर्माण एवं सतत् शिक्षा कहा जाना चाहिये ताकि इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोगों की धारणा को बदला जा सके ।

माध्यमिक स्तर की बालिका शिक्षा का सुनियोजित विस्तार किया जाय । पिछड़े हुए एवं आन्तरिक अंचलों में बालिकाओं के विद्यालय खोले जायं ।

माध्यमिक विद्यालयों के संख्यात्मक विस्तार की अपेक्षा गुणात्मक सुधार किया जाय । 10 प्लस 2 स्तर पर मुक्त विद्यालय (ओपेन स्कूल) चलाये जायं ।

माध्यमिक शिक्षा की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में पत्राचार शिक्षा प्रणाली का विकास एवं विस्तार किया जाये । विद्यार्थियों के बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए द्विपाली योजना आवश्यकतानुसार कुछ विद्यालयों में चलाने की अनुमति दी जाय ।

रोजगारपरक शिक्षा का उद्देश्य छात्र में ऐसे मूल्यों का विकास होना चाहिए जिससे वे वास्तविक लाभ कमाने को व्यवसाय का लक्ष्य मानें जिसके लिए वस्तुओं के निर्माण में लागत को कम करने की दिशा में प्रयत्नशील रहें ।

मान्यवर, व्यवसाय के संचालन में प्रकृति व पर्यावरण को नष्ट न कर कैसे उसकी रक्षा की जाये इस पर भी ध्यान दिया जाये ।

मान्यवर, रोजगारपरक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी में स्वरोजगार को उपयुक्त बनाकर अपने पांव पर खड़ा होने की क्षमता प्रदान की जाये ।

मान्यवर, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सक्षम बनाया जाये । इसके लिये पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश किया जाये जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें जिससे महिलायें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो सकें और गृह संचालन में भी दक्ष हो सकें ।

परीक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार किया जाय तथा सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित किया जाय ।

मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के विस्तार

को सीमित कर इसके गुणात्मक पक्ष का सुदृढ़ीकरण किया जाय । इसके साथ ही उच्च शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो ।

अब मैं अध्यापक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि अध्यापक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था के लिये ऐसे अध्यापकों को तैयार कर सकें जो शैक्षिक चेतना और राष्ट्रीय भावना के प्रति सजग हों तथा विश्वबन्धुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिये प्रतिबद्ध हों ।

अध्यापकों को उनके व्यावसायिक दायित्वों के प्रति समर्पित बनाये रखते हुए नियमित रूप से सेवारत एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये ।

अध्यापक को स्वाध्याय तथा श्रेष्ठता प्राप्ति के प्रति प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ।

मान्यवर, विद्यार्थी के चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में सर्वधर्म समभाव के तत्वों का समावेश विभिन्न पाठ्य विषयों में किया जाये ।

ज्ञान के विकास की तीव्र गति को देखते हुए विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निरन्तर शोध एवं परिमार्जन किया जाय ।

इस प्रकार मैंने जो नई शिक्षा नीति हो उसके कुछ पहलुओं पर निवेदन किया ।

मान्यवर, आज जो तमाम बातें कहीं जाती हैं कि विद्यालयों में राजनीति है, विद्यार्थी राजनीति में घसीटे जाते हैं उसके हिसाब से जो मैंने अंतिम पैरा में निवेदन किया कि आज हमें अध्यापकों में भी ऐसे गुण भरने हैं जो अपने विद्यार्थियों को एक साथ लेकर अपने जीवन में, पाठ्यक्रम में, वह किस तरह उपयोगी बना सकें । इसलिये अध्यापकों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जिससे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में और बल मिल सके । इस योजना में 72 हजार अध्यापक तैयार हो रहे हैं और प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जा रही है । अध्ययन अध्यापक की प्रविधियों में परिवर्तन लाना होगा जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय संस्थानों के सहयोग से पूरे प्रदेश में ग्रीष्मावकाश में अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार की जा रही है । प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन, रिसोर्स पर्सनल का चयन एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है ।

मान्यवर, महाविद्यालयों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु नई योजना प्रस्तावित की गयी है । इसके अन्तर्गत एक मिनी स्टूडियो का निर्माण एवं वीडियो टेप लाइब्रेरी की स्थापना भी शामिल है ।

मान्यवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1985-86 में विकास अनुदान के रूप में जो व्यवस्था की गयी है उसमें 128 लाख उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा है और 30 लाख यू० जी० सी० की तरफ से दिया जा रहा है । साथ ही राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों को 5 लाख का मैचिंग शेयर भी दिया गया है । इस तरह से विश्वविद्यालयों को 168 लाख तथा अशासकीय महाविद्यालयों को 40 लाख दिया गया है ।

मान्यवर, आज इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि आज प्रदेश सरकार शिक्षा जगत में तमाम सारी कमियों को दूर करने की व्यवस्था करने जा रही है । प्रदेश में इनसेट परियोजनान्तर्गत शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम को वृहद् एवं महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत प्रदेश के तीन जनपदों--बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्थित 900 प्राथमिक विद्यालयों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होगा ।

शिक्षा विभाग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से खेलकूद के बारे में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। वैसे मैं स्वयं कहना चाहता हूं कि—इस पक्ष में बहुत सन्तोषजनक कार्य नहीं है, लेकिन मैं निर्देश दे रहा हूं कि इस बारे में थोड़ी चेष्टा की जाए, क्योंकि आजकल खेल बहुत आवश्यक हैं—चाहे वैज्ञानिक तरीके से हो आप देखिये, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें और चाहे आप इनको हर प्रकार के विकास की उपयोगिता की दृष्टि से देखें। अब तक प्राइमरी शिक्षा में इसकी विशेष व्यवस्था नहीं है और इसके बारे में सरकार सोच रही है कि कैसे प्राइमरी स्कूलों में भी खेलकूद का समावेश हो सके। क्योंकि जब तक बच्चे खेल के साथ यह नहीं समझ सकेंगे उनके स्तर को और भी ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। आज बहुत सारी बातें इसी सदन के माध्यम से कही गई हैं। बार-बार इस बात को कहा जाता रहा है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश लेते हैं, वे किसी न किसी कारण से अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते हैं और विशेषकर यह स्थिति प्राइमरी स्कूल के बच्चों को देखने को मिलती है। इसके बारे में हम लोगों में और हमारे अध्यापकों में बहुत चिन्ता है। वह चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे आगे की कक्षाओं में जाएं, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनके लिए भारत सरकार की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा की व्यापक योजना संचालित है और वह अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी दो प्रकार के हैं यानी प्राइमरी स्तर के और मिडिल स्तर के केन्द्र। इनके माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी शिक्षा में यह व्यवस्था हो सके कि उनको रोका जा सके, उनके लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जायं, जिनसे उन्हें आकर्षित किया जा सके। मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार का यह विभाग इस कार्य के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इसके साथ-साथ आज शिक्षा में यह देखने में आता है, बहुत सारी चर्चाएं इस बारे में होती हैं और इसके बारे में समय-समय पर सुझाव भी मिलते हैं और मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रदेश सरकार बहुत जागरूक भी है। प्रदेश सरकार के माध्यम से विभाग बहुत तत्पर है कि किस तरह से उसको और भी ऊंचा बनाया जा सके। और विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के प्रति, विषय के प्रति, समाज और देश के प्रति अग्रसर किया जा सके।

इसके साथ-साथ वक्फ विभाग भी है। इसके अन्तर्गत वसीका, अमानती नोट्स इन्ट्रेस्ट तथा वसीकादार स्कालरशिप फण्ड के लाभार्थियों का भुगतान वसीका कार्यालय, लखनऊ द्वारा किया जाता है तथा इससे सम्बन्धित कुछ कार्य एजेंसी कार्यालय, वाराणसी द्वारा भी होता है। वसीका कार्यालय, लखनऊ राज्य सरकार के अधीन आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ के नियन्त्रण में एक स्वतन्त्र कार्यालय है और एजेंसी कार्यालय, वाराणसी आयुक्त वाराणसी मंडल के नियंत्रणाधीन है। माननीय, इसके बारे में भी कई बार सदस्य बताते रहते हैं, उनकी शिकायतें भी होती हैं। इसमें तमाम सारी गड़बड़ियां होती हैं, उनको ठीक करने का प्रयास हो रहा है। इन कार्यालयों के अधिष्ठान से सम्बन्धित व्यय राज्य सरकार के आय-व्ययक में होता है, परन्तु अन्तोगत्वा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली कुल धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अंशदान के रूप में कर दी जाती है।

अब मैं आपके सामने अवकाफ के प्रबन्ध अथवा प्रशासन के बारे में भी बताना चाहता हूं।

माननीय, प्रदेश में स्थित अवकाफ का प्रशासन/प्रबन्ध सुन्नी और शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस समय प्रदेश में करीब 16,000 सुन्नी तथा 2,400 शिया अवकाफ रजिस्टर्ड हैं। राज्य सरकार अवकाफ प्रशासन सम्बन्धी कोई व्यय वहन नहीं करती है।

माननीय, अवकाफ का सर्वेक्षण कार्य प्रदेश के 35 जिलों में पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य को जून, 1986 तक समाप्त कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है परन्तु कार्य की गति को दृष्टिगत रखते हुये लक्ष्य को प्राप्त करना हालांकि आसान नहीं लगता है। लेकिन अनुमान के अनुसार सर्वेक्षण कार्य मार्च 1987 तक समाप्त कर लिए जाने की आशा है। अनुमान है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने पर एक लाख और पच्चीस हजार नये वक्फ खोज निकाले जायेंगे जिनकी सालाना आमदनी लगभग 2.5 करोड़ रुपये होगी।

मान्यवर, वक्फ सम्पत्तियों के विकास तथा उस पर कामर्शियल काम्पलेक्स आदि बनाए जाने के उद्देश्य से वक्फ विकास निगम स्थापित किए जाने सम्बन्धी कार्य-वाही की जा रही है। नियम के मेमोरेन्डम आफ एशोसिएशन और आर्टिकिल्स आफ एशोसियेशन के अनुमोदित हो जाने के पश्चात निगम को कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, इस तरह से जो शिक्षा विभाग में और शिक्षा जगत में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास हो रहा है। जो हमारी व्यवस्थाये हैं वह चाहे जिस स्तर पर हैं उनको और ज्यादा कन्ट्रोल करने की व्यवस्था हो रही है। मान्यवर, इसी तरह से जो समस्यायें हैं उनको संसाधनों के माध्यम से, विभाग के माध्यम से और ज्यादा मजबूती के साथ हल किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और समाज में जो कठि-नाइयां उसके सामने आती हैं उनका सामना करने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैंने कुछ बातें माननीय सदन के सामने रखी हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जो धनराशि, जो बजट रखा गया है उसको माननीय सदन स्वीकृत करेगा।

धन्यवाद।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, किसी भी व्यक्ति, समूह या समाज के जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं वह सब सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं हैं । एक दूसरे से वह जुड़े हैं । इसी प्रकार से श्रीमन्, जो हमारे सरकार के विभाग हैं, जिनके जरिये से समाज के प्रति शासन के कर्त्तव्यों की पूर्ति की जाती है वह भी एक दूसरे से जुड़े हैं । निरपेक्ष कोई भी विभाग नहीं है । लेकिन श्रीमन्, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो हमारी जिंदगी से हर तरह से जुड़ा हुआ है और जिंदगी के हर पहलू को गहराई से छू रहा है क्योंकि शिक्षा का असर हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है, हम किस प्रकार से अपनी रोजी-रोटी कमाएं और इस बात पर भी असर पड़ता है कि हम किस ढंग से अपनी व्यवस्थाओं को कायम करें। और मान्यवर, यह एक ऐसा विभाग है जिसका प्रभाव हम सब की जिंदगियों से सीधे और हर पहलू से है, उस विभाग की घोर उपेक्षा इस शासन के जरिए से पिछले 40 वर्षों से लगातार होती चली आ रही है और आज भी जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें भी कोई आशा की किरन दिखाई नहीं पड़ती है । और मान्यवर, यही नहीं एक बात मैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बड़ी भयावह स्थिति इस सम्बन्ध में है । विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि 21 वीं सदी अर्थात 2,001 के आने तक तमाम दुनिया के निरक्षरों में से आधे निरक्षर लोग सिर्फ भारत वर्ष में होंगे। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष के कुल निरक्षरों में से 2001 में 1/4 निरक्षर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के होंगे । क्योंकि जो स्थितियां आज उत्पन्न हो रही हैं और जिस प्रकार का शासन कायम हो रहा है, उससे न तो साक्षरता हो रही है और न ही शिक्षा का स्तर सुधर रहा है और न ही आज हम अच्छे नागरिक बन रहे हैं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पूरे भारत वर्ष में आबादी के लिहाज से और बजट के लिहाज से सबसे पहले नम्बर पर आता है, लेकिन आज हमारा स्थान साक्षरता के मामले में 25 वें नम्बर पर है और शिक्षा-साक्षरता की संख्या में 27.16 से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं । यद्यपि हमारी सभी शिक्षाएं कहने के लिए चल ही रही हैं, औपचारिक, अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा आदि सभी चल रही हैं और इस सिलसिले की सारी योजनाएं व परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारी शिक्षा-साक्षरता की संख्या उतनी है, जितनी की पहले थी 27.16, आज भी वही चल रही है । हमारे परिवहन मंत्री जी ने, जिन्होंने यह शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा कि एक ऐसी शिक्षा हो जो लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत कर सके, मजबूत बना सके, साथ ही यह भी कहा कि एक ऐसी शिक्षा हो जो लोगों में भेद-भाव की भावनाओं को दूर कर सके । यह एक बुनियादी बात इन्होंने बताई और शिक्षा के सम्बन्ध में इनके जो कार्यक्रम हैं और जिस प्रकार से शिक्षा यहां दी जा रही है, वह तो इस प्रकार लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को पूरी तरह से निषेध करती है और जो भेद-भाव आज हम दूर करना चाहते हैं और जो बराबरी हम समाज में स्थापित करना चाहते हैं, वह पूरी तरह से इसके विपरीत है । मान्यवर, आप देखें कि हमारी जो आज शिक्षा चल रही है, उस शिक्षा से सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में छोटे

परिवार लगभग 5 लाख और बड़े परिवार 60-70 हजार फायदा उठा रहे हैं । सही मायनों में बड़े परिवार के लोग ही इनको इस शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं, वही लोग प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करते हैं उच्चतर शिक्षा में आते हैं और इन्हीं लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं और हमारी बाकी आबादी जो 97.5 परसेन्ट है वह प्राइमरी शिक्षा में भी पढ़ने नहीं जा पाती है, और अगर प्राइमरी में गई भी तो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाती है और अगर किसी तरह से उच्च शिक्षा ग्रहण भी कर ली तो उसे हासिल कर लेता है, तो प्रतियोगिता में $2\frac{1}{2}\%$ लोगों के बच्चों से मुकाबिला नहीं कर सकता । यह स्थिति हमारे साढ़े 97 प्रतिशत लोगों की है हमारे प्रदेश में ढ़ाई प्रतिशत के आधार पर ही हमारे यहां प्रतिभायें हैं । यह भी निश्चित बात है । इसी में मंत्रि मण्डल है, जो प्रतिभाओं से पूर्ण है, इसी में यह विधान मण्डल है, जो प्रतिभाओं से पूर्ण है और उसी में हमारे सरकारी आफीसर्स, आई० ए० एस० आफीसर्स और दूसरे लोग हैं । वह भी प्रतिभाओं से पूर्ण हैं । यह सही बात है । लेकिन मान्यवर, इसका दूसरा पहलू भी है और वह पहलू है, प्रतिभाओं में आज ठहराव आ गया है, आज जो स्थिति विधान मण्डल की है, आज जो स्थिति मंत्रि मण्डल की है, आज जो स्थिति हमारे बुद्धिजीवियों की है, आज जो स्थिति पत्रकारों की है, वह ढाई प्रतिशत की आबादी में से प्रतिभाओं से आने के कारण कुंठित हो गई है, जिसकी वजह से हमारा विकास सम्भव नहीं हो पाता है, हमारी प्रतिभाओं में कुंठा तो आयेगी ही, जब हम ढाई प्रतिशत में से प्रतिभाओं को निकालेंगे, जब हम 100 प्रतिशत हमारी आबादी में से प्रतिभाओं को निकालेंगे तब विकास सम्भव होगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने शिक्षा का उद्देश्य बताया लोकतन्त्र और यही लोकतन्त्र का निषेध है, हम लोगों को मौका ही नहीं लेने दे रहे हैं कि वह अपनी प्रतिभाओं का परिचय करायें, वह प्रतिभायें उभर कर आयें । वह व्यवस्था हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने एक सी शिक्षा प्रणाली लागू ही नहीं किया है । एक वह स्कूल हैं, जिनमें पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, जिनमें टाट-पट्टी नहीं हैं और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल जो प्राइवेट हैं, जो देहरादून में चलते हैं, जो नैनीताल में चलते हैं । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो विभाजन है, धर्म का विभाजन इतना नहीं है, जाति विभाजन इतना नहीं है, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में अगर कोई विभाजन किया गया है तो वह शिक्षा प्रणाली में किया गया है । जो शिक्षा प्रणाली आप चला रहे हैं, उससे हमारे देश में और प्रदेश में विभाजन है । आज चन्द मुट्ठी भर लोगों को ऐसी सहूलियत देने के लिए ऐसी व्यवस्था किया है । इससे समाज में बराबरी नहीं आ सकती है और न समाज से भेद-भाव दूर हो सकता है और इसी वजह से आप लोग भी कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं कि आरक्षण कीजिए । इसमें जो मौजूदा हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो प्रतियोगिताएं हैं, जिस प्रकार से प्रतिभायें निकल रही हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको हम ऊपर उठाना चाहते हैं, उनमें से दो-चार हजार युवक ही ऐसे निकल पाते हैं, जो प्रतिभाओं से नम्बर हासिल कर लें । अगर आपको लोकतन्त्र कायम करना है, तो आपको निश्चित रूप से एक सी शिक्षा व्यवस्था करनी होगी । पब्लिक स्कूलों को बन्द करना होगा, तभी आपके ये स्कूल सुधर सकते हैं अन्यथा सुधर नहीं सकते ।

मैं मानता हूं इस बात को कि प्राइमरी स्कूल जो हैं, उनकी तादाद काफी हो सकती हैं, यद्यपि चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण जो 78 में हुआ था, उसने अपने प्रदेश को लगभग 14000 प्राइ-

मरी स्कूलों को खोलने की संस्तुति बताई थी और जनता पार्टी के शासन में, डेढ़ वर्ष में दो हजार खोल दिए गए, आप लोग छठीं पंचवर्षीय योजना में, पूरे पांच वर्ष में केवल दो हजार स्कूल ही खोल पाये हैं। यह 14 हजार पूरे भी कर पायेंगे कि नहीं, वह अलग प्रश्न है। लेकिन मैं मानता हूं, चूंकि आपने किया है और आप प्रवेश भी दिला रहे हैं, हमारे प्राइमरी पाठशालाओं में कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, जिनको प्रवेश मिलता है उनकी तादाद लगभग एक करोड़ दस लाख के है, ऐसा आप लोगों का कहना है। चलिए यह मैं मान लेता हूं लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो एक करोड़ दस लाख बच्चे भर्ती किए जाते है वे पांचवें तक पहुंचते-पहुंचते 40 फीसदी रह जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा जिसको कहते हैं आठवें तक उसमें केवल 20 फीसदी बच्चे रह जाते हैं। क्यों होता है ऐसा आखिर किस ढंग से आप किसी चीज को तय करना चाहते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि आपका देश और प्रदेश प्रगति करे। आप चाहते ही नहीं कि आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। यहां प्रश्न सिर्फ दो हैं आपकी प्राथमिकतायें क्या है आप पहले अपनी प्राथमिकतायें तय कीजियें फिर देखिये आपकी घोषित नीतियों का क्रियान्वयन होता है या नहीं। आप वित्तीय संसाधनों का जो रोना रोते रहते हैं वह किसके सामने रोते हैं। अगर आपकी प्राथमिकतायें तय नहीं होंगी, अगर आप समान शिक्षा कायम करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं हैं। तो कितना ही रोना आप रो दें कुछ होने वाला नहीं है। कौन मना करता है कि आप अपनी शिक्षा में कुल बजट का 30 प्रतिशत का बजट रखें। यदि आप 10-11 फीसदी का बजट रखते हैं तो कौन जिम्मेवार है। आप अपनी जिम्मेदारी समझिये। हमारे समाज में ऐसे बच्चे जो एक करोड़ दस लाख की संख्या में प्रवेश लेते हैं और आठवें तक पहुंचते-पहुंचते 20 फीसदी रह जाते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि आपके स्कूलों में भवन नहीं है। आपके स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। आपके स्कूलों में ब्लैकबोर्ड नहीं है। आपके 40 फीसदी स्कूलों में ब्लैकबोर्ड नहीं है, 15 फीसदी स्कूलों में एक ही मास्टर है और छतें जिनकी टपकती हैं।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी थी कि जो मंत्री बजट रखेंगे, वही सुनेंगे और जवाब देंगे। मन्त्री जी बजट रखकर गायब हो गए। कौन जवाब देगा ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने व्यवस्था यह दी थी कि जो प्रस्तुत करेगा वही जवाब देगा। सुनने वाली बात मैंने नहीं कही थी। माननीय परिवहन मंत्री किसी जरूरी काम से चले गए हैं और शास्त्री जी को बैठा गये हैं। यहां कोई स्कूल नहीं लगा है कि एक नम्बर और दो नम्बर हमको बताकर जायं।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप कृपा करके शास्त्री जी को भी बुलवा लीजियेगा नहीं तो वाराणसी मंडल की बहुत बेइज्जती होगी अगर इनको बोलने ही न दिया जाय। इनका 5 मिनट का जरूर भाषण हो।

श्री अधिष्ठाता--

आपने इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं समझता हूं की शास्त्री जी जरूर आपकी बात का ध्यान देंगे।

(4 बज कर 50 मिनट)

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, स्थिति इतनी भयावह है कि जो शिक्षा का बजट मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें से 95 प्रतिशत पैसा वेतन और भत्ते में निकल जायेगा।

तुर्रा यह कि दावा कर रहे हैं कि हम लोगो को शिक्षित करेंगे । आप जरा इस पर गौर करें । 1976-77 में वर्जा एक में दाखिला लेने वाले 100 बच्चे और वर्जा दो में 71 हो जाते हैं, वर्जा तीन में पहुंचते 58, वर्जा पांच में पहुंचने पर 36 हो जाते हैं और आगे चलकर अठवी कक्षा में 22 रह जाते हैं । इस प्रकार से 80,81,82 तक यही हालत है । आज भी यही स्थिति है कि 20 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा यानी आठवीं तक पहुंचते हैं । जो बुनियादी ढांचा है, जो इन्फरास्ट्रक्चर है, उसको नहीं बढ़ायेंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे । आपकी प्राथमिकता तय नहीं है । जो गरीब बच्चे पढ़ने के लिये नहीं जा सकते हैं, उनके मां बाप इसलिये नहीं भेजते हैं कि उनको काम पर भेज देते हैं ताकि आठ-चार आने कमा लेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि आप दावा करते हैं कि हमारे पास इतना करोड़ टन अनाज का भंडार है । आप उत्तर प्रदेश के इन गरीब बच्चों के लिये एक करोड़ टन अनाज की व्यवस्था कर दीजिये कि जो बच्चे पढ़ने जाय, उनको अनाज दिया जायेगा ताकि मां बाप जो मजबूरी में नहीं भेज पाते हैं, भेज सकें और उनके बच्चे जायं । आपके विभाग में यह बात नहीं है, इसलिये कि आपको तो अन्धों में काना राजा होता है । स्थिति यह है कि बीर बहादुर सिंह की सरकार और तुर्रा उसमें यह है कि संकठा प्रसाद शास्त्री शिक्षा मंत्री हैं, करैला और नीम चढ़ा । राज्य मंत्री शिक्षा को रामायण के लालित्य, साहित्य, उसकी महानता, आदर्श का पता नहीं है । इनको तो यह भी पता नहीं है कि रामायण और राम चरितमानस में फर्क क्या है ?

श्रीमती शशि शर्मा--

कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य रख रहे हैं, इस पर व्यक्तिगत आलोचना अच्छी नहीं लगती है ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्या ने कहा कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, यह बतादें कि इनको अच्छा क्या लगता है फिर वही कहने लगे ?

श्री अधिष्ठाता--

कटौती के प्रस्ताव पर विभाग की नीतिगत बातों की आलोचना की जाती है और सुझाव दिया जाता है । वह भी नीतिगत आलोचना का एक अंग है ।

श्री पूरन सिंह माहरा--

माननीय सदस्य ने कोई नीतिगत बात नहीं कही है । यह मंत्री जी व्यक्तिगत आलोचना है, इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

जब आपको भाषण का मौका मिलेगा तो यह सब सुझाव दे दीजियेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

अगर रामायण के बारे में शास्त्री जी को ज्ञान हो गया है तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा । हर बार सरकार की तरफ से यह बात कही जाती है कि शिक्षा नीति तय करनी है । अनेकों साल से यह चीज होती चली आ रही है । और इनकी शिक्षा नीति तय ही नहीं पाते । मान्यवर, 1964 में डा० कोठारी आयोग बना था और 1964 से लेकर 1966 तक उसने बड़ा परिश्रम किया । उसमें 17 सदस्य थे । सोवियत संघ के, ब्रिटेन के, फ्रांस के और जहां तक मुझे याद है अमेरिका के भी सदस्य थे । उन्होंने बड़ी मेहनत की । बहुत से राष्ट्रों का अध्ययन किया । अपने देश की परिस्थितियों का और प्रदेश की परिस्थितियों का बड़ा अच्छा आकलन किया । लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिये उन्होंने उसका अध्ययन करते हुए अपनी

संस्तुतियां दीं। लेकिन मान्यवर, क्या हुआ ? सिवाय कृषि सम्बन्धी जो संस्तुतियां थीं, जो उस आयोग ने दी थीं, वह स्वीकार की गयीं। और मैं यह कह सकता हूं कि उसी का यह नतीजा है कि आज हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो कोठारी आयोग ने बड़ी मेहनत से उस ज्ञापन को तैयार किया था और सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके अपने देश में समान शिक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था विज्ञान और तकनीक के समावेश को नैतिकता, आधार का समावेश, इन सारी चीजों का अध्ययन करके और अपने देश की परिस्थितियों में शिक्षा के मामले में इन सब बातों पर कोठारी आयोग ने विचार किया था। उसका पालन नहीं किया गया और आज फिर शिक्षा नीति को 21 वीं सदी की ओर ले जाने पर विचार हो रहा है।

कहते हैं कि एक जिले में एक मिडल स्कूल बनवाया जायगा। मान्यवर, इसके क्या होगा। मिडल स्कूल से क्या होगा। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये मिडल स्कूल मैकाले के सिद्धान्त की निरंतरता के रूप में हैं जो चंद लोगो को ऐसा बनाती है जो सब लोगो का शोषण करते रहे और हमेशा शासक बने रहें। गरीब का बच्चा ऊपर न उठ सके। मान्यवर, उस में एक मिडल स्कूल में 40 बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा का केन्द्र और राज्य का पूरा बजट चट कर जायेंगे। आप जरा कल्पना कीजिये, उधर के माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि यह हमारा प्रश्न नहीं है, यह हमारी आने वाली संतति का प्रश्न है। प्रदेश के निवासियों के बच्चों का प्रश्न है। हम अंधकार में डूबे जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन भविष्य भी डूब रहा है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करते, पब्लिक स्कूलों को बन्द नहीं करते, दून स्कूल को बन्द नहीं करते और मिडल स्कूल के प्लान को खारिज नहीं करते, तब तक अपने देश और प्रदेश की भावनाओं को, करोड़ों लोगों की प्रतिभाओं को उभरने का मौका नहीं देंगे। यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, अब जो बेसिक शिक्षा के स्तर पर जो व्यवस्था है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। कुछ पद इन्होंने बढ़ाये हैं। सम्मानीय अधिकारी बढ़ाये हैं। लेकिन उनका जो नियंत्रण है, क्या है। हमारे विद्यालयों की हालात बहुत शोचनीय है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाये गये हैं। अधिकार है, लेकिन उनके दफ्तर में कहीं भी टेलीफोन नहीं है। उनके दफ्तर में सिर्फ 6 कर्मचारी काम करते हैं। डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन दोनों में हर जिले में भेद है और लड़ाई चलती रहती है। कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जिससे उनके अधिकार और कर्तव्यों का सीधा निरूपण किया जा सके और जो हर जिले में यह समस्या है वह दूर हो सके। डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के कार्यालय में 22 कर्मचारी काम करते हैं लेकिन बेसिक शिक्षा के यहां सिर्फ 6 कर्मचारी काम करते हैं। ट्रान्सफर का मामला कौन क्या करेगा, कुछ नहीं पता। समितियां इतनी बनी हैं कि खरीदारी में लोग मेम्बर हैं, ट्रान्सफार में लोग मेम्बर हैं, डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स किसी में मेम्बर हैं, लेकिन इतना काम है उसके पास कि इन बातों के लिये उसे फुरसत नहीं है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी तो मात्र उन बैठकों के संयोजन करते-करते ही अपनी जिन्दगी जिले में गुजार देते हैं और चले जाते हैं। उन्हें यह पता नहीं रहता है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने स्कूल चल रहे हैं ? कितने नहीं चल रहे हैं ? अब मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं लेकिन मंत्री जो यहां पर हैं नहीं मैं किस को सुझाव दूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मंत्री जी का काम डाक्टर कौशल कर रहे हैं, वह नोट कर रहे हैं सुझाव ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, आज डाक्टर कौशल को शपथ दिलवा दीजिये मंत्री पद की ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि ब्लाक स्तर पर एक कार्यालय होना चाहिये । ब्लाक स्तर पर बहुत से कार्यालय चलते हैं बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0 पंचायत का कार्यालय रहता है और दूसरे बहुत से सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आम तौर से वहां रहते हैं । उस कार्यालय के खोलने में कोई असुविधा नहीं होगी । जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर जनपद मुख्यालय पर भागते रहते हैं, अपनी तनखवाह के लिये छुट्टी के लिये, उन्हें भी नहीं भागना पड़ेगा और ब्लाक स्तर पर उन्हें यह सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी । इसमें मैं समझता हूं कि उनको आने-जाने की जो परेशानी होती है, वह दूर हो सकती है । आर्थिक खर्चा भी उसमें नहीं बढ़ेगा, जो एस0 डी0 आई0 सीनियर हैं उसका कर्तव्य रहे कि वह कार्यालय पर रहे । मान्यवर, जहां तक निरीक्षण आदि की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि निरीक्षण की लम्बी श्रृंखलायें हैं । असलियत यह है कि कोई निरीक्षण प्राइमरी पाठशालाओं का नहीं करता है । और यदि करता भी है तो इस हिसाब से करता है कि मास्टर से जो भी उनका मौहदा तय होता है, सम्बन्ध होता है जिस ढंग से, उसकी पूर्ति के लिये वे वहां जाते हैं । मान्यवर, इसी का कारण है कि जो अध्यापक होते हैं । सौभाग्य से किसी स्कूल में 4-4 मास्टर हैं तो उनमें से एक मास्टर वहां आता है, आपस में वह लोग तय कर लेते हैं, कि फलां दिन तुमको आना है, फलां दिन तुमको आना है । यह स्थिति है । इस स्थिति को दूर करने के लिये एस0 डी0 आई0 वाले जो मामले हैं, उसमें आपको सख्ती करनी पड़ेगी । आपको कार्यालय खोलना पड़ेगा ।

इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अध्यादेश पारित किया गया है कि प्राइवेट जूनियर हाईस्कूल चलाते हैं, मेहनत करके...

श्री अधिष्ठाता--

कौशिक जी आधा घंटा हो गया है और कितना समय लेंगे ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, अभी तो भूमिका है । खैर, आपके निर्देश का पालन करूंगा । थोड़ा समय और लूंगा ।

मेहनत करके प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल चाहते हैं, अस्थायी मान्यता 6 वर्ष ही देंगे । अगर 6 वर्ष के अन्दर उसे स्थायी मान्यता का नहीं करा लेंगे, तो उसकी अस्थायी मान्यता भी समाप्त कर देंगे । मान्यवर, प्राथमिकता शिक्षा के प्रसार के लिये जहां सरकार अक्षम साबित हो रही है और दूसरे लोग उस काम के लिये आगे बढ़ रहे हैं, वह भी विपरीत परिस्थितियों में बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह आदेश अनुचित है । प्राथमिक शिक्षा पर उसका बुरा असर पड़ रहा है । मेरा यह कहना है कि प्राथमिक शिक्षा से इन बातों को छोड़े रखिये । स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में आपको तो उदारता बरतनी चाहिये । लेकिन, 6 वर्ष के बाद अस्थायी मान्यता भी समाप्त कर देंगे, यह गलत है । इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है । मान्यवर, स्कूल भवनों के सम्बन्ध में जो दिक्कतें आती हैं, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा दूर किया जाना चाहिए और ये दिक्कतें राजस्व विभाग के जरिये से आती हैं । ग्राम सभा या ग्राम समाज की जो कमेटी है अगर वह इच्छुक है किसी जमीन को स्कूल के भवन

निर्माण हेतु देने के लिए तो उसे एस० डी० एम० मंजूर नहीं करता है, क्योंकि उसमें "चैरिटेबल" शब्द नहीं लिखा हुआ है। उस दरख्वास्त को जिले पर और तहसील स्तर पर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, नतीजा यह होता है कि स्कूल भवन को जहां बनाने का सरकार की थोड़ी नीयत है भी तो वह खटाई में पड़ जाता है। 2–3 साल उसमें लग जाते हैं और उस भवन के लिए जो पैसा निर्धारित किया गया था वह कम पड़ जाता है। इसलिए मान्यवर, इसे राजस्व विभाग से दिखाकर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर ग्राम सभा कहीं स्कूल भवन के निर्माण हेतु जमीन देने को तैयार है, तो उस पर तुरन्त कार्यवाही होना चाहिए और एस० डी० एम० को उसे स्वीकार करना चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० और आर० ई० एस० द्वारा भवनों के निर्माण के आदेश भी दिये गये हैं लेकिन 6–6 और 7–7 साल लग जाते हैं, भवन नहीं बन पाता है। इस व्यवस्था को भी आपको देखना पड़ेगा। प्राथमिकता के आधार पर देखना पड़ेगा क्योंकि यह शिक्षा का मामला है और बच्चों की पढ़ाई का मामला है। यदि आप इसमें कोताही बरतेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं मिल पायेगा।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे यहां जितने प्राथमिक स्कूल हैं, उसका 1/10 माध्यमिक विद्यालय हैं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, अगर आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, एक अच्छा लोकतन्त्र बनाना चाहते हैं, कांग्रेस के शब्दों में ही कहूं कि अगर एक समाजवादी समाज को रचना करना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि जितने हमारे प्राथमिक स्कूल हैं उतने ही माध्यमिक स्कूल होने चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में भी पढ़ाई उतनी ही सुचारु रूप से होनी चाहिए और उतनी ही तत्परता से होनी चाहिए जितनी कि हम प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब किसी किशोर के लिए यह आवश्यक होता है कि वह कुछ सीखे ताकि भावी जिन्दगी को वह उसी प्रकार ढाल सके। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन उनको अनुदान सूची में नहीं रख रहे हैं। आपकी कोई तो नीति होनी चाहिए। 1974 में आपने फैसला लिया था कि हम हर वर्ष जितने मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उन्हें अनुदान सूची में लेते रहेंगे जब तक वह मान्यता प्राप्त चलते रहें। उनको हम प्राथमिकता देंगे।

मेरा सुझाव यह है कि जिस तारीख से कोई मान्यता प्राप्त करता है तो उसी आधार पर, उसी प्राथमिकता के आधार पर उसे अनुदान सूची में लाना चाहिए। अधिक से अधिक अनुदान सूची में लाना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि वित्तीय संसाधन नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि आप 30 फीसदी पैसा बजट में रखें, अब आपके संसाधन होंगे। मितव्ययता कीजिए। आज आपके किसी विभाग में मितव्ययता नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। वह हलद्वानी हेलीकाप्टर से गये। कोई ऐसा काम भी नहीं था कि जल्दी जाना हो और न ही वहां पर कोई दैवी आपदा थी। एक कालेज में यूनियन का उद्घाटन करने के लिए वह हेलीकाप्टर से गये। इनका क्या जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा तो है नहीं। जितना खर्च करना चाहो, करो। गाजीपुर ये गये, वहां पर भी यूनियन का उद्घाटन किया। उसमें भी हेलीकाप्टर से गये।

सारी मितव्ययता प्राथमिक शिक्षा पर हो, आपकी सारी मितव्ययता बुनियादी जरूरत की चीजों पर है । यह तो मैंने एक मिसाल दी है अन्यथा ऐसी मिसालें और जगह की भी हैं जहां पर अनाप-शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं ।

माध्यमिक स्कूलों के विषय में सोचना चाहिये और उनको अनुदान सूची पर लाने की व्यवस्था करनी चाहिये । जब जूनियर हाईस्कूल उच्चीकृत हो जाते हैं और मान्यता भी प्राप्त कर लेते हैं तब उनके प्रिन्सिपल, जो जूनियर हाईस्कूल में रहते हैं, अगर उनकी शैक्षिक अर्हतायें हैं, जो माध्यमिक विद्यालय के प्रिन्सिपल की होनी चाहिये, या वे उन अर्हताओं को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिये ।

डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास बहुत काम हो गया है जिस दिन से आपने मैनेजमेन्ट के हाथ से बहुत चीजों को अपने हाथ में लिया है, तब से प्राइवेट माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय हैं, उसमें आपका या मैनेजमेंट का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । न तो मैनेजमेन्ट ही सक्षम रह गया है कि कर्मचारियों और अध्यापकों पर नियंत्रण रख सके और न ही आपके पास ऐसी मशीनरी मौजूद है कि उस नियंत्रण को कर सके । यही कारण है कि शिक्षा में गिरावट आ रही है । आपके यहां आचार संहिता है टीचर्स के लिये, उसका पालन भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन प्राइवेट मैनेजमेन्ट के स्कूलों में जो स्थिति है, जो अनुदान की सूची में आ गये हैं, जिनकी तनख्वाहें आप दे रहे हैं, उन पर कोई भी नियंत्रण न आपका है न मनेजमेन्ट का है, इससे वहां की शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है । इसलिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें । डिप्टी इन्सपेटर आफ स्कूल्स के पास काम भी ज्यादा हो गया है, इसलिये कुछ ऐसा करें कि जिससे कार्य हो सके ।

उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों के पास शिक्षा के लिये जाने वालों पर थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा । विश्व-विद्यालीय स्तर की शिक्षा शोध के विषय में हो, वहां पर नये-नये शोध हों अनुसंधान हों ताकि नई-नई प्रतिभायें उभरें । ज्ञान का जो भंडार वहां होना चाहिये, उसे हम उस रूप में देखना चाहते हैं । एक सीमा से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश उच्चतम शिक्षा में नहीं होना चाहिये । महाविद्यालय हमारे यहां काफी चलते हैं उत्तर प्रदेश में, सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, तादाद 500 के लगभग होगी । इस बारे में शासन को विचार करना चाहिये कि विश्वविद्यालय में सिर्फ एम० ए० की और शोध की पढ़ाई होनी चाहिये, बी० ए० की पढ़ाई महा-विद्यालयों में होनी चाहिये तभी विश्व-विद्यालयों का स्तर ऊंचा हो पायेगा, लेकिन जब तक यह व्यवस्था नहीं है; सब जगह स्थितियां ऐसी हों कि महा-विद्यालयों में एम० ए० तक की शिक्षा हो । मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की भिन्न राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय यह है कि एम० ए० विश्वविद्यालय में होना चाहिये । जब तक यह व्यवस्था नहीं है तब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ सम्बद्ध कालेजों में अन्याय हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है ।

वैसे मैं इस राय का हूं कि तमाम महाविद्यालय में एम० ए० की शिक्षा बन्द करके इसे विश्वविद्यालय को दे देना चाहिये । लेकिन अगर हमारे प्रदेश में अभी वैसी व्यवस्था है कि बी० ए० और एम० ए० की शिक्षा दोनों ही महाविद्यालय में चलेगी तो फिर लखनऊ यूनीवर्सिटी में यह गलत हो रहा है कि बाराबंकी का स्टूडेन्ट तो बाराबंकी में पढ़ रहा है लेकिन लखनऊ का जो विद्यार्थी है वह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये दूसरी जगह उसे जाना पड़ेगा, यह गलत बात है । इसकी व्यवस्था एफिलियेटेड कालेजों में होनी चाहिये ।

मान्यवर, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्तियां हैं । मौजूदा व्यवस्था जो है और सोचने का ढंग जो है, वह बड़ी गलत है । बड़े गलत ढंग से सोंचते हैं, उससे कोई सुधार होने वाला नहीं है । जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसके लिये केन्द्र सरकार से आपको यह मांग करनी चाहिये कि इसको तोड़ दिया जाय । राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हमारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए होना चाहिये । उसकी पढ़ाई का उसके अनुदान के सम्बन्ध में गठन किया जाय और यह होना चाहिये कि जो केन्द्र में अनुदान आयोग हो उसमें हमारे राज्य विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वहां मेम्बर हो तभी इसमें सुधार हो सकेगा । मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह सारे संसाधनों को केन्द्र के विश्वविद्यालयों को देता है । हमारे पास तो शायद चवन्नी भी नहीं आता हो ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी कितना समय आप और लेंगे क्योंकि काफी सदस्य और भी इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री कौशिक रमा शंकर---

इसमें तो करीब-करीब 5 बजट हैं, आप इसके महत्व को तो समझ ही रहे होंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं कह रहा था कि प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर तो आप कह ही चुके हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर---

अभी प्रौढ़ शिक्षा और शैक्षिक अनु-संधान एवं प्रशिक्षण शेष हैं । तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि शासन यह भी सोचता है कि विश्व-विद्यालयों में राजनीति हो रही है । भाई, विश्वविद्यालय में राजनीति तो होगी ही । उनका प्रशिक्षण, दक्षिण सभी पहलुओं पर होना है । विश्वविद्यालय में ही यह महत्वपूर्ण पढ़ाई हो सकती है । विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अधिकार जो है उसका आप हनन करते जा रहे हैं । विश्वविद्यालय की मान्यता को यह कांग्रेस की सरकार खत्म कर रही है । मैं कहता हूं कि आप विश्व-विद्यालय की स्वायत्तता को लौटाइये, एकेडमिक काउंसिल का अधिकार बढ़ाइये । गवर्नर और कुलपति के जो वहां अधिकार हैं, उनके अधिकार को हटाइये । स्वायत्तशासी संस्था के नाम पर जो उसके मानक हैं उसे लाइये तभी आप उसमें सुधार कर पायेंगे अन्यथा नहीं ।

यूनीवर्सिटी में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में बड़ा विरोधाभास है । सिर्फ जो पी० एच० डी० कर लेता है उनको नियुक्ति में रख लिया जाता है । वह पी० एच० डी० कर लें लेकिन वह एम० ए० और बी० ए० में किस स्तर का विद्यार्थी था, इस बात का ध्यान ही नहीं रखा जाता है । मैं चाहता हूं कि पी० एच० डी० की महंता आप जरूर रखिये लेकिन वहीं इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिये कि पोस्ट-ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन के समय में वह किस स्तर का और किस तरह का विद्यार्थी रहा है । तो मान्यवर, अब हमारे बहुत से साथी बोलना चाहते हैं । वैसे तो यह इतना महत्वपूर्ण बजट है कि इस पर बहुत कुछ कहना चाहिये था । फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान है, मैं कहना चाहता हूं और तारीफ करता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है और कैसे टीचरों को दीक्षित किया जाये, किस प्रकार से पाठ्य-पुस्तकों का निर्धारण किया जाये, सफाई के मामले में क्या किया जाये, निजी ज्ञान के सम्बन्ध में क्या किया जाये । इन सारी बातों पर यह संस्थान शोध करता है और उसके नतीजे निकालता है और उनको अमल में लाता है, लेकिन इसका बजट बहुत कम है ।

आप टी० वी० और कम्प्यूटर के चक्कर में न पड़े, आप उत्तर प्रदेश के

करोड़ों लोगों के बच्चों को किसी भी हालत में कभी भी आने वाले वर्षों में महंगा नहीं कर सकते हैं । इसलिये ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दें, उनके अनुसंधान पर लगें, जिससे कि उनकी तरक्की हो सके । मान्यवर, अब मैं प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जनता शासन की सरकार थी तब इसको चालू किया गया था । हमने चलाया था अगर वह खराब हो तो भी उसको चलाते रहें, यह जरूरी नहीं है । कहीं कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है । आप 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं और कितने साक्षर बने 203 लाख निरक्षर हैं 15.35 आयु वर्ग में आपने कह दिया कि 23 लाख लोगों को साक्षर बनाया गया । अनुदेशकों के जरिये से और प्रौढ़-शिक्षा अधिकारी के जरिये से आप इसका आंकलन करवा रहे हैं । आपके पास पूरी मशीनरी है औपचारिक शिक्षा के निरीक्षण के लिए किन्तु और आप उसकी भी चेकिंग नहीं करा पाते हैं । प्रौढ़-शिक्षा का पैसा निरर्थक जा रहा है ।

मान्यवर, वक्फ बोर्ड के बारे में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । जो वक्फ बोर्ड के फैसले होते हैं, उनको जिलाधिकारी नहीं मानता है । इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि वक्फ बोर्ड का जो फैसला हो उसका अनुपालन जिलाधिकारी करें और उसको सुनिश्चित करें । 38 जिलों में कई करोड़ की वक्फ बोर्ड को जायदाद है, लेकिन उन पर नाजायज कब्जा है । वक्फ बोर्ड उनको दूर करे, उसके संसाधन बहुत कम हैं । शासन को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि जो नाजायज कब्जे हैं उनको हटवायें । उत्तर प्रदेश सरकार इन नाजायज कब्जों को समाप्त करने पर गौर करे, तब स्थिति ठीक हो सकती है । रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट से उनको मुक्त दिलायी जाये, ताकि ऐसी संस्था जो गरीबों की भलाई के लिये कार्य करती है, वह उनकी भलाई कर सके । आपकी ऐसी कुछ व्यवस्था है कि रामपुर में सुन्नी बोर्ड है और उसमें मुतवल्ली शिया को बना रखा है । मेरा कहना है कि यदि बोर्ड सुन्नी का है तो मुतवल्ली सुन्नी होना चाहिये और यदि बोर्ड शियाओं का है, तो मुतवल्ली शिया होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी लोग कटौती के प्रस्ताव पर बोले और सुझाव दें ।

श्री फ्रांसिस डब्लू0 मोर—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया है इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने के लिए । मुझको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा प्रदेश है इसमें स्कूलों की कमी है । क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रदेश है इसकी पापुलेशन काफी बड़ी है । इसलिये यहां जो 32 एंग्लो इंडियन स्कूल हैं और करीब डेढ़ सौ लिस्टेड स्कूल हैं जहां सब कोई अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए कोशिश करता है । मान्यवर, कौशिक जी ने अभी यह कहा कि जितने ऐसे स्कूल हैं उनको बन्द कर दिया जाय, पब्लिक स्कूल जो हैं उनको बन्द कर दिया जाय इसलिए क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बोर्ड अच्छा नहीं है और वह सब बात जो कन्वेन्ट स्कूलों में होती है सरकारी स्कूलों में नहीं है । अगर यह सब चीजें नहीं हैं तो माननीय मंत्री जी कष्ट करें और यह सब व्यवस्था करवायें । पब्लिक स्कूलों को न बन्द करके अपने गवर्नमेंट के स्कूलों के स्तर को बढ़ा दें ताकि पब्लिक स्कूलों के बराबर हो जाये । कई साल पहले यहां एक स्टेट बोर्ड फार एंग्लो इंडियन एजूकेशन था वह करीब 20 साल से चालू नहीं हो पाया था 5 साल पहले वह स्टेट बोर्ड फार एंग्लो इंडियन एजूकेशन फिर शुरू हो गया है उसका मैं सदस्य 5 साल से हूं उस स्टेट बोर्ड की कम से कम साल में दो बार बैठक होनी चाहिये जिसमें गवर्नमेंट और हमारे एंग्लो इंडियन स्कूलों के प्रधानाचार्य सब मिलें और उसमें कुछ नये-नये सुधार करवाये लेकिन यह होता नहीं है, जब स्टेट बोर्ड मिलता है तो हर बार एक नया मंत्री हो

जाता है और वह नया मंत्री इन्ट्रोडक्शन ही रह जाता है और फिर बोर्ड नहीं मिल पाता है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट बोर्ड कम से कम हर साल में दो बैठक करें। इसमें हम, जो नयी एजूकेशन पालिसी है अपने एंग्लो इंडियन स्कूलों को भी उसी राष्ट्रीय धारा में ले आये एंग्लो इंडियन स्कूलों का जो इंसपेक्ट्रेट है वह डी० आई० ओ० एस०, नैनीताल हुआ करता था और अब डी० आई० ओ० एस०, लखनऊ यह काम करता है करीब 180 एंग्लो इंडियन स्कूल हैं जिनमें 32 एंग्लो इंडियन और 150 शायद लिस्टेड हैं तो नामुमकिन है कि यह एक बार भी सरकारी स्कूलों के अलावा इन स्कूलों को इंस्पेक्ट कर पाये तो मेरा यह भी निवेदन है कि एक अलग से डी० आई० ओ० एस० एंग्लो इंडियन स्कूलों के लिए बना दिया जाय । फिर सब को मालूम है कि स्कूलों की कमी है । हमारे एंग्लो इंडियन स्कूल्स काफी नये बन रहे हैं । उनको नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिये माननीय मंत्री जी थोड़ा जल्दी करायें । देहरादून में ऐसे दो स्कूल हैं । उनका इन्सपेक्शन भी दो बार हो चुका है फिर भी उनको अभी एन० ओ० सी० नहीं मिल पाया है । जो स्टेट बोर्ड फार एंग्लो इंडियन स्कूल्स हैं उसमें मंत्री जी हैं, हमारे एजूकेशन के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उसको यह अधिकार दे दिया जाय । जो हमारा एजूकेशन बोर्ड है वह सौ साल पुराना है । नये का प्रस्ताव हो रहा है । जब बख्शी जी एजूकेशन मिनिस्टर थीं उस समय से यह प्रस्ताव चल रहा है लेकिन अभी तक यह एजूकेशन कोड नहीं बन पाया है ।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जो एंग्लो इंडियन स्कूल्स हैं उनके जो टीचर्स हैं जब वे मर जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो उनका जो प्राविडेन्ट फण्ड का पैसा है जिसमें गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगा होता है, उसको निकालने में दो-तीन साल लग जाते हैं । इसलिये उस प्राविडेन्ट फण्ड को रिलीज कराने के लिये माननीय मंत्री जी आदेश कर दें । इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट को समर्थन देता हूं ।

श्री गया प्रसाद वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के बजट पर आपने मुझ बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय रमाशंकर कौशिक ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार की तरफ से मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, यह शिक्षा विभाग इस समय बेसहारा विभाग है । इस विभाग के माननीय मंत्री जी, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे जल्दी ठीक हो कर आ जायं अन्यथा यह शिक्षा विभाग चौपट हो रहा है । हम लोग जब रोजाना सदन में प्रश्न करते हैं तो उनका विधिवत उत्तर नहीं मिल पाता है और न कोई आश्वासन मिल पाता है । मान्यवर, इस प्रदेश में शिक्षा के स्तर में जो कमी आयी है उससे सारे प्रदेश में आन्दोलन हो रहे हैं चाहे वह छात्रों के द्वारा हो, अध्यापकों के द्वारा हो या सरकार की नीतियों के कारण हो । मान्यवर, इसके अलावा शिक्षा में जो दोहरी प्रणाली है उससे भी इस प्रदेश की शिक्षा चौपट हो रही है । शिक्षा विभाग में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक बिल्कुल सड़क पर आ गये हैं क्योंकि जब वे जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाते हैं तब उनका कहना होता है कि हम तो प्रबन्धक के अधीन काम कर रहे हैं और जब प्रबन्धक के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि हम जिला विद्यालय निरीक्षक के अन्डर में काम कर रहे हैं, इसलिये वे इस तरह से किसी के अन्डर में काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सड़क पर आ गये हैं । मेरी राय है कि या तो आप शिक्षा विभाग को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाय अथवा इस प्रकार से जो प्रबन्धकों के कार्यक्रम हैं उनको ही कुछ ऐसे अधिकार

दे दिये जायं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके ।

मान्यवर, जहां मान्यता देने और पदों के सृजन करने के मामले हैं, कई वर्षों से मान्यतायें मिली हुई हैं लेकिन सुचारु रूप से उनको चलाने के लिये सरकार कतई परमीशन कक्षाओं को चलाने के लिये नहीं दे रही है । जिन विषयों की स्कूलों को मान्यता मिल चुकी है, विज्ञान की जहां मान्यता मिली हुई है उनको चलाने के लिये अभी तक सरकार से न कोई आश्वासन दिया है और न ही व्यवस्था की है । साइन्स के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है । इसलिये मेरी मांग है कि सरकार इस विषय पर तुरन्त विचार करे और ऐसे अध्यापकों के पदों का सृजन करें . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, इसी तरह से आज विद्यालय भवनों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है । हमारे जिले में मेरे क्षेत्र में कई विद्यालयों की छतें रात के समय गिर गई । विद्यालय पूरे नष्ट हो गये हैं । मेरे क्षेत्र में ही गुलाब प्राइमरी विद्यालय है । जिसकी पूरी छत गिर गयी है, लड़कों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे जो विद्यालय हैं उनको अनुदान दिया जाय और उनमें फर्नीचर की व्यवस्था की जाय, हर विद्यालय को कुछ न कुछ अनुदान अवश्य दिया जाय जिससे उनकी व्यवस्था ठीक हो सके । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का जो माननीय कौशिक जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री बसंत सिंह गहलौत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा विभाग की बजट मांगों का समर्थन करने का अवसर दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, शिक्षा मनुष्य के अन्दर प्रशुप्त शक्ति को जगाने का काम करती है, शरीर, मन और बुद्धि को उन्नत बनाती है मनुष्य को समाज कल्याण के लिये प्रेरित करती है । यह विचार भारतीय चिन्तन की अवधारणा पर निर्भर है । माननीय सदस्य जी शिक्षा पर बोलते हैं वे भी हजारों सालों की इस अवधारणा के अन्तर्गत बोलते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि जो शिक्षा दी जा रही है उसका इस अवधारणा से कोई तालमेल नहीं है । आज जो शिक्षा दी जा रही है इससे शरीर और मन का विकास नहीं हो पाता है कुछ अंशों में बुद्धि का विकास जरूर हो जाती है । मन के अविकसित रहने से मन विषादग्रस्त रहता है इसी कारण से समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है, कुरीतियां और अपराध बढ़ते हैं । जब तक व्यक्ति के मन का विकास नहीं किया जायेगा संसार की उन्नति नहीं हो सकती है । संसार के जिन देशों ने टेक्निकल ज्ञान प्राप्त लिया है जो वैभव सम्पन्न बन गये हैं उनमें भी मानसिक तनाव आ गया है । उनको भी इस बात की चिंता होन लगी है कि किस प्रकार से मनुष्य को ठीक लिया जाय । भौतिक समृद्धि से समाज की उन्नति नहीं हो सकती है, समाज में सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता है । पूंजीवादी देशों में भी यही चिंता है और समाजवादी देश भी यही सोच रहे हैं कि भौतिक उन्नति के साथ-साथ अध्यात्मिक उन्नति नहीं की जा सकी है । अणु अस्त्रों की होड़ इस बात की प्रतीक है जिससे सारा मानव जीवन संकटग्रस्त है, एक दिन इससे संसार ध्वस्त हो जायेगा तो इस संकट को करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने नयी शिक्षा नीति लागू करके संसार को दिशा बोध कराया है । संसार के लोग आज भारत की ओर देख रहे हैं और भारत के लोग विदेशों में जाकर योग पद्धति को बतल रहे हैं जिन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं । जो हमारे अंतर में व्याप्त है वह कार्यरूप में कार्यान्वित नहीं हो रही

हैं। आज जिस लौर्ड मैकाले को कहा जाता है कि उसने इस शिक्षा पद्धति को गुलाम बनाने के लिए चलाया है लेकिन 38 सालों की आजादी के बाद भी वही पद्धति लागू है। क्या आज भी हम उस भूत से डरते हैं जो उसे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं।

नयी शिक्षा पद्धति के संबंध में जो गोष्ठियां आयोजित हुईं उनमें केवल इन बातों पर विचार हुआ कि शिक्षकों को क्या सुविधा दी जाय, स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जाय लेकिन शिक्षा के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई विचार नहीं किया गया जिसकी विशेष आवश्यकता है। जो नैतिक चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा की चर्चा की जा रही है उससे भी कोई हल नहीं होगा। अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से अपेक्षित लाभ नहीं होगा। नैतिक शिक्षा एक भाव है जब तक शिक्षक उस भाव में स्थित नहीं हो जाता तब तक छात्र उससे वह भाव ग्रहण नहीं कर सकता है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में योग शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए। इस संबंध में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय विचार धारा के अनुसार योग एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से मन, बुद्धि और शरीर उज्जवल होता है और योग से 100 साल तक मानव की बुद्धि मन स्वस्थ रह सकता है और फिर वह भ्रष्ट नहीं होगा। मान्यवर, आज प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का अध्यापक रहने के बाद उसकी बुद्धि का मन का और उसके शरीर का विकास नहीं हुआ है, तो रोगी आदमी क्या पढ़ा सकता है। इसलिए योग के माध्यम से मानव समन्वित विकास कर सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत शिक्षा बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भगवान दीन कुशवाहा –

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि श्री संकठा प्रसाद शास्त्री राज्य शिक्षा मंत्री और ज्ञानी जल सिंह किसी मदरसे में शिक्षा नहीं पाये हैं तो वह राज्य मन्त्री और राष्ट्रपति कैसे बन गये ?

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय–

मान्यवर, मैं श्री कौशिक द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी तक जो शिक्षा नीति है उसे दिखाते हुए मैं कह सकता हूं कि हमारे देश और प्रदेश में कोई शिक्षा नीति नहीं है। शिक्षा नीति की नीचे से ऊपर तक एक लेखपाल से लेकर राष्ट्रपति तक सबने एक स्वर से शिक्षा नीति की शिकायत की है और आज की शिक्षा को अनुपयुक्त कहा है।

मान्यवर, शिक्षा मे सुधार के लिए समय–समय पर कई आयोग बैठाये गये। महात्मा गांधी ने वर्धा योजना की बात कही, डाक्टर जाकिर हुसेन ने "नई तालीम" की बात कही। कोठारी आयोग ने "समाजोपयोगी और उत्पादक कार्य योजना" की बात कही। अनेक बातें अनेक समय पर आयोगों और शिक्षा–विदों के माध्यम से कही गयी लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ और अंत में रेजल्ट शून्य रहा। इसके संबंध में मैं भोजपुरी में एक कहावत मशहूर है, जो कहना चाहता हूं—

"परलै राम कुकर के पाला,

खींच खांच ले गइलै खाला।,,

इस प्रकार इन्होंने शिक्षा की दुर्गति कर दी है।

मान्यवर, समय कम है, इसलिए मैं दो–तीन बातें कहना चाहता हूं। शिक्षा का उत्तर प्रदेश में जो प्रतिशत है वह अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। वेस्ट बंगाल में 40.94 प्रतिशत तमिलनाडु में 46.76 प्रतिशत पंजाब में 40.86 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में

47.18 प्रतिशत, केरल में 70.42 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 27.16 प्रतिशत है जो बहुत कम है।

माननीय, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 1970-71 में इलेमेन्टरी बेसिक स्कूलों में 10,865 हजार लड़कों ने प्रवेश पाया था, 1982-83 में 18,892 हजार लड़कों ने प्रवेश पाया। इसी तरह सीनियर बेसिक स्कूल में 1970-71 में 2218 हजार और 1982-83 में 1810 हजार लड़कों ने प्रवेश पाया। इस प्रकार केवल 17 प्रतिशत ही विद्यार्थी कक्षा 8 तक पहुंच पाये। इससे स्पष्ट होता है कि जहां शिक्षा के बजट का 51 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करते हैं। भाइटलटी रेट अधिक है। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस रेट के अधिक होने का कारण गरीबी है। अतः प्राथमिक शिक्षा में गरीब बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था करें। जिससे गरीबी के कारण बच्चे स्कूल न छोड़े। अवकाश प्राप्त अध्यापकों को समय से पेंशन देने की व्यवस्था करें। आठ माह से काफी है हमारे प्रदेश में कुल कितने प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें फरवरी 1986 में 72 हजार 900 बच्चों ने प्रवेश पाया एक तरफ हम कहते हैं कि हम शिक्षा को नई नीति देना चाहते हैं। मेरे सामने के भाई बड़ी-बड़ी बाते करते हैं। जब तक राजीव गांधी की प्रशंसा न कर ले तो यह समझते हैं कि आज के दिन कुछ किया ही नहीं। राजीव गांधी ने पंजाब और आसाम की समस्याओं का समाधान खोज निकाला पर वह दो वर्ष से नई शिक्षा नीति की घोषणा करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके सामने अभी तक शिक्षा की कोई ठोस बात नहीं आपायी है। शिक्षा नीति के बारे में जो कहा जा रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी नई चीज इधर होने वाली नहीं है।

मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता कि प्रथम योजना में भारत सरकार ने कुल का 7.8 प्रतिशत इस पर खर्च किया है और छठवीं पंचवर्षीय योजना में केवल कुल 2.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि हमारी नयी शिक्षा नीति बिलकुल खोखली है, उससे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कृपया दूर दर्शन से शिक्षा देने के बजाय भवन एवं सामग्री दें। 12 तक छात्राओं को शिक्षा निःशुल्क करें

मंत्री जी ने कहा कि हमने शिक्षा को पांच भागों में बांट रखा है अतः इसमें समन्वय होना बहुत जरूरी है। यदि पांच भाग अलग रहे और उसमें परस्पर समन्वय नहीं हुआ, तो उसका लाभ राष्ट्र को नहीं मिल पाया। हमारे यहां आज भी शिक्षा की स्थिति दयनीय है, दो-दो शिक्षा निदेशकों की पोस्टों खाली पड़ी है जिनको नहीं भरा जाता है मैंने इस सम्बन्ध में यहां प्रश्न भी किया था लेकिन सरकार से उसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं आ पाया। इस से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति सरकार में अति उदासीनता है और कोशिश यह है कि हम सब जगह आई0 ए0 एस0 अधिकारी ही बिठालें और उसके माध्यम से शिक्षा का संचालन करें।

माननीय, आपने समय तो कम दिया है, फिर भी सदन में कुछ बातें बताना चाहता हूं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात आई है, इस पूर्वांचल विश्वविद्यालय को आप बलिया में स्थापित कर। बलिया की स्थिति एवं शिक्षा का प्रतिशत इसके लिए आपको नहीं करता है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने नींव रखी है। अतः आपका नैतिक दायित्व है कि इसे बलिया में ही खोलें। परीक्षाकाल में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए अन्य विभागों की तरह शीघ्र क्षति पूर्ति करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप खत्म कर दें, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

मेरा निवेदन है कि दो मिनट का समय और दे दें। प्रौढ़ शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ है अतः इसे और धन दें :

श्री अधिष्ठाता--

दो नहीं एक मिनट में समाप्त करें।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

आप लड़कियों के लिए बलिया में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलें। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत केवल 8 है। ऐसी परिस्थिति में आप ने जो आज शिक्षा संस्थाओं को खोलने की बात रखी है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे लड़कियों की शिक्षा बढ़ाई जा सके अतः आप अपने सारे नियमों को निरस्त करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे ग्रामीण अंचलों में लड़कियों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके। हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के अध्यापकों के लिए सेलेक्शन ग्रेड को जो व्यवस्था है उस में आपने 16 वर्ष से दे रखा है जब कि आप ने अन्य जगहों पर 10 वर्ष का कार्यकाल रखा है। आप इनको भी 10 वर्ष की सेवा पर करें। डिग्री कालेजों में सेलेक्शन ग्रेड के मामले में जो काम्प-लीकेशन हैं उनका आप समाप्त करें। धन्यवाद, जो आपने बोलने का मौका दिया

श्री रामनाथ भुंशी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने और माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने का अवसर दिया।

[5 बजकर 50 मिनट]

मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा गुण है जिसके बिना मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। आज सरकार चिंता के साथ गंभीरता के साथ शिक्षा के सम्बन्ध में मनन और चिंतन कर रही है।

मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह कांग्रेस सरकार आज 35 वर्षों के अन्दर प्रदेश की जनसंख्या जो सन् 1950 में 6 करोड़ थी और आज 12 करोड़ हो चुकी है उसकी शिक्षा व्यवस्था में जुटी हुयी है। मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं और उनसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिक्षा की प्रगति की तरफ सरकार के कदम बहुत तेज गति से बढ़े हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद भी जो शिक्षा की प्रगति हुयी है उसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। मान्यवर, 1951 की जनगणना के अनुसार शिक्षा का प्रतिशत 10.77 था। आज 1981 की जनगणना के आधार पर यह बढ़कर 27.38 हो गया है तो इसमें 3 गुने का अन्तर आया है। आबादी हमारी 6 करोड़ से 12 करोड़ हुयी तो शिक्षा भी 3 गुनें बढ़ी है। इससे साबित होता है कि हम शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं। मैं दूसरे आंकड़े देना चाहता हूं। सन 1946-47 में जूनियर और बेसिक विद्यालयों की संख्या 21898 थी। वह आज बढ़कर 88218 हो गये हैं।

इसी प्रकार से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1946-47 में 506 थे जो अब बढ़कर 5749 हो गये हैं। इसी प्रकार से 1946-47 में डिग्री कालेज 16 थे जो अब बढ़कर 403 हो गये हैं। इसी प्रकार से 1946-47 में में विश्वविद्यालय केवल 5 थे जो अब बढ़कर 19 हो गये हैं। इसी तरह से अरबी तथा फारसी के विद्यालय 330 हो गये हैं। और एंग्लो इंडियन स्कूलों की संख्या 180 हो गयी है। तो अगर इस तरह से देखें तो मान्यवर, 1946-47 से लेकर आज 5 गुनी संख्या में हमारे विद्यालय हो गये हैं। इसी तरह से मान्यवर, में अध्यापकों की संख्या के बारे में कहना चाहता हूं। आज उनकी संख्या करीब 329934 हो गयी है जो केवल जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक विद्यालयों में हैं। 1946-47 में यह

संख्या केवल 53 हजार थी । मान्यवर, आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 122274 शिक्षक हैं जबकि 1946–47 में यह केवल 9187 थे । इसी प्रकार मान्यवर, डिग्री कालेजों में 1946–47 में 478 अध्यापक थे जो अब बढ़कर 13385 हो गये हैं । मान्यवर, विश्व-विद्यालयों में 1946–47 में केवल 895 शिक्षक थे जो बढ़कर आज 7039 हो गये हैं । तो इससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार शिक्षा की प्रगति में निरन्तर अग्रसर हो रही है । मान्यवर, फिर भी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि अब भी लगभग 81 लाख बच्चे जो 6 साल से 14 साल की उम्र के हैं उनको शिक्षा नहीं मिल रही है वह अपने घर पर हैं । उनके लिए अनिवार्य प्राइमरी एजूकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठें ।

श्री रामनाथ मुंशी--

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो प्रौढ़ शिक्षा चलायी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत 22 लाख प्रौढ़ लोगों को शिक्षित किया गया है जो बिल्कुल निरक्षर थे । तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि असहायता प्राप्त विद्यालयों को भी मान्यता दी जानी चाहिए । हरिजन प्राथमिक विद्यालयों मे भी प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाय । प्रदेश में 6 से 14 वर्ष के 1 करोड़ 61 लाख विद्यार्थियों को 40:1 के अनुपात से शिक्षा देने के लिए लगभग 40 हजार प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है । लगभग इतने ही प्रशिक्षित अध्यापक बेकार हैं तो उन्हें समायोजित किया जाय । डा0 दिनेश जौहरी को पुकारा गया ।

श्री अधिष्ठाता--

मुंशी जी अब क्या मुझे यह कहना पड़ेगा कि लिखा नहीं जायेगा ? आप कृपा करके बैठें ।

श्री रामनाथ मुंशी--

मान्यवर, इसी प्रकार से 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाय जिससे निरक्षरता का प्रतिशत घटे । 300 की आबादी वाले गांवों को प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था की जाय । प्रदेश भर के प्रत्येक प्रकार के विद्यालयों का सर्वेक्षण कराकर शिक्षक तथा छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था करायी जाय । इन्हीं बातों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का विरोध तथा माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुंशी जी आप जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । अब आप कृपया बैठिये ।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, 26 जनवरी, 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो बड़ी आशाएं की गयीं थीं कि 10 वर्षों से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी लेकिन मान्यवर, अभी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और करीब 90 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते भी हैं, तो उसमें से 50 फिसदी स्कूलों की हालत आज अच्छी नहीं है, बहुत से स्कूलों की तो इमारतें नहीं हैं, और जिन स्कूलों के पास इमारतें हैं भी तो वह बहुत जर्र-जर हालत में है, जहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है और साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 60 प्रतिशत स्कूल तो ऐसे हैं, जिनके पास अपने पुस्तकालय

नहीं हैं, 30 प्रतिशत स्कूल तो ऐसे हैं, जिनके पास अपने ब्लैक-बोर्ड तक नहीं हैं और 40 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहां पर केवल एक अध्यापक है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

यह सारी सूचनायें आप लिखकर दीजियेगा कि कहां-कहां हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी--

जी हां, लिखकर दे दूंगा और पीने के पानी की व्यवस्था तो स्कूलों में बहुत ही कम है और मान्यवर, मांटेसरी शिक्षा को लेकर जो स्कूलों के एकदम रोजगार शुरू हो गये हैं और हर जगह हजारों की संख्या में यह स्कूल खुल गये हैं । बेसिक शिक्षा अधिकारी को 1-2 हजार रु0 घूस की शक्ल में देकर मान्यता भी प्राप्त कर लेते हैं तो मान्यवर, न मालूम ऐसे कितने स्कूल खुल गये हैं । एक उदाहरण मैं अपने यहां बरेली का दे रहा हूं कि बरेली मे एक सज्जन हैं, जो ऐसे 32 स्कूलों के प्रबन्धक हैं, जिनके केवल 14 स्कूल चल रहे हैं और बाकी 18 स्कूल सिर्फ कागजों पर हैं, जिनके नाम से यह कई जगहों से जैसे इलाहाबाद एजूकेशन बोर्ड से, बरेली प्रशासन से और हरिजन समाज कल्याण विभाग आदि से अनुदान करीब 22 लाख रु0 प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं । फर्जी स्कूलों के नाम से 22 लाख रु0 अनुदानों के रूप में कई जगहों से ले रहे हैं । तो मान्यवर, मैं चाहूंगा इस मामले की आप जांच करा लें ।

दूसरे मान्यवर, आपने साइंस विषय को हाई स्कूल में कम्पलसरी कर दिया है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में साइंस स्कूलों के अध्यापक कहीं आपने रखे नहीं हैं, जबकि साइंस एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, अगर अध्यापक नहीं होंगे, तो पढ़ाई कैसे होगी । इसलिए इस सम्बन्ध में भी, मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि इसकी व्यवस्था आप तुरन्त करायें और जिन-जिन स्कूलों में अध्यापकों के अभाव में पढ़ाई नहीं हो सकी और वहां के बच्चों के नम्बर कम आये हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स दिलाने की व्यवस्था करें । एक मामला और मैंने प्रश्नोत्तर काल में भी बरेली के एक इंटर कालेज की बिल्डिंग से सिलसिले में उठाया था, जबकि वह बरेली का सबसे अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी वहां अच्छी होती है, और बिल्डिंग भी अच्छी है, सिर्फ थोड़ी सी मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ दो-एक कमरे रहने देंगे और बाकी सब गिरा देंगे । ऐसा नहीं होना चाहिए इस सम्बन्ध में मैं अनुरोध करुंगा कि सिर्फ 2-3 कमरों को की मरम्मत करवा दीजिए और इसमें लगने वाले धन की आवश्यकतानुसार स्वीकृति भिजवा दीजिए ।

दूसरे मान्यवर, रुहेलखंड विश्व-विद्यालय अभी कुछ ही वर्ष पहले एग्जिस्टेंस में आया है, लेकिन इसमें जो अनियमितताएं हो रहीं हैं, जहां पर बी0 एड0 के ऐडमीशन फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर अन्धाधुन्ध हो रहे हैं, करीब 30 प्रतिशत फर्जी मार्कशीट्स पर वहां एडमीशन हो रहे हैं और मान्यवर, इस विश्वविद्यालय ने 1 लाख, 25 हजार रु0 की अग्रिम धनराशि एक मोटर कम्पनी को दे दिया और वह मोडर कम्पनी फेल हो गयी और वह पूरा रुपया चला गया ।

मान्यवर, 5 लाख रुपया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के किराये के भवन की साज-सज्जा के लिये दिया गया । मान्यवर, पी0 एच0 डी0 की डिग्री देने के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन में जो आजकल रोजगार चल रहा है, विद्यार्थी घर पर बैठा रहता है और उसे पी0 एच0 डी0 की डिग्री मिल जाती है । मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए । सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों ने जो हड़ताल की थी, आपने उन्हें 4 करोड़ रुपया देने के लिए आश्वासन दिया था, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वह आदेश दें, ताकि वह सारे शिक्षक लाभान्वित हो सकें । इन शब्दों के साथ श्री कौशिक जी

के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

(श्री संकठा प्रसाद शास्त्री के खड़े होने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा एक निवेदन है कि बनारस की लाज रखियेगा ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

यह आप अपने से जान लीजिए, तब हमको कुछ कहिये ।

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि बनारस की लाज रखियेगा । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या उनको बनारस में शर्म लगती है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । जहां तक शिक्षा का सवाल है, यह सभी लोग जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । शिक्षा विभाग ही यह ऐसा बिभाग है, जिससे सभी विकास के कार्य या मनुष्य का निर्माण या समाज का निर्माण या देश का निर्माण, चाहे धर्म हो, चाहे कोई वैज्ञानिक कार्य हो, माने किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, वह केवल शिक्षा पर ही आश्रित है । शिक्षा अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से सभी चीजें अच्छी होंगी । शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है हमारे शासन की तरफ से, हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने उसके बारे में सारी चीजें रख दिया हैं, उस सिलसिले में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता । लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं, मैं तो बोलना नहीं चाहता था, मैं बचना चाहता था और अपने माननीय सदस्यों की सारी आलोचना अपने विषय में सुनना चाहता था कि कितनी आलोचना ये लोग करते हैं । मैं यहां पर माननीय कौशिक जी से कहना चाहता हूं और हमारे माननीय मनोहर लाल जी इस समय नहीं हैं, ये लोग रामायण का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं । लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो किसी दिन हमारा और इन लोगों का इन्टरव्यू हो जाना चाहिए रामायण के मामले में ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शास्त्री जी, आपका इन्टरव्यू हो जाय, तो आप सजेस्ट भी कर दीजिए कि कौन इन्टरव्यू आपका लेगा ? नाम तो बता दीजिए ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आपने तो इन्टरव्यू लेना शुरू कर दिया ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

वैसे मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि रामायण एक ऐसी पुस्तक है, जिससे हर तरह का ज्ञान होता है, चाहे वह नैतिक ज्ञान हो, चाहे राजनीति का ज्ञान हो, चाहे शिक्षा का ज्ञान हो, चाहे किसी भी तरह का ज्ञान हो, रामायण से सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं । मेरी रामायण में आस्था है, विश्वास है । मैं रामायण का बहुत सम्मान करता हूं और आदर करता हूं । रामचन्द्र जी का भी बहुत आदर करता हूं और नतमस्तक होकर भगवान के रूप में मानता हूं । ऐसी स्थिति में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों का, झूठ का इतना अधिक प्रचार होगा तो सच का कितना होगा ? मैं जीता हूं ईमान और चरित्र पर । मैं जीता हूं नियत और निष्ठा पर । मैं झूठ नहीं बोलता और न बोलना चाहता हूं । मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, पढ़े-लिखे से लेकर अनपढ़ समाज भी

हैं । आपको सही ढंग से दिशा निर्देश देना चाहिए । आप जब सच कहेंगे तब शिक्षा होगा, तब समाज बनेगा । आप इस तरह से झूठी और अमंगल बात बोलेंगे तो समाज नहीं बन सकता मैं संयम के साथ जिन्दा हूं, अपने चरित्र के साथ जिन्दा हूं । सच्चाई और निष्ठा के साथ जिन्दा हूं, यही हमारी पूंजी है । मैं झूठ नहीं बोलता लेकिन झूठ बोलने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि झूठ बोलना बन्द करें नहीं तो समाज बिगड़ जायेगा, शिक्षा बिगड़ जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राम कृष्ण--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं मछरेहटा जनपद सीतापुर से निर्वाचित होकर आया हूं । वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर कोई हाईस्कूल नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं । उक्त कस्बा मछरेहटा में विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक के अधिकारी डाक्टर तथा अधिकारी रहते हैं परन्तु कोई अधिकारी वहां पर जाना पसन्द नहीं करता है इसका कारण है शिक्षा का न होना । शिक्षा के न होने से हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र मछरेहटा में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है, उसे चलाया जाय । मेरे क्षेत्र मछरेहटा में अनेक ऐसी ग्राम सभायें हैं जहां प्रौढ़ शिक्षा द्वारा शिक्षा ग्रहण कराई जाय । मान्यवर, मेरा क्षेत्र देहाती क्षेत्र है जहां से 20-20 किलो-मीटर पैदल जाकर जनपद स्तर पर बालक पढ़ने जाते हैं । ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मछरेहटा में और औरंगाबाद में जहां पर दस-दस हजार की आबादी है वहां पर हाई स्कूल खोलने की कृपा करें । मान्यवर, 5 वर्ष पूर्व प्राइमरी पाठशालाओं के लिए धन आवंटित किया गया था परन्तु वहां पर भवन आज तक नहीं बने हैं । मान्यवर, जिस विभाग को भवन बनाने के लिये धन दिया गया है उस विभाग से तुरन्त ही भवन का निर्माण कराया जाय जिससे देहातों में रहने वाले हमारे छात्र प्राइमरी पाठशाला में पढ़ सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

(इस समय 6 बज कर 9 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 कृष्णवीरसिंह कौशल पीठासीन हुए)

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मिसरिख में तहसील स्तर पर एक डिग्री कालेज खोलने की मांग स्वीकर की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बजट शिक्षा और वक्फ बोर्ड का रखा है मैं इसका समर्थन करता हूं । जो कटौती का प्रस्ताव कौशिक जी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं मैं इसको ताईद करता हूं लेकिन इसी के साथ-साथ मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं सुन्नी वक्फ बोर्ड को शिया रिसिवरों के हाथ से निकाल कर सुन्नी के हाथ में देने का कष्ट करें, यह मेरा सुझाव है । इसी के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड के फैसले हैं, उनको जिलाधिकारी मनवाने की कोशिश करें । माननीय मंत्री जी तालीम के बारे में कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल

की तालीम बहुत अच्छे ढंग से चल रही है लेकिन ऐसी व्यवस्था करें कि जो टीचर समय से नहीं आते हैं, वह समय से आयें और तालीम दें ताकि बच्चों का नुकसान न हो । एक बात और कहना चाहता हूं कि उर्दू के बारे में जो दावे किये गये हैं, उनको पूरा किया जाय । उर्दू टीचर की जो स्कूलों में व्यवस्था की गई है, जिन स्कूलों में इनकी कमी है, उर्दू टीचर नहीं है, वहां उर्दू टीचर रखे जायं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बिजनौर जनपद में मेरा निर्वाचन क्षेत्र अफजलगढ़ में कादराबाद बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां पर कृषि महाविद्यालय बनवाया जाय । तालीम की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है । कांग्रेस सरकार इसको इस तरह से न चलाती तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश पिछड़ जाता । मैं इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री चन्द्रभान मौर्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । "हम तो लुट गये मुहब्बत में तुम्हारी मगर तुमने यह भी न पूछा कि तमन्ना क्या थी ।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी । पूना पैक्ट पर महान शिक्षाविद् श्रद्धेय डा0 भीमराव अम्बेदकर ने इसलिए हस्ताक्षर किये थे कि देश आजाद होगा और भारत में इस देश के कोटि-कोटि शोषित मजलूम और दबे हुए लोगों के हितों की रक्षा होगी । किसी देश की शिक्षा नीति का कोई आधार होता है । हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति घोषित की जा रही है, मेरी निश्चित मान्यता है कि यह मनुस्मृति का बदला हुआ रूप है । इस देश मे ब्राह्मणवाद हावी है ।

मैं इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि दुनिया के माने हुये शिक्षाविद् स्वर्गीय डा0 भीम राव अम्बेदकर थे । दुर्भाग्य की बात है, श्रीमन्, आप भी उनके अनुयायी रहे हैं । डा0 भीम राव अम्बेदकर की प्राइमरी पाठशाला के कक्षा पांच और कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में जीवन की कोई झांकी नहीं है । देश के 33 प्रतिशत हरिजनों के साथ यह सरकार बहुत बड़ा अन्याय कर रही है । इससे ज्यादा शिक्षा पर इनका कुठाराघात और क्या हो सकता है ? मेरी निश्चित मान्यता है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है वह मनुस्मृति का बदला हुआ रूप है । मनुस्मृति में यह व्यवस्था की हरिजनों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है । कोई हरिजनों को शिक्षा देता है तो इससे बड़ा पाप कोई और नहीं होगा । उसी शिक्षा को बदल कर नई शिक्षा नीति घोषित करके, इस देश के दबे हुये, सताये हुये कोटि-कोटि किसानों सर्वहाराओं और गरीबों के बच्चों का शोषण इसके द्वारा किया जायेगा । और अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे और चन्द लोगों के हाथ में देश की हुकूमत होगी ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे पड़ोसी अलीगढ़ जिले के हाथरस में एक पापरी गांव है, जहां 75 प्रतिशत हरिजन लोग रहते हैं । वहां एक मोहल्ले में 10 साल से एक प्राइमरी पाठशाला चल रही थी । वहां पर ब्राह्मणों के पांच घर हैं । तो जो 10 साल से प्राइमरी पाठशाला चल रही थी, उसको अब जिलाधिकारी ने ट्रान्सफर करके ब्राह्मणों के मोहल्ले में बना दिया है । वहां हाहाकार हो रहा है । मैंने राज्य मंत्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री को लिख कर दिया लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाये । बेसिक शिक्षा निदेशक एक ब्राह्मण हैं । सचिव, शिक्षा पन्त भी ब्राह्मण हैं । उन्होंने कलेक्टर से आख्या मांगी । लेकिन एक माह हो गया आख्या नहीं आयी और वह स्कूल वहीं है । हरिजनों के बच्चों की उपेक्षा करके ब्राह्मणों के मोहल्ले में वह स्कूल चलाया जा रहा है । सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं,

किसी में भी चाहे अध्यापक हों या लेक्चरर, हरिजन नहीं मिलता । मान्यवर, कहते हैं कि हरिजनों में योग्य लोग नहीं हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा दावा है कि ऐसा नहीं है। आपसे जो प्रौढ़ शिक्षा निदेशक हैं, आपने उनके कहने पर प्रौढ़ शिक्षा को बिना दबाव के चलने दिया तो मेरी मान्यवर, यह मान्यता है कि प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा का काम श्रेष्ठतर होगा । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इस प्रदेश में हरिजनों के उत्थान के लिये डा0 भीम राव अम्बेदकर का पाठ्यक्रम हाई स्कूल तक चलाया जाय और आगरा में एक डिग्री कालेज डा0 अम्बेदकर के नाम से बनाया जाय ।

श्री खान गुफरान जाहिदी---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय परिवहन मंत्री जी की ओर से जो शिक्षा का बजट पेश किया गया है, उसका भरपूर समर्थन करता हूं । साथ ही अभी एक माननीय सदस्य ने जिन बातों का इजहार किया, अगर किसी हरिजन भाई के सिलसिले में जिन बातों का इजहार किया कि वे नीचे हैं, तो इस जहनियत को तोड़ने के लिये, उस बात को खत्म करने के लिये पिछले 38 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जो हरिजन भाइयों को बेहतर मौका देने के लिये जो पैसा दिया गया, इसलिये दिया गया कि किसी प्रकार से पढ़ सकें, उन्हें छात्रवृत्ति दी गयी, इस बात को देखा जाय तो उससे इनकी सारी बातों का खण्डन हो जावेगा । सही बात तो यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा पाठशाला, या मकतब ये छोटी सी युनिट है, जहां सब बराबर बराबर बैठते हैं । जहां जाति-पांति और मजहब का कोई सवाल नहीं है, वह सेक्युलरिज्म की पहली सीढ़ी है जो बच्चे सीखते हैं । इन पाठशालाओं में पहली बार जो बच्चा पढ़ने जाता है तो पढ़ाने वाला टीचर वह नहीं महसूस करता कि यह बच्चा किसका है, क्या पढ़ने वाले की जाति है और क्या पढ़ाने वाले की ।

मैं मान्यवर, दो-एक मिनट और लूंगा और कुछ नीतिगत बातें कह कर समाप्त करूंगा। यहां जो टेक्स्ट बुक्स बनाई जा रही हैं जो प्राइमरी स्कूलों या और ऊपर के बच्चों को पढ़ने को दी जा रही हैं, तो जो डेवलपिंग कन्ट्रीज हैं प्रगतिशील मुल्क हैं वहां पर ऐसी भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है जिसमें अलग-अलग जाति के लोग और अलग-अलग धर्म के लोगों में निफाक न पैदा हो । सच्चा इल्म वह है जिसमें जाति-पांति और फिरकापरस्ती की जगह मानवीयता को बढ़ावा मिले । मानवीयता बढ़ेगी तो राष्ट्र बढ़ेगा और प्रदेश बढ़ेगा । नेशन बढ़ेगा और इनसानियत बढ़ेगा तो शिक्षा का सही उपयोग होगा ।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय कौशिक जी ने जो बातें रखी हैं, उन पर मैं आता हूं । कहा गया कि जितनी प्राइमरी पाठशालायें हों, उतने माध्यमिक स्तर की भी पाठशालायें हों, जितनी माध्यमिक स्तर के स्कूल हों उतनी युनिवर्सिटीज करें । मान्यवर, जो स्टूडेंट की संख्या है, ड्राउट आउट हुए बगैर आगे की शिक्षा नहीं हो सकती है कहा गया है कि बच्चों में अनाज बांटना चाहिये । 85 फीसदी टीचरों में तनख्वाह ही चली जाती है, पैसा ही नहीं है । मैं आपके माध्यम से यह एक बात रखना चाहता हूं कि जनता जनार्दन का सहयोग जिस प्रकार आजादी से पहले और उसके बाद तक था, अगर वह नहीं होता तो शिक्षा इतनी आगे न बढ़ पाती । मान्यवर, जब तक परफारमेंस बेस प्रमोशन यानि कि लोग अपनी अच्छी इफिशियेंसी नहीं देते हैं, उसके बिना प्रमोशन टीचर का न हो तब तक स्टैण्डर्ड नहीं बन सकता है ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप विराजें । आपका समय समाप्त ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, सबसे बुनियादी चीज स्टैण्डर्ड को देखना है। टीचरों को परफारमेंस बेस प्रमोशन दिये जायें। यह जो रहता है कि रिजल्ट कुछ भी हो, प्रमोशन मिलता रहे, यह सिलसिला बंद किया जाय दूसरे, जो लोग स्कूल कायम करना चाहते हैं, उनको स्कूल कायम करने की इजाजत दी जाय। तीसरे, जो कालेजों और स्कूलों में ट्यूशन का सिलसिला जारी है, उस पर बंदिश की जाय। गवर्नमेंट और अन्य स्कूलों कालेजों में न पढ़ाकर जो घरों में ट्यूशन आदि की बात टीचर करते हैं, इस सिलसिले को बंद किया जाय। मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के सिलसिले में मेरा मन तो कबूल नहीं होता है। जब बुनियादी शिक्षा के लिये पैसे की उपलब्धता नहीं है तो अभी ऐसी चीजों की तरफ कोशिश नहीं करनी चाहिये जिस तरफ हमारे जाने से खाली शिक्षित बनाने की जरूरत नहीं है, शिक्षा के उपयोग के द्वारा कौम और मुल्क को बनाने की बात आती है। बच्चों के लिये जितनी जरूरत है, उस तरफ ध्यान दिया जाय। बूढ़ों पर उस काम को न किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शिक्षा विभाग के बजट का प्रस्ताव रखते हुए नयी शिक्षा नीति नामक जो पुस्तक है उसमें से इब्राहीम लिंकन के कुछ शब्द उद्धरित किये थे। मान्यवर, स्वामी विवेकानन्द जी ने जो कहा है, उनके कुछ शब्द इसी शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि तुम लोग कुछ धन इकट्ठा करके एक कोष बनाने का प्रयत्न करो और शहर में जहां गरीब लोग रहते हैं वहां एक मिट्टी का घर बनाओ और एक हाल बनाओ। मान्यवर, यह देश एक गरीब देश है, जिसमें कि 50 फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, वहां पर आज भी गांव में प्राइमरी पाठशालाओं का न खुलना, यह बड़े दुःख की बात है।

मान्यवर, जो इनके आंकड़े हैं, उसके आधार पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। यह कहा गया कि 18782 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास भवन नहीं है। जहां पर भवन भी है, वह भी इतनी जर्जर हालत में है कि क्या कहा जाय। आधे से ज्यादा स्कूल ऐसी अवस्था में हैं कि मवेशीखाने से बदतर हैं। मान्यवर, यह कहा जाता है कि एक स्कूल जो दो कमरे वाले हैं, वह करीब 70 हजार रु0 में बनता है। इस प्रदेश में 1 लाख 12 हजार गांव हैं। आप स्कूल बनवा नहीं सकते हैं, आप नये स्कूल खुलवा नहीं सकते हैं। और उसमें करीब 72 हजार स्कूल हैं। बहुत से गांव अभी ऐसे हैं, जहां पर स्कूल नहीं है, इसलिए वहां पर स्कूल खुलने चाहिए इस संबंध में मेरा एक सुझाव है, यदि सरकार माने तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। गांवों में आप पक्के भवनों के बजाय कच्चे भवन बनायें और उसी गांव पंचायत को अधिकार दे दें कि जो गांव पंचायत प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण करेगा, वहां पर हम प्राइमरी पाठशाला अवश्य खोलेंगे। इसी तरह से उन प्राइमरी पाठशालाओं के रख-रखाव के लिए आप वहां के ग्रामपंचायत के लिए एक वार्षिक राशि बांध दें। इससे जो आपको भवनों की समस्या है वह ठीक हो जायेगी।

मान्यवर, मैं महिला शिक्षा के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा मात्र 14 प्रतिशत है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर महिला शिक्षा केवल 5 प्रतिशत है। बस्ती, गोण्डा, बहराइच, बांदा और रामपुर आदि में 8% जिलों में शिक्षा महिलाओं की केवल

5 प्रतिशत है । इसलिए मेरा सुझाव है कि जो क्षेत्र भूखे हैं, उनको भोजन जाना चाहिए । महिलाओं की शिक्षा का परसेन्टेज कम है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां पर माध्यमिक स्कूल नहीं हैं, वहां पर आप माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर मिला । हमारी सरकार ने देश में और प्रदेश में अशिक्षा को दूर करने के लिये बहुत से प्रयास किये हैं । किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिये, देश और समाज के विकास के लिये यह आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा दी जाय । हमें इस बात का फक्र है और खुशी है कि हमारी सरकार ने आजादी के बाद शिक्षा के उत्थान के लिये तमाम प्रयत्न किये हैं । जिसकी वजह से आज शिक्षा की जड़े मजबूत हुई हैं । प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा हमारे देश और प्रदेश की शिक्षा की जड़ों में कितनी गहरी हुई हैं, यह हम भी जानते हैं और उधर के बैठे हमारे सम्मानित साथी भी जानते हैं । चूंकि विरोध में बैठे हैं और कटौती के प्रस्ताव पर उन्हें कुछ कहना है, इसलिये वह विरोध करने के लिये कुछ न कुछ कहते हैं । मान्यवर, हम सब उस दिन की इन्तजार कर रहे हैं जिस दिन हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी एक नयी शिक्षा नीति देंगे, जिससे देश और प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर और तेजी से बढ़ेगा ।

मान्यवर, शिक्षा की प्रगति तो हो रही है, लेकिन इस संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं कि प्राइमरी शिक्षा के लिये जगह-जगह तमाम स्कूल खोले गये हैं, लेकिन जिस संख्या में खोले गये हैं, उस हिसाब के अभी तक उनका विकास सम्भव नहीं हो सका है । इसके दो कारण हैं । पहला, यह कि प्राइमरी स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं, वे स्थानीय होते हैं । वे शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं और अपने घरेलू कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को तहसील से दूर रखा जाय ताकि शिक्षा पर वे अधिक ध्यान दे सकें और बच्चों की पढाई, लिखाई सुचारु रूप से हो सके ।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहती हूं कि नये स्कूल खोलने के बजाय प्राइमरी स्कूलों में गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिये ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके । जहां तक अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा का सवाल है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि यह अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा खाली नाम मात्र के लिये कागज पर होती है । मान्यवर, मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि मेरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति इस अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षित नहीं हुआ है इसलिये इस शिक्षा को समाप्त करना चाहिये । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहती हूं, चार-चार निदेशक हैं, लेकिन एक भी महिला निदेशक को नहीं रखा गया है, जबकि एक उप निदेशक बहुत पुरानी और योग्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि शिक्षा निदेशक के पद पर भी महिला की नियुक्ति की जाय । जिले में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन्हें कोई वित्तीय अधिकार नहीं हैं, सारे अधिकार केवल पुरुष बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास ही होते हैं । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि समय कम है, इसलिये आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, अधिक से अधिक तीन मिनट का समय दिया जा सकता है ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की शिक्षा की स्थिति देश के नक्शे में सबसे खराब है । निवेदन करना चाहता हूं कि जहां केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में 60 प्रतिशत से ऊपर साक्षरता है और पूरे भारत में 37 प्रतिशत साक्षरता है, वहीं सबसे कम उत्तर प्रदेश की 27 प्रतिशत साक्षरता है ।

शिक्षा के ऊपर 60 प्रतिशत खर्चा होना चाहिये, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मामले में 16 प्रतिशत खर्चा किया जा रहा है । सबसे दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जहां डेढ़ करोड़ विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन प्राइमरी विद्यालयों के भवन राजा साहब की घुड़साल से उनकी दशा ज्यादा दयनीय है, लेकिन राजा साहब ने बसों को खटारा बना दिया है, चाहते हैं कि शिक्षा को भी खटारा बसों पर चलाया जाय । प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है, एक लड़के पर साल भर में 2 रु0 खर्च करने का प्राविधान किया है । उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ कौन सा न्याय करने जा रहे हैं ?

देवरिया जनपद और उसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसा हमारा क्षेत्र है जो शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले तीन वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक भी विद्यालय को इण्टर-मीडिएट की मान्यता नहीं दी गयी । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक में साइन्स का एक भी इण्टरमीडिएट का कालेज नहीं है । आपने हाई स्कूल के विद्यालयों में साइन्स की पढ़ाई अनिवार्य की है । जब हाई स्कूल में अनिवार्यत: कर दी तो वहां के हाई स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी इन विद्यालयों में इण्टर-मीडिएट की शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा ?

नरेन्द्र देव इण्टरमीडिएट कालेज, पथरदेवा का पिछले 4 वर्षों से आवेदन मान्यता समिति से संस्तुत होकर विज्ञान की मान्यता के लिये सरकार के सामने विचाराधीन है उसको साइन्स की मान्यता दी जाय और महुवारी हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट की मान्यता दी जाय ।

एक ओर निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल में देवरिया जनपद में कुशीनगर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय, की स्थापना होनी चाहिये । बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की भविष्य निधि के मामले में बड़ा घपला है, उसका कोई एकाउन्ट नहीं है, करोड़ो-करोड़ों रुपया बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की गाढ़ी कमाई का है, हड़प लिये हैं । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती शशि शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कौशिक जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

मैं संक्षेप में कुछ सुझाव रखना चाहती हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों को सुदृढ़ किया जाय और जो पब्लिक स्कूल मशरूम की ग्रोथ की तरह बढ़ रहे हैं इनको रोकना होगा । ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक स्कूल खोल लिये जाते हैं जिनकी फीस की कोई लिमिट नहीं होती है । इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि अध्यापकों की पेंशन का पेमेन्ट ट्रेजरी के थ्रू होना चाहिये । मान्यवर, शिक्षकों को जो सैलरी दी जाती है, वह अगर रेगुलर सैलरी के साथ में पेंशन को भी अटैच

*अंग्रेजी में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर दिया जाय तो इसमें जो भ्रष्टाचार होता है वह काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है ।

गत दो वर्षों से किसी माध्यमिक शिक्षा के स्कूल को मान्यता नहीं मिली है । यह बड़े खेद का विषय है । मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इस विषय में जरूर प्रयास करेंगे ।

महिलाओं की शिक्षा जो कि समाज के विकास के लिये बहुत ही जरूरी है, जब महिलायें शिक्षित होंगी तभी समाज का विकास हो सकता है जो इसके लिये ब्लाक लेबिल पर अच्छे सेकेन्डरी स्कूल खोलने की मन्त्री जी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी । इन्हीं शब्दों के साथ में शिक्षा के बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश में लगातार शिक्षा चल रही है बहुत समय से तो ऐसा महसूस होता है कि प्राइमरी, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर में गड़बड़ है । इसमें बहुत ज्यादा दोहरी नीति रखी गयी है । कभी-कभी क्या, हर समय ऐसा लगता है कि कोई काम्पलेक्स है । जब भी कुछ होता है तो कमीशन के नाम पर जोर दिया जाता है । बलिया वाले चाहते हैं कि बलिया में, देवरिया वाले चाहते हैं कि देवरिया में और पूर्वाञ्चल वाले चाहते हैं कि पूर्वाञ्चल में सारी शिक्षा दी जाय । इसके लिय समय-समय पर कमीशन गठित किये गये, कोठारी कमीशन बना । श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा कि सारी विश्वविद्यालय की शिक्षा ब्लाक कर दी जाय ।

जब देश के प्रधान मंत्री, राजीव गांधी लगातार दो से साल से नई शिक्षा नीति क्या हो, यह घोषणा नहीं कर पा रहे हैं । आज शिक्षा सचिव आई० ए० एस० होता है, कोई ऐकेडेमिक लोग शिक्षा निदेशक नहीं हो पाते हैं । कहीं भी माध्यमिक शिक्षा का या प्राथमिक शिक्षा का निदेशक एकेडेमिक है ? जबकि एम० ए० थर्ड क्लास जो हैं वो बाद में विलायत से कोई और डिग्री हासिल कर लिये हैं और हमारे यहां यह शिक्षा नीति हो गयी है ।

प्राइमरी एजूकेशन को क्या कहें ? यदि कोई क्वालीफाई प्राइमरी शिक्षक रखा जाता, तो ऐसी बात नहीं है । डाक्टर की डिग्री लेकर वे डाक्टर बन जाते हैं । पोस्ट ग्रेजुएट को प्राइमरी शिक्षा में नहीं रखा जाना चाहिये । विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के ग्रेड में भी अन्तर है । डिग्री कालेज में 700--1600 पर नियुक्ति की जाती है और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को और भी अन्य सुविधायें दी जाती हैं जो कि प्राइमरी के शिक्षकों को नहीं मिलती हैं जब कि 10 वर्ष से नीचे का बच्चा जिसका कोई ज्ञान नहीं होता है उसका ज्ञानवर्द्धन प्राइमरी शिक्षक ही कराता है । हमारे यहां अमेरिका, कनाडा और जापान के लोग आते हैं जिनका मत है कि प्राइमरी एजूकेशन सब से कठिन काम है । अब मैं आपका ध्यान मिर्जापुर जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं । मिर्जापुर जनपद वाराणसी से 275 किलोमीटर है और वाराणसी यहां से 275 किलोमीटर है । वाराणसी और इलाहाबाद के कारण शिक्षा के मामले में मिर्जापुर की बड़ी उपेक्षा की जाती है । मिर्जापुर में केवल दो डिग्री कालेज हैं, एक ओबरा में और दूसरा मिर्जापुर में । यहां पर एक डिग्री कालेज चुनार में खोला जाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 40 इन्टर कालेज लोगों ने अपने अपने बल बूते पर खोले हैं । मान्यवर, नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण और उच्च शिक्षा का विशिष्टीकरण है । इस नीति के परिणाम स्वरूप संरक्षकों पर अधिक बोझ आयेगा । शिक्षा कभी टेलीविजन पर है और कभी

कम्प्यूटर पर है। आप नाई को नाई की शिक्षा देंगे, धोबी को धोबी की शिक्षा देंगे और संविधान के निर्माता अम्बेदकर के लोगों को चमड़ा बनाने वाले कारखाने की शिक्षा देंगे, तो आप यह करने जा रहे हैं। मान्यवर, इस देश की संस्कृति कृषि है, एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। तो आप यह शिक्षा दें, आप कृषि को बढ़ायें और उद्योगों को बढ़ायें। माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हुये हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि रोडवेज की बसों पर वी० डी० ओ० का सिस्टम लगायें।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त, मैंने श्री हरदेव को बुला लिया है। आप बैठें।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं शिक्षा के बजट का समर्थन करते हुये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, एक मिनट और दे दें, जिससे विश्वविद्यालय और रोडवेज का सम्पर्क हो, सिटी बस का सम्पर्क हो, जो हड़तालें हो रही हैं, उन पर आप रोक लगायें।

श्री अधिष्ठाता—

हरदेव जी, आप बोलिये।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के विकास के लिये हर प्रकार की शिक्षा नीति अपनाई है। जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा और नई शिक्षा नीति का मैं स्वागत करता हूं और आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, शासन की मंशा पाक और साफ है और शासन की शिक्षा नीति वास्तव में जनता के विकास के लिये है। शिक्षा को विकसित करने के लिये हर संभव प्रयास किये गये हैं, लेकिन इसमें विरोधी पक्ष में बैठने वाले सदस्य बाधक हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा का सुधार कैसे होगा। जब मैं लिखता हूं कि सुलतानपुर का गणेश मास्टर पढ़ाने नहीं जाता है तो विरोधी पक्ष के बलिया के साथी लिखते हैं यह तो हमारी पार्टी का है, इसलिये इसका स्थानान्तरण रोक दिया जाये। हमारे गांव पूरा में स्कूल बन्द पड़ा है और अध्यापक नहीं जाते हैं, जब लिखा जाता है कि इस अध्यापक को हटाया जाय या दण्डित किया जाये, तो जनता पार्टी के विधायक बलिया के कहते हैं कि हरदेव विधायक है, इसलिये इनको हटाने या खिलाफ में लिखते हैं कि यह सभी जनता पार्टी का काम करते हैं। जब ये लोग इस तरह से काम करेंगे तो कैसे सुधार होगा। मैं आपका इसमें समर्थन चाहता हूं और सुधार हेतु आपका सहयोग चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ का यह मामला आया वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा में सुधार लाने के लिये न शिक्षा मंत्री के कहने के अनुसार दौरा किया और 45 अध्यापकों को पकड़ा, तो विरोधी पक्ष के लोकदल के आप माननीय विधायक साथियों के कहने पर उनको परेशान किया जा रहा है, परन्तु हमारी सरकार ने उसको न्याय दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि बलिया जिला उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये वहां पर एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। बलिया की जनता की मांग है तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० मां इन्दिरा गांधी ने 23 मई

1984 में गड़वार जनपद बलिया को मीटिंग में यह बचन दे चुकी थीं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बेसिक एजूकेशन पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जाय। इस देश और प्रदेश को बेसिक एजूकेशन जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक ऊंची शिक्षा सफल नहीं होगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी से, माननीय पशु मंत्री जी से और अपनी सरकार से चाहता हूं कि अधिक से अधिक बजट का पैसा इस पर खर्च करें। उत्तर प्रदेश की बेसिक एजूकेशन के विकास के लिये कम से कम 10 अरब रुपया माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार से मांगा जाय ताकि इससे प्रदेश आगे बढ़ सके और हमारी बेसिक ऐजूकेशन ठीक हो सके। मान्यवर, हमारे जनपद में 316 विद्यालय भवन-हीन हैं, जिसमें से हमारे क्षेत्र में 77 भवनहीन बेसिक विद्यालय हैं और 48 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन हैं। इनके भवनों का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, वहां के तहसील रसड़ा में जो समोगर देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दुर्गाई पट्टी तथा मोहरी बरौली जूनियर हाई स्कूल और बासपार बहोरवा अल्पसंख्यक कन्या जूनियर हाई स्कूलस को अनुदान सूची में इसी साल लिया जाय। प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति की जाय और असहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज में प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक हैं जो अपनी मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं उनकी मांग सही है उसको पूरा किया जाय। प्रौढ़ शिक्षा योजना मेरे क्षेत्र रसड़ा और रतनपुरा में लागू किया जाय और अनौपचारिक शिक्षा द्वारा जो बलिया में 500 सेन्टर फर्जी चल रहे हैं उसकी जांच करके रिकवरी करायी जाय और दोषी अधिकारियों को दन्डित किया जाय। माध्यमिक शिक्षा परिषद् और उच्च शिक्षा आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग का एक-एक सदस्य प्रतिनिधित्व हेतु रखा जाय ताकि इन लोगों के साथ न्याय हो सके और शिक्षा विभाग में आरक्षण का कोटा भी पूरा हो सके।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

मान्यवर, अन्त में माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि फरहदा उर्फ पुरा ब्लाक सोयर, बलिया के पिछड़े गांव में राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्राविधान इसी बजट में किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

संसदीय कार्य मंत्री, यह माननीय सदस्य इतने ज्यादा बोलने वाले हैं क्या आप समय बढ़ाने के लिये तैयार हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, पौने 7 बज गये हैं अब क्या समय बढ़ायेंगे ?

4 बजे तक कार्यस्थगन चलाते हैं और उसके बाद समय बढ़वाते हैं।

(श्री कौशिक रमा शंकर का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)।

श्री कौशिक रमाशंकर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, थोड़ी सी व्यवस्था करा दें।

श्री अधिष्ठाता--

कौशिक जी, आप एक मिनट बिराजें। आप मेरी बात सुन लें इस समय जितने माननीय सदस्य खड़े हुये हैं बोलने के लिये, अगर मैं तीन-तीन मिनट भी सबको दूंगा तो 10 बजे से पहले वह नहीं समाप्त होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जिन माननीय सदस्यों को समय नहीं मिला है वह लिखकर अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को भिजवा दें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय, वह परिवहन विभाग में चला जायेगा शिक्षा विभाग में नहीं जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

गौरी शंकर भैय्या जी आप बिराजें अगर आपको समय दूंगा तो इधर भी दूंगा ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, मुझे भाषण नहीं करना है, केवल 3 बातें कहनी हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं केवल 2–2 मिनट देता हूं इधर से और उधर से ,

(6 बजकर 50 मिनट)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मुझे सिर्फ तीन बातें कहनी हैं । पहली बात तो यह है कि जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, जो टीचर्स हैं उनको 7–8 महीने से उनकी पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है । तो कृपया इसको आप देख लें कि समय से भुगतान हो जाय । दूसरी बात यह है कि प्राइमरी स्कूलों में 6 नया पैसा पी0 टी0 और परेड के लिये फीस ली जाती थी उसको आपने कटवा दिया है और अब पी0 टी0 नहीं होती है । यह बहुत छोटी सी धनराशि है । मैं चाहूंगा कि आप इस फीस को लगवा लें और जो ड्रिल पहले स्कूलों में होती थी उसको पुनः चालू करवा दिया जाय । तीसरी बात यह है कि हमारे यहां जो तीन ब्लाक हैं— गढ़वार, अनुमानगंज और सोहावल में प्राथमिक स्कूल खोले जायं । गढ़वार में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां जाकर यह घोषणा की थी कि वहां पर एक पूर्वांचल विश्व–विद्यालय स्थापित किया जायेगा । लेकिन उनके मरने के बाद इस सरकार ने उनकी भावनाओं का आदर नहीं किया और अभी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गढ़वार में पूर्वांचल के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के लिये भारत सरकार द्वारा प्रसारित जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसकी गोष्ठी चलाई और पुस्तिका छपवाई तथा हम सभी विधायकों से और अन्य लोगों से सुझाव मांगे हैं । मान्यवर, जहां हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिये पहली बार सोचा है उससे जरूर किसी न किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा । विपक्ष के नेता–गण एवं माननीय कौशिक जी जब बोल रहे थे तो वे बीच–बीच में कभी–हमारे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री जी के ऊपर अटैक कर रहे थे रामचरित्र मानस के बारे में ।

मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि आज जितना शास्त्री जी के वंशज रामचरित्र मानस पर विश्वास रखते हैं, गरीब और हरिजन लोग विश्वास रखते हैं उतना कोई और नहीं रखता है । केवल 10 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो इसकी चर्चा करते हैं और राम चरित्र मानस का नाम लेते हैं । आज स्थिति यह है कि गांवों में अनपढ़ पंडित वहां पर कथा बांचने जाते हैं और पढ़े–लिखे हरिजन और शास्त्री जी के वंशज के लोग बांसमें अटूट विश्वास प्रकट करते हैं उसे वे ईश्वर स्वरूप मानते हैं । इस प्रकार की बातें उठा

कर हमारे विरोध पक्ष के लोग 80 प्रतिशत लोगों के मन को जो हिन्दू समाज के ऊपर विश्वास रखते हैं, ठेस पहुंचाते हैं । उनके अन्दर साम्प्रदायिक भावना पैदा करते हैं । पं0 जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक हरिजन डाक्टर भीमराव अम्बेदकर ने देश का संविधान बनाकर एक राष्ट्रीय एंकता रामायण की रचना की जिसमें देश के हिन्दू मुसलमान सभी वर्ग के लोग आते हैं । हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है । विरोध पक्ष के लोगों को भी इस धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास होना चाहिए और इस प्रकार की भावनायें नहीं उभाड़नी चाहिए ।

माननीय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मंझनपुर टाउन एरिया में लड़कियों का हाई स्कूल नहीं है, इंटरमीडियेट में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है । इसलिये मैं वहां पर लड़कियों के लिये एक हाई स्कूल और लड़कों के लिये इन्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग करता हूं ।

दूसरी बात यह है कि सरसवा ब्लाक में कोई हाई स्कूल और इन्टर-मीडिएट कालेज नहीं है इसलिये मैं सरकार से और मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर भी हाई स्कूल और इन्टर कालेज खुलवा दें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बाबू राम यादव--

माननीय, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये राज्य सरकार शिक्षा का प्रबन्ध करेगी लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के 38 वर्ष के पश्चात् भी इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी । इसका मुख्य कारण है शिक्षा नीति में अव्यवस्था । जिस तरह से इस विभाग में बिना पढ़े-लिखे शास्त्री, बिना मुल्क के राजा इस शिक्षा व्यवस्था में रहेंगे तो प्रदेश की शिक्षा का क्या स्तर होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी क्या स्थिति होगी । मान्यवर, जो हमारे बेसिक विद्यालय चल रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से गांवों के बच्चे आज शिक्षा पा रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, वह देखने की बात है पहले तो वहां के विद्यालय भवन नहीं हैं, शिक्षण सामग्री नहीं है, अध्यापक नहीं हैं और यदि हैं भी तो वे इतने कम हैं कि वे पढ़ा भी नहीं सकते । मैं चाहता हूं कि जो बेसिक विद्यालय ग्रामीण अंचलों में चल रहे हैं जिनमें काश्तकारों के बच्चे, गांवों के गरीब और हरिजनों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी दशा सुधारने के लिये, भवन, शिक्षण सामग्री आदि सभी चीजें मुहैया की जायं तभी शिक्षा व्यवस्था उत्तम हो सकती है । यह जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात है उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब उसके लिये 15 हजार और विद्यालय खोले जायं तभी यह हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें ।

श्री बाबू राम यादव--

दुर्भाग्य से इस बजट में इस बात की घोषणा नहीं की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबूराम यादव--

हमारे यहां तहसील स्तर पर कोई कन्या इंटर कालेज नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें । मैंने श्री राम सिंह जी का नाम पुकार लिया है ।

श्री राम सिंह (एडवोकेट)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं कौशिक जी को कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए ध्यान से सुन रहा था । उनसे अपेक्षा की थी कि वह नयी शिक्षा नीति पर कुछ अच्छे सुझाव देंगे लेकिन उन्होंने कोई जनोपयोगी और जनहितकारी बात नहीं कही । केवल माननीय शास्त्री जी पर झूठा चार्ज लगाया कि उन्होंने रामायण के विरुद्ध कहा है । दूसरी बात उन्होंने कही कि डी० आई० और बी० एस० ए० में लड़ाई रहती है और यूनिवर्सिटी में बी० ए० शिक्षा समाप्त कर दी जाय और कहा कि एस० डी० ओ० स्कूलों के निर्माण में जगह का टोटा नहीं देते हैं । लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे शिक्षा का रूप जनोपयोगी तथा जनहितकारी हो सके । समय नहीं है इसलिए मैं अपने जिले के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं जिस किशनी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां किशनी टाउन एरिया होते हुए भी हाई स्कूल तथा इन्टर अथवा किसी तरह का कोई स्कूल सरकारी अथवा गैर सरकारी नहीं है न लड़कों का कोई स्कूल है और न ही लड़कियों का कोई स्कूल है । इसलिये मैं चाहूंगा कि एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल वहां खोला जाय । कुसुपुरा टाउन एरिया भी मेरे क्षेत्र को है उसमें भी कोई लड़कियों का स्कूल नहीं है वहां पर भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बुलन्दशहर में बी०एस०ए० सालों से नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ऐरी जी एक मिनट बोल लीजिये ।

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । एक मिनट में मैं क्या कहूंगा ? बहरहाल मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं । यह मेरा निश्चित आरोप है जो शासन से आदेश होते हैं उनको वह लागू नहीं करते हैं मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं अभी 5 मार्च को पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों में रिक्तियों को पूरा करने के लिये आदेश गये हैं लेकिन अभी तक उन पर आपके अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं । यही बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में कही थी उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हुई । लगता है शासन कुछ भी आदेश करे इनके अधिकारी उसे लागू नहीं करते हैं जिससे विभाग में बदइंतजामी है । शिक्षा विभाग पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं करना चाहता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें । अब किसी को समय नहीं दूंगा माननीय कौशिक जी को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया ।

(व्यवधान होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

शांत रहें । अब आप स्पष्टीकरण में बोल लेना ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, एक तो शासन को अध्यापकों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और अध्यापकों का सम्मान हम लोगों को पूरी तरह से करना चाहिए फिर वह विश्वविद्यालय स्तर के हों या प्राथमिक विद्यालय स्तर के हों । वह हमारे राष्ट्र की ऐसी विभूतियां हैं जो हमारे राष्ट्र को बनाने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, अफसोस है, जब प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक लखनऊ में इकट्ठे हुए थे लाखों की संख्या में तो इस समय शिक्षा मंत्री जी एक भोज में शामिल थे, यह दुखदायी स्थिति है । मान्यवर, किसी भी स्तर के अध्यापक हैं वह हमारे सम्मानीय हैं और उनकी सुख सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जहां 27 प्रतिशत साक्षरता है वहीं 27 जिले ऐसे हैं जिनमें 27 प्रतिशत भी साक्षर नहीं हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी से कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें । मैं नहीं कहता हूं कि जो जिले अच्छे हो गये हैं जिनकी साक्षरता 40 प्रतिशत और उसके ऊपर पहुंच गयी है, वहां कोई बढ़ोत्तरी न की जाये, उनको बढ़ाया जाये । लेकिन उनको विशेष ध्यान में रखा जाये जहां प्रतिशत कम है वरना क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा । इसलिये सुझाव है कि ऐसे 27 जिले जो हैं जहां 27 प्रतिशत औसत से कम साक्षरता है उनमें विशेष ध्यान देना चाहिए ।

मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल की जो संस्थायें व्यक्तियों के जरिये चलाई जा रही हैं चूंकि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा है इसलिये निवेदन है कि शासन को उसमें उदार नीति अपनाना चाहिये । एक तो अपना वह आदेश जो 6 वर्ष तक अस्थायी मान्यता देने का है उसको आपको वापस लेना चाहिए और उदारता से मान्यता देना चाहिए । चूंकि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा का प्रश्न है और आप दे नहीं पाते हैं, स्वयं आप खोल नहीं पाते हैं विद्यालय, इसलिये प्राथमिक स्तर तक शिक्षा उपलब्ध हो सके इसको देखते हुए मान्यता दें और अनुदान की सूची में लाने के लिए आपको उदार नीति अपनानी चाहिए । आप 100 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान की सूची में ला रहे हैं, यह बहुत कम है, इसको बढ़ायें ।

मान्यवर, जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनको भी मान्यता प्रदान करना चाहिए और अनुदान सूची पर लाने के लिए क्रमबद्ध सूची तैयार करें और अधिक से अधिक मान्यता प्रदान करें । और जो आपका विचार है अनुदान देने के निर्णय करने के लिये, आप जिला नियोजन समितियों को निर्णय के लिये सौंप रहे हैं, तो यह विचार उचित नहीं है । चूंकि यह विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो नीतिगत प्रश्न है । इसलिये शासन स्तर पर अनुदान सूची तैयार की जानी चाहिए ।

मान्यवर, विश्वविद्यालय स्तर पर जो सुझाव दिये उन पर मंत्री जी गौर करेंगे । साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 1973 है उसमें परिवर्तन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक कोर्ट, सभा को, एकेडेमिक काउन्सिल जो है उसको अधिक से अधिक, अधिकार प्राप्त हो सकें मैं समझता हूं कि विद्या और परीक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का कोई दखल सिवाय एकेडेमिक कौंसिल के किसी का नहीं होना चाहिए । और जो कुल सचिव हैं उनके ट्रांसफर की जो बात सोची जा रही है या किये जाते हैं, यह भी एक अनुचित फैसला है । इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए कि इनका ट्रांसफर एक विश्वविद्यालय से

दूसरे विश्वविद्यालय में न किया जाए। क्योंकि इसका नतीजा यह होता है कि कुल सचिव लोग अच्छे से अच्छे विश्व-विद्यालय में जाने के लिए होड़ लगाने लगते हैं। पूर्वांचल में एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए और मेरा विचार है कि यह बलिया में जे0 पी0 के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि पूर्वांचल के शिक्षा जगत की आवश्यकता की पूर्ति हो सके और एक महान विभूति, प्रतिभावान व्यक्तित्व के प्रति सम्मान प्रकट कर सकें।

आप अपने बजट पर जरा ध्यान दें, आयोजनागत और आयोजनेतर वाले मामले में आपके यहां वही भारी विसंगति। आयोजनागत तो है नहीं, 94 प्रतिशत बजट आपका आयोजनेतर है। पिछले वर्ष भी करीब इतना ही था और उसके पहले वर्ष भी करीब इतना ही था। तो यह सिलसिला आखिर आप बदलेंगे या नहीं? कब बदलेंगे, इस बात पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

जो जूनियर हाईस्कूल सरकार के हैं या बेसिक शिक्षा परिषद् के हैं, उनके उच्चीकरण की प्रक्रिया ठप हो गई है। सम्भवतया इस साल आप कुछ स्कूलों को करने वाले हैं। तो मेरा विचार है कि जनपद मुरादाबाद में जो 20 हजार की आबादी वाला, एक कस्बा बछरायू है, जहां लोगों के पास रोजी के साधन नहीं हैं और वह अपना विद्यालय चलाने में असमर्थ हैं, वहां के स्कूल पर आप विचार कर लें और उसका उच्चीकरण करके राजकीय हाईस्कूल बना दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह आशा करते हुए कि आप लोग शासन और सरकार मेरे सुझावों पर अमल करेगी और उसकी जो घोषित नीतियां हैं संविधान के अनुच्छेद 45 में जिनकी व्यवस्था की गई है, उनको आधार मानते हुए अपने प्रदेश में समान शिक्षा लागू करेंगे। बहुत से साथियों ने कहा कि बड़े लोगों को शिक्षा प्रसार कार्य में साथ लीजिए, मेरा विचार है कि वह क्यों साथ देंगे। जब आप प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए दे रहे हैं, तो उनके बच्चे तो वहां पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों में उनका इन्ट्रेस्ट कम हो गया है, खत्म हो गया है। उनका ध्यान इस ओर तभी होगा जब आप समान शिक्षा चलायेंगे और तभी आप मालदार लोगों से दान भी ले सकते हैं और उन स्कूलों की स्थिति सुधारने के बारे में वह सोच सकते हैं।

यदि आपको शिक्षा का लोकतन्त्रीकरण करना है, सार्वजनीकरण करना है, जो आपकी नीति है तो आपको समान, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देनी होगी। यदि आपने अपने यहां ऐसी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर ली तो आपकी माध्यमिक शिक्षा स्वतः ही ठीक हो जाएगी और उसके बाद विश्वविद्यालय को जो विशिष्ट शिक्षा है उसके स्तर में भी सुधार होगा। यदि प्राथमिक शिक्षा ठीक नहीं करेंगे, समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा नहीं देंगे तो किसी भी स्तर की शिक्षा में आप सुधार नहीं कर पायेंगे, चाहे आपकी जो भी नीति हो। इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*डाक्टर संजय सिंह—

माननीय, मैं आपके माध्यम से अपने पक्ष के और विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि शिक्षा के बजट पर आपने अमूल्य सुझाव और सलाह दी है। आपने जो बातें कही हैं, उनके कार्यान्वयन की तरफ हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय कौशिक जी बहुत ही विद्वान और अनुभवी माननीय सदस्य हैं। उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से काफी कुछ सलाह दी काफी बातें कही। एक बात मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जकर खटक रही है कि एक तरफ तो उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है और कहा कि सारा बजट काट कर एक रुपया कर दिया जाय और दूसरी तरफ माननीय कौशिक जी ने कहा है, शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की तारीफ की है और कहा है कि उसका बजट कम हो उसके बजट को बढ़ा दिया जाय तो मैं नहीं समझता हूं कि उनकी कौन सी बात मानी जाय। यह बात मानी जाय, या जो एक रुपये वाली बात है वह मानी जाय।

मान्यवर, कौशिक जी ने कहा है कि बी0 एच0 डी0 वालों को ही अध्यापक यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया जाता है परतु उनके एम0 ए0, बी0 ए0 के स्तर की योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो मान्यवर, यह सही नहीं है। पी0 एच0 डी0 के साथ एम0 ए0 में कम से कम 54 प्रतिशत तथा बी0 ए0 व इंटरमीडियट में अलग अलग 50 प्रतिशत से अधिक अथवा बी0ए0 व इंटरमीडिएट में मिला कर 55 प्रतिशत से अधिक अंक होने चाहिये। अगर पी0 ए0 डी0 की शोध बहुत ही उच्च कोटि की है तो कांटीनुअसली गुड रिकार्ड करे शिथिल भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह कौशिक जी ने कही है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगायी जाय और अच्छे छात्रों को ही प्रवेश मिले तो कौशिक जी से मेरा अनुरोध है कि किस तरह से इसका कार्यान्वयन हो, मैं चाहूंगा वह इस बारे में मुझसे मिलकर या लिखकर सलाह दें।

मान्यवर, इसी तरह से कौशिक जी ने कहा है कि जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी मान्यता पहले तीन वर्षों के लिये और फिर एक-एक वर्ष कर तीन वर्ष तक दी जाने के कारण जिलों में मान्यता के नवीनीकरण में कठिनाई आ रही है। तो इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अस्थायी मान्यता लेने के बाद एक उचित अवधि में अर्थात् 2-4 वर्ष में उस संस्था को स्थायी मान्यता की सारी शर्तें पूरा करके स्थायी मान्यता ले लेनी चाहिये। मान्यवर, अभी तक ऐसा भी हुआ कि स्थायी मान्यता की शर्तें 15-15 वर्ष तक पूरी नहीं की गयीं ऐसा न हो इसीलिये 6 वर्ष तक ही अस्थायी मान्यता देने का नियम बनाया गया है। मान्यवर, यह नियम 1981 से लागू है अतः उससे पहले या 1981 में मान्यता पाने वाली संस्थायें 1987 के जून तक अस्थायी मान्यता पा सकेंगी। इस सम्बन्ध में कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कुछ भ्रम हो गया लगता है, अतः उन्हें एक बार पुनः स्थिति स्पष्ट कर दी जायगी।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा की कतिपय कमियों की ओर माननीय कौशिक जी ने ध्यान आकर्षित किया है। आवश्यकता के हिसाब से हम अभी न नये विद्यालय खोल पा रहे हैं और न पहले से खुले हुये विद्यालयों में भवनों तथा साज-सज्जा आदि की ही उपयुक्त व्यवस्था कर पा रहे हैं। यह भी सही है कि हम आवश्यक संख्या में निरीक्षकों अथवा लिपिकों की व्यवस्था तथा उनके कार्यालयों में टेलीफोन आदि की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इन कमियों से हम भली-भांति अवगत हैं। मान्यवर, यदि हम भवनों को ही ले लें, हम यह जानते हैं कि 18,857 प्राइमरी और 2710 जूनियर हाई स्कूल इस समय भवन हीन हैं। इस बजट में 1017 भवनहीन प्राइमरी तथा 289 भवनहीन जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण का प्रस्ताव भी है। लेकिन यदि कटौती करके अनुदान एक रुपया कर दिया जायगा तो उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, भवनहीन विद्यालयों की व्यवस्था कैसे हो सकेगी।

मान्यवर, माननीय कौशिक जी ने सुझाव दिया वक्फ की जायदादों को रेंट कन्ट्रोल के प्राविधानों से छूट प्रदान की जाय ताकि वक्फ की आमदनी बढ़ सके। रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन है। उक्त विभाग ही

इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने के लिये सक्षम हैं। खाद्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि केवल वक्फ सम्पत्तियों को ही रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट से छूट दिया जाना जनहित में न होगा। मान्यवर, जहां तक अनधिकृत कब्जों को हटाने का प्रश्न है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनधिकृत कब्जों को हटाने का मूल दायित्व शिया-सुन्नी वक्फ बोर्डों का है।

(इस समय 7 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इसके बारे में शासन ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं जिनके तहत इस समस्या को उनको निपटाना है। मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई खास अव्यवस्था नहीं है। अगर माननीय कौशिक जी इसकी जानकारी देंगे तो इसकी व्यवस्था हो जायगी।

मान्यवर, इसके अलावा अनुदान सूची में लेने की बात भी की गयी है। लगभग 415 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनको अनुदान सूची पर लिया जाना है। एक विद्यालय को अनुदान सूची पर लेने पर 11 हजार रुपये प्रति माह खर्च आता है। तो इनके अनुदान सूची पर लेने से प्रति माह 1.32 लाख रुपये आता है। इसी तरह से 415 को यदि अनुदान सूची पर लिया जाय तो प्रति वर्ष 5.47 करोड़ रुपये की धन-राशि चाहिये। संसाधनों को देखते हुये इस समय इसकी व्यवस्था नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा गया है। तो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण जिलाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जन-प्रतिनिधियों तथा माननीय विधायकों द्वारा सम्बन्धित ब्लाकों में किया जाता है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को खोले गये प्रौढ़ केन्द्रों की केन्द्रवार सूचियां अनुदेशक के पते और नाम के साथ उपलब्ध करा दी हैं। कई अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा माननीय विधायकों ने अपने क्षेत्र के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को देखा भी हैं और अपने क्षेत्र के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, जहां भी हैं उसके बारे में अपनी राय भी भेजते हैं। इन लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सराहना भी की है। तो मान्यवर, इसके बारे में जहां-कहीं भी कमियां हैं, शासन अपने स्तर पर देख रहा है और समय-समय पर जो सुझाव इस सम्बन्ध में आते हैं इसके बारे में हम लोग प्रयत्नशील भी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तोड़ने की बात माननीय कौशिक जी ने कही है। तो राजकीय अनुदान आयोग किस तरह से कार्य करे और आगे चल कर उसकी व्यवस्था कैसी हो सकेगी उसके बारे में अभी कुछ कह पाना सम्भव नहीं है।

मान्यवर, रामपुर में शिया-सुन्नी की समस्याओं के बारे में बात कही गयी, उसको हम जांच करा लेंगे और उनकी समस्याओं को हल करने के प्रयास भी किए जायेंगे और एक माननीय सदस्य ने कृषि सोसाइटियों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही, इसके बारे में विचार किया जायेगा और उनके विचार भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो लिखित रूप में लेकर इनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के प्रयास किए जायेंगे। माननीय गया प्रसाद जी ने शिक्षा की दोहरी प्रणाली के बारे में कहा और माननीय बसन्त सिंह जी तो मुझे लगता है कि सुबह घर से नाराज होकर यहां आए थे और सीधे ही शिक्षा की नीति के बारे में और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बातें कहीं, मैं समझता हूं कि इसके लिए उन्हें फिर से सोचना चाहिए। माननीय भगवान दीन कुशवाहा ने शिक्षा के लिए जो आयोग अब तक बैठाए उनसे कोई परिणाम नहीं निकले और श्री राजीव गांधी की भी थोड़ी सी आलोचना की, साथ ही उन्होंने पूर्वान्चल में विश्वविद्यालय की मांग की और बलिया में लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और जो इन्होंने श्री राजीव गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें कहीं अगर इसी प्रकार से उस तरफ के बेंचे

हुए माननीय नेताओं के बारे में हम लोग भी आलोचनाएं व्यक्तिगत रूप से करना चाहें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है और श्री रामनाथ मुंशी जी ने भी अध्यात्मवाद की कुछ बातें कहीं और शेष हमारा बजट ही वह पढ़ गये, फिर भी उन्होंने जो रचनात्मक बातें कहीं होंगी, उनकी ओर विचार किया जायेगा। सा ही जो डाक्टर जौहरी साहब ने स्कूलों के रोजगार, बरेली में एक सज्जन द्वारा चलाए जा रहे 32 स्कूलों की बात और जो उसमें घपला है, उसकी ओर संकेत किया है और विश्वविद्यालय रुहेलखंड के बारे में भी बताया है और आज कल जिस प्रकार से व्यवसायिक स्कूलों की एक व्यवस्था सी जो हर जगह चल पड़ी है, इसके बारे में विशेष-तौर से शासन को पूरी जानकारी है और इनमें आवश्यक कार्यवाही हो भी रही है।

श्री राम किशन जी ने अपने क्षेत्र में हाई स्कूल की मांग की और प्रौढ़ शिक्षा में सुधार की आवश्यकता की बात को सामने रखा है, इस सिलसिले में जैसे कि हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन शीघ्र ही केन्द्र सरकार द्वारा होने जा रहे हैं और हो सकता है कि जल्दी ही माननीय प्रधान मन्त्री जी की ओर से इस ओर कोई सक्रीय कदम उठाए जाएं। माननीय अन्सारी साहब ने शिया-सुन्नी के झगड़े की बात कही और इस ओर मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार हर सम्भव और जगह सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बनाना चाहती है और इसके लिए सदैव कटिबद्ध है। और माध्यवर, माननीय चन्द्रभान मौर्य जी ने डा0 भीमराव अम्बेडकर के निर्णय को पालन करने की बात की लगता है, उन्होंने अभी पूरी तरह से डा0 भीमराव साहब की जिन्दगी का अध्ययन नहीं किया है जहां तक मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अभी इस तरह की जातिवाद की भावना का बढ़ावा नहीं दिया होगा, इसलिए इन्होंने डा0 अम्बेडकर का नाम लेकर जितनी बातें कहीं सदन के अन्दर नहीं कहनी चाहिए थीं और इस तरह से इन्होंने इनके नाम का दुरुपयोग किया है।

माननीय जाहिदी साहब ने शिक्षा के बारे में जो कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ प्रेरणापूर्ण बातें कहीं हैं, अवश्य इनकी ओर विचार किया जायेगा और माननीय जमुना प्रसाद बोस साहब ने विवेकानन्द को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने की बात तथा प्राइमरी पाठशालाओं की व्यवस्था को चुस्त करने की बात कही इन समस्त व्यवस्थाओं पर सरकार प्रयत्नशील है और शीघ्र ही इन सारी चीजों का हल सामने आयेगा, इसी को मानकर हम लोग चल रहे हैं।

माननीया कमला साहनी ने अध्यापकों को अपनी तहसील से दूर रखने की बात कही। उनका सुझाव अच्छा है, हम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि अध्यापक अपनी तहसील से दूर रहें। माननीय शाही जी ने बलिया के बारे में कुछ बातें कहीं, मैं उनसे अकेले में मिल कर बात करूंगा। माननीया शशि शर्मा ने अध्यापकों के सेलरी पेपेंट के बारे में एवं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों की मान्यता के बारे में बात कही। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनका जो सुझाव है, उसके बारे में विचार कर लिया जायगा, माननीय यदुनाथ सिंह ने अपने क्षेत्र में डिग्री कालेज खोलने की बात कही, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

माननीय हरदेव जी, माननीय गौरी भइया, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी, माननीय सदस्य इटावा यादव जी माननीय राम सिंह ने जो भी सुझाव दिये, उसके बारे में विचार कर लिया जायेगा। माननीय हरी जी ने आदेशों के अनुपालन के संबंध में कहा। मैं उनको बताना

चाहता हूं कि उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । माननीय कौशिक जी ने बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में कहा और यह भी कहा कि आयोजनेत्तर और आयोजनागत की विसंगति दूर की जानी चाहिए । उसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्यवाही है, वह की जायेगी । मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह 800 करोड़ रुपया जो शिक्षा विभाग के लिए निश्चित हुआ है, यह सही है कि वह आज के हिसाब से, अपने विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए बहुत कम है । लेकिन जो भी इस्टैबिलशमेंट आदि पर खर्च हो रहा है, उसको घटाया नहीं जा सकता । शिक्षा को विकसित करने के लिए पैसे की कमी है, उसको बढ़ाये जाने की बात कही गयी, वह प्रसंशनीय बात है । अन्त में, जो भी सलाह, जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिया, जो भी आलोचना आपने की, उसका भी अच्छे माहौल में शासन स्वीकार करेगा । अन्त में, मैं फिर से आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो हमारे सामने बैठे हुए साथी हैं, उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं, वे अच्छे सुझाव हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सभी माननीय सदस्य प्रस्तुत बजट को पारित करने की कृपा करें ।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेज में हरिजन अध्यापकों अन्य कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है शायद एक प्रतिशत भी पूरा नहीं है । क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति में हरिजन भाइयों का कोटा 21 प्रतिशत हो, उनकी आबादी के अनुसार पूरा करने की कृपा करेंगे ? दूसरा मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की बात आपने कही। किसी भी जनपद में विधायकों की सूची नहीं दी गई हैं, जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारी सूची नहीं देते हैं । आपकी पुस्तक अनौपचारिक शिक्षा के विषय में छपी है, उसमें स्पष्ट है कि प्रथम वरीयता में अवकाश प्राप्त अध्यापकों को अनौपचारिक शिक्षा में नियुक्त किया जायगा । उसके बाद प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 बेरोजगार अध्यापकों को अवसर दिया जायगा । उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण को दिया जायगा और अन्त में कार्यरत अध्यापकों को नियुक्त किया जायगा । किन्तु मेरे जिला बलिया में शासन के इस निर्देश के विरुद्ध कार्यरत अध्यापकों को ही अनौपचारिक शिक्षा में नियुक्त किया गया है । जो कभी काम नहीं करते, उनको फर्जी भुगतान शिक्षा विभाग के अधिकारी मिल कर करते हैं और आधी रकम स्वयं ले लेते हैं । हमारे बलिया जनपद में जिला शिक्षा सलाहकार समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र चल नहीं रहे हैं, इसलिए वहां नियुक्त अध्यापकों को कोई भुगतान न किया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि ये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ठीक से चल सकें ? मान्यवर, आपके विभाग के एस0 डी0 आई0 पर्यवेक्षक मिल कर अनौपचारिक शिक्षा के मद के रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा का उद्देश्य सार्थक करने और गतिशीलता लाने की बात कही है, परन्तु अलीगढ़ जनपद में कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारी बहादुर कनौजिया के भ्रष्ट आचरण और पूर्णतया नियम विरुद्ध कार्य करने से शिक्षण के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है । 10 हजार शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तथा अब वह आंदोलन की राह पर हैं । इस स्थिति को देख करके जनपद के सभी पक्ष-विपक्ष के दसों विधायक व दोनों लोक सभा सांसद तथा दोनों राज्य सभा सांसदों ने एक राय होकर बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्ट आचरण की शिकायत कर जांच

और उनके स्थानान्तरण की मांग की। स्थानान्तरण हो जाने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण स्थानान्तरण रोक दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी उनका स्थानान्तरण कर इस गति रोध को दूर करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

माननीय गांधी जी ने पूर्वाग्रह की बात कही माननीय शास्त्री जी के लिए। यह गलत बात है, वह बहुत भद्र पुरुष हैं और दूसरा जो आपने बात कही वह आप लिखित दे दें, मैं इसको दिलवा लूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ तहसील ऐसी हैं जहां कोई डिग्री कालेज नहीं है। ऐसे भी विकास खंड हैं जहां कोई इन्टर-मीडिएट कालेज नहीं है। क्या आप नियमों में शिथिलता देकर या सरकार अपने स्तर से स्कूल खुलवाने पर विचार करेगी ?

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी—

मान्यवर, सरधना जनपद मेरठ में सेन्ट जोजफ गर्ल्स डिग्री कालेज है। वह पिछले साल भी अनुदान से वंचित रह गया था और अगर इस साल भी उसको अनुदान नहीं दिया जायगा तो हरिजन तथा पिछड़े वर्ग की कन्याओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है कि जो भाषण होता है, जो बात कही जाती है उसमें अगर कोई बात हो तो आप स्पष्टीकरण करवा सकते हैं। यह जो बात नहीं भी कही गई है उससे अलग हटकर तकरीर करना, भाषण का माध्यम बनाना यह अलग चीज है। आप, सिर्फ जो बातें कही गई हैं उन पर स्पष्टीकरण लें।

श्री राम सागर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपदों में कुछ राजकीय जूनियर हाई स्कूल चला रहे हैं और कुछ बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं। दोनों के अध्यापकों के वेतनमान में बहुत बड़ा अन्तराल है। उन राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को चपरासी से भी कम वेतन मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष—

राम सागर जी, वह उसका जवाब नहीं देंगे।

श्री राजित प्रसाद यादव—

अधिष्ठाता महोदय ने आश्वासन दिया था कि मंत्री जी के भाषण के बाद बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई फायदा नहीं है। आप अपने सुझाव लिखकर भेज दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 71,31,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,91,73,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--.

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा (के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,01,93,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,44,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,70,96,000 रुपये से अनधिक धन-राशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आगरा में पुलिस द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृत चर्चा को दिनांक 1-4-86 को लिये जाने की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बदन सिंह की नियम 56 में आगरा में बलात्कार के बारे में सूचना थी उसके विषय पर माननीय अध्यक्ष ने एक घंटे की चर्चा स्वीकार किया है । यह चर्चा दिनांक 1-4-86 को होगी ।

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मेरठ के जिला कारागार में श्री दुर्गा प्रसाद यादव को निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में किये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ निर्णय हैं जिनको सुनाना है । श्री दुर्गा प्रसाद यादव, ने दिनांक 24 अगस्त, 1985 को विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है । उनका कहना है कि उन्हें मेरठ के जिला कारागार में निरुद्ध किया गया था जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था । न्यायालय के निर्णय की प्रति जिला कारागार अधीक्षक को दिनांक 3-8-85 को उपलब्ध करा दी गई थी । फिर भी उन्हें दिनांक 9-8-85 को मुक्त किया गया ।

कौल एवं शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार" के पृष्ठ 266 पर लोक सभा की कार्यवाही दिनांक 17 अगस्त, 1966 का निर्णय उद्धरित है जिसमें कहा गया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना तुरन्त देनी चाहिये । इतना ही नहीं, ऐसी सूचना प्रथम उपलब्ध अवसर पर दी जानी चाहिये । यदि ऐसी सूचना में एक या दो दिन की भी देरी हो जाय तो ऐसा विलम्ब उसको ग्राह्यता के लिए घातक माना गया है । इस सदन में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय दिनांक 9-2-83 28-2-83, 6-4-84 तथा 11-9-84 के अनुसार भी विलम्बित सूचनाओं को अग्राह्य किया गया है ।

प्रश्नगत मामलों में चूंकि विशेषाधिकार हनन की सूचना 15 दिनों बाद दी गयी है, अतः इसे अग्राह्य किया जाता है । फिर भी मैं गृह राज्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में पुनः जांच कराने का कष्ट करें कि न्यायालय में आदेशों के अनुपालन में कोई अनावश्यक विलम्ब तो नहीं हुआ और यदि हुआ तो उसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । यह जो फैसला दे रहे हैं, यह विशेषाधिकार का दे रहे हैं । कार्यसूची में विशेषाधिकार का एक कालम होता है । अच्छा होता कि इसे किसी दूसरे दिन सुना दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनें ।

तत्कालीन राजस्व मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ ने राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दिनांक 19-8-85 को दिया था। वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र में चौथे शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न 23 को पूछा गया था कि क्या श्री चन्द्रराम ने मार्च, 1984 में बस्ती जनपद में अपने नम्बरान की पैमाइश हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिया था। उत्तर में राजस्व मन्त्री ने बताया कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता है। माननीय सदस्य ने नियम 63 की सूचना के साथ नायब तहसीलदार की नोटिस की फोटोस्टेट प्रति संलग्न किया जिसको देखने से ज्ञात होता है कि उक्त पैमाइश हेतु दिनांक 3-6-84 तथा 17-6-84 नियत की थी।

इसके उत्तर में माननीय मन्त्री ने स्पष्ट किया कि श्री चन्द्रराम ने लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 41 के अनुसार न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही उसे सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित किया गया था।

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी उठता है जब माननीय मन्त्री जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत बयानी करे। प्रश्नगत मामले में ऐसा कोई मामला नहीं प्रतीत होता। अतः इसे सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जाती।

श्री माता प्रसाद पाण्डे--

माननीय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, गणपूर्ति की घंटी बजायी जाय।

(गणपूर्ति की घंटी बजायी गयी किन्तु 5 मिनट तक घंटी बजते रहने और गणपूर्ति न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 10·00 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
21 मार्च, 1986

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

संलग्नक

घाघरा नदी को कटान से कटी तहसील हरैया, जिला बस्ती के ग्रामों की आबादी को बसाये जाने का विवरण

क्रम सं0	कटान का वर्ष	कटान से प्रभावित ग्रामों का नाम	कटान से प्रभावित परिवारों की संख्या	बसाये जाने वाली भूमि का विवरण		क्षेत्रफल	भूमि का स्वामित्व
				ग्राम का नाम	गाटा संख्या		
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)
1	1981	..	..	..	..	..	..
2	1982	..	..	..	..	..	..
3	1983	..	..	..	..	..	..
4	1984	1–×बरदहिया लोहार	80	बेगमगंज	गाटा नं0 582 मि0	4 0 0	ग्राम समाज
		2–आराजोडही	17	,,	,,	0 17 0	,,
		3–बिशुनपुर	4	सेमराएहतमाली	ग्राम समाज	0 4 0	,,
5	1985	4–अइलियाजुग्गा राम	6	अइलियाजुग्गा राम	,,	0 6 0	,,
		×वरदिया लौहार	14	बेगमगंज	गाटा सं0 582 मि0	0 14 0	,,
		5–रसूलपुर	48	,,	,,	2 8 0	,,
		6–माझा अंखनपुर	42	,,	,,	2 2 0	,,
		7–बसावनपुर	17	पुरेनरगा	गाटा सं0 27, 36	1 6 0	,,
		8–बानेपुर	11	रमबापुर, जंतापुर	गाटा सं0 28, 363	1 13 14	,,
		9–पाही माफी	2	बेरागल	निजी भूमि	निजी भूमि	निजी भूमि
		10–पिठिया लशकरी	19	पिठिया लशकरी	श्री राकेश सिंह की भूमि पर उनकी सहमति से अधिगृहीत करके	निजी भूमि	,,

×आंशिक रूप से दो बार प्रभावित

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रता0 प्र0 सं0 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

जनपद बस्ती, तहसील खलीलाबाद में फरवरी, 1986 तक एल0 टी0 में से द्वारा विद्युतीकरण ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	ब्लाक	ग्रामों का नाम
1	2	3
1	बघोली	ढोढया
2	,,	साइबुजुर्ग
3	,,	लेड़वा महुँवा
4	,,	बखिरा उर्फ बाघननगर
5	,,	अमर डोभा
6	,,	जगदीशपुर
7	,,	रूपवापुर
8	,,	चौरा
9	,,	महला
10	,,	घनसिरिया
11	,,	टिटरिया
12	,,	बौर व्यास
13	,,	हटवा
14	,,	सीटीकिर
15	,,	बघुवा
16	,,	औणाबाद
17	,,	अटरोरा
18	,,	उड़सरा
19	,,	नौनहवा
20	,,	जुरी
21	,,	आटाकला
22	,,	हचपोखरी
23	,,	हर्वी

1	2	3
24	सेमरियावां	देवरिया लाल
25	,,	विगरामोर
26	,,	मुराडीहा वेग
27	,,	गर्गेचा
28	,,	दुधारा
29	,,	दरियाबाद
30	,,	कोहरयावा
31	,,	गगुली
32	,,	सेमरियांवा
33	,,	उसरा शहीद
34	,,	चोरहा
35	,,	भुरछीहा खुर्द
36	,,	भाटपारा
37	,,	भंगुरा
38	,,	महदेव
39	,,	धर्मपुर
40	,,	डारवा
41	,,	डारीडीहा
42	,,	रामपुर छपिया उर्फ ढाका
43	,,	शिशवा दखिला
44	खलीलाबाद	सरौली
45	,,	मीरगंज
46	,,	दलेलगंज
47	,,	जरवा
48	,,	उफरीकला
49	,,	खंखार
50	,,	रौरापार

1	2	3
51	खलीलाबाद	चकदही
52	"	गोसपुर
53	"	धुधारा
54	"	गौरकिया
55	"	मझवा उर्फझरिया
56	"	पटखौली
57	"	बरगांव
58	"	मोहदीपुर
59	"	महरखास
60	"	सेमरा
61	"	बरारपार
62	"	सियरापार
63	"	कोनी
64	"	मुनसिर
65	"	पाकरडोहा
66	"	ककेलहुवा
67	हैंसपुर	बुजुर्गवार
68	"	छहुरे गांव
69	"	सनियरा
70	"	हरैया हर
71	"	भरतपुर
72	"	परसर
73	"	खदरवार
74	"	घोरगं
75	"	घुरपुरवा
76	"	घुरयाकला
77	"	सरैयागढ़
78	"	मरपौना

1	2	3
79	हंसपुर	पोली
80	,,	गाकरगढ़ (1284)
81	,,	चपरा मगरवी
82	,,	नांव खुर्द
83	,,	असरफपुर
84	,,	तुकौलिया नायक
85	,,	औराडांड
86	,,	मुडरा
87	,,	रजौली
88	,,	बंजनाथपुर
89	,,	भरतपुर
90	सलीलाबाद	गरारपार
91	,,	देवरियागंगा
92	,,	घमनी
93	,,	नैनाकाला
94	,,	ककरही
95	,,	हरवी
96	हंसर	घनघटा
97	,,	टेमा
98	,,	हंसर हरदू
99	,,	कुरमोल
100	,,	छितौनी
101	,,	तारा (पंडा)
102	,,	सिरसी खाल
103	,,	गैन बसन्तपुर
104	,,	कुठुपुरी
105	,,	गागरगढ़
106	,,	मटेहना

1	2	3
107	हंसर	परसहर
108	,,	पचरा कला
109	,,	मकदुमपुर
110	,,	कटया
111	,,	बकैनिया ककरी
112	,,	मुसरकी
113	,,	जगदीशपुर
114	,,	आंसपुर
115	,,	जोगिया
116	,,	बभनौलीं
117	,,	खीजो
118	,,	मरवलपरवता
119	मेंहदावल	भरपुहया
120	,,	नःदौर
121	,,	रामपुर
122	,,	दियाबत्ती
123	,,	अमरडोभा
124	,,	वसडीला
125	,,	गगई राव
126	,,	वढ़या
127	,,	बरौली
128	,,	अहिरौली
129	,,	जमात
130	,,	नौड़ाड़ी
131	,,	मैला
132	,,	तुनिहवां
133	,,	कम्हरिया
134	,,	इन्दरपुर

1	2	3
135	मेंहदावल	बन्दूनार
136	,,	चिरयाडाड़
137	,,	मौनौरा गुमान
138	,,	बेल वेनवा
139	,,	धोरा पार
140	,,	नौधबा
141	,,	अवरही
142	,,	नवनी
143	,,	रमवापुर
144	नाथनगर	हरिहरपुर
145	,,	निवहोरिला
146	,,	गिथनी
147	,,	अलीनगर
148	,,	परमेशवरपुर
149	मेहदावल	दुर्गजोत
150	,,	कुस्म्हा माफी
151	,,	साड़ा
152	,,	भीटीकला
153	,,	टरवीनया
154	,,	मेंहदावल
155	,,	बढ़या एतहमाली
156	,,	जमोहरा
157	,,	सोनौरा
158	,,	गुल्हरिया
159	,,	भरथुआ
160	,,	मिश्रौलिया
161	,,	कुनवाथीर

1	2	3
162	मेहदावल	लगड़ीसोई
163	,,	शुशरूखुर्द
164	,,	टंडवा
165	,,	लौकी मिश्रा
166	,,	डगरूवार
167	,,	चितरापुर
168	,,	भहदेव
169	,,	पटवरिया
170	,,	मुदरी
171	,,	खनापार
172	,,	समोगार
173	नाथ नगर	गुमनार
174	,,	बलही
175	,,	सधरा
176	,,	नाथनगर
177	,,	करहिया
178	,,	गायघाट
179	,,	मुखलिसपुर
180	,,	पराशुरामपुर
181	,,	रामपुर
182	,,	वन्धुपुर
183	,,	वन्दखोर
184	,,	झिगुरापार
185	,,	कोल्हूगाडा
186	,,	जसवार
187	,,	हरदो
188	,,	भगीतीपुर

1	2	3
189	नाथनगर	रामपुर
190	"	भागीपुर
191	"	सियापुर
192	"	धजवाल
193	"	पिकौरा
194	"	मुकंदपुर
195	"	कोदवा
196	"	सुरवीपुर
197	"	नटवा
198	"	गनेशपुर
199	"	महदेवा
200	"	सठरैया
201	"	परसादीपुर
202	"	अमिहा
203	"	मझौआडगा
204	"	चदावती
205	"	नीकटा
206	"	भडहाराजा
207	"	केवटली
208	"	भैलहिया
209	"	भीठी खुर्द जगदीशपुर
210	"	अम्बाडीहा
211	"	तिनहरी
212	"	लिवरी
213	"	ओनिया
214	"	चोरहट
215	"	जगदीशपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
216	नाथनगर	पिकोरा
217	,,	तिघरा
218	,,	जिमिरा
219	,,	सतोहर
220	,,	बारीडीहा
221	,,	भिटकिनी
222	,,	हलवा
223	,,	कठैचा
224	,,	जयराम पट्टी
225	,,	वरौली
226	,,	जोगाराजा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

जनपद मथुरा में वर्ष 1985 में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों/ग्रामों की सूची (1-4-85 से 2/86 तक)

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	हरिजन बस्ती/ग्राम का नाम
1	2	3
1	नन्दगांव	1—उमरैला
		2—चिकसौली
		3—नवीपुर
		4—अमरैला (2)
2	फरह	1—भदाया
		2—झन्डीपुर
		3—सनौरा
		4—बुदरसू टाउन
		5—बुदरसू
3	मथुरा	1—अनूपनगर
		2—फैन्चरी
4	गोवर्धन	1—अड़ीग (2)
5	नौझील	1—मरहेला
6	मांट	1—पानी गांव
		2—कुखारा
		3—रतनगढ़ी
		4—खाघरा
		5—हरनोल (1)
		6—राजा की गढ़ी
		7—जसौली
		8—ज्ञावारा
		9—मांट राजा
		10—नसीटी
		11—हरनौल (2)

1	2	3
7	राया	1—आराजी मिलक (तकिया) 2—अचरू (1) 3—तेहरा 4—इटोली 5—शहजादपुर (लोहवन) 6—तइयापुर 7—अचरू (2) 8—अघेरी की गढ़ी
8	बल्देव	1—महावन 2—महावन 3—मनोहरपुर 4—गोपीनगरिया 5—नगला पालई 6—नगला खूबी 7—पावागरी
9	सादाबाद	1—कुरसन्डा (1) 2—नगला कच्छ (1) 3—ताजपुर 4—नगला कच्छ (2) 5—मनसिया 6—अगसाह 7—कुरसन्डा (2)
10	सहपऊ	1—पिंहुरा (1)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी

देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का

समितिवार, वस्तुवार तथा वर्षवार खाद्यान्न, चीनी व मिट्टी के

वर्षवार आपूर्ति एवं वितरण (कुन्टल

समिति का नाम	वस्तु का नाम	1981		1982	
		आपूर्ति	बितरण	आपूर्ति	वितरण
1	2	3	4	5	6
किसान सेवा सहकारी समिति, संदाबाद	1—गेहूं	..	..	..	..
	2—चावल	10	10	13	13
	3—चीनी	518	518	567	567
	4—मिट्टी तेल	..	..	3300	3300
साधन सहकारी समिति, ब्यूर	1—गेहूं	..	..	..	..
	2—चावल	23	23	..	..
	3—चीनी	120	120	195	195
	4—मिट्टी तेल	..	..	..	..
साधन सहकारी समिति, थलमा	1—गेहूं	..	..	..	..
	2—चावल	23	23	..	..
	3—चीनी	163	163	248	248
	4—मिट्टी तेल	..	..	..	..
साधन सहकारी समिति, दुमदुना	1—गेहूं	..	..	..	..
	2—चावल	10	10	10.19	10.19
	3—चीनी	174	174	278	278
	4—मिट्टी तेल	..	..	..	..

'घ'

उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

तेल के उठान व वितरण के सम्बन्ध में सूचना

में), मिट्टी का तेल (लीटर में)						कुल योग	
1983		1984		1985		1981 से 1985 तक	
आपूर्ति	वितरण	आपूर्ति	वितरण	आपूर्ति	वितरण	आपूर्ति	वितरण
7	8	9	10	11	12	13	14
275	275	..	..	1	1	276	276
30	30	..	..	1	1	54	54
331	331	296	296	274	274	1986	1986
..	..	..	..	..	..	3300	3300
132.05	132.05	..	..	2	2	134.05	134.05
..	..	..	..	17	17	40	40
..	..	..	..	130	130	445	445
..	..	..	..	..	..	..	..
50	50	..	..	1	1	51	51
..	..	..	..	1	1	24	24
182	182	45	45	110	110	748	748
..	..	..	..	..	..	..	..
50	50	..	..	..	..	50	50
40	40	..	..	..	..	60.19	60.19
75	75	46	46	134	134	707	707
..	..	..	..	..	..	..	..

पी0 एस0 यू0 पी—3 वि0 सभा—11-7-86—813 (पी0 डी0)